छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा त्रयोदश सत्र

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022

(फाल्गुन 23, शक सम्वत् 1943)

[अंक 06]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022

(फाल्गुन 23, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

1. (*क्र. 996) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कितने शासकीय ,प्राथमिक ,माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल, भवन विहीन,जर्जर स्थिति में हैं? विकासखण्ड वार शालावार जानकारी दें? **(ख)** कंडिका 'क' के अनुसार उक्त भवन विहीन शाला भवनों का एवं जर्जर भवनों का कब तक नवीन शाला भवनों का निर्माण किया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान स्थिति में 03 हाईस्कूल भवन विहीन तथा 20 प्राथमिक शालाएं एवं 06 पूर्व माध्यमिक शालाएं जर्जर है विकासखण्डवार, शालावार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[1] अनुसार है। **(ख)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम स्कूल शिक्षा मंत्री जी से जानकारी मांगी थी कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान स्थिति में कितने शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन और जर्जर स्थिति में है ? इसमें माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त हुई है। हाईस्कूल साल्हेटोला, हाईस्कूल मोरकुटुम्ब और हाई स्कूल चिनचारीखुद तथा 26 प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जर्जर स्थिति में है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या कितनी है, जो जर्जर और भवन विहीन स्कूल हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र खुज्जी के अन्तर्गत भवन विहीन और जर्जर शालाओं की स्थिति है, उसमें 3 हाईस्कूल हैं और 20 प्राथमिक शालाएं और 6 माध्यमिक शालाएं हैं। इनमें अम्बागढ़ चौकी प्राथमिक शाला खुर्सीपार में

[1] परिशिष्ट "एक"

विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 42 है और इसका संचालन अस्थाई शेड में होता है। अम्बागढ़ चौकी प्राथमिक शाला सिरमुन्दा में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 22 है, प्राथमिक शाला सिगरायटोला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 40 है, प्राथमिक शाला मक्के में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 42 है, प्राथमिक शाला मांझीटोला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 32 है, प्राथमिक शाला कहाड़कसा में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 93 है, प्राथमिक शाला खटा छुरिया में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 34 है, प्राथमिक शाला पथरानवागांव में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 18 है, प्राथमिक शाला जनकपुर में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 19 है, प्राथमिक शाला मुंजालपाथरी में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 64 है, प्राथमिक शाला रानामटिया में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 18 है, प्राथमिक शाला फाफमार में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 87 है, प्राथमिक शाला कालिहाटोला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 23 है, प्राथमिक शाला पथराटोला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 64 है, प्राथमिक शाला पांगरीकला में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 95 है, प्राथमिक शाला बंशीबंजारी में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 41 है, प्राथमिक शाला संबलपुर में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 84 है, प्राथमिक शाला टिपानगढ़ में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 74 है, प्राथमिक शाला शिकारीमहका में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 42 है, प्राथमिक शाला कापा में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 75 है, माध्यमिक शाला छुरिया में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 97 है, माध्यमिक शाला तेलिनबांध में विद्यार्थियों की दर्ज संख्या 85 है।

अध्यक्ष महोदय :- विद्यार्थियों की दर्ज संख्या से आपको क्या मिलेगा ? आप ऐसा प्रश्न करें कि मंत्री जी उसमें थोड़ा हड़बड़ाये।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सारे स्कूल भवन विहीन और जर्जर स्थिति में है और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार अच्छी स्थिति में है, सरकारी जर्जर स्थिति में है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा की बात करते हैं। तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि इतने हाईस्कूल और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल जर्जर स्थिति में हैं और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षा की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ नहीं, आप पूछिये कि कितने दिनों में बनायेंगे, कैसे बनायेंगे ? विद्यार्थियों की दर्ज संख्या जानकार क्या करोगे ?

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे स्कूलों की भी तस्वीर दिखा दूंगी जो लकड़ी से बने हैं। तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि इतने सारे स्कूल भवन विहीन और जर्जर स्थिति में हैं, वह कब तक बन पायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा सवाल करो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर स्कूल जर्जर स्थिति में और भवन विहीन हैं, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह काफी चिंतनीय है कि जहां बच्चें पढ़ रहे हैं वहां भवन नहीं हैं। प्राथमिकता के आधार पर जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी,..।

अध्यक्ष महोदय :- जो स्कूल लकड़ी के बने हैं और वहां बच्चें पढ़ रहे हैं, कम से कम वहां जल्दी करवा दीजिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी,जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। प्राथमिकता के आधार पर जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी, हम उसमें व्यवस्था करेंगे।

कोरिया जिला में अहाता - विहीन स्कूल

[स्कूल शिक्षा]

2. (*क्र. 938) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोरिया जिला अंतर्गत कौन कौन से स्कूल अहाता विहीन हैं ? **(ख)** वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक कौन-कौन से स्कूलों में अहाता निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? **(ग)** वर्तमान में अहाता विहीन स्कूल में अहाता निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कोरिया जिला अंतर्गत अहाता विहीन स्कूल की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[2] अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2018 से जनवरी 2022 तक स्वीकृत अहाता निर्माण एवं उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ग)** निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी प्रश्न था कि कोरिया जिले में कितने अहाता विहीन स्कूल हैं और जितने स्कूल हैं, उसकी कब तक स्वीकृति मिलेगी और कब तक काम होगा। इस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा खासकर मेरे विधानसभा क्षेत्र के खड़गवां जनपद में काफी ट्रायबल एरिये हैं, और वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तो आप कृपा करके जल्दी से जल्दी जो अहाता विहीन स्कूल हैं, वहां अहाता स्वीकृत कराकर बनवा दीजये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कोरिया जिले का पूछा है।

[2] परिशिष्ट "दो"

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये ना उनको, अहाताविहीन स्कूल का मतलब है कि विभाग से निर्देश जारी करिये कि हर स्कूल में अहाता बनाने के लिए श्रम कराकर बच्चों से पेड़ लगा दें । अहाता खत्म हो जाये, ठीक हो जाये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें स्वीकृति प्रदान किये हैं, पूरे जिले में 120 किया गया है, आपके विधान सभा क्षेत्र में 29 स्वीकृति प्रदान की गई है ।

जैसे-जैसे धन-राशि उपलब्ध होगी, पूर्ण करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे प्रदेश में जहां-जहां अहाताविहीन स्कूल है, अहाता बनाना सरकार का काम नहीं है, स्कूल का, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का, गुरूजी का भी काम है । वहां पर चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगा दें, कुछ साल बाद पेड़ बड़े हो जायेंगे । उसके बाद आप अहाता लगाते रहना । अहाता के लिए कहां से पैसा आयेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सरकार अहाता के लिए बजट आवंटन करती है, अहाता के लिए पैसा दे रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- स्कूल भवन के लिए राशि स्वीकृत होती है, राशि उसी में इन्क्लूड कर दे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं, अहाता के लिए स्पेशल फण्ड है, लेकिन जहां से पैसा मिलता है, उसे दिया जाता है ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका जो निर्देश है, उसका पालन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अहाता में जैसे गरूवा पेलता है, धसक जाता है । यह मैं भी जानता हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- धसक जाता है, वह अलग बात है । अहाता के लिए राशि मिल रही है ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, नये स्कूल भवन के लिए जब राशि स्वीकृत होती है, उसमें इन्क्लूड कर दिया जाये ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लोकल जो धनराशि रहती है, डी.एम.एफ. राशि है, टी.एफ.आर, है, उससे उनको बनाते हैं । आपके आदेशानुसार राशि जारी कर रहे हैं वहां पर पेड़ लगा दें, ताकि सुरक्षित हो सके ।

अध्यक्ष महोदय :- पेड़ लगा दें, उसके बाद आप कांटों से घेर दें, सस्ता पड़ेगा । नहीं तो ईट और मिट्टी से बनेंगे और धसकते जायेंगे ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- जी माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री यू.डी.मिन्ज :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक सलाह देना चाहता था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी को सलाह ?

अध्यक्ष महोदय:- संसदीय सचिव ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री यू.डी.मिन्ज :- एक्चुअली यहां पर जो ईट के बने होते हैं, उसे बाउंड्रीवाल मानते हैं, मेरा निवेदन था कि सस्ते में भी यह काम हो सकता है, चैन लिंकिंग वगैरह उस पर कर देते हैं । आयरन पोस्ट या सीमेंट के खम्बे लगाकर भी कर सकते हैं । सस्ते में काम हो सकता है, ज्यादा कव्हरेज हो सकता है ।

श्री सौरभ सिंह :- अहाता का रास्ता बंगले से आता है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, सस्ते में क्वालिटी नहीं आयेगी । प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला को अहाता के लिए प्राथमिकता दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक । सरकार के पास पैसे नहीं है । श्री लखेश्वर बघेल ।

शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में बायोमेट्रिक टेबलेट से हाजिरी

[स्कूल शिक्षा]

3. (*क्र. 978) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधान सभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत कितनी शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायरसेकेण्डरी स्कूल्स को हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक टैबलेट प्रदाय किया गया था ? इसके लिए किस वर्ष में कितनी राशि खर्च की गई थी ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रदाय की गई टेबलेट्स की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ग)** क्या खराब पड़े टैबलेट्स के सुधार की कोई व्यवस्था है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बस्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 411 शासकीय प्राथमिक शाला, 181 पूर्व माध्यमिक शाला, 25 हाई स्कूल एवं 26 हायर सेकेंडरी स्कूलों में बायोमैट्रिक टेबलेट प्रदान किया गया। इस हेतु वर्ष 2017-18 में रु. 11.00 लाख, वर्ष 2018-19 मे राशि रू. 61.00 लाख, वर्ष 2019-20 मे राशि रू. 19.00 लाख, वर्ष 2020-21 मे राशि रू. 41.00 लाख एवं वर्ष 2021-22 मे राशि रू. 09.00 लाख व्यय किए गये। **(ख)** वर्तमान में 7 टेबलेट उपयोगी एवं 636 टेबलेट अनुपयोगी है। **(ग)** खराब टेबलेट का सुधार शाला अनुदान निधि से किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में बायोमैट्रिक टेबलेट हाजिरी से संबंधित था । मैं अपने विधान सभा से संबंधित प्रश्न पूछा था, हमारे विधान सभा में 643 नग टेबलेट प्रदान किये हैं, जिसमें 7 टेबलेट उपयोगी बताई जा रही है, 636 टेबलेट अनुपयोगी बताई जा रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 636 टेबलेट अनुपयोगी है, उसके बाद लगातार वर्ष 2017-2018 से लेकर वर्ष 2021-2022 तक करोड़ों रूपये का भुगतान हुआ है । टेबलेट के अनुपयोगी होने के बाद भुगतान होना दुर्भाग्यजनक है और भ्रम की स्थिति है । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कब से खराब है और कितने टेबलेटों की मरम्मत कराई गई है ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टेबलेट खरीदी गई थी, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, डाटा संकलन, डिजीटल पाठ्यक्रम हेतु शाला कोष से वर्ष 2007 से वर्ष 2017-2018 के लिए स्वीकृति मिली थी । ताकि बच्चों की उपस्थिति के लिए जानकारी मिल सके । इनके जिले में जो धन-राशि खर्च की गई है, लगभग 1 करोड़ 41 लाख के आसपास खर्च किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय:- वह यह नहीं पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं कि 636 टेबलेट खराब है तो उसका भुगतान पहले हो गया था कि खराब होने के बाद भुगतान हुआ है ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फेसेस में था, अलग-अलग वर्षों में था, वर्ष 2020 तक पेमेंट भी करना था और रिपेयर भी करना था, लेकिन जो टेबलेट खराब हुई है, वह रिपेयर योग्य नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डाटा आईटम है, एक बार खराब हो गया तो यह बनता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय:- एक टेबलेट कितने का आया था ?

डॉ.प्रेमसाय सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक टेबलेट 11 हजार 682 रूपये का है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसकी खराब होने की नियत तिथि कितनी है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- उसमें 03 साल के अंदर उसकी रिपेयर करने की अवधि थी। लेकिन उसमें हमने लोगों ने प्रारंभिक रूप से देखा कि जितने टेबलेट खराब हुए हैं, मैंने सेम्पल लिया था, वह कोई भी टेबलेट रिपेयर योग्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- यह कहां से खरीदे जाते हैं, रायपुर से आते हैं या दिल्ली से आते हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो टेन्डर हुआ था उसमें दो फर्म प्रतिभागी थे। यह स्मार्ट चिप, चिप्स के माध्यम से खरीदी गया था, चिप्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से, इसकी जो कमेटी बनी थी और कमेटी ने जो तय किया गया था उसके अनुसार खरीदी की गई थी।

अध्यक्ष महोदय :- सबको ब्लैक लिस्ट करिये। बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- स्कूल के शिक्षकों की हाजिरी से सबंधित यह मामला था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेंडर कब और कितने पेपर में प्रकाशित किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया न।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय अनियमितता का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय अमियतितता का मामला है, मैं भी तो बोल रहा हूं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए और सदन से पूरी जानकारी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपको जानकारी दे देंगे, आप उनके आफिस में चले जाओ।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। टेंडर कब और कितने पेपर में प्रकाशित किया गया था, टेंडर की अवधि क्या थी ? क्या कोई आंतरिक समिति बनी थी ? समिति में कितने सदस्य थे और कौन-कौन समिति के सदस्य थे ? टेंडर में कितने प्रतिभागी भाग लिये थे ?

अध्यक्ष महोदय :- यह बहुत गंभीर प्रश्न आप पूछ रहे हैं और उलझाने वाला है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर प्रश्न है और यह 200 करोड़ का मामला है। इसकी खरीदी में 200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। लाखों स्कूलों में टेबलेट प्रदाय किये गये हैं, लेकिन एक भी टेबलेट चालू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अध्यक्ष मंत्री जी ने बताया कि 1 करोड़ 41 रुपये लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय मंत्री जी वर्तमान में 7 टेबलेट उपयोगी बता रहे हैं वह 7 टेबलेट भी उपयोगी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से 7 टेबलेट उपयोगी हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, जैसा माननीय सदस्य जी पूछ रहे हैं कि इसका टेंडर कहां और कौन सी तारीख में हुआ था ? इसका टेंडर 16 जून 2017 को हुआ था और इसका प्रकाशन हरिभूमि, नईदुनिया, इंडियन एक्सप्रेस और सेन्ट्रल क्रानिकल में प्रकाशित किया गया था। उसमें दो कंपनी ने भाग लिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह दो साल की परियोजना थी और इसकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है, 15 दिसंबर तक इस परियोजना की अवधि थी। अभी जो टेबलेट हैं, वह उपयोग के लिए नहीं हैं, वह उपयोग नहीं हो सकता और न रिपेयर हो सकता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या भंडार क्रय नियम का पूर्णत: पालन हुआ था ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरी तरह से नियमानुसार हुआ है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बात रहे हैं कि इसमें दो फर्मों ने भाग लिया था। भंडार क्रय नियम के अनुसार न्यूनतम 03 प्रतिभागी होनी चाहिए थे। सिर्फ 02 फर्मों ने भाग लिया और इतना बड़ा निर्णय लिया गया और भंडार क्रय नियम का पालन हुआ ही नहीं है। भंडार क्रय नियम के अनुसार कम से कम न्यूनतम 3 प्रतिभागी भाग लेना चाहिए। सिर्फ 02 ही प्रतिभागियों ने भाग लिया और उसके बाद इतना बड़ा निर्णय ले लिये। अधिकारियों की इतनी बड़ी समिति बनी थी, उसके बावजूद टेंडर दे दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या पूर्णत: भंडार क्रय नियम का पालन हुआ है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब में ही बताया है कि इसमें 02 फर्मों ने भाग लिया था और उसमें विशेष परिस्थिति में टेबलेट खरीदी की गई थी।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- अंतिम प्रश्न है, आपको ज्यादा प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कि इस संबंध में क्या विधानसभा समिति गठित कर जांच कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप मुझसे पूछ रहें हैं ? माननीय मंत्री जी बताईये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिस्थितिया तो ऐसी लगी रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कराने लायक है तो जांच करा दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच कराने लायक है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे बोलिये कि मैं उसके लिए जांच करा दूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हो जाये। माननीय सदस्य का जांच कराने के लिए प्रश्न है। क्योंकि अभी जो टेबलेट हैं, मैंने उसका सेम्पल लिया था, उसमें एक भी टेबलेट रिपेयर योग्य नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करवाने के लायक बोल चुके हैं। जांच की घोषणा होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जब यह स्वीकार कर लिया है कि जांच कराने लायक है तो दूसरा शब्द बेईमानी हो जाता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 200 करोड़ रुपये का मामला है और एक टेबलेट की कीमत 11 हजार रुपये है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी जांच की 4-5 प्रतिशत इच्छा है तो मैं जांच समिति घोषित करता हूं। मैं जांच करा दूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जी।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। (मेजों की थपपाहट)

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का बंदोबस्तीकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

4. (*क्र. 983) श्री राजमन बेंजाम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों का बन्दोबस्तीकरण नहीं किया गया है ? बंदोबस्त नहीं किये जाने का क्या कारण है और कब तक बन्दोबस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत कुल 161 ग्राम पंचायत है, जिनको 1930 के दशक में बंदोबस्त किया गया था। 1990 के दशक में पुनः राजस्व सर्वेक्षण कार्य किया गया जिसमें 08 ग्राम पंचायतों का

राजस्व सर्वेक्षण/बंदोबस्त नही किया गया एवं 08 ग्रामों का वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने से बंदोबस्तीकरण का कार्य शेष है। बंदोबस्तीकरण हेतु शेष ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने के कारण
1	बड़े किलेपाल 1	बड़े किलेपाल	बास्तानार	स्थानीय विवयाद होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य में विलंब हुआ एवं उसी दौरान राजस्व सर्वेण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
2	बड़े किलेपाल 2			
3	बड़े किलेपाल 3			
4	भेजा	भेजा	लोहण्डीगुडा	राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त), कार्य प्रक्रियाधीन था, उसी दौरान राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
5	चंदेला	चंदेला		
6	छिन्दावाड़ा-1	छिन्दावाड़ा	दरभा	राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त), कार्य प्रक्रियाधीन था, उसी दौरान राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य विखंडित किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

				कारण राजस्व सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।
7	छिन्दावाड़ा-2			
8	छिन्दावाड़ा-3			

चित्रकोट विधान सभा अंतर्गत वन ग्राम से राजस्व घोषित किये गये ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	बंदोबस्त न होने का कारण
1	मुंदेनार	दरभा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने के कारण बंदोबस्त का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2	बीसपुर	दरभा	-----तदैव-----
3	कुडुमखोदरा	-----तदैव-----	-----तदैव-----
4	तोयनार	-----तदैव-----	-----तदैव-----
5	कोडरीछापर	-----तदैव-----	-----तदैव-----
6	कलेपाल	-----तदैव-----	-----तदैव-----
7	कोटमसर	-----तदैव-----	-----तदैव-----
8	पावेल	लोहण्डीगुडा	वन ग्राम से राजस्व ग्राम होने के कारण बंदोबस्त का कार्य प्रक्रियाधीन है।

वन ग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तित ग्रामों का वर्तमान में राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है कि मेरे विधान सभा में कुल 161 ग्राम पंचायतें बताई गयी है। जबकि मेरे विधान सभा में 170 ग्राम पंचायतें और 5 विकासखण्ड हैं और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 3 ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त और 8 वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित किये गये पंचायतों का नाम आया है। मेरे विधान सभा में जो सुकमा जिले से आते हैं, ग्राम पंचायत कुकानार, बोदाराज, टांगरराज, पैदाराज, बोकड़ावराड़, इड़जेपाल, कोकावाड़ा, सौतनार और विकासखण्ड लोहाण्डीगुडा से चंदेला, बेजा और विकासखण्ड तोकापाल से बड़े मारेंगा, दरभा और सिंगनपुर, विकासखण्ड दरभा से छिन्दावाड़ा-1, छिन्दावाड़ा-2, छिन्दावाड़ा-3, और विकासखण्ड बास्तानार से किलेपाल-1, किलेपाल-2, किलेपाल-3। मेरे विधान सभा में लगभग 20 पंचायतें हैं और 8 वन ग्राम से जो राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त आजादी के आज तक नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या इन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त कराने की घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप कितना बंदोबस्त करोगे। आपका काम क्या सिर्फ बंदोबस्त का ही थोड़ी न है। आप बड़े लेबल का बंदोबस्त करते हो, कहां छोटे लेबल पर बंदोबस्त करोगे।

श्री कवासी लखमा :- आप लोग तो 15 सालों में नहीं किये हो।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अजय भैया, यह हमारे किसानों का मामला है, और यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री अजय चंद्राकर :- यह मेरे और मंत्री जी के बीच का मामला है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गयी है, वह प्रक्रियाधीन है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आपको एक्चुअल में वहां किसको बैठाना है, उसमें लगने की आवश्यकता है और आप इस बंदोबस्त में लगे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- और दूसरा क्या है कि गुजरात चुनाव आ रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वहां उसके बंदोबस्त में लगो।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सब काम समय के हिसाब से होता है। इसमें वर्तमान में बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रतिबंधित है। आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, वह प्रतिबंध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- बंदोबस्त को प्रतिबंधित करने का क्या कारण है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं प्रतिबंधित करने का कारण बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बंदोबस्त को प्रतिबंधित करने का क्या कारण है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- नहीं, मेरे पास जवाब है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग नये-नये विधायक हो, जरा सीनियर लोगों से पूछ लिया करो कि कैसे प्रश्न करना है, और कैसे मंत्री को फंसाना है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- यह मध्यप्रदेश के समय में, भोपाल से 29 मई, 2000 को मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 क्रमांक 20, 1959 की धारा 67 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का एतद् प्रयोग लाते हुये राज्य शासन के निर्मित अनुसूचि में प्रदर्शित क्षेत्र में राज्य सुरक्षा संबंधित कार्य में समापन की घोषणा करता है। इसमें प्रतिबंधित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, आप क्या चाहते हैं कि बंदोबस्त शुरू किया जाए ?

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, मैं यही चाहता हूं कि बंदोबस्त शुरू किया जाये और अतिशीघ्र उन ग्राम पंचायतों का बंदोबस्त किया जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- राजस्व ग्राम घोषित किया जाये।

श्री राजमन वेंजाम :- नहीं, राजस्व ग्राम नहीं है। ग्राम पंचायतें हैं, वह राजस्व ग्राम ही है, उसका बंदोबस्त करना है। उसमें हमारे अनेक किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बस्तर में 1930 के दशक में बंदोबस्त हुआ था, एवं 1990 के दशक में, उन्हें राजस्व (व्यवधान) किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप कह दीजिये कि जब होगा तब उनका ख्याल रखेंगे।

श्री राजमन वेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ग्राम पंचायतें हैं। यह बहुत ही जरूरी है। इनको बंदोबस्त करना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से, आपकी आसंदी से चाहता हूं कि इसके बंदोबस्तीकरण करने का आदेश करें।

अध्यक्ष महोदय :- जी, जल्दी कर देंगे।

सूखा राशन निजी संस्थाओं से सामग्री क्रय व शाला में खाद्यान्न वितरण

[स्कूल शिक्षा]

5. (*क्र. 946) श्री धरम लाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि कोण्डागांव जिला शिक्षा अधिकारी को सूखा राशन वितरण में बिना टेंडर बुलाए निजी संस्थाओं से सामग्री क्रय व शाला में खाद्यान्न वितरण की मात्रा में कमी पाए जाने के कारण निलंबित किया गया है ? यदि हां, तो कोण्डागांव जिले में 1 जनवरी, 2020 से दिनांक 12/02/2022 तक कब-कब, किस-किस, निजी संस्था से बिना निविदा बुलाए, कितनी सामग्री, किस दर पर क्रय की गई है? सामग्री क्रय हेतु आदेश कब दिया गया है ? कितने दिन के अंदर सामग्री प्राप्त होनी थी व कितने दिन के अंदर सामग्री प्राप्त हुई है ? **(ख)** क्या यह सही है कि संचालक, लोक शिक्षण के द्वारा अगस्त से अक्टूबर 2020 के मध्य सोयाबड़ी, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से क्रय किए जाने के लिए निर्देश जारी किए थे ? यदि हां तो इन निर्देश के पश्चात सोयाबड़ी बीज निगम से न खरीद कर किन निजी/अन्य संस्थाओं से कब व कितनी राशि की खरीदी गई है व क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां। जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[3] अनुसार है। **(ख)** जी हां । उक्त निर्देश के पश्चात् संचालक लोक शिक्षण द्वारा शासन के मूल निर्देशों के अनुक्रम में संशोधित निर्देश जारी किया गया, जिसमें राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से सोयाबड़ी क्रय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

---

[3] परिशिष्ट "तीन"

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूखा राशन और इस पर भ्रष्टाचार का मामला। सुविधानुसार नियम बनाते हैं, सुविधानुसार नियम बदलते रहते हैं और मुझे पता नहीं कि आपको जानकारी है कि नहीं है, मंत्री जी की जब इच्छा होती है तो उसके अधिकारियों को बदल देते हैं। मैं मंत्री जी से अभी यह जानना चाहता हूं कि अभी जो सूखा राशन सप्लाई किया जा रहा है, एक आपने बीज निगम को तय किया था और फिर आपने बीज निगम के बाद प्राईवेट लोगों को तय किया। वर्तमान में कौन से नियम लागू हैं, सप्लाई करने में, उनकी क्या पद्धति है? उसको थोड़ा सा पहले बतायेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न हम कोई नियम बदलते हैं और न उसमें कोई चेंज करते हैं। उस समय परिस्थितियां जैसे-जैसे रहती है, वैसे उसके अनुसार से बनती हैं। जो सूखा राशन जो बच्चों को देना था, उसमें बच्चों तक राशन पहुंच जाये, यह उसमें व्यवस्था की गई थी। उसमें भारत सरकार की कुछ कंपनियां भी थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी उत्तर दिया जा चुका है। वर्तमान में स्कूल चालू है इसलिए अभी पका भोजन दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्कूल चालू है तो शाला में पका भोजन दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि नियम क्या है? पिछली बार जब मैंने प्रश्न लगाया था, उसके बाद में आपने कोण्डागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया और निलंबित इसलिए किया कि उन्होंने नियम का पालन नहीं किया। लेकिन जो कोण्डागांव के अधिकारी ने गलती की थी, वह केवल कोण्डागांव का नहीं था, उसमें और भी जिले के अधिकारी थे। मैंने उस संदर्भ में प्रश्न लगाया था, यह विभाग के द्वारा संशोधित कराया गया होगा। इसमें बस्तर और सूरजपुर का भी है इसी प्रकार जो प्रकरण कोण्डागांव है, उसी प्रकार का सूरजपुर का भी है मैं आपसे इस विषय में जानना चाहता हूँ कि आपने अनियमितता के कारण कोण्डागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया है तो सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को कब निलंबित करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह प्रश्न कोण्डागांव का है। कोण्डागांव के जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है, उसमें केवल मात्र राशन की गड़बड़ी नहीं है उसमें उसके और भी कारण हैं। उसमें जो निलंबित किया गया है कोण्डागांव जिले के द्वारा जिले के अंदर कलेक्टर के निर्देश के विपरीत, उन्होंने 140 व्याख्याताओं को ट्रांसफर कर दिया, जो विधि विरूद्ध था। उन्होंने युक्तीयुक्त प्रकरण में भी 89 लोगों का किया और उन्होंने गलत ढंग से नियुक्ति भी की थी। तमाम् चीजें हैं इसकी कलेक्टर को शिकायत हुई, शिकायत के बाद कलेक्टर ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद, इनको दोषी पाया गया और उनको निलंबित किया गया। इसमें केवल मात्र सूखा राशन का मामला नहीं है। इसमें कलेक्टर ने जांच की और जांच में दोषी पाया गया तो उनको निलंबित किया गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है तो आप प्रश्न को पढ़ लें और अपना जवाब पढ़ लें। जब मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि कोण्डागांव जिला शिक्षा अधिकारी को सूखा राशन वितरण में बिना टेंडर बुलाए निजी संस्थाओं से सामग्री क्रय व शाला में खाद्यान्न वितरण की मात्रा में कमी पाए जाने के कारण निलंबित किया गया है, आपने कहा कि जी हां। उसके कारण आपने उसको निलंबित किया। इसलिए मैंने कहा कि मैंने इसमें जो प्रश्न लगाया था उसको जिले तक सीमित कर दिया गया, लेकिन उस समय बाकी जो जिले में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार किये हैं, आखिर आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं? यह मुंगेली का मामला है वह भी बीज निगम से नहीं खरीदा। सुरजपुर का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- जहां-जहां का मामला है, आप नाम बता दीजिए, उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों जगह मुंगेली और सूरजपुर का बता देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- जी। आप मुंगेली और सूरजपुर में जांच करा दीजिए। आप माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा है कि यदि हां तो इन निर्देश के पश्चात् सोयाबड़ी बीज निगम से न खरीद कर किन निजी/अन्य संस्थाओं से कब व कितनी राशि की खरीदी गई व क्यों ? इसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से सोयाबड़ी क्रय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत लोकहित का प्रश्न है कि जितने स्कूली बच्चे हैं उनको पोषण आहार क्या-क्या दिया जाता है? सूखा या गीला जिसमें भी बांटे और इसमें कौन विशेषज्ञ उसको तय करता है और बीज विकास निगम कौन होता है जो इसको तय करे कि हम सोयाबड़ी देंगे या नहीं देंगे । यह तो तर्क से समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग के भोजन को क्या दिया जाये, यह बीज विकास निगम कैसे तय करेगा ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप क्या-क्या देते हैं ? उसको तय कौन करता है, वह कितनी कैलोरी का होता है? और कितनी कैलोरी का देना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न बहुत लम्बा है, यह उद्भुत नहीं होता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम तो होता है। बीज विकास निगम बंद करने के लिए कौन होता है? आप बताईये, समिति तय करती है कि हम बच्चों को यह-यह देंगे। उनके लिए इतना पैसा उपलब्ध है यह लिखते हैं कि राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से सोयाबड़ी क्रय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया तो शिक्षा विभाग में बीज विकास निगम की भोजन के प्रकार को तय करने के क्या भूमिका है ? यह बता दें?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि बीज विकास निगम को उसकी और सदस्य वगैर: बनाया गया है क्या जिससे वे निर्णय में भागीदार बना है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, चावल, दाल, आचार, बड़ी....।

श्री अजय चंद्राकर :- बीज विकास निगम में पूछा है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपने कहा कि क्या-क्या मिलता है, वही तो बता रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सीधा सा प्रश्न है, मेनू कौन तय करता है, इसको बता दीजिए ? कौन-कौन से संबंधित कौन तय करता है, यह बता दीजिए?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, पहले निर्देश जारी किया गया था कि बीज विकास निगम से खरीदा जाए। उसके बाद भी यह तय किया गया है कि कोई जरूरी नहीं है। जहां उपयोग हो वहां से खरीदा जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम तय करने वाला कौन होता है ? आप तय कीजिए न कि यह देना है, यह नहीं देना है। बीज विकास निगम कौन होता है ? क्योंकि जब अनिवार्यता नहीं है तो वह तय करने वाला कौन होता है ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम टाटा संस हो गया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उनको प्रोटीन युक्त आहार देना है। सोयाबिन बड़ी में प्रोटीन रहता है। इसलिए उनको प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए, यह उसमें निर्देश है।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, आपने इसमें लिखा है, आप उत्तर पढ़ लीजिए। बीज निगम ने बड़ी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। बीज विकास निगम कौन होता है ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम टाटा संस हो गया है। बीज विकास निगम हर काम कर रहा है। सोयाबिन की बड़ी दे रहा है, रेडी टू ईट दे रहा है, बीज विकास निगम को टाटा संस को दे रहा है। बीज विकास निगम तो कोयला खनन का काम भी चालू कर देगा। बीज विकास निगम टाटा संस हो गया है, हवाई जहाज भी चला रहा है। साफ्टवेयर भी बना रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, बीज विकास निगम तो बीज नहीं दे पा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, बीज विकास निगम किसानों को बीज बस नहीं दे पा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सौरभ जी, बीज निगम हवाई जहाज भी चलायेगा, आप चिंता क्यों करते हो ?

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए, आप स्कूल शिक्षा मंत्री भी बन गए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष जी, बीज विकास निगम सरकारी संस्था है।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष जी, कोयला खनन भी करेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उसका काम लोगों को बीज देना है। बीज विकास निगम का काम किसानों की सहायता करना है, वह काम तो कर नहीं पाते। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, सरकारी संस्था है तो उसकी क्या भूमिका है, वह मध्यान भोजन को तय करें। (व्यवधान) उसके पास है तो वह सप्लाई करेगा। वह मेनू तय करने वाला कौन होता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बीज निगम के खिलाफ क्यों हैं, धरमलाल कौशिक जी, बीज निगम के अध्यक्ष रहे हैं। आप समझ रहे हैं न।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, अंतिम प्रश्न कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, उसमें एक सूरजपुर और एक मुंगेली जिले का है। सूरजपुर जिले में भी गाईडलाईन का पालन नहीं किया गया है और मुंगेली जिला में भी नहीं किया है। मैं पूरा प्रश्न लगाया था, वह जैसा भी संशोधित हो। मैं मंत्री जी से यह दोनों जिले के जांच के संबंध में बात करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने दोनों जिले का जांच करने के लिए तो बोल दिया है। दोनों का साथ-साथ जांच कर लेंगे। सूरजपुर तो उन्हीं का जिला है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, आपका जो निर्देश धार्य है, माननीय नेता जी, आपने जो कहा है, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कह रहे थे कि बीज नहीं दे पा रहे हैं, उस दिन आप गिना रहे थे कि कितना सड़वा पैदा हुआ है, कितना क्या पैदा हुआ है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें मेरा आज एक ध्यानाकर्षण है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 6 शिवरतन शर्मा जी।

धान उपार्जन हेतु सुखत तथा उठाव

[सहकारिता]

6. (*क्र. 887) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में धान उपार्जन करने वाली सहकारी समितियों को धान उपार्जन में कितना नुकसान (सुखत) मान्य किया जाता हैं? (ख) उपार्जन के पश्चात धान उठाव का नियम क्या है तथा वर्ष 2018 से अब तक क्या नियमानुसार धान का उठाव हुआ ? यदि नहीं तो क्या) कारण है? (ग) धान उठाव में विलंब के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) धान उपार्जन नीति अनुसार धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मान्य नही है। (ख) उपार्जन के पश्चा त उपार्जन केन्द्रों से मिलरों को डिलीवरी आर्डर जारी कर तथा परिवहनकर्ताओं को संग्रहण केन्द्र के लिए परिवहन आदेश जारी कर धान का उठाव कराया जाता है। वर्ष 2018 एवं 2019-20 में धान उपार्जन नीति अनुसार धान का उठाव कराया गया है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी एवं आकस्मिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।(ग) उपार्जन केन्द्रो से धान का उठाव आवश्यकतानुसार किया जाता रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि धान उपार्जन केन्द्र से धान संग्रह केन्द्र के लिए उठाव के नियम क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि उपार्जन केन्द्र पर सुखत मान्य नहीं है। नियम क्या है, यह आपने अपने उत्तर में नहीं बताया है। आप मेरा प्रश्न पढ़ लीजिए और अपना उत्तर पढ़ लीजिए। पहला आप मेरे को नियम बता दीजिए। उठाव के नियम क्या हैं ? दूसरा, आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन नीति के अनुसार धान का उठाव कराया गया है तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी एवं आकस्मिक वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि धान उठाव प्रभावित हुआ है। यह धान उठाव प्रभावित हुआ, इससे कितना नुकसान हुआ और नुकसान किसने सहा ? उस नुकसान की भरवाई उपार्जन करने वाली समितियों ने कि शासन में उपार्जन समिति वाली समितियों ने सहा ? तो नियम और नुकसान की भरवाई यह मेरा दो प्रश्न है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें निर्देश यह है कि जो धान उपार्जन नीति बनी हुई है, उसके तहत जितनी जल्दी हो सके, खरीदी केन्द्र से उसका उठाव किया जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- कितनी जल्दी किया जाए ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उसमें दो प्रकार के उठाव होते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- 72 घंटे का नियम है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आपका उत्तर मेरे पास है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आप यह बताईए कि यह कभी संभव है।

श्री अजय चंद्राकर :- यह कागज मैं कल पटल रख दूंगा। 72 घंटे का नियम है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं यह कागज आज रख दूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब तो सुन लीजिए। उठाव दो प्रकार के होते हैं। एक उसमें परिवहन की बचत हो इसलिए खरीदी केन्द्र से सीधे मिलर को डी.ओ. के माध्यम से होता है। वहां पर डी.ओ. करता है, वहां होता है और दूसरा जो बफर लिमिट सोसाईटियों में होता है, अधिक खरीदी हो गयी है, उसके लिए डी.ओ. के माध्यम से संग्रहण केन्द्र में जाता है और जितना जल्दी हो सकता है, वह करते हैं। इस साल हम लोगों ने जो नीति बनाई है, उसके तहत जो वर्ष 2021-22 में जो खरीदी हुई है, उसका 95 प्रतिशत परिवहन उसमें हो गया है। आप केवल एक साल वर्ष 2020-21 का पूछ रहे हैं, उस समय....।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं । ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना उठ जाये इसमें सीधा-सीधा समय निर्धारित है कि 3 दिनों के अंदर उपार्जन केंद्रों से धान उठ जाना चाहिए और 3 दिनों में उपार्जन केंद्र से धान उठाने की प्रक्रिया मुझे मालूम है कि या तो मिलर उठाये या वहां से उठकर संग्रहण केंद्र में जाये तो माननीय मंत्री जी घुमा-फिराकर उत्तर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी उठ जाये । माननीय मंत्री जी, आपके रिटन नियम में 3 दिन का अर्थात् 72 घंटे का नियम है इसलिये आप सदन को गुमराह न करें । यह पहला विषय है और दूसरा विषय मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 में कोरोना और आकस्मिक वर्षा के कारण धान उठाव प्रभावित हुआ तो चूंकि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि धान उठाव प्रभावित हुआ तो इससे कितना नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? आप यह बता दीजिये कि क्या समिति इसे वहन करेगी या राज्य शासन समिति को भरपाई प्रदान करेगा ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में जो असामयिक वर्षा हुई, कोरोना काल था, परिवहन नहीं हो पाया इस कारण से जो नुकसान हुआ है उसके लिये हम लोग समितियों को 218 करोड़ की एकमुश्त भरपाई करेंगे ताकि हमारी समिति भी जिंदा रहे और उसमें 3 परसेंट की सूखत की लिमिट तय की गयी है कि जिन समितियों में 3 परसेंट की सूखत होगी उन समितियों में आपका जो कमीशन है बाकी सब जायेगा और यदि उससे ऊपर होगा तो समितियों के पास जो लॉस हुआ है उसे वही वहन करेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 218 करोड़ रूपये भरपाई की गयी । एक बात कि यह 218 करोड़ रूपये एकमुश्त दे दिया गया या समितिवाईज नुकसान का आंकलन करके समितियों को प्रदान किया गया ? दरअसल होता यह है कि राज्यशासन की स्थिति यह है कि उपार्जन केंद्र जो धान उपार्जन करता है उनका समय पर कमीशन और मजदूरी का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं । यह 218 करोड़ रूपये जो प्रदान किया गया है, क्या यह एकमुश्त इस खाते से उस खाते में डालकर सहकारिता विभाग को दे दिया गया ? चूंकि समितियों के खाते में नुकसान का एक पैसा नहीं पहुंचा है और समितियों की स्थिति यह बन गयी है कि समितियां अपने कर्मचारियों का भुगतान

नहीं कर पा रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 218 करोड़ रूपये कितनी समितियों को बांटा गया है और कितनी समितियों में नुकसान हुआ ? दूसरा जो 3 परसेंट की बात कर रहे हैं तो आपने यह 3 परसेंट कितनी समितियों में एलाऊ किया ? चूंकि आपने स्वयं ने भी उत्तर में कहा है कि हमने 3 परसेंट को एलाऊ किया है तो आपने यह कितनी समितियों में एलाऊ किया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जो 3 परसेंट की देय राशि होगी वह 175 करोड़ की होगी और उसमें जो पूर्व वर्षों के लॉस थे वह 115 करोड़ का है और इसका केवल समायोजन होगा । समितियों के खाते में अपेक्स बैंक के माध्यम से इसका समायोजन होगा, जहां पर 3 परसेंट से कम लॉसेस हैं और अगर उससे ऊपर होगा तो जो लॉसेस पहले के भी हैं वह उनसे वसूल की जायेगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2020-21 की बात है, एक साल पूरा हो गया । माननीय मंत्री जी उन समितियों के खाते की बात कर रहे हैं जहां 3 परसेंट से कम है वहां समायोजन किया जायेगा । क्या यह समायोजन करने की कोई समय-सीमा है ? आप कोई समय-सीमा निर्धारित करें कि हम इतने दिनों के अंदर समितियों का समायोजन कर देंगे और दूसरा आपने जो 218 करोड़ रूपये देने की बात की है तो क्या आपने इसका मूल्यांकन कराया है कि समितियों को कुल कितना नुकसान हुआ ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग समितियों का है कि उसमें कितना-कितना नुकसान हुआ है, मैं इसकी अलग से जानकारी दे दूंगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए । 500 समितियां घाटे में हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंतिम भुगतान होता है वह समितियों के मिलान करने के बाद होता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप एक भी साल का यानी वर्ष 2018-19 या वर्ष 2019-20 का बता दीजिये । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप इतने विद्वान हैं कि इसी प्रश्न को एक घंटे नहीं बल्कि दो घंटे तक खींच सकते हैं मतलब हमारे इतने सारे विधायकगण हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मैं केवल एक अंतिम प्रश्न करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2021-22 का जो धान उठाव है वह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । धान खरीदी 7 फरवरी को बंद हो गयी यानी धान खरीदी को बंद हुए लगभग सवा महीने हो गये और उसके बाद भी धान उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अब यह सवा महीने लेट हो गया,

समितियों को नुकसान होगा इसको कौन सहे ? यह सवा महीना क्यों लेट हुआ इसके लिये कौन दोषी है और दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सुनिए-सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में जो धान खरीदी हुई है, यह ऐतिहासिक धान खरीदी हुई है। इतना अभी तक कभी नहीं हुआ। 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके हर काम ऐतिहासिक हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैं धान के उठाव के संबंध में बताना चाहता हूं कि मिलर के द्वारा 70 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है और जो परिवहन संग्रहण केन्द्र में जायेगा, वह 22 लाख 69 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव हो गया है। कुल मिलाकर 93 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो गया है। केवल 5 प्रतिशत बाकी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट सुन लीजिए। 5 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव अभी बाकी है। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सवा महीने बाद। दूसरी बात, यह 70 लाख मीट्रिक टन या संग्रहण केन्द्र में 22 लाख मीट्रिक टन धान गया। ये भी समय-सीमा में नहीं गया। ये धान भी लेट में गया। तो आखिर समितियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपकी लापरवाही के चलते समितियां डूब रही हैं। सारी सहकारी समितियां घाटे में जा रही हैं, इसके लिए दोषी कौन है और दोषी पर क्या कार्रवाई करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की स्थिति में बता रहा हूं। आज की स्थिति में 93.5 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका यह उत्तर तो मैंने सुन लिया। 5 लाख मीट्रिक धान नहीं उठा, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी इसमें टाइम है जी।

अध्यक्ष महोदय :- अभी विभागीय चर्चा बाकी है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- टाइम आयेगा तो धान उठ जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, शासन की लापरवाही के चलते पूरी सहकारी समितियां बैठ रही हैं। पूरी सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विभागीय चर्चा बाकी है। उसमें इस तरह की बहस करिए। अभी प्रश्न उत्तर का समय है। प्लीज। केवल प्रश्न उत्तर का।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें दोषी पर क्या कार्रवाई करेंगे, इस पर चर्चा की। माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि धान का उठाव तो टाइम से नहीं हो रहा है। नियमों का पालन भी नहीं हो रहा है, लेकिन अफसोस यह हो रहा है कि पिछले कई साल से आखिर इस धान खरीदी का मालिक कौन है ? आप हैं या खाद्य मंत्री हैं। उनका क्या रोल है कि वे भी बीच में जवाब देते हैं। आपका क्या रोल है कि आप बीच में जवाब देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आज खाद्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, सर, इस विभाग का मालिक कौन है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस विभाग का धान खरीदी का मालिक कौन है ? आप हैं या वे हैं ? यह बताइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- भगवान।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मालिक तो सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें सबकी जिम्मेदारी है। धान खरीदी से लेकर..।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में भगवान मालिक है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- भगवान नहीं, सरकार है। सरकार ने जिम्मेदारी तय की है कि आज तक सबसे ज्यादा खरीदी हुई है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मालिक सरकार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- कभी खाद्य मंत्री जवाब देते हैं। कभी ये देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए। आशीष कुमार छाबड़ा जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- न ये ठीक से बोल पाते हैं और न वो ठीक से बोल पाते हैं। आखिर है कोई इसका मालिक ? कोई पता ठिकाना है कि धान खरीदी कौन कर रहा है ? कैसे कर रहा है ? कब तक करेगा ? कब तक नहीं करेगा ? कोई एक बोलो भाई। आप लोग दो-दो, तीन-तीन लोग जवाब देते हो।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- धान खरीदी सरकार करती है और सरकार करेगी। सरकार के केन्द्र बिन्दु में किसान हैं। हम लोग किसानों के धान की खरीदी कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भगवान मालिक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके केन्द्र बिन्दु में कितना है, सब जानते हैं। किसान मरने को बाध्य हो गया। सारी सहकारी समितियां डूब रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आशीष कुमार छाबड़ा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिए न।

श्री धरमलाल कौशिक :- दो मिनट सुन लीजिए। यह वास्तव में गंभीर मामला है। आप देखिए कि पिछले साल धान का उठाव नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- विभागीय चर्चा में बोलिएगा न।

श्री धरमलाल कौशिक :- उन्हें 218 करोड़ रूपये देना पड़ा और अभी फिर वही स्थिति रिपीट कर रहे हैं। तो अभी भी सरकार में गंभीरता नहीं है। विभाग में गंभीरता नहीं है तो इनकी गलती का खामियाजा हमारी ये समिति भुगत रही हैं और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसमें जो दोषी हैं कि चाहे वह ट्रांसपोर्टर हों, उसमें जो अधिकारी हों, मंत्री जी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे और उसे आज घोषित करेंगे क्या ? जिनके कारण गलती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, यह केवल आज का नहीं है। इसके पहले भी परिवहन कम हुआ था।

श्री धरमलाल कौशिक :- पहले तो आपने 218 करोड़ दिया न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मेरी बात सुन लीजिए। यह पहले भी हुआ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें कार्रवाई करेंगे ? उसमें भी कार्रवाई करो। सबमें कार्रवाई करो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले वाले में आपने 218 करोड़ रूपये दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज-प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको कार्रवाई करनी चाहिए। (व्यवधान) पूरी सहकारी समितियां डूब रही हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- लोगों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी लापरवाही का दुष्परिणाम सहकारी समितियां भोग रही हैं। पूरी सहकारी समितियां समाप्त हो चुकी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आशीष कुमार छाबड़ा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- वर्ष 2012-13 में परिवहन नहीं हुआ था। उसमें 18 हजार मीट्रिक टन का..। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बैठिए। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13 में धान का परिवहन नहीं हुआ था। उसमें 18 हजार मीट्रिक टन धान का लॉस हुआ था और उसमें 22 करोड़ का लॉस हुआ था। वर्ष 2013-14 में भी 11 लाख..। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप वर्ष 2021-22 की बात करो। 2012-13 की बात क्यों कर रहे हो ? आप वर्तमान की बात करिए न। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि आप बैठ जाइए। दूसरा प्रश्न आ रहा है। आशीष कुमार छाबड़ा।

<u>बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

7. (*क्र. 998) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कॉलोनी निर्माण के कितने प्रकरण दर्ज किए गए?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जिला बेमेतरा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा में वर्ष 2021-22 में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कालोनी निर्माण के कुल 03 प्रकरण दर्ज किये गये है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहा था कि मेरे बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कॉलोनी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? माननीय मंत्री जी का जवाब आया है जिसमें 03 प्रकरण दर्ज किये जाने की बात कही गई है । ये तीन प्रकरण शहरी क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ये तीनों प्रकरण ग्रामीण क्षेत्र में हैं ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- बेमेतरी नगरीय क्षेत्र में क्या कोई अवैध प्लाटिंग नहीं हुई है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की जानकारी या शिकायत नहीं मिली हे । अगर कोई है तो विधायक जी बता दें ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय है और बेमतरा शहर में बहुत जोरों से, तेजी से अवैध प्लाटिंग का काम चल रहा है । भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और सरकार के माध्यम से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । इसको लेकर गरीब लोग उनके चक्कर में परेशान हो रहे हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, क्या आपने कभी इस संदर्भ में शासन या राजस्व मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है ?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने इसी विषय पर प्रश्न किया था ।

अध्यक्ष महोदय :- सत्र की बात मत करिये । क्या आपने अलग से पत्र लिखकर जानकारी दी है ?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- जी, मैंने जिला कलेक्टर को इस बारे में जानकारी दी थी, उनके माध्यम से लगातार मैंने पत्र भी लिखा है कि इस पर जांच होनी चाहिए और मैंने उनसे कार्रवाई की मांग भी की थी ।

अध्यक्ष महोदय :- बेमेतरा में शहर क्षेत्र में जितनी भी अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, उसकी आप जांच करा दीजिए और जल्दी से जल्दी उनको बता दीजिए (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी, अध्यक्ष महोदय ।

प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों की स्थिति

[स्कूल शिक्षा]

8. (*क्र. 745) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क.) शिक्षण सत्र 2019 -20में प्रदेश में कुल कितने निजी {प्राथमिक ,पू.मा.,हाई .एवं हायर से. विघालय} संचालित थे ? उक्त स्कूलों में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जिलेवार जानकारी देवें. (ख.) सत्र 2020 -21 एवं 21 -22 में कुल कितने निजी विद्यालय बंद हुये हैं एवं कितने विद्यालय चल रहें हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) शिक्षण सत्र 2019-20 में प्रदेश में कुल 7502 निजी विद्यालय संचालित थे। उक्त स्कूलों में कुल 16,34,215 विद्यार्थी अध्ययनरत् थे, जिलेवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट**[4] अनुसार है। **(ख)** सत्र 2020-21 में कुल 202 निजी विद्यालय एवं सत्र 2021-22 में कुल 131 निजी विद्यालय बंद हुए हैं। सत्र 2020-21 में कुल 7473 निजी विद्यालय एवं सत्र 2021-22 में कुल 7404 निजी विद्यालय चल रहे हैं।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बंजारे :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से निजी विद्यालयों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी । मैंने पूछा था कि 2019-20 में कुल कितने विद्यालय संचालित थे, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 7502 निजी विद्यालय संचालित थे । मेरा दूसरा प्रश्न था कि 2020-21 एवं 2021-22 में कितने निजी विद्यालय बंद हुए । उसका भी जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कि 131 निजी विद्यालय बंद हुए हैं । माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, मैं उससे संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला घोषित शालाओं में हिंदी माध्यम का संचालन बंद होना

[4] परिशिष्ट "चार"

[स्कूल शिक्षा]

9. (*क्र. 994) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या ऐसी शालाएं, जिन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला घोषित किया गया है, उन शालाओ में हिंदी माध्यम का संचालन बंद कर वहां के समस्त शैक्षिक एवम अशैक्षिक स्टाफ का स्थानांतरण अन्य संस्थाओं में कर दिया गया है? **(ख)** यदि नहीं, तो धरसींवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंरा से हिंदी माध्यम के 11 शैक्षिक एवम 1 अशैक्षिक स्टाफ का स्थानांतरण क्यों कर दिया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां। **(ख)** क्योंकि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का संचालन संबंधित स्कूल संचालन हेतु गठित समिति द्वारा किया जाता है, और विद्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर ही कार्य कर सकते हैं, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंरा में पदस्थ शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ द्वारा इस शाला में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का आवेदन नहीं दिया गया ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रश्नों का जवाब तो आया है किंतु मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनसे कोई संतुष्ट ही नहीं होता है ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- मैं जानना चाहती हूं कि पूरे स्कूल 650 बच्चे पढ़ाई करते हैं । वहां पर से 11 स्टाफ को हटा दिया गया है तो वहां के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी ? वहां 4-5 किलो मीटर तक कोई भी ऐसा हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को और उनके पालकों को काफी चिंता हो रही है । माननीय मंत्री जी बताएंगे कि नये शिक्षकों की भर्ती कब तक होगी और जब तक नए शिक्षक नहीं आते हैं, तब तक वहां जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं हटाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- 3 प्रश्नों का एक में उत्तर दे दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पढ़ना ही तो है, अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे और ट्रान्सफर तो एक सतत् प्रशासनिक प्रक्रिया है और जिन शिक्षकों को अभी हटाया गया है, परीक्षा तक तो वे लोग अभी रहेंगे । लेकिन बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी । जितनी संख्या में वहां बच्चे रहेंगे, उसके मान से वहां शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, संतुष्ट हैं ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करती हूं कि यह गंभीर

विषय है । नगर पंचायत कूंरा के हायर सेकेण्डरी स्कूल में जब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, तब तक वहां के शिक्षकों को हटाया नहीं जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद ।

<u>शिक्षक भर्ती व अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण</u>

[स्कूल शिक्षा]

10. (*क्र. 613) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 14580 व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया में किन-किन संवर्गों की, कितने शिक्षकों की भर्ती पूर्ण पूर्ण हो चूकी व कितनाअपूर्ण है? कितने परिक्षार्थियों का सत्यापन कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? कब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी? चयनित अभ्यर्थियों वैद्यता सूची कितनी बार, कब-कब बढ़ाई जा चुकी है? **(ख)** प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है? इनके नियमितीकरण के संबंध में क्या सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना है? क्या यदि हां तो क्या और नहीं तो कब तक बना ली जायेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 14580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में व्याख्याता संवर्ग में 2548, शिक्षक संवर्ग में 2814 तथा सहायक शिक्षक संवर्ग में 2209 पदों पर शिक्षकों की भर्ती पूर्ण हो चुकी है। व्याख्याता संवर्ग में 629, शिक्षक संवर्ग में 3083 तथा सहायक शिक्षक संवर्ग में 3297 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। व्याख्याता संवर्ग में 6130, शिक्षक संवर्ग में 7296 तथा सहायक शिक्षक संवर्ग में 4268 पदों पर शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष रिक्त पदों पर शिक्षक एवं सहायक शिक्षक संवर्ग का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दिनांक 01.09.2020 एवं दिनांक 06.12.2021 को। **(ख)** प्रदेश में अतिथि शिक्षको की संख्या 1735 है। जी नहीं । निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सदस्य महोदय । .. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे । यह प्रश्न दो-तीन बार ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष जी, इनका ध्यान कहां-कहां रहता है, पता ही नहीं चलता कभी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुरंत क्षमा मांगा, ध्यान रखना ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप दूसरी जगह व्यस्त थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 3 बार यह प्रश्न लग चुका है । सरकार की कार्यप्रणाली कैसे चलती है और यह सरकार कैसी है, यह उसका एक जीवंत, ज्वलंत उदाहरण है । मैं माननीय मंत्री

जी से यह जानना चाहता हूं कि 14580 शिक्षकों की जो भर्ती होनी है, उसमें से आपने जितने में भर्ती कर ली है, 7000 समथिंग शिक्षकों की भर्ती हुई है। यानि आधे से ज्यादा भर्ती बाकी है। इसका आप हर बार कारण बताते हैं कि सत्यापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह हो रहा है, तो मैं आपसे इस बार यह जानना चाहता हूं कि सत्यापन कहां हो रहा है, कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी उसका सत्यापन करते हैं और एक दिन में कितने लोगों का सत्यापन होता है?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी बताईये ।

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जो तीन केटेगरी के स्कूल होते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैंने जो पूछा है, मैं वहीं जानना चाहता हूं। तीन बार बहस हो चुके हैं कि कौन सत्यापन करता है, कहां-कहां सत्यापन करता है और प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता इसकी जो प्रथम चरण में जो सत्यापन हुई है। मैं तारीख बता दूं कि कहां-कहां सत्यापन हुए हैं। रायपुर में हुए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं अभी जो पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न फिर दोहरा देता हूं। सत्यापन कौन करता है, कहां करता है और प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता है? उस हिसाब से हम लोग गणना करेंगे कि 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा। इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रश्न के अलावा दूसरा उत्तर चाहता नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर दे रहे हैं न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ठीक है न। मैं उत्तर दे रहा हूं। तीन व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक हैं। व्याख्यता का राज्य स्तर पर सत्यापन होता है, शिक्षक का सत्यापन संभाग स्तर पर होता है और सहायक शिक्षक का सत्यापन जिला स्तर पर होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- सत्यापन कौन-कौन करते हैं, प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता हैं? मैंने यह कहा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय सत्यापन शुरू किया गया था, उस समय कोरोना काल था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संख्या चाहिए। यदि नहीं देंगे तो वे नहीं देंगे बोल दे। प्रतिदिन कितने लोगों का सत्यापन होता है और कौन-कौन करता है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, उसमें संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने लोगों का सत्यापन होगा। उस समय कोरोना काल था। कम लोगों का सत्यापन हुआ था, क्योंकि उस समय कोरोना काल था और ऐसा कोई समय तय नहीं है कि इतने लोग आयेंगे, 10 लोग आयेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 48 प्रतिशत सत्यापन सवा तीन में अभी तक नहीं हो सका है। यानि अब तक 52 प्रतिशत परीक्षार्थियों का सत्यापन हुआ है। वह राज्य स्तर में करें, संभाग स्तर में करें, जिला स्तर में करें या कहीं मसानगंज में करें, वह उनका विषय है। चलिए आप संख्या नहीं बताते तो आप यह बता दे कि 48 प्रतिशत परीक्षार्थियों का सत्यापन कब तक हो जायेगा और कब तक उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जायेगा एक? इसी में दूसरा प्रश्न यह है कि यह जो 14085 लोगों की सूची है, वह कब तक valid रहेगी? यानि किसी की validity की भी एक नियम और कानून है। चाहे यू.पी.एस.सी. का हो, व्यापम का हो या जितनी भी परीक्षा लेने वाली एजेंसियां हैं, तो यह कब तक validity है और इसको बढ़ाया गया है तो कितने बार व कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो 14580 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। प्रथम चरण में जो तीनों में नियुक्ति हुई, चाहे व्याख्यता हो, शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो ...।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पहले मेरे बात को सुन लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जबरदस्ती क्यों सुनूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पहले मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- जबरदस्ती।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो पूछे हैं, उसका उत्तर दो न।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पहले मेरी बात सुन लीजिये न। 6307 की नियुक्ति प्रथम चरण में हुई। द्वितीय चरण में 1211, कुल 7577 की नियुक्ति हो चुकी है।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अजय जी, आप पूरा उत्तर क्यों नहीं सुनते, बताईये? आप पहले पूरा उत्तर सुनिये ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो भर्तियां होनी है वह 7009 है, उसमें से 1731 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं जो एस.टी.,एस.सी. के हैं, उसके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग और कोरबा जिला के नियुक्ति पर भी स्थगन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पहले सुन लीजिए। तो स्थगन में 2512 कैंडिडेट की नियुक्ति होनी है, पर इनको न्यायालय से स्थगन है। इसलिए उनकी न सत्यापन हो पा रही है और ना ही नियुक्ति हो पा रही है। तो कुल जो 2766 कैंडिडेट की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यह मैं बताना चाह रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत मानवीय प्रश्न है। अब मैं किताब को रख दिया, क्योंकि वे उत्तर इधर-उधर की देते हैं। 14480 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय सरकार ने लिया। हम सवा तीन से यह प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से पूछते आ रहे हैं और हर बार एक कॉमन उत्तर आता है, जिसमें प्रति चीजें, पूरक चीजें जुड़ी रहती हैं । अभी न्यायालय जुड़ा है, कभी कोरोना जुड़ जाता है, कभी कुछ भी जुड़ जाता है। इसमें जो 48 परसेंट शेष है उसका सत्यापन करके कब तक उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे ? एक और मैंने दूसरा प्रश्न यह जो पूछा कि 14 हजार 480 टीचर हैं, उसकी सूची की वैलीडिटी कितने दिन की है ? वह कितनी बार बढ़ाई गई ? मैंने यह दो चीजें भर पूछी हैं और नहीं, मैंने इधर-उधर की बातें ही नहीं पूछी। 48 परसेंट को आप कब तक सत्यापित कर देंगे और नियुक्ति देंगे ? और उसकी वैलीडिटी...।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1 हजार 697 इनके कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं इसका उत्तर ही संभव नहीं है, एक बात। दूसरा।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैय्या, यहां कैडिंडेट नहीं मिल रहे हैं, जितने कैंडिटेड मिले हैं उनको आप कब तक नियुक्ति दें देंगे ? उसकी नियुक्ति का ज्ञापन करके कब तक दे देंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए न। 2 हजार 512 चूंकि न्यायालय में स्टे हैं। उसकी अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। दो बार इसकी बैठक बुलाई गई है।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप कंझा गये हैं न ? आप कंझा गये हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं। मैं नहीं कंझाया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये न। आपके प्रश्न को माननीय धरमलाल जी कौशिक पूछना चाहते हैं। प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्वाइंटेड प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक तो 48 परसेंट जो सत्यापन नहीं हुआ है तब तक वह जो पूरक लगा लें। जो पूरक लगा लें। न्यायालय, कोरोना, इधर-उधर। मानलो कि 500 बाकी है तो 500 बाकी है तो उसको कब तक नियुक्ति पत्र देंगे ? उसकी वैलीडिटी कितनी बार बढ़ाई गयी है ? मैं यह पूछता हूं तो उसको नहीं बताते हैं। कब तक, कितनी बार बढ़ाई गयी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कब तक नहीं बढ़ेगी ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा विस्तार से बता रहे हैं। आप प्रश्न का पूरा उत्तर तो सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब छत्तीसगढ़ के दुश्मन हों।

श्री नारायण चंदेल :- कंझा यह नहीं रहे हैं, कंझा वह रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी वैलीडिटी 2 साल के लिए 2 बार बढ़ाई गयी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी कितने साल तक के लिए लागू है ? कब तक के लिए लागू है, मैं यह पूछा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी, एक मिनट। मैं भी पूछूंगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बार उसकी वैलीडिटी बढ़ाई गई है। जैसे-जैसे आपकी प्रक्रिया, जैसे कोर्ट का मामला है वह अगर हो जाएगा तो उसमें कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जिसमें माननीय विधायकगण भी संक्षिप्त उत्तर और प्वाइंटेड प्रश्न पूछा करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मेरा माननीय मंत्रीगणों से निवेदन है कि वह भी प्वाइंटेड उत्तर दिया करें। मेरा यह निवेदन है कि आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करके आया करें। (मेजों की थपथपाहट) जस्ट टू मिनट, अभी बचा है। मैं विभागीय अधिकारियों से भी यह अनुरोध करूंगा कि जो संभावित प्रश्न है उसके उत्तर मंत्रियों को बता दिया करें। बार-बार पर्ची और चीज भेजना ठीक नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- गलत-सलत चिट्ठी बनाकर देते हैं, इसलिए वह होता है। उधर बैठे हैं वह गलत-सलत चिट्ठी बना कर दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको निर्देश देते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे पूछ सकता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ते काबर नइ जास ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 हजार 580 बंद है...।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप विद्वान हैं। आप किसी भी प्रश्न को 1 घण्टा खींच सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 हजार 380 लोगों की भर्ती अभी तक बाकी है। 2 साल से पूरे प्रदेश में सरकार के विज्ञापन छप रहे हैं कि 14 हजार 580 नोगों को नौकरी दे दी गई। शिक्षक नियुक्त कर दिये गये और आज भी 6 हजार 380 लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाये। यह महत्वपूर्ण विषय है। आप दो साल से विज्ञापन में छाप रहे हैं कि 14 हजार 580 लोगों को नौकरी दे दिये और आज आप उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि 6 हजार 380 लोगों को नौकरी नहीं दे पाये। यह सरकार पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय, आप पूछिये। मैंने कहा न कि आप प्रत्येक प्रश्न को 1 घण्टे खींच सकते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक में नियुक्ति का मामला नहीं, यह भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री ननकीराम कंवर :- पैसा नहीं आ रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में दो बार सत्यापन हो चुका है। मंत्री जी उसको बेहतर समझेंगे। भ्रष्टाचार का मामला इसलिए है कि आपके होल्डिंग में 4 लाख 65 हजार लोगों को आपने होल्डिंग में नौकरी दे दी। लेकिन 19,000 लोगों को दो सत्यापन होने के बाद में नियुक्ति आप नहीं दे पा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है तो और क्या है ?

श्री ननकीराम कंवर :- कमीशन नहीं आया है इसलिए इसको...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब पैसा आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप दोनों ने जैकेट एक ही दुकान से लिया है ? (हंसी) आप दोनों का जैकेट..।

श्री नारायण चंदेल :- हां, एक के दुकान के हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, आप थोड़ा सचेत हो जाएं। यह षडयंत्र आपके पीछे है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं सुन रहा हूं। आपकी बात को मैं सुन रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने विभाग में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है कि । मुख्यमंत्री जी का जब नोटशीट आएगा, टीप आएगा कि केवल उसी फाइल को आप भेजेंगे और आप अपना फाइल भी नहीं भेज सकते हैं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं आपके अधिकारी का उसमें नोटशीट चला है। वह जारी हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बहुत झने से एडवांस भी ले लिये हैं, बता रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- पता नहीं, उसका अनुमोदन आपसे लिया गया है कि नहीं लिया गया है। मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं भ्रष्टाचार का इसलिए बोल रहा हूं कि बिलासपुर में ये इसी मामला के दौरान में दो लोगों को जो जेल भेजा गया। यह इसी मामले के अंतर्गत भेजा है कि दूसरे मामले के अंतर्गत भेजा है, आप इसको थोड़ा-सा बताइये तो ? आपके डी.ई.ओ. कार्यालय के कर्मचारी को।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद उसमें कार्यवाही होगी । मैंने पूरी बात बतायी कि कहां-कहां दिक्कतें आ रही हैं । कोर्ट से स्टे है, कोर्ट के

आदेशानुसार सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, कोरबा में नियुक्ति नहीं हो सकती । कुछ जगह कैंडीडट नहीं मिल रहे हैं । उसमें कहां भ्रष्टाचार की बात आती है ? आपको तो हमेशा केवल एक ही बात दिखती है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं कि बिलासपुर के डी.ई.ओ. कार्यालय के दो कर्मचारियों को जेल भेजा गया। मैं तो यही जानना चाहता हूं कि उन्हें कौन से मामले में जेल भेजा गया है? मैं तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं । आप बताईए कि उनको किस मामले में जेल भेजा गया है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अलग मामला है, भर्ती का मामला नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कौन सा मामला है, यह बता दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उसमें कहां उद्भूत होता है । यह तो भर्ती का मामला है, इसमें आपका बिलासपुर जिला कहां से आ गया ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की असंवेदनशीलता से कई शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, कई लोग मर गए । अभी भी अतिथि शिक्षक इसी प्रशन का हिस्सा हैं । अध्यक्ष जी, आपने मना किया, इसलिए मैंने प्रश्न नहीं पूछा । उसमें से भी इस सरकार के चलते कई लोग मर गए हैं और यह असंवेदनशील सरकार जो रोजगार में लगातार झूठ बोल रही है । कभी 4,65,000, कभी 5 लाख लोकवाणी में, कभी 20 हजार, कभी 2 लाख, 80 हजार और आप नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हो, उसके विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
1:56 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया.)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में कभी एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, केवल भ्रष्टाचार हुआ था, वह भी ठेका में दे दिया गया था । 23 साल बाद कोई नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अपराई गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी के आते ही उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है । (हंसी) संसदीय कार्यमंत्री जी, आप इस पर कोई जांच करा सको तो कराईए।

<u>कांकेर जिले के कोटवारी की भूमि खरीदी, बिक्री एवं अवैध अतिक्रमण</u>

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास]

11. (*क्र. 141) श्री संतराम नेताम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर जिले में कौन- कौन से कोटवार सेवा भूमि पर खरीदी, बिक्री एवं अवैध अतिक्रमण हुआ है? किन – किन व्यक्तियों द्वारा कोटवार सेवा भूमि का क्रय विक्रय या अवैध अतिक्रमण किया गया है ? क्या इनमें कोई शासकीय सेवक या उनके परिवार के सदस्य के नाम से भूमि दर्ज है? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार विगत दो वर्षो में कोटवार सेवा भूमि में अतिक्रमण या खरीदी बिक्री की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला उत्तर बस्तर कांकेर अन्तर्गत तहसील कांकेर के 05, तहसील चारामा के 04, तहसील नरहरपुर के 05 एवं तहसील भानुप्रतापपुर के 01 कोटवारों द्वारा सेवा भूमि पर खरीदी, बिक्री/हस्तांतरण किया गया है। अवैद्य अतिक्रमण नहीं हुआ है। 15 व्यक्तियों द्वारा कोटवार सेवा भूमि का क्रय विक्रय/हस्तांरण किया गया है, इनमें तहसील कांकेर एवं नरहरपुर अन्तर्गत कुल 03 शासकीय सेवक के परिवार के नाम से भूमि दर्ज है। **(ख)** विगत दो वर्षों में तहसील भानुप्रतापपुर में कोटवार सेवा भूमि के खरीदी बिक्री की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। कोटवारी भूमि के रजिस्ट्री को शून्य घोषित करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिले की जो सेवाभूमि है, उसकी खरीदी-बिक्री पर मैंने प्रश्न किया था, उसका जवाब आ गया है कि तहसील कांकेर के 05, तहसील चारामा के 04, तहसील नरहरपुर के 05 एवं तहसील भानुप्रतापपुर के 01 । कोटवारों द्वारा कुल 15 सेवा भूमि पर खरीदी-बिक्री की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री की क्या प्रकिया है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री की कोई प्रक्रिया नहीं है । उसमें जो खरीदी-बिक्री की गई है, उसमें कार्यवाही चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या उस सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री अवैध है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल अवैध है ।

अध्यक्ष महोदय :- संतराम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि कांकेर और नरहरपुर तहसील के अंतर्गत कुल 3 शासकीय सेवक के परिवारों के नाम से दर्ज किया भूमि दर्ज की गई है । यह नियमानुसार हुआ है या इसकी क्या प्रक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री अवैध है । सब अवैध है । आप जांच करने की मांग करोगे तो वे कर देंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भानुप्रतापपुर का प्रकरण अभी जांच में है । मैं यह जानना चाहता हूं कि भानुप्रतापपुर से जो शिकायत आवेदन आपको प्रापत हुआ है, वह कब प्राप्त हुआ है, जो आपके पास आया है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि सेवा भूमि की खरीदी-बिक्री गलत है । उसमें माननीय सदस्य खुद बोल रहे हैं कि उसमें जांच प्रक्रियाधीन है । उस मामले में कोटवार को सस्पेंड किया गया है और जांच चल रही है ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत कब प्राप्त हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं । उनको अभी सस्पेंड नहीं किया गया है ।

प्रश्न संख्या : 12 XX XX

<u>बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के आश्रमों एवं छात्रावासों हेतु सामग्री का क्रय एवं वितरण</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 454) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों हेतु वर्ष 2020 से 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कौन -कौन सी सामग्री, कितनी -कितनी राशि की क्रय की गयी हैं ? क्या सामग्रियों के क्रय हेतु भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया था ? विकासखण्डवार /वर्षवार जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश 'क' के तहत क्रय सामग्री की आपूर्ति कितने आश्रम एवं छात्रावासों को की गयी ? (ग) क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में अनियमितता /भ्रष्टाचार होने संबंधित शिकायत / जानकारी विभाग के संज्ञान में आयी है, यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आश्रम संचालित नहीं है। संचालित छात्रावासों हेतु वर्ष 2020-21 में क्रय की गई सामग्रीयों एवं राशि की वर्षवार जानकारी संग्लग्न परिशिष्ट †[5] परिशिष्ट अनुसार है। विकास खंडवार सामग्री क्रय नहीं की जाती

†[5] परिशिष्ट "छ"

है। सामग्रियों के क्रय हेतु भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है। (ख) क्रय की गई सामग्रीयों की आपूर्ति 14 छात्रावासों को किया गया है। (ग) जी नहीं, सामग्री क्रय में अनियमितता/भ्रष्टाचार होने संबंधी शिकायत/जानकारी विभाग के संज्ञान में नहीं आयी है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर आया है, उसके संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि 14 लाख, 76 हजार रूपये की खरीदी हुई है, उसकी खरीदी किस अधिकारी के द्वारा की गई है बलौदाबाजार जिले के अधिकारी ने खरीदी की है या रायपुर जिले के अधिकारी ने खरीदी की है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप भी जल्दी-जल्दी मत बोलो न, आराम से बोलो ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, समय हो रहा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों के लिए जो सामग्री की खरीदी की गई है, वह टेण्डर की प्रक्रिया से खरीदी की गई है । टेण्डर प्रक्रिया में जिन लोगों ने भाग लिया, उसके अनुसार से खरीदी होती है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी खरीदी किस अधिकारी के द्वारा की गई है बलौदाबाजार जिले के अधिकारी ने खरीदी है या रायपुर जिले के अधिकारी ने खरीदा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदाबाजार जिले से खरीदी हुई है । बलौदाबाजार जिले से टेण्डर हुआ है और वहां से खरीदी की गई है । उसका टेण्डर होता है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो जिले रायपुर जिला और बलौदाबाजार जिला है । पहली बात तो यह है कि मेरे प्रश्न का उत्तर ही गलत आया है । रायपुर जिले वालों को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया जाता है । वे लोग मानते ही नहीं है कि बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको बलौदाबाजार जिले का ही मानते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- समय समाप्त हो गया इसीलिए जल्दी प्रश्न कर रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

<u>राष्ट्रकुल दिवस का उल्लेख</u>

अध्यक्ष महोदय :- जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तद्नुसार, आज सोमवार दिनांक 14 मार्च को राष्ट्रकुल दिवस पर राष्ट्रकुल देशों ने **" Delivering a common future"** अर्थात **"सुदृढ़ भविष्य हेतु समान अवसर प्रदान करना "** को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिट्रिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 54 स्वतन्त्र देशों का एक संघ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी राष्ट्रकुल में सम्मिलित हैं। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परम्पराओं के नागरिकों का समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्र, साक्षरता, मानव अधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और

विश्व शांति को बढ़ावा देना है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, सुनहरे भविष्य एवं समावेशी विकास का मुख्य आधार भी है।

आईये, हम सब **"सुदृढ़ भविष्य हेतु समान अवसर प्रदान करना "** विषय के मूलमंत्र को मानते हुए इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 54 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान खोजने, सुशासन, आपसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और जन सामान्य एवं विभिन्न समुदायों में सेवा का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

सदन को सूचना

एस.एम.सी. हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा कार्डियेक कैम्प

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधानसभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 15 मार्च, 2022 को एस.एम.सी. हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ. रिसर्च सेन्टर द्वारा कार्डियेक कैम्प प्रात: 11.00 बजे से 5.00 बजे तक आयोजित है। आप शिविर का लाभ उठायें।

समय :

12.02 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002 की धारा 11 की उप धारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं।

(2) दिनांक 17 तथा 18 मई, 2013 की दरम्यानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा मुठभेड़ की घटना के मामले में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 17 तथा 18 मई, 2013 की दरम्यानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा मुठभेड़ की घटना के मामले में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण पटल पर रखता हूं।

(3) विद्युत विभाग की अधिनिसूचनाएं

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसचूना क्रमांक 91/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीनीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय उर्जा प्रमाण पत्र सरंचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021

(ii) अधिसूचना क्रमांक 90/ छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021, दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

(iii) अधिसूचना क्रमांक 92/सी.एस.ई.आर.सी./2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2021 तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक 93/सी.एस.ई.आर.सी./2021, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021

पटल पर रखता हूं।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021

मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2033) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) खान और खनिज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 22 जनवरी 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, खान और खनिज (विकास एवं निनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12 दिनांक 22 जनवरी 2021 पटल पर रखता हूँ ।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, पिछले दो महीने से नवा रायपुर में अपनी विभिन्न मांगों के लिए किसान लगातार आंदोलनरत् है । वर्ष 2018 के विधान सभा चुनाव के पहले भी इन्हीं मांगों के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे । उस आंदोलन को समर्थन करने आज के हमारे मुख्यमंत्री, उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेश बघेल जी, वहां के स्थानीय विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय टी.एस.सिंहदेव जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आदरणीय पूनिया जी, उस आंदोलन को समर्थन करने गये थे । समर्थन में उन्होंने यह बात कही थी कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपकी सारी मांगों को पूरा किया जायेगा । दुर्भाग्य है कि दो महीने से लगातार किसान आंदोलनरत हैं, मांगों को पूरा करने की बात तो दूर रही, सरकार का प्रतिनिधि वहां जाकर बात करने को भी तैयार नहीं है, इस धूप में किसान आंदोलनरत हैं और 11 मार्च को सियाराम पटेल नामक किसान की धूप और प्यास के कारण मृत्यु हो गयी । मृत्यु होने के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा मजाक किया कि मैं 4 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा करता हूँ । यू.पी. में कोई किसान मरता है, लखीमपुर में जाकर हमारे मुख्यमंत्री उसे 50 लाख दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ का किसान मरता है, उसके घर जाने की फुर्सत नहीं है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :-माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जो बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 मांगों में से 6 मांगे पूरी कर दी गई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोंडागांव में एक किसान धनीराम साहू ने गिरदावरी में उसका रकबा कटने के कारण आत्महत्या कर ली । आत्महत्या करने के बाद उसका रकबा जोड़ा गया । उस किसान के खिलाफ सहकारिता विभाग ने कर्ज की वसूली की कार्यवाही की है, उसके घर को कुर्क करने की नोटिस दी है । चुनाव के पहले किसान की समर्थन का बात करना, मांगों को पूरा करने की बात करना, जब किसान आंदोलनरत हैं, इस सरकार को उन किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है । 50 लाख मुआवजा देने के बजाय, यह सरकार 4 लाख मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है ।

इस विषय पर हमने स्थगन दिया है और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे स्थगन को ग्राह्य कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हमारी विधान सभा से 15-20 किलोमीटर दूर और हमारा जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय से एक-दो किलोमीटर की रेंज में किसान 70 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे आंदोलन कर रहे हैं और उन किसानों से कोई चर्चा नहीं की जा रही है, उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है । जब राहुल जी आते हैं और वह मिलने का मिलने का समय मांगते हैं...। (व्यवधान)

समय :

12.05 बजे **(सभापति महोदय (लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुये)**

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, चर्चा करके 8 मांगों में से 6 मांगें पूरी कर दी गई है । माननीय सभापति जी, इन्हीं का पाप तो हम भोग रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, दिल्ली के किसान आंदोलन की यह सरकार चर्चा करती है, किसान जैसे वह अपराधी हो, जैसे वह कोई आतंकी हों, उन्हें घेर दिया जाता है । उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, उनके ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति हो गई है, दो किलोमीटर तक उनको घेरा डाल दिया गया है, जैसे यह किसान बड़े आतंकवादी हों, यह छत्तीसगढ़ में स्थिति हो रही है, नई राजधानी के किसानों के साथ यह स्थिति हो रही है, जैसे गाय, बैल, भैंस को कांजी हाऊस में रखा जाता है, वैसा किसानों के लिए कांजी हाऊस बना दिया गया है । इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनके लिए तो पानी-चारा की व्यवस्था होती थी, यहां तो उनके लिए छाया-पानी की व्यवस्था नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, इतनी बड़ी बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, उनके नेता जब चुनाव के पहले उनके पास गये थे, शिवरतन जी ने सभी नामों का उल्लेख किया, आखिर आज वे सो क्यों रहे हैं, इनकी क्या बरबसता है कि उनके साथ में बात नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक दिन उन्हें बुलाकर बात कर लें । दिल्ली के किसानों के बारे में तो बड़ी-बड़ी बात करते थे कि प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते हैं। आपसे तो 1 या 2 किलोमीटर की दूरी है, उनसे आप बात क्यों नहीं कर लेते? उनको बुलाकर समझा क्यों नहीं देते? वह भी हमारे छत्तीसगढ़िया हैं, वह कोई विदेश से नहीं आये हैं। वह कोई पंजाब, हरियाणा से नहीं आये हैं। वह छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के लिए

उन्होंने अपने खून-पसीने की जमीन दी है। अब तो यह स्थिति हो गई है कि वहां पर किसानों को आंदोलन करते-करते जब उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, सभापति महोदय, आपने वाला समय और भयावह हो सकता है। क्योंकि उसमें बहुत से बुजुर्ग, बीमार किसान हैं और आने वाले समय में उनकी चिंता नहीं की गई, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। उनके लिए अगर नहीं किया गया तो और भी किसानों की मृत्यु हो सकती है। उसका कलंक का टीका अगर किसी पर लगेगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और यह कांग्रेस की सरकार पर लगेगा। इनके राज में 70 दिन तक आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसानों ने 70 दिन तक आंदोलन किया हो। आज 70 दिन तक आंदोलन करना और उसके बाद भी उनसे बातचीत नहीं करना, उनकी चर्चा को नहीं सुनना, उनको घेरा डालकर उनको रोक देना, एक जेल जैसे उनको कांजी हाउस बनाकर बंद देना, यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। माननीय सभापति जी, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर में सदन में चर्चा हो। बाकी इसके साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या-क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खिरी में मृत होने वाले किसानों से मिलने जाते हैं, यहां पर मृत होने वाले किसान से मिलने की फुरसत नहीं है। वहां 50 लाख रुपये देते है, यहां 4 लाख रुपये दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि उस मृत परिवार के किसान को 1 करोड़ रुपये देना चाहिए और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। इन किसानों के आंदोलन को जो 70 दिन से आंदोलनरत हैं उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए बातचीत के माध्यम से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बात के लिए हम चाहते हैं कि आप उस पर चर्चा करायें तो हम सभी बातों को सदन के पटल पर रखेंगे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी आप कैसे बोलेंगे, स्थगन तो हम लोगों का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या आपने कोई स्थगन दिया है, शून्यकाल की कोई सूचना दी है ? शून्यकाल तो हम लोगों का है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं माननीय सभापति जी की अनुमति से कुछ जानकारी देना चाहता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी की अनुमति से जानकारी दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- दो मिनट मंत्री जी को अपनी बात रखने दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से..।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें आग्रह है कि आप इस स्थगन को स्वीकार कर लीजिए और स्वीकार करने के बाद में उस साईड से भी बोलें और इस साईड से भी बोलें।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं केवल जानकारी दे रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कागज पढ़कर जानकारी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जानकारी दे रहा हूं, पढ़ नहीं रह हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- किस बात की जानकारी दे रहे हैं ? आप हमारे स्थगन को स्वीकार कर लीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, मैं केवल तारीख बता रहा हूं। मैं केवल जानकारी दे रहा हूं, जो बातें आ रही हैं, उस पर जानकारी देना जरूरी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह कभी परपंरा नहीं रही है। आप स्वीकार कर लीजिए, अभी चर्चा कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- वहां किसान की मृत्यु हुई है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमारे स्थगन को स्वीकार कर लीजिए और सरकार के सारे मंत्री उस बहस में भाग ले लें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सबसे बड़ी विडंबना है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वह केवल यह कह रहे थे कि आपके शासनकाल का पाप है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब पर खोज-खोज कर कार्यवाही करिये जिसके कार्यकाल का है।

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुनिये न, उस पाप को धोने का आश्वासन देने आपके सारे नेता गये थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गये थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 8 में से 6 मांग पूरी हो गई हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, यह बड़ी विडंबना है कि जब से कांग्रेस कि सरकार 03 साल बने हो गये, छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान की जितनी तौहीन, बेईज्जती हो रही है, नया रायपुर में किसान की मौत होती है और पूरा छत्तीसगढ़ इससे दहल गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने क्या जोरदार बात की है, आपकी सरकार के 15 साल के कार्यकाल में किसानों का सम्मान होता था?

श्री नारायण चंदेल :- लगातार इन 3 सालों में सिर्फ एक किसान की मौत नहीं हुई है, सैकडों, हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है, किसानों की मौत हुई है। किसी की गिरदावरी के नाम से मौत हुई है, किसी को समय पर भुगतान नहीं हुआ है, उसके कारण मौत हुई है, लेकिन अपने आपको किसानों की सरकार कहने वाली यह सरकार का दिल पसीज नहीं रहा है। इनकी संवेदनशीलता किसानों के लिये नहीं दिखाई देती है, यह सरकार किसानों के नाम पर असंवेदनशील हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने स्थगन दिया है। आप इस स्थगन को स्वीकार करें, उस पर विस्तार से चर्चा होगी तब कई तथ्य सामने आयेंगे।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, किसान आंदोलन महाराष्ट्र में, उत्तरप्रदेश में ज्यादा होते थे। जब शरद जी होते थे या अभी टिकैत लोक कर रहे थे, टिकैत बंधु, राकेश नरेश लोग कर रहे थे, तब हुये थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब इतना गंभीर विषय चल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन से चले गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं उस विषय में आ रहा हूं, आ रहा हूं। यह सरकार अपने आप को साबित करने में, किसान कहने के लिये जितना पैसा लगे, अखबार में खर्च कर रही है और अपने आप को बांडिंग करने के लिये झूठ भी बोल देते हैं। मैंने पता लगवाया, मंत्री जी का एक भट्ठागांव है, कि वहां कितने नांगर हैं। वहां एक नांगर भी नहीं है, उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने बोल दिये, कि वहां एक नांगर नहीं है। गांव वालों ने बताया कि सिर्फ दो ट्रेक्टर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- ओ नेता जी, मेरे मालिक, पहले गांव के नाम ला तो ठीक से बोल दे, ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या कर रहा है, यह तो मृत्यु हुई। भूख, प्यास, बेहाली के कारण, किसान आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि बीज नकली, खाद नकली, अनुपलब्धता। सारी जितनी प्रकार की समस्याएं इन किसानों के लिये हो सकती है। यह सरकार, यह सारी समस्याएं, कृत्रिम रूप से भ्रष्टाचार करके पैदा कर रही है। जब हम उधर बैठते थे तो हम रोज 3, 4 लोग जाते थे कि हम आपके साथ है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी महोदय है, यह समर्थन देने रोज जाते थे। सारी बातें आ गई।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, उधर बैठते थे उसकी नकल इधर से कर रहे हो। लेकिन आपको अक्ल नहीं आई।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यदि स्वीकार करते हैं तो हम इस आरोप को भी साबित करेंगे कि किसानों के मामले में, सोसाईटी के मामले में, धान खरीदी के मामले में, बोरा खरीदी में, खाद की काला बाजारी में, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, दूसरा कुछ नहीं है और छत्तीसगढ़ में यह किसानों के दुखों का प्रतिकारक बन रहा है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति महोदय, आज हम किसानों की समस्या को लेकर प्रश्न किये हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार को देखते हैं तो यू.पी. में 50 लाख का नोट और छत्तीसगढ़िया किसान को खाली वोट। यह दोहरा व्यवहार है, और भावनात्मक व्यवहार है। केवल भावनात्मक व्यवहार करके छत्तीसगढ़ियों के साथ में रचा जा रहा है, इसका प्रमाण है। दूसरा, हम एक तरीके से जो बातचीत करते हैं, खुशहाल किसान की और खुशहाल किसान किस तरीके से परेशान है यह इसकी भी चर्चा है कि किस तरीके से खुशहाल किसान की कल्पना एक तरीके से सब बात में दिखाया जाता है, सपने दिखाये जाते हैं, यहां आत्महत्याएं हो रही है, किसान परेशान है, उनके पास घड़ियाली आंसू बहा के उनको

आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। तीसरा, गोठान तो हम गायों का देखे हैं लेकिन यह जिस तरीके से जो रचना व्यूह रचना किये हैं, तो आदमी के लिये गोठान बनाया गया है, यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते हैं, स्थगन देना चाहते हैं। कृपया आप स्वीकार करिये, इसके साथ ही साथ इस पर और बहुत सारे विषय है जो आपके संज्ञान में लेकर आयेंगे। इस पर चर्चा करवाईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदय, किसान लोग रायपुर के बलौदा में बहुत ज्यादा घेराव कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनको बेरिगेटिंग में रखा गया है, जैसा बंदी रहते हैं और अपराध करते हैं, उनको ऐसा रखा जाता है। यह किसानों को अपराधी जैसे रखे हैं। ऐसे मामले में बलौदा के किसान खसिया राम पटेल जी की मृत्यु हो गयी है, उस पर सरकार 4 लाख रूपये देती है और रायपुर में यू.ओ.पी. करके है दोनों प्रकार में 50-50 लाख रूपये की राशि की घोषणा किये हैं और यहां की सरकार किसान हितैषी सरकार है। कहती है कि मैं किसानों के प्रति कुछ भी करने के लिये तैयार हूं, कर्जा लेने के लिये तैयार हूं, कर्जा लूंगा, किसानों के प्रति वफादार रहूंगा , पर सरकार वफादारी नहीं निभा रही है। मंत्री लोग गये, समिति बनाये और अनेक लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। मतलब किसानों की उपेक्षा की जा रही है, इसके लिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर विचार किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज नया रायपुर में जो किसान आन्दोलन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से एक किसान की मृत्यु हो जाती है और यह असंवेदनशील सरकार है। इसके लिए उत्तरप्रदेश में अलग मापदण्ड हैं और छत्तीसगढ़ के लिए अलग मापदण्ड है, वह सिर्फ 4 लाख रूपये देती है। न केवल नया रायपुर, राजनांदगांव में भी रकबा कटौती को लेकर, एक किसान परिवार आन्दोलनरत है और वहां पर भी अभी तक कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। वह जो राजनांदगांव का परिवार है, वह अनुसूचित जनजाति का परिवार है। रकबा कटौती का क्लियर कट प्रकरण है और उसमें उसने आत्महत्या की है। हमारा यह निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें और इस सदन में सारे किसानों की समस्या आ सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती छन्नी चन्दू साहू :- माननीय सभापति महोदय, राजनांदगांव के विषय में गलत बात कर रहे हैं। कोई रकबा कटौती नहीं हुई थी। 3 एकड़ 80 डिसमिल जमीन थी और 2 एकड़ 4 डिसमिल में पंजीयन हुआ था।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी):- माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश का बहुत दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अन्नदाता, अन्न उगाना छोड़, आज दूसरे कामों में लगे हैं। इसका कारण यही है कि सरकार का किसानों की ओर ध्यान नहीं है। आज पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है। मैं इसलिए इस सदन में उस किसान की पीड़ा को रखना चाहता हूँ, मैं स्वयं किसान की बेटी हूँ और किसान की बहू हूँ। आज

मुझसे ज्यादा बेहतर स्थिति को शायद किसान भाई ही समझ पायें। आज की पीड़ा देखिए कि किसान हर छोटी-छोटी चीजों के लिए तरस रहा है। उनको समय पर जो खाद उपलब्ध हो पाना था, वह खाद नहीं मिला। जब किसानों को नकली बीज और खाद मिला तो सरकार के माध्यम से कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। आज किसान भाई धरने पर हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, फसलचक्र के बारे में तो हमारे मंत्री, हमारी सरकार बहुत बढ़ावा देती है कि फसलचक्र को क्या हुआ। किसान को जबरदस्ती फसलचक्र करवाकर, उन्हें दलहन, तिलहन लगवाया गया। जब असमय बारिश हुई, उस समय सरकार पीछे हट गई, जब उन्हें उस समय मुआवजा देना था, न तो वहां पर किसानों के पास राजस्व विभाग की टीम का अमला पहुंचा, न तो वहां पर कृषि मंत्री जी के विभाग का कोई नहीं पहुंचा। स्थिति यह हुई कि वहां किसान परेशान हुए। आखिर मजबूर होकर, वह फिर से धान की फसल लगाये। आखिर ऐसे समय में यदि किसान परेशान हैं, उस समय सरकार को सामने आना चाहिए। उनको समय पर जो मुआवजा मिलना था, वह नहीं मिला। आज आप रायपुर की स्थिति देख रहे हैं कि किसान धरने पर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दो-दो महीने तक, यह छत्तीसगढ़ का इतिहास है कि दो-दो महीने तक किसान धरने पर बैठे हैं, पर न तो सरकार उनकी ओर ध्यान दे रही है, न तो सरकार उनकी किसी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन लगाया है, क्योंकि यह विषय भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार बार-बार छत्तीसगढ़िया की बात करती है, बार-बार किसानों की बात करती है तो किसानों की मांगों को पूरा करना है। माननीय सभापति महोदय, कृपया आप इस स्थगन को स्वीकार करियेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे भी बोलने दीजिए। मेरा भी नाम है। यह मामला किसानों का है। दिल्ली में भी किसान आन्दोलन हुआ था तो वहां की सरकार ने ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जैसे ही किसानों की चर्चा शुरू हुई। पूरे कांग्रेस की दीर्घा खाली हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी गायब हो गये। बताओ, यह किसानों के प्रति इन लोगों की संवेदना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, तो वहां दिल्ली के कृषि मंत्री के संग कई सीटिंग हुई, उनकी बैठक हुई, भले बैठक बेनतीजा निकला, माननीय मंत्री जी, आप यहां बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको बुला लीजिए। यहां से तो और ज्यादा करिये। कोई 4 जरूरी नहीं है, आप 4 के बाद 10 बार बैठक कर लीजिए। वह किसान हैं हमारे लोग हैं, उनकी समस्या है। अब लखीमपुर में कोई मरा, चाहे जिस कारण से भी मरा, वहां चुनाव था तो 50 लाख रूपये की घोषणा हुई। यहां का किसान मरा तो 4

लाख क्यों दिया गया? हमारी यहां की समस्या चाहे वह भा.ज.पा. सरकार के कारण ही समस्या है, यह आप कह रहे हैं। चलिये, मैंने मान लिया कि आपकी बात सही है तो उसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप हल करिये। आप किसानों की समस्या का निराकरण करिये। इस प्रदेश में 70 दिनों से कोई भी किसान आन्दोलनरत हैं और उसके बाद भी आप किसानों के हितों की बात करने वाली सरकार बनते हो, अगर आप किसानों के हितैषी बनने की बात कह रहे हैं तो यह सूट नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस स्थगन के माध्यम से ...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, हमारी किसानों से चर्चा हुई। 4 दौर की बात हुई और चर्चा की गई है। उनकी 8 में से 6 मांगें पूरी हो गईं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कैसे खड़े हो गये? आप व्यवस्था दे दीजिए। माननीय मंत्री जी बिना नोटिस दिये, खड़े हो गये। आप बिना नोटिस दिये खड़े हो सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, कुल मिलाकर उनकी समस्या सर्वोच्च प्राथमिकता में हल होना चाहिए। अगर कोई किसान वहां पर 60 दिन, 70 दिन से भूखे, प्यासे धूप में बैठे हैं और यहां पर ये चैन की बंशी बजा रहे हैं। रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। यहां पर उसी टाईप का हाल है। यह सब बंशी बजा रहे है और उधर रोम किसान जल रहा है। सभापति महोदय, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप करिए, इसको स्वीकार करिए और चर्चा कराईए।

(श्री कवासी लखमा द्वारा खड़े होने पर)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं रोम और नीरो के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। (हंसी) मैं इधर चर्चा कर रहा हूं। मैंने आपको जितना कहा है, आप उतने का ही ख्याल रखिएगा। (हंसी) मैं आपसे कोई चर्चा नहीं करूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, होली आ रही है, अकेले मजा ले रहे हो। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, किसानों का मामला है, इसको स्वीकार कर लीजिए और चर्चा करा लीजिए। सरकार भी जवाब देगी, मंत्री जी, बार-बार खड़े हो रहे हैं, वे लोग भी अपना भाषण दे देंगे, अच्छा रहेगा। बढ़िया चर्चा होगी, वहां जो किसान बैठे हैं, उनको संदेशा जाएगा कि उनके बारे में छत्तीसगढ़ का यह पवित्र सदन चर्चा कर रहा है। इस सर्वोच्च सदन में उनकी बातें कही जा रही है, सुनी जा रही है। आप हां या ना बोलेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी पहले आप इस 4 लाख रूपए को 46 लाख रूपए और मंजूर कराईए। हाथरस में कोई बलात्कार होता है तो वह बड़ा बलात्कार है और यहां होता है, वह छोटा बलात्कार है। यह आप लोगों की परिभाषा किस टाईप की है। शिव डहरिया जी, आप भी छोटा मामला है, छोटा बलात्कार है, बोल रहे हैं। बलात्कार है, मतलब बलात्कार है। सभापति जी, वहां किसान

मरे तो 50 लाख रूपए, यहां किसान मरे तो 4 लाख रूपए दे रहे हैं, यह सब ठीक नहीं है। इसलिए इसको स्वीकार करिए।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- ठाकुर साहब, इन लोगों के चक्कर में मत फंसना, इन लोग उल्टा पुल्टा बोलकर छोटा-बड़ा बोलते हैं।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सृष्टि के निर्माण के लिए हमारे अन्नदाता सबसे महत्वपूर्ण कर्णधार होते हैं। अपनी खून पसीने की कमाई में न धूप देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न छांव देखते हैं। हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके बाद इस देश में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को अन्न का दाना प्राप्त होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार हमारे किसान भाईयों के साथ बहुत अन्याय, अत्याचार कर रही हैं। अभी हाल ही में जो सियाराम पटेल जी के साथ घटना हुई है, उसके बारे में हम लोगों ने स्थगन दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगी कि मेरे पामगढ़ विधानसभा में जो किसान अपनी खून पसीने की कमाई को बैंकों में रखते हैं तो जिला सहकारी बैंक के द्वारा उनकी प्रत्येक खाते में केवल 10 हजार रूपए दी जा रही है और उनको ज्यादा रूपए की जरूरत है तो ज्यादा पैसा नहीं दी जा रही है तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस मामले में हमारा स्थगन है। इसको स्वीकार करके चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, नया रायपुर में अपनी पांच सूत्रीय मांग को लेकर जो किसान विगत दो महीने से अधिक समय से आंदोलनरत हैं और बहुत ही दुखद रूप से किसान की मृत्यु हो गयी है। इसमें हमने स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है। बहुत विषय आ गए हैं लेकिन जो विषय बार-बार आ रहे हैं कि आपने किया, आपने किया। अब 32, 34 महीने हो गए हैं, अब चला-चली की बेला है। छत्तीसगढ़ की जनता अब यह बात नहीं सुनना चाहती कि आपने किया, आपने किया। अब इनको जवाब देना चाहिए, जवाब बताना चाहिए, जो किए हैं, जो बोले हैं और जो बाहर में कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में जो बात करते हैं, बाहर में व्यवहार, चरित्र बदल जाता है और छत्तीसगढ़ जहां के लिए जवाबदार हैं, यहां इनका चरित्र एकदम बदल जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसमें हमने स्थगन दिया है, इसको स्वीकार करके चर्चा कराएं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- सभापति महोदय, पेपर में करोड़ों रूपए खर्च करते हैं। बार-बार यह बात साबित करने का प्रयास करते हैं कि किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, किसानों की सरकार है और इन तीन सालों में यदि कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। मैं केरेगांव के आंदोलन के लिए कल गया था और वहां बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पुरूष इकट्ठे थे और आंदोलन चल रहा था। नेताम, वहां का हमारा

किसान आत्महत्या करके मर जाता है और वहां पर जो रिपोर्ट दी जाती है, यानी सरकार कैसे रिपोर्ट को बदल सकती है, यह उदाहरण मैंने राजनांदगांव के उस घटना में देखा। उसके रकबे को परिवर्तन करने का काम किया है। मंत्री जी ने कहा कि मैं जांच करा लूंगा। वह सारे तथ्य और प्रमाण आज भी वहां पर हैं। वहां के लोगों ने प्रमाण दिया है, तथ्य भी दिया है, वह सारे डाक्यूमेंट मेरे पास हैं, जिसके आधार पर कहा गया है कि हेराफेरी की गयी है। 3.45 एकड़ में धान की खेती होती है, वह लगातार तीन सालों तक धान बेचता रहा है। क्या कोई किसान ऐसा हो सकता है कि जो पहले 3.4 एकड़ में धान बेच रहा है और बाद में अचानक वह रकबा कम हो जाये ? यह अकेली ऐसी घटना है जिसमें किसान को आत्महत्या के लिये प्रेरित किया गया । यदि उसने आत्महत्या की है और उस आत्महत्या के लिये जिसने उसे प्रेरित किया है वह भी उतना ही दोषी होता है तो मैंने कल भी इस बात की मांग की कि जब आत्महत्या के लिये किसी को प्रेरित किया जाता है उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए । उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिनकी वजह से वहां किसान ने आत्महत्या की । दूसरी बात कि यह रायपुर की घटना चूंकि लगातार यह किसानों की सरकार 3 साल से कह रही है कि सियाराम पटेल की जो मौत हुई है तो इस मौत के लिये कौन जवाबदार है ? आंदोलन को इतना लंबा खींचने के पीछे का कारण क्या है ? आज किसान की उद्वेलिता है, किसान इतना परेशान है, उन किसानों की बातों को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, उनको बैरिकेड में ऐसे बांध दिया गया है कि मानों वे अपराधी हों और अपराध करने के बाद वे वहां बैठे हों तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों और तथ्यों पर जब हमारे सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको ग्राह्य करके इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और माननीय मंत्रीगण जितना जवाब देना चाहते हैं उनका जवाब भी आ जाना चाहिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, 27 गांवों के किसान 70 दिनों से ऊपर हो गये, वे धरने पर बैठे हुए हैं । चर्चाओं का दौर चल रहा है लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हुआ । अब परिस्थितियां ये बन गयी हैं कि उसमें लाठियां भी बरसायी जा रही हैं, किसी प्रकार से उनको खदेड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है और जब उन्होंने पैदल मार्च किया तब सियाराम पटेल की मृत्यु हो गयी ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब दिल्ली में किसानों की हड़ताल हुई तो दिल्ली की हड़ताल में भाग लेने वाले जो पंजाब के किसान और बाकी किसान हैं ये उनके हितैषी रहे । उसके लिये छत्तीसगढ़ से चावल भेजने का कार्यक्रम हुआ, ट्रकों-ट्रक चावल पहुंचाया गया । बोले कि सामने चुनाव है, डटे रहना, आपको जो मदद चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे और उनको चावल भेजने का काम किया । क्या हुआ ? उसको इन्हें पंजाब ने बता दिया । खीरी में जाकर आपने 50 लाख रूपये दिये । खीरी की 8 विधानसभा सीट है । उस सीट ने जवाब दे दिया । आप किसानों की यह राजनीति करना छोड़िए । किसानों के मामले में यदि सहृदयता है और संवेदनशीलता है तो किसानों के

प्रति आपका लगाव दिखना चाहिए । जब खीरी के किसान को 50 लाख जिसने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिसने आपकी सरकार नहीं बनायी और जिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने आपकी सरकार बनायी, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको कृषि मंत्री बनाया उनको 4 लाख रूपये यह छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति इनका यह रवैया है कि दिखाने का अलग और खाने का अलग । इसका जवाब खीरी की जनता ने दिया है, पंजाब की जनता ने दिया है और यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो माननीय चौबे जी अब छत्तीसगढ़ की बारी आ गयी है । आप चिंता न करें, खीरी ने जो जवाब दिया है, पंजाब की जनता ने जो जवाब दिया है छत्तीसगढ़ के किसान भी आपको वही जवाब देंगे इसलिये आप उनकी परीक्षा न लें या तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए और यदि नहीं तो जब पंजाब में आप चावल भेज सकते हैं, वहां टेंट लगाने के लिये पैसा भेज सकते हैं तो यहां भी किसानों के लिये छाया का प्रबंध करें, पानी का प्रबंध करें और भोजन का प्रबंध करें अन्यथा वे सकुशल अपने घरों तक कैसे जायें उसका समाधान करें ।

माननीय सभापति महोदय, हमने इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया है । इस स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे । हमारे पास प्रदेश के बहुत सारे तथ्य हैं । अलग-अलग जगह जहां पर घटनायें हुईं जहां पर हम लोग उनसे मिलने के लिये गये थे । हम पाटन क्षेत्र से लेकर बलरामपुर क्षेत्र तक उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिये गये लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं है और एक पता नहीं वह 4 लाख रूपये की राशि दी और उसके बाद उस वीडियो को इतना वायरल कराया गया कि मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखायी, उनके परिवार के बच्चों के साथ मिले । आखिर मंत्रालय कितनी दूर है, यदि एक मिनट उनसे मिलने के लिये चले गये होते और यदि इतनी ही सहृयता है तो उस परिवार के एक आदमी को नौकरी और 50 लाख रूपये की राशि दें तो कम से कम हम यह बोलेंगे कि आपने उन किसानों की कुछ तो मदद की है तो आज यह सहृयता माननीय मुख्यमंत्री जी और इस सरकार की दिख रही है। माननीय सभापति महोदय, आप कृपया समय दें । इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें और ग्राह्य करने के बाद चर्चा करायें । हम यहां पर सारे तथ्यों को रखेंगे इसीलिये हमने आज इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव को दिया है ।

सभापति महोदय :- आपके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है। हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं। यह सरकार अपने आपको किसानों की सरकार कहती है। इस पर तत्काल चर्चा करानी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इससे बड़ा विषय और कुछ नहीं हो सकता। किसान मर रहे हैं। अगर इस विषय पर चर्चा नहीं होगी तो किस विषय पर विधान सभा में चर्चा होगी? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी घटना। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी घटना है। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराइए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इस पर तत्काल चर्चा करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये जो भी आश्वासन दे रहे हैं, उसे भी पूरा नहीं कर रहे है। (व्यवधान) उनके लिए किसी भी तरह का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने आश्वासन दिया था कि किसानों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। (व्यवधान) इस सरकार का जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, यह किसानों का मामला है। सदन की सारी कार्यवाही को रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- किसान से बड़ा और कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। इसलिए इस स्थगन पर चर्चा कराइए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इस छत्तीसगढ़ के लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- एक किसान मरा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बेहोश हुई हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- इसे ग्राह्य कर चर्चा करायी जाये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- इस पर पुनर्विचार हो। यह किसानों की सरकार कहलाती है। अपने आपको आपने बता दिया है। यह तो किसानों का मामला है। उनके परिवारों का मामला है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इस स्थगन पर चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये उनके परिवार का मामला है। (व्यवधान) इस पर चर्चा होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस पर तत्काल घोषणा करें। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसे तत्काल ग्राह्य करें। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह किसानों का विषय है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, किसी न किसी रूप में चर्चा होगी। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

समय :

12:36 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

सभापति महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीतया तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत हूं।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। चर्चा होनी चाहिए। किसानों पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12.36 से 12.43 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.43 बजे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीया श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रही है । 'द कश्मीर फाइल' फिल्म को लोग देखने न जाएं । जहां कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, जहां जे.एन.यू. के कम्युनिस्टों ने पूरे लोगों के दिमाग को बदलने की कोशिश की । 'द कश्मीर फाइल', भारत की वास्तविक स्थिति को बता रही है । रायपुर के 3 सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगी हुई है, सरकार उनके मालिकों को बोल रही है कि इसको देखने नहीं जाना चाहिए, इसमें टिकिट नहीं देना चाहिए । वहां 10-15 टिकिट बेचकर बाहर हाऊस फुल का बोर्ड लगाया जा रहा है । यह बहुत दुर्भाग्यजनक है कि किसी फिल्म को जिसे देश के सेंसर बोर्ड ने स्वीकृत किया है, सिनेमा हॉल में लगी है । यह छत्तीसगढ़ की सरकार दर्शकों को वहां जाने से रोक रही है । हाऊस फुल के बोर्ड लगा रही है ।

सभापति महोदय :- बस आपकी बात आ गई । माननीय अरूण वोरा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति जी, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, शून्यकाल में हमें अधिकार है । यह मैं त्वरित घटना बता रहा हूं । मेरे पास में कल लगभग 100 लोगों के फोन आए कि 3 टॉकीज में फिल्म लगी है, लेकिन उसके बाद भी दर्शकों को देखने नहीं दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- आपकी कोई सूचना तो अभी तक आई नहीं है । आप सूचना दे दें, उसके बाद विचार होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देश का वह हिस्सा जहां धारा 370 समाप्त हुई, यहां पर लोगों को फिल्म नहीं देखने दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आपकी बात आ गई। नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देश का एक हिस्सा जहां पर धारा 370 समाप्त हुई, जहां पर लोगों को फिल्म नहीं देखने दिया जा रहा है। मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि..।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई बृजमोहन जी।

बृजमोहन अग्रवाल :- यहां पर चार पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। (व्यवधान) उनको जेल में डाल दिया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, यानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है। यही सरकार पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात करती थी। उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है। यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह गंभीर मामला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें गृह मंत्री जी का वक्तव्य आना चाहिये।

सभापति महोदय :- ठीक है, आपकी बात आ गयी। माननीय चंद्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हमको सिनेमा के मालिकों ने बताया है।

सभापति महोदय :- आप कहना क्या चाहते हैं, संक्षेप में कहे। मैंने आपको पुकारा चंद्राकर जी। आपकी बात आ गई बृजमोहन जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, इसमें सरकार का वक्तव्य आना चाहिये।

सभापति महोदय :- आपने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है, कोई सूचना नहीं दी। चलिए, अरूण वोरा जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़े।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह महत्वपूर्ण मामला है। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अभी शून्यकाल चल रहा है। मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपके लोग बोल नहीं है तो मैं हम क्या करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री सौरभ सिंह :- वोरा जी खड़े हो गये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि ...।

श्री सौरभ सिंह :- ध्यानाकर्षण कहां लगा रहे हो। आपकी सरकार है। आपकी सरकार है और ध्यानाकर्षण लगा रहे हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी बेठिये। नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- सभापित महोदय, कांकेर जिला के अंतर्गत पखांजूर में एक घटना घटी और ...।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण का सूचना इस प्रकार है कि लगभग अब तक 14 हजार से अधिक ...।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप बोल रहे हैं या मैं बोलूं?

श्री अरूण वोरा :- मैं ध्यानाकर्षण पर बोल रहा हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं ध्यानाकर्षण मत बोलिये।

श्री सौरभ सिंह :- भैया अंदर से दु:खी है, इतना तो तय है।

सभापति महोदय :- वोरा जी, एक मिनट।

श्री सौरभ सिंह :- आप अंदर से दु:खी है, इतना तो तय है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापित महोदय, कांकेर जिला के अंतर्गत पखांजूर में एक घटना घटी और वहां एक की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट के द्वारा उनका वारंट हुआ तो जेल भेजने के लिए पुलिस वाहन में बैठाकर उनको कांकेर लेकर आ रहे थे और वहां पर जो बड़गांव में कोटरी नदी है, उसके पुल के ऊपर में जो पुलिस वाहन आ रही थी, वह सामने से आ रही गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद में सुमित्रा आंचला, रामसाय आंचला, सोम जी किड़याम की मृत्यु उस गाड़ी के धक्का मारने के कारण से हुई है और यह पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवारों को 50-50 लाख रूपये और उनके परिवार को नौकरियां दिया जाय।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी।

श्री धरम लाल कौशिक :- क्योंकि यह जो सरकारी वाहन है और पुलिस की गाड़ी से उनकी मृत्यु हुई है तो इसमें ...।

सभापति महोदय :- देखिये, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है और इसलिए हम इस पर मांग करते हैं कि ध्यानाकर्षण को हमारा ले लिया जाए और निर्देशित किया जाय कि उस परिवार को 50 लाख और नौकरी दी जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले मैं आपसे से एक छोटा-सा ...।

सभापति महोदय :- गाड़ी बहुत आगे निकल गई है भाई। माननीय सभापति जी (व्यवधान) बारे में बोल दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे एक प्रार्थना कर लेता हूं। पहले मैं विशेषाधिकार में बात करूंगा, उसके बाद प्वाइंट ऑफ आर्डर है, मुझे बैठाइयेगा मत। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सड़कों के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। एक नवंबर, 2000 को छत्तीसगढ़ बनने के बाद माननीय रविन्द्र चौबे जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस सदन की जितनी अवमानना हो रही है, वह कम है। (शेम-शेम की आवाज) उस दिन जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हैं, आसंदी ने व्यवस्था दी, संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित किया, अनुपस्थित रहे और किसी को अधिकृत भी नहीं किया। इससे मेरी विधाई अधिकार का हनन हुआ है। (शेम-शेम की आवाज) और कोई भी व्यवस्था के बाद सरकार की ओर से आपको कहा गया कि इस बारे में व्यवस्था आया है कि आप इस बात को मंत्रियों को बताये, उसके बाद भी सदन शुरू होने के समय या शून्यकाल में भी इस बात में चर्चा नहीं हुई। इससे मेरी विधायी कार्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। 20 साल में ऐसी घटना नहीं घटी है और न ही सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें चर्चा हो और इसमें आपकी व्यवस्था आए।

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष के विचार होगी आपकी सूचना।

श्री अजय चंद्राकर :- अब मैं आपको दूसरी व्यवस्था का प्रश्न बता देता हूं। आज के कार्य सूची में ध्यानाकर्षण के बाद तीन विभाग में चर्चा है। मैं 11 बजे जब सदन के अंदर आया तब तक धर्मस्व विभाग का प्रतिवेदन नहीं बटा था, एक और दूसरी आज पर्यावरण विभाग और जो विधि-विधाई विभाग के प्रतिवेदन आज ही बंटे हैं। अब आप यह बताये कि इसमें व्यवस्था दें कि इसमें चर्चा कैसे होगी? हम जब अंदर आये तब तक हमको धर्मस्व विभाग का मिला नहीं था और विधि-विधाई और बोला न आपको, आवास, पर्यावरण का आज बंटा है और चर्चा दोनों की प्रिंटेड हैं। विधानसभा को यह किस तरह से ले रहे हैं? विधानसभा की क्या गरिमा है? न मंत्री का समझ है न अधिकारी को समझ है। आप इसमें तत्काल व्यवस्था दीजिए, क्योंकि अब चर्चा इसके बाद शुरू करेंगे।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- यह चर्चा को आगे के लिए बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी को पूरी समझ है, अधिकारियों को पूरी समझ है। प्रशासकीय प्रतिवेदन शनिवार 12-13 तारीख को वितरित किये जा चुके हैं। माननीय अरूण वोरा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं न, अभी डाले होंगे। आज डाले हैं आज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, यह गंभीर मामला है।

सभापति महोदय :- माननीय अरूण वोरा जी, आप अपनी सूचना पढ़ें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज बंट है। मैं यही कह रहा हूं कि आज बंटा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, आपका आज बंटा है। आप उध-उधर मत कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, शून्यकाल में...।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- मैं पहले पढ़ चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे पास भी है लेकिन वह आज बंटा है। धर्मस्व का 11 बजे तक बचा था, मैं गया था, तब तक बंटा है।

सभापति महोदय :- शनिवार को वितरि हो चुका है। 12/03/2022 को वितरित किया जा चुका है। माननीय अरूण वोरा जी। माननीय सदस्य के पास हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह तो हमारा अधिकार है।

सभापति महोदय :- सदन को संचालन करने में सहयोग करें। माननीय अरूण वोरा जी।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारी बात सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- जो मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं वह कार्यवाही का विषय नहीं बन सकता। जो मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं वह कार्यवाही में न लिया जाए। चलिये, अरूण वोरा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX][6]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX]

श्री सौरभ सिंह :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- आप गलत बोल रहे हैं। शुक्रवार को पूरा पढ़ चुका हूं। यह लोग झूठ बोल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार...।

श्री मोहन मरकाम :- हमको शुक्रवार को मिल चुका है। यह झूठ बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बोलना शुरू कर दीजिए। चलिये, आप बोलिये न। रिकॉर्ड में आएगा। जो मेरी अनुमति के बिना बोलेगा, वह रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

श्री मोहन मरकाम :- यह झूठ बोल रहे हैं। इनको सिर्फ झूठ बोलने आता है। यह क्या तरीका है ?

श्री अमरजीत भगत :- वह केवल तारीफ करने के लिए बोलते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा (रायपुर उत्तर) :- माननीय सभापति महोदय, यह व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

श्री अरूण वोरा :- यह कोई बोलने का तरीका है ? क्या सीखेंगे आने वाले ?

एक माननीय सदस्य :- ये होता कौन है ?

सभापति महोदय :- 12/03/2022 को वितरित किया जा चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे गलत कहा गया। आज बंटा है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- जब 12 तारीख से बंट चुका है।

श्रीमती संगीता सिन्हा संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मिल चुका है।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- 12 तारीख को बंट चुका है तो आपसे कोई दुश्मनी है कि आपको आज दे रहे हैं। आसंदी की तरफ से कहा जा रहा है। क्या आसंदी झूठ बोल रही है ? जब आसंदी से बार-बार कहा जा रहा है कि 12 तारीख को बंट चुका है आप आसंदी की बात को नहीं मान रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- इनके बोलने का संयोग यही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस व्यवस्था के प्रश्न पर आसंदी की तरफ से

[6] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

व्यवस्था आएगी। माननीय मोहन मरकाम जी खड़े हो गये और बोल रहे हैं कि वह गलत बोल रहे हैं। क्या व्यवस्था का जवाब वह देंगे। वह व्यवस्था देंगे।

सभापति महोदय :- व्यवस्था का नहीं, उन्होंने...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसी सदस्य को गलत कहना, यह उनका काम नहीं है। यह काम आपका है कि व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर में आप जवाब देते हैं। उसके ऊपर आप व्यवस्था देते हैं और माननीय सदस्य ने जो धर्मस्व विभाग का अभी चर्चा होने वाली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कौन होते हैं मुझे गलत कहने वाले।

श्री कुलदीप जुनेजा :- यह जवाब दे रहे हैं तो...। वह डायरेक्ट कैसे करते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय अरूण वोरा जी।

श्री अमरजीत भगत :- कोई भी सदस्य डायरेक्ट उनको नहीं धमका सकता है। नहीं बोल सकता है। बात करना है तो आसंदी के...। वह संसदीय सचिव हैं इनका सलीका मालूम नहीं है।

सभापति महोदय :- आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी ने कुछ कहा, उसको आप विलोपित कर दें, उनको आप प्रताड़ित करें की व्यवस्था के प्रश्न का जवाब सभापति देंगे या चेयर देगा । कांग्रेस के कोई माननीय सदस्य जवाब नहीं देंगे । उनको प्रताडित करें, उनको व्यवस्थित कर दें ।

सभापति महोदय :- चलिए, ठीक है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे गाली भी बक रहे हैं तो उसको भी सुनना है आपके हिसाब से । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिए, भविष्य में ख्याल रखेंगे । कोई भी माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य को सीधे जवाब नहीं दें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मोहन मरकाम जी ने कहा, उसको विलोपित कर दें।

श्री मोहन मरकाम :- ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयान देंगे । (व्यवधान) अगर विपक्ष के सदस्य कुछ बोलेंगे तो हम उसका जवाब देंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, मोहन मरकाम जी ने जो शब्द बोला है, उसको विलोपित कर दीजिए न ।

सभापति महोदय :- कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बड़ा इश्यू कैसे नहीं है । ये गलत बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मैंने बताया है कि कोई माननीय सदस्य सीधे जवाब नहीं देगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मोहन मरकाम जी ने जो कहा है, उसको विलोपित कर दें और उनको प्रताड़ित करिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय:- शर्मा जी, बैठिए । हो गया । अरूण वोरा जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे ।

समय :

12:56 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) प्रदेश में कोरोना से मृतकों के परिवारों को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया जाना</u>.

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश में कोरोना से लगभग अब तक 14 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन पिछले 5 महीने से 2 हजार से अधिक परिवारों को मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हुई है । कोरोना से मृतकों के परिवारों को 50 हजार रूपए से अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है । प्रदेश के रायपुर जिले में लगभग 37 सौ लोगों ने कोरोना मुआवजा के लिए आवेदन किया । इनमें से 32 सौ से अधिक लोगों को भुगतान किया गया है । यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों की है, जहां कोरोना से मुआवजा लेना लंबित है । प्रदेश में लगभग 18 हजार से अधिक लोगों ने कोरोना से मुआवजा के लिए आवेदन किया । 16 हजार से अधिक परिवारों को 80 करोड़ का भुगतान किया गया है, किन्तु अभी भी 2 हजार से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिन्हें मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने के कारण परिजन आक्रोशित हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि पिछले पांच महीनों से कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता नहीं दी गई है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रित/परिजनों को रूपये 50,000.00 प्रति व्यक्ति के मान से अनुदान सहायता दिए जाने के निर्देश हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि रायपुर जिले में लगभग 3700 लोगों ने कोरोना मुआवजा के लिए आवेदन किया है । इसमें से 3200 से अधिक लोगों को भुगतान किया गया है। रायपुर जिले में 3408 प्राप्त पात्र आवेदनों में से 3288 आवेदकों को रूपये 16,44,00,000.00 (सोलह करोड़, चवालीस लाख मात्र) का भुगतान कर दिया गया है । 120 आवेदन लंबित हैं, जिसकी परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर तत्काल भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी ।

यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में लगभग 18,000 से अधिक लोगों ने कोरोना से मुआवजा के लिए आवेदन किया । 16,000 से अधिक परिवारों को 80 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया, किन्तु

अभी भी 2000 से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिन्हें मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों से अनुदान सहायता हेतु प्राप्त 20587 आवेदनों में से 19914 व्यक्तियों को रूपए 50,000.00 के मान से कुल रूपये 99,57,00,000.00 (निन्यानबे करोड़ सत्तावन लाख मात्र) अनुदान सहायता का भुगतान कर दिया गया है तथा 673 आवेदन लंबित हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है एवं पात्र पाये जाने पर तत्काल अनुग्रह राशि का भुगतान करने की कार्यवाही की जावेगी । प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित परीक्षण एवं अनुग्रह राशि का भुगतान होने के कारण कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण के उत्तर में आपने कहा है कि 673 आवेदन लंबित हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका निराकरण कब तक किया जाएगा और प्रदेश में किन-किन जिले में कितने लोगों को कोरोना राशि का मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने रायपुर जिले के बारे में पूछा है, वह जानकारी मैंने पहले ही दे दी है । मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 673 आवेदनों पर भुगतान किया जाना शेष है, यह प्रक्रियाधीन है । जैसे-जैसे आवेदन मिलता है, हर तरीके से उसकी मुनादी भी कराई गई है । उसमें किसी प्रकार से विलंब होने का कोई चांस नहीं है ।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनका भुगतान कब तक किया जाएगा ? जैसा कि केन्द्र सरकार ने अगस्त-सितम्बर, 2021 में कोरोना से मृतकों को 50 हजार रूपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसे लोगों को अभी तक मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। यदि आप जिलेवार कहेंगे तो मैं हर जिले का बता सकता हूं या आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, जैसा आप बोले।

श्री अरूण वोरा :- दुर्ग ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- दुर्ग में कोई बाकी नहीं है। दुर्ग में 3 हजार आवेदन आये थे।

श्री अरूण वोरा :- दुर्ग कितने बाकी हैं ? कितने आवेदन आये थे और कितने लंबित हैं ? क्योंकि बहुत से लोगों को मुआवजा के लिए अपात्र किया जा रहा है और आज पात्र लोगों में भटकाव की स्थिति है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, दुर्ग जिले में 3 हजार आवेदन आये थे और पूरे 3 हजार आवेदकों को भुगतान कर दिया गया है। अगर इसके बाद भी आपके संज्ञान में कोई है, तो मुझे जानकारी दे दें।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 हजार से ऊपर ..।

सभापति महोदय :- कोर की बात हो, अलग से बता दें। माननीय पांडे जी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 हजार से अधिक आवेदन आये थे, उसमें से 3 हजार आवेदकों को भुगतान किया गया है। शेष 6 हजार आवेदकों को कब भुगतान किया जायेगा। उनको यह बताया जा रहा है कि आपका आवेदन अपात्र है तो किन कारणों से अपात्र हो रहा है?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सभापति महोदय, मेरी जानकारी में 3 हजार आवेदन थे। अगर उसके बाद भी बता रहे हैं कि उससे ज्यादा आवेदन आये हैं, तो मैं पता कर लेता हूं। उसका परीक्षण करा लेंगे और किसी का भी कोई भुगतान शेष नहीं रहेगा।

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिसे माननीय अरूण वोरा जी ने उठाया है। मेरे जिले में, शहर में इस तरह की समस्या है। बहुत सारे लोगों की कोराना से जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको प्रमाण-पत्र हार्ट अटेक से मर गया, का मिला। कोरोना से मरा, कोरोना की बीमारी थी, लेकिन उसको 15 दिन 20-25 दिन बाद हार्ट अटेक आया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटेक आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके परिजन की मृत्यु हुई है, लेकिन वे मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जाते हैं तो वहां पर परेशानी आती है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं और मांग भी करता हूं कि पूरे प्रदेश में कोरोना से जितनी भी मृत्यु हुई है, हर जिले में उन सभी को बराबर बांट दिया जाये। क्योंकि उन लोग बार-बार प्रमाण-पत्र मांगने के लिए सी.एम.एच.ओ. कार्यालय जायेंगे। अगर किसी की निजी अस्पताल में मृत्यु हुई है तो वह निजी अस्पताल में जायेंगे। इस तरह लोगों को भटकना पड़ रहा है। यह एक गंभीर समस्या है और पूरे प्रदेश की जनता परेशान हो सकती है, हर जिले में समस्या होगी। मेरे जिले में भी समस्या है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा ली जाये और जांच कर जल्दी से निरकरण किया जाये और लोगों को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिल सके।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच की बात ही नहीं है। जो आवेदन आये हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत जो-जो पात्र हैं, उनको 50 हजार रूपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। आपके बिलासपुर जिले में 1,714 आवेदन आये। उसमें से 1,599 आवेदकों को भुगतान किया गया है, सिर्फ 115 बचे हुए हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, यह समस्या सिर्फ बिलासपुर जिले का नहीं है, यह पूरे प्रदेश में समस्या है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई, इस पर एक सामान्य आदेश निकल जाये कि कोरोना प्रोटोकाल में

जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाये। कोरोना प्रोटोकाल में उसी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी। कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। कोरोना प्रोटोकाल में जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, उसको मुआवजा दिया जायेगा, एक लाईन का आदेश होगा तो सारी समस्या का निदान हो जायेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अगर किसी का कोरोना प्रोटोकाल से अंतिम संस्कार हुआ है, उसको तो विधिवत सहायता दी जा रही है, उसमें कोई बात ही नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं दी जा रही है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको 10 उदाहरण बता सकता हूं।

सभापति महोदय :- आवेदन किए हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं 10 उदाहरण बता सकता हूं जिनके आवेदन निरस्त हुए हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी को अलग से बता दीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहला आवेदन निरस्त होने की मैं आपको 10 आवेदन के बारे में बता सकता हूं, उसको नहीं माना जा रहा है।

सभापति महोदय :- आप लोगों का नाम नहीं है। शिवरतन शर्मा जी, आप अपना ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर शहर (दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, ऐसे कितने आवेदन हैं, जिनको निरस्त किया गया है। आप जरा इसकी जानकारी दे दें। हमारी जानकारी में 10 हजार से ज्यादा आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नाम बता दूंगा। यह पूरे प्रदेश की समस्या है, जो अरूण वोरा जी और शैलेश जी ने उठाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो शैलेश पांडे जी ने कहा। जिनकी पोस्ट कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, उनकी भी कोरोना से मृत्यु मानकर मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज भी लाखों ऐसे लोग हैं, जो कोरोना की बीमारी से पीड़ित हैं और जिनकी पोस्ट कोरोना के कारण मृत्यु हो रही है, जिनको हार्ट अटेक आ रहा है। तो माननीय सभापति जी, यह गंभीर मामला है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, लाखों लोग मर गये, बोल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यदि परिवार का कोई व्यक्ति मृत हो गया और उसकी मृत्यु होने के बाद अन्याय कर रहे हैं, यह तो असंवेदनशीलता की पराकाष्टा है। असंवेदनशीलता की पराकष्टा है कि वह मर गये, कोरोना से मरे हैं। उनके परिवार के लोगों ने आवेदन दिया है। माननीय मंत्री जी, आप कृपया बता दें कि ऐसे कितने आवेदन हैं, जिसको अमान्य किया गया है। क्या पोस्ट कोरोना से मरने वालो को भी, कोरोना से मृत्यु मानकर मुआवजा दिया जायेगा ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आवेदन निरस्ती के बारे में बताया गया कि 10 हजार आवेदन निरस्त किए गए हैं। हम अलग से आवेदन निरस्ती की जानकारी दिलवा देंगे। लेकिन मैं फिर से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भी आवेदन आए हैं, उसका परीक्षण किया। 20 हजार कुछ आवेदन आये, 19,900 दे दिया गया, 600 कुछ बचे हुये हैं, प्रक्रिया उसकी जारी है, परीक्षण किया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके माध्यम से एक आग्रह है ।

सभापति महोदय :- हो गया, पूरी बात हो गई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- देखिये, सर । सुन लीजिए सर, आप तो उदार व्यक्ति हैं ।

सभापति महोदय :- आपका नाम नहीं था, फिर भी मैंने अनुमति दिया । अगला ध्यानाकर्षण ।

(2) प्रदेश में मंडी टैक्स में वृद्धि की जाना ।

श्री शिवरतन शर्मा भाटापारा (भाटापारा) :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में धान के कटोरे के रूप में होती है, छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल तथा पोहा पूरे देश में विक्रय हेतु जाता है, जिसके कारण अन्य राज्यों की तुलनामें हमारे प्रदेश के किसानों को धान की कीमत ज्यादा मिलती ह, किन्तु राज्य शासन की अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय के कारण पिछले तीन माह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है । पूर्व में छत्तीसगढ़ में मंडी टैक्स 2% तथा निराश्रित शुल्क केरूप में 0.20% लिया जाता था तथा पोहा मिलों को मंडी शुल्क 1% तथा 0.20% निराश्रित शुल्क कर दिया गया है । जिसके कारण सुगंधित धान पर पूर्व की तलना में 100 रूपये व पोहा क्वालिटी के धान पर लगभग 60 से 70 रू. ज्यादा टैक्स व्यापारी को देना पड़ रहा है । व्यापारी कृषक से कृषि उपज खरीदता है तो उस पर लगने वाले टैक्स को जोड़कर खरीदता है, जिससे कृषक को उपज का मूल्य कम मिलता है अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स की राशि कृषक को ही लगती है । चुनाव के अपने वादे में सरकार ने मंडी टैक्स को 1% करने की बात की थी । किन्तु उसे सीधा सभी टैक्स मिलाकर 5.20% किये जाने से पूरे प्रदेश के किसानों व व्यापारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है ।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, यह सही है कि छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे देश में धार के कटोरे के रूप में होती है । छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल तथा पोहा पूरे देश में विक्रय हेतु जाता है । छ.ग.प्रदेश की मंडियों में विगत वर्ष 2020-21 में किसानों/विक्रेताओं का सुगंधित धान विष्णु भोग का मॉडल मूल्य दिसंबर 2020 में 3405 रू.प्रति क्विंटल, जनवरी 2021 में 3450 रू.प्रति क्विंटल एवं फरवरी 2021 में 3525 रूपये प्रति क्विंटल था, तथा वर्ष 2021-2022 में विगत तीन माह, दिसंबर 2021 में 3330 रूपये प्रति क्विंटल, जनवरी 2022 में 3560 रूपये प्रति क्विंटल, एवं फरवरी 2022 में

3551 रूपये प्रति क्विंटल रहा है । इसी तरह पोहा के उपयोग में प्रयुक्त होने वाली महामाया धान का वर्ष 2020-2021 के माह दिसंबर 2020 में 1615 रू. प्रति क्विंटल, जनवरी 2021 में 1615 रूपये प्रति क्विंटल एवं फरवरी 2021 में 1580 रूपये प्रति क्विंटल में विक्रय हुआ था तथा वर्ष 2021-2022 में विगत तीन माह, दिसंबर 2021 में 1680 रूपये प्रति क्विंटल, जनवरी 2022 में 1660 रूपये प्रति क्विंटल एवं फरवरी 2022 में 1780 रूपये प्रति क्विंटल पर विक्रय हुआ है । इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 में माह दिसंबर 2021 में धान पर 3% तथा कृषक कल्याण शुल्क 2% किये जाने के पश्चात भी किसानों को धान की कीमत अधिक प्राप्त हुई है । अत: राज्य शासन के अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय के कारण पिछले तीन माह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने संबंधी कथन सही नही है ।

यह सही है कि पूर्व में छत्तीसगढ़ में धान पर मंडी शुल्क 2% तथा निराश्रित शुल्क 0.20% लिया जाता था, तथा पोहा मिलों को धान के क्रय पर मंडी शुल्क 1 प्रतिशत तथा 0.20% निराश्रित शुल्क लगता था, किन्तु राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.12.2021 से अधिसूचित कृषि उपज धान पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत के स्थान पर 3% तथा कृषक कल्याण शुल्क 2 प्रतिशत नियत किया गया है । शेष अधिसूचित कृषि उपजों (धान को छोड़कर) पर मंडी शुल्क 1% पूर्व की भांति है, केवल कृषक कल्याण शुल्क 0.50% बढ़ाया गया है । निराश्रित शुल्क पूर्व की भांति 0.20% ही है तथा राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार नियम शुल्क का भुगतान क्रेता व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है न कि विक्रेताओं के द्वारा ।

यह कहना सही नही है कि व्यापारी, कृषक से लगने वाले टेक्स को जोड़कर खरीदता है जिसके कारण कृषकों को उपज का कम मूल्य मिलता है। मंडी अधिनियम में विहित प्रावधानों के तहत मंडी शुल्क, क्रेता व्यापारियों से उद्ग्रहित किया जाता है, विक्रेता/ कृषकों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जाता है। धान की कीमत, आवक, गुणवत्ता एवं मांग/आपूर्ति के हिसाब से कम-ज्यादा होते रहती है। राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार नियत शुल्क का भुगतान क्रेता व्यापारियों द्वारा किये जाने, कृषकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिये जाने, मण्डी शुल्क बढ़ाने तथा कृषक कल्याण शुल्क लगाने के बावजूद भी कृषकों को उनकी उपज का गत वर्ष की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त होने के कारण पूरे प्रदेश के किसानों व व्यापारियों में सरकार के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं ने स्वीकार किया है कि पोहा क्वालिटी का जो धान है वह छत्तीसगढ़ की मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में बिक रहा है। आपने लिखा है कि 2020-21 के माह दिसंबर में 1615 रुपये प्रति क्विंटल, जनवरी 2021 में 1615 रुपये प्रति क्विंटल एवं अभी का आपने दिया है, जनवरी 2022 में 1660 रुपये एवं फरवरी 2022 में 1780 रुपये प्रति क्विंटल पर विक्रय हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भाटापारा कृषि उपज मंडी में पोहा क्वालिटी का धान खरीदा जाता है और यह जो आपने भाव दिया है, यह

अधिकतम दिया है। बहुत बेस्ट क्वालिटी का वह धान है, नहीं तो महामाया का धान मिनिमम 1500 रुपये के आसपास बिका है। कुल मिलाकर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बात आपने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम मंडी शुल्क को घटाकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सभी प्रकार के अनाज में 1 प्रतिशत करेंगे। आपने उत्तर में लिख दिया कि धान को छोड़ करके बाकी में 1 प्रतिशत शुल्क लग रहा है। मेरी जहां तक जानकारी है उन्हारी में मंडी टैक्स 1 प्रतिशत नहीं 2 प्रतिशत लग रहा है। आपको गलत जानकारी दी गई है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी प्रश्न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करूंगा, ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहा हूं। पहला तो आप मेरे का यह कारण बता दीजिए कि अचानक मंडी टैक्स बढ़ाना, किसान कल्याण शुल्क लगाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है ? दूसरा प्रश्न छत्तीसगढ़ के पोहा मिल के व्यवसायियों को गुजरात के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। हमारे यहां की तुलना में गुजरात में धान सस्ता मिलता है। आपने एकदम से मंडी टैक्स जो बढ़ा दिया, सीधा-सीधा पोहा मिल में मंडी टैक्स बढ़ गया। किसान कल्याण शुल्क और मंडी शुल्क को बढ़ाकर आप जोड़ोगे तो 4 रुपये सैकड़ें का फर्क पड़ गया। तो हम कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा में गुजरात से पिछड़ेंगे। उसी प्रकार सुगंधित चावल के मामले में हमारी प्रतिस्पर्धा महाराष्ट्र से होती है। महाराष्ट्र में मंडी शुल्क 1 प्रतिशत है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्रश्न करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। झारखंड जहां आपके समर्थन में सरकार चल रही है, वह धान पर मंडी शुल्क जीरो है। बिहार में मंडी शुल्क जीरो है। मध्यप्रदेश में, उत्तरप्रदेश में मंडी शुल्क डेढ़ प्रतिशत है। यहां सीधा-सीधा आपने जो 5 रुपये 20 पैसा मंडी शुल्क कर दिया है उसके चलते किसान को नुकसान हो रहा है। सुगंधित चावल और पोहा क्वालिटी के जो मंडी के taxation हैं मैं पहला निवेदन यह करना चाहता हूं कि क्या आप इसको 1-12 के पहले की स्थिति में पूर्ववत करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने प्रश्न नहीं किया, आपसे कहा गया कि प्रश्न करिये। दूसरी बात यह है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने प्रश्न करने की बात की न। हॉ, मैने प्रश्न किया, प्रश्न को निवेदन के माध्यम से कर दिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रश्न ही मान लेते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने प्रश्न को निवेदन के माध्यम से किया। मिश्री भैया से प्रश्न कर रहा हूं तो मैं चिल्लाकर तो प्रश्न कर नहीं सकता इसलिए निवेदन के माध्यम से प्रश्न किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको उतना ही मीठा उत्तर दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :-इसीलिए मैंने मीठा प्रश्न किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, पूरे देश में 3 नये कृषि कानून जो आये थे, मंडियों के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था, हालांकि किसानों के दबाव से उसको वापिस ले लिया गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहली बात तो यह आपकी गलतफहमी है कि मंडी के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- दूसरा आपने कहा कि minimum support price से कम बिक रहा है। कभी-कभी एकात चिट्ठी उधर भी लिख दिया करें। देश के किसान हिन्दुस्तान की सरकार से उसी की तो मांग कर रहे हैं की पूरे हिन्दुस्तान में minimum support price से धान कम में क्यों बिक रहा है ? गुजरात में, उत्तरप्रदेश में 1 हजार रूपये में धान बिक रहा है, वह स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। तीसरी बात, आपने खुद स्वीकार किया कि मंडी में टैक्स में इजाफा होने के बाद भी भाटापारा की मंडी की कीमत इसमें बताया गया है, जानकारी वहीं से मंगाई गयी है, आप मेरे से ज्यादा भिज्ञ है। वास्तविक कीमत है कि टेक्स लगने के बाद भी उसका विस्तार हुआ है और चौथी बात, आपने कहा कि हम लोग इसमें विचार कर रहे हैं, यह जो आपने पोहा के बारे में कहा कि गुजरात से प्रतिस्पर्धा है, उसको पुन: पूर्व की स्थिति में लाने के लिये हमारे द्वारा निर्देश जारी किया जा चुका है। आपने सुगंधित धान के बारे में कहा है कि सुगंधित धान की किस्में और आपके भाटापारा सहित और मंडियों में उसकी कितनी आवक होती है, उसमें शासन को क्या वित्तीय भार आ सकता है , उसको देख के उसके ऊपर विचार किया जायेगा।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो तीन कृषि कानून आये, उसके चलते मंडी के अस्तितव पर संकट पैदा हो गया।

श्री कवासी लखमा :- इसीलिये तो वापस लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वापस किये हैं तो उसके कारण भी बताये गये हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, चलिये कृषि बजट पर ही बोल लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- (व्यवधान) में तो फर्क नहीं पड़ा। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि मंडी टेक्स व्यापारी देता है , उससे किसान की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई भी व्यापारी मंडी से अनाज खरीदता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि इसमें कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स की लागत को वह जोड़ता है कि टैक्स देने के बाद मुझे बचत होगी कि नहीं। तो कुल मिला कर प्रत्यक्ष रूप से मंडी टैक्स की वसूली किसान से ही होती है भले उसका भुगतान व्यापारी करें। क्योंकि व्यापारी टैक्स को काट करके उतनी कम कीमत पर किसान से अनाज खरीदता है तो अप्रत्यक्ष रूप से भरपाई किसान ही करता है और आप जो बोल रहे हैं कि भाटापारा मंडी में पिछले वर्ष

और इस वर्ष का भाव समान है। अगर यह मंडी टैक्स नहीं होता तो भाटापारा मंडी में पोहा क्वालिटी का धान 60-70 रूपये क्विंटल से जयादा में (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्रश्न करिये। कृषि बजट में बोल लेना, और भी लोग हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इतनी क्या जल्दी है।

सभापति महोदय :- तो आप प्रश्न तो करते नहीं है भाषण दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न कर लेता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने पोहा मिल के पूर्ववत् टेक्सेसन के लिये निर्देश जारी कर दिये हैं, और आपने सुगंधित धान के लिये विचार करने की बात कही है। क्या इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे कि हम इतने दिन में इसमें कोई निर्देश जारी कर देंगे ? आप कोई समय-सीमा बता दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, हमारे छत्तीसगढ़ में धान प्रमुख फसल है। हम लोग जो कुल खरीदी करते हैं, उसका मुश्किल से 7-8 प्रतिशत कुल धान की खरीदी मण्डियों से होती है। लगभग 92 प्रतिशत धान, जो हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राईज में प्राईमरी सोसाईटी के माध्यम से करते हैं उसमें हो जाता है। टैक्स कहां से आना है, वह आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं, तो मैक्सिमम पैसा तो वहीं से आना है। लेकिन यह जो आपने कहा कि पोहा के लिये उपयोगी धान के लिये, उसमें हमने तो निर्देश जारी किया है, आपने सुगंधित धान के बारे में कहा, तो मैंने कहा कि सरकार विचार करेगी और बहुत जल्दी बहुत शीघ्र।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई समय-सीमा बता दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- शीघ्र कह दिया, अब उसको आप समझ जाईये।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार के शीघ्र को सब समझते हैं। आप महीना, 15 दिन कोई समय तो बता दें।

सभापति महोदय :- शीघ्रातिशीघ्र बता दिया मंत्री जी ने।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, इस शीघ्रातिशीघ्र को आप भी समझते हैं कि सरकार का शीघ्रातिशीघ्र कितना होता है।

सभापति महोदय :- बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, शीघ्रातिशीघ्र में कोई समय बता दे कि 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीना। कोई समय-सीमा निर्धारित कर दें, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने कह दिया तो विश्वास करिये, बहुत जल्दी।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, चलिये हो गया, अब बात नहीं कर सकते। श्री प्रमोद शर्मा जी, बोलिये आपको बोलने का मौका मिल रहा है। शर्मा जी, बैठिये आपकी बात समाप्त हो गयी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पिछले साल का शीघ्रातिशीघ्र एक साल में पूरा नहीं हुआ है। (व्यवधान) मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि समय-सीमा बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हमारा लगभग 25 प्रतिशत धान मंडियों में बिकता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप 8 प्रतिशत क्यों बोल रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप रिकॉर्ड निकाल लें। नहीं, मैं सिर्फ पोहे का नहीं बोल रहा हूं। पूरे प्रदेश में लगभग 25 प्रतिशत धान मंडियों में बिकता है। आपके यह 5 प्रतिशत, 5.25 प्रतिशत टैक्स कर दिये जाने के कारण, किसानों को 1200, 1300 और 1400 रूपये में धान बेचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। हमें मालूम है कि आपने केंद्र सरकार से वसूली के लिये इसको 5 प्रतिशत किया है। जो छत्तीसगढ़ के किसान मण्डियों में बेचते हैं, जो पोहे के लिए खरीदा जाता है जो सुगंधित धान होता है आप उसका टैक्स कम से कम समाप्त कर दें या कम कर दें, पूर्व में भी हमारी सरकार के समय में भी पोहे और सुगंधित धान के ऊपर टैक्स कम था।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय बृजमोहन जी, आपकी बात आ गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :-नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमारे छत्तीसगढ़ के 25 प्रतिशत किसान अपना धान मण्डियों में बेचते हैं और उनके ऊपर 5 प्रतिशत मण्डी टैक्स लगेगा। वह रबी का धान भी बेचते हैं, खरीफ का धान भी बेचते हैं तो यह किसानों का शोषण है, यह किसानों की सरकार बनती है। अगर यह किसानों की सरकार है। केन्द्र का पैसा भी छत्तीसगढ़, जनता का पैसा है। आपने केन्द्र से वसूली के लिए, 5 प्रतिशत कर दिया। बड़े शर्मनाक तरीके से बिल्कुल कोई नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है कि क्या केन्द्र का पैसा इस देश का पैसा नहीं है? यह छत्तीसगढ़ का पैसा नहीं है ?

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आपकी बात आ गई। अब हो गया। देखिए, एक तो आपका नाम नहीं है। श्री प्रमोद शर्मा जी अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप पढ़िये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप समय-सीमा बता दें? आप एक महीने, दो महीने की समय-सीमा बता दीजिये? शीघ्रताशीघ्र की कोई परिभाषा नहीं होती। मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि आप शीघ्रताशीघ्र की कोई समय-सीमा निर्धारित कर दें। यह किसानों का मामला है।

श्री अमितेष शुक्ल :- आप किसानों की बात कह रहे हैं, एक साल किसानों का आन्दोलन चला। आपको उस समय अफसोस नहीं हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह किसानों का मामला है।

सभापति महोदय :- अब सारी बातें आ गईं। आप बजट में बोल लीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप समय-सीमा बता दें ? माननीय मंत्री जी, बजट में जवाब नहीं आता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप समय-सीमा बता दें ? बजट में जवाब नहीं आता है।

सभापति महोदय :- जवाब आएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप कोई समय-सीमा बता दें ?

सभापति महोदय :- देखिए, आप माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते। शिवरतन शर्मा जी आप बैठिए। माननीय शर्मा जी, यह उचित नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, हम बाध्य नहीं कर सकते तो आग्रह तो कर सकते हैं और मैं आग्रह कर रहा हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, यह उचित नहीं है। आप बैठिए। यह ठीक नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, आप कोई समय-सीमा बता दें ?

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व के शासन में भी इस बात का रहा है कि जो दलहन, तिलहन प्रोसेसिंग के लिए बाहर से आता है।

सभापति महोदय :- माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी, अगर आप ध्यानाकर्षण नहीं पढ़ते तो मैं आगे बढ़ता हूँ।(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी 3 साल में किसानों को समस्या आ रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को दलहन महंगा मिल रहा है, तिलहन महंगा मिल रहा है। हर वर्ष यह ऑर्डर जारी होता है, परन्तु इस शासन में एक साल के बाद भी ऑर्डर जारी नहीं किया है और छत्तीसगढ़ की सरकार को लगातार, इसके कारण बोझ आता है। अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को सुगंधित चावल के प्रति प्रमोट करना है तो बहुत अन्तर नहीं पड़ता है। केन्द्र की सरकार पैसा ..।

सभापति महोदय :- आप भाषण मत दीजिए। (व्यवधान) आप बैठिए। माननीय शर्मा जी, आप नहीं पढ़ते तो मैं आगे बढ़ता हूँ। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रमोद जी बैठ जाएं। माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि हर साल जारी होता है, यह पम्परा अनुसार हो रहा है। यह पहले से ही चला आ रहा है वैसी जारी हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आपने कहा तो मैंने शीघ्र कहा। अब सदन का मत है और हम लोग भी चाहते हैं कि व्यवसाय बढ़े, हम इसी वित्तीय वर्ष में आदेश जारी कर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्।

(3) न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र (ईमामी) द्वारा माईन्स का विस्तार किये जाने से जनजीवन प्रभावित होना।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में बलौदाबाजार से 5 किलोमीटर दूर ग्राम रिसदा में स्थित न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र (ईमामी) के माईन्स के विस्तार हेतु दिनांक 16 फरवरी 2022 को एक जनसुनवाई का आयोजन संयंत्र प्रबंधन की मांग पर जिला प्रशासन बलौदाबाजार द्वारा ग्राम ढनढनी में आयोजन किया गया था। इस संयंत्र के विस्तार का विरोध स्थानीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस संयंत्र से लगा हुआ बलौदाबाजार शहर है, पश्चिम दिशा में वन विभाग का आरक्षित क्षेत्र है। जहां अनेक वन्य जीव रहते हैं। उत्तर दिशा की ओर कुकुरदी जलाशय है, जिससे हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई होती है, उक्त जनसुनवाई में क्षेत्रीय विधायक क्षेत्रवासियों के सुझावों के आधार पर अपना अभिमत रखने उपस्थित हुए, किन्तु संयंत्र प्रबंधन ने जिला प्रशासन के सहयोग से अपने संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करने के उद्देश्य से स्थानीय विधायक एवं क्षेत्र के नागरिकों एवं सहयोगी जनप्रतिनिधियों को जनसुनवाई स्थल जाने से न केवल रोका गया, बल्कि संयंत्र के ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर से संयंत्र के विस्तार की सहमति बताकर संयंत्र के विस्तार किये जाने का निर्णय विधिविरूद्ध पारित भी किया। इस संयंत्र का किसी भी दिशा में विस्तार किये जाने से बलौदाबाजार शहर में जल संकट भी उत्पन्न होगा एवं शहर के पर्यावरण पर एवं खनिज नियमों के प्रावधानों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। संयंत्र द्वारा विधि विरूद्ध संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव पारित किये जाने के संबंध में क्षेत्र के नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन कर उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई, किन्तु इस प्रस्ताव को निरस्त करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्र की जनभावना के विपरीत संयंत्र के विस्तार से क्षेत्र की जनता में शासन प्रशासन के विरूद्ध भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.09.2006 को जारी ई.आई.ए. अधिसूचना (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स एनयू विस्टा लिमिटेड, ग्राम-रिसदा एवं कुकुरडीह, तहसील व जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) द्वारा खदान के क्षमता विस्तार के तहत लाइम स्टोन माइन क्षमता- 5.50 मिलियन टन/वर्ष रन ऑफ माइन (आरओएम) से 9.0 मिलियन टन/वर्ष रन ऑफ माइन (आरओएम) एवं अन्य कार्यकलापों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत लोक सुनवाई तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा अंतर्गत ग्राम-ढनढनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सामने शासकीय भूमि पर दिनांक 16.02.2022 को संपन्न हुई। यह लाइम स्टोन माइन पूर्व से संचालित है। खदान प्रबंधन के द्वारा लीज एरिया में विस्तार नहीं किया जा रहा है। खदान प्रबंधन के द्वारा वन जीवों के संरक्षण के लिए मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छ.ग. शासन से वन्य प्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन दिनांक 18.09.2020 को प्राप्त किया गया है। खदान के क्रियाकलापों से कुकुरडीह जलाशय अप्रभावित है। लोक सुनवाई की सूचना का प्रकाशन नियमानुसार 30 दिन पूर्व राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को सूचना प्रेषित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित इच्छुक व्यक्तियों के मौखिक सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियों को अभिलेखित किया गया। उक्त कार्यवाही विवरण में श्री प्रमोद शर्मा माननीय विधायक बलौदाबाजार के विचार भी अभिलेखित किये गए। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्तार परियोजना के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने से नहीं रोका गया। अत: यह कहना सही नहीं है कि उक्त जन सुनवाई में संयंत्र प्रबंधन ने जिला प्रशासन के सहयोग से अपने संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए स्थानीय विधायक, क्षेत्र के नागरिकों एवं सहयोगी जनप्रतिनिधियों के सुझावों एवं अभिमत रखने हेतु जन सुनवाई स्थल जाने से रोका गया। लोक सुनवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये, जिसे अभिलेखित किया गया है। साथ ही लोक सुनवाई के पूर्व एवं दौरान में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गयी। लोक सुनवाई के दस्तावेज मूलत: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने के उपरांत खदान के प्रस्तावित क्षमता विस्तार के संबंध में निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लिया जाएगा। इस प्रकार खदान के प्रस्तावित क्षमता विस्तार बाबत निर्णय होना शेष है। अत: यह कहना सही नहीं है कि संयंत्र के ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर से संयंत्र के विस्तार की सहमति बताकर संयंत्र के विस्तार किये जाने का निर्णय विधि विरूद्ध पारित भी किया गया। यह लाइम स्टोन खदान पूर्व से संचालित है, खदान के लीज एरिया

में विस्तार नहीं किया जा रहा है। अत: यह कहना सही नहीं है कि इस संयंत्र की किसी भी दिशा में विस्तार किये जाने से बलौदाबाजार शहर में जल संकट भी उत्पन्न होगा एवं शहर के पर्यावरण पर एवं खनिज नियमों के प्रावधानों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खदान के क्षमता विस्तार के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण एवं लिखित में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को निर्णय हेतु मूलत: संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित कर दिए जाते हैं। अत: यह कहना सही नहीं है कि संयंत्र द्वारा विधि विरूद्ध संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव पारित किये जाने के संबंध में क्षेत्र के नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन कर उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गयी, किन्तु इस प्रस्ताव को निरस्त करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्षेत्र की जनभावना के विपरीत संयंत्र के विस्तार से क्षेत्र की जनता में शासन प्रशासन के विरूद्ध भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने जैसी स्थिति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं इसमें क्या प्रश्न करूं ? इसमें अधिकारियों ने जैसा लिखकर दिया वैसा ही माननीय मंत्री महोदय ने पढ़ दिया जबकि उसमें जिन्होंने भी पक्ष में बोला है वे उस प्लांट के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं । पहली बात यह कि केवल 8-10 लोगों को ही बोलने दिया गया, जिसमें उनका ठेका चलता है, वे रजिस्टर्ड ठेकेदार थे । दूसरी बात यह कि कोरोनाकाल के समय धारा-144 लगी हुई थी, उस समय धारा-144 हटी ही नहीं थी और उसके बाद अभी यह बोल देना कि वहां पर बगल में जलाशय है, बगल में जंगल है और चूंकि धारा-144 लागू हुई थी । वहां से थोड़ी ही दूर में, ज्यादा नहीं थोड़ी ही दूर में जहां पर जंगल है, जहां पर हिरण, सुअर तथा और एक-दो प्रकार के जानवर हैं । इसमें सीधे-सीधे झूठा पुलिंदा डाल दिया गया है, वहां पर बगल में कुकुरदीह का जलाशय है । अगर कुकुरदीह जलाशय से खदान का विस्तार होता है तो वह जलाशय सूख जायेगा और फिर गांव वालों की सिंचाई कैसे होगी ? चूंकि उसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा कि समर्थन में बोलने वाले कितने लोग थे ? समर्थन में बोलने वाले केवल 8 से 10 लोग थे, वे भी वहां के रजिस्टर्ड ठेकेदार थे और 11.30 बजे जनसुनवाई का चालू होना, चूंकि आधे घंटे तक विरोध के कारण जनसुनवाई चालू नहीं हुई उसके बाद 11.30 बजे हम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद आधे घंटे में इन ठेकेदारों को बोलवाकर केवल आधे घंटे के अंदर ही जनसुनवाई को खत्म कर दिया गया । आखिर जनसुनवाई को 4.30 बजे तक क्यों नहीं चलाया गया ?

सभापति महोदय :- शर्मा जी, आप प्रश्न करें ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं क्या प्रश्न करूं ? आप यह बता दीजिये कि कितने में सेटिंग हुआ है ? अब एक ही तो प्रश्न बनता है कि सरकार ने कितने में सेटिंग की है इसको बता दीजिये, अब तो कुछ बचता ही नहीं है । इसमें पूरा झूठ का पुलिंदा डाल दिया गया है तो इसमें और क्या प्रश्न रहेगा? सीधे मुकर गये । माननीय सभापति महोदय, अगर ऐसा कुछ प्रश्न होता

होगा तो अब मेरा एक ही प्रश्न है कि सरकार ने जनसुनवाई पास करने के लिये कितने रूपये में सेटिंग की ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, वे जो जानना चाह रहे हैं, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं । सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना प्रोटोकाल का पूरा पालन किया गया है और दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में यह कहा कि वहां प्रस्ताव पारित कर लिया गया तो प्रस्ताव पारित करने का कोई नियम नहीं है । अब मैं नियम की जानकारी दे देता हूं, वहां जब जनसुनवाई होती है तो एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में या कलेक्टर जिसको नियुक्त करें । पर्यावरण विभाग की तरफ से जो आर.ओ. होते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी वे केवल उपस्थित रहते हैं । अब जनसुनवाई के दौरान जो लोग भी आयेंगे और जो अपनी बात रखेंगे तो संबंधित उद्योग उसके प्रतिनिधि उसका जवाब देते हैं, वहां पर निर्णय कुछ नहीं होता है । वहां पर जो मांग की जायेगी, बातें रखी जायेगी, रिकॉर्ड होगा, जो उत्तर आयेगा उसका भी रिकॉर्ड होगा । आडियो-वीडियो दोनों बनने के बाद वह पूरा का पूरा भारत सरकार को भेज दिया जाता है, निर्णय कुछ नहीं होता ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन था कि जो जनसुनवाई नियम के विरूद्ध हुई है उसको शून्य करके फिर से करा दें या फिर एक-बार जांच कर लें । अब प्रस्ताव को बनाकर पर्यावरण विभाग से भेजने के लिये निवेदन करें कि वहां से मत भेजें, एक-बार फिर से करा लें । उसको शून्य करके या तो फिर जांच करा लें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, पूरा उल्लंघन हुआ है । नियमों का उल्लंघन हुआ है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- चलिये, सौरभ जी एक प्रश्न कर लें ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि चूंकि कोरोनाकाल था और धारा-144 लगी थी तो जनसुनवाई की प्रक्रिया क्यों की गयी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार गृहमंत्रालय के आदेश दिनांक-30.09.2020 के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अधिकतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति सुरक्षा मापदंडों तथा सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क पहनने के आधार पर ही अनुमति दी गयी थी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वहां 600 तो पुलिसवाले थे । (व्यवधान) आप 100 लोगों की उपस्थिति बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- श्री आशीष कुमार छाबड़ा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वहां पर 600 पुलिसवाले थे । वहां पर कौन सा पालन हुआ है ? धारा-144 लागू थी और वहां पर 600 पुलिसवाले थे। इसका पूरा-पूरा उल्लंघन हुआ है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, क्या आप पर भी चंद्राकर जी का असर आ गया है ? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोरोना काल में नया प्लांट विस्तार करने के लिये जनसुनवाई आखिर इस प्लांट को क्यों अनुग्रहित करने के लिये कलेक्टर महोदय जनसुनवाई करा रहे हैं? एक महीने या डेढ़ महीने बाद करते, यही माननीय विधायक जी का मूल प्रश्न है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आप वीडियोग्राफी देख लीजिये । आप जो 100 लोग बोल रहे हैं तो पुलिसवाले ही 100 से ज्यादा थे और बाकी लोगों को आप जोड़ लीजिये । वहां पर 2000 से 3000 लोग थे तो फिर धारा-144 कैसे लागू हुई ? जब वहां पर धारा-144 लागू है तो फिर जनसुनवाई कैसे संपन्न हुई ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, जो पूरी कार्यवाही हुई है, वह नियमानुसार हुई है।

सभापति महोदय :- चलिए, आशीष छाबड़ा जी। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं और जांच की मांग करता हूं कि इसे शून्य किया जाये और इसमें एक एस.आई.टी. गठित की जाये और कितने का लेन-देन हुआ है, यह भी क्लियर किया जाये। लंबा-चौड़ा लेन-देन हुआ है। मेरा पूरा आरोप है। सरकार के साथ में 3 से 4 करोड़ रूपये में लेन-देन हुआ है।

सभापति महोदय :- आशीष कुमार छाबड़ा जी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मुझे कुछ बोलने दीजिए न और [XX][7], इसका भी जवाब दिया जाये। [XX]।

सभापति महोदय :- यह प्रमोद जी ने जो कहा है, उसे मैं विलोपित करता हूं।

(4) बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ की सहकारी सोसाइटी कुंवरा में धान खरीदी में अनियमितता किया जाना।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

बेमेतरा जिला के विकासखंड नवागढ़ के सहकारी सोसाइटी कुंवरा (पंजीयन क्रमांक 1274) में वर्ष 2020-21 में धान खरीदी की गई जिसका अंतिम लेखा मिलान अंतिम मिलान पत्रक जारी किया गया। फरवरी माह में सेवा सहकारी समिति द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं राईसमिलरों से मिलीभगत कर 2600 कट्टा पुराना धान बेचा गया है। इसकी जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नवागढ़ द्वारा जांच की जा रही है। जांच के दौरान सहकारी समिति के समिति प्रबंधक एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जिला खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दिये निर्देश के आधार पर पुराना धान राईस मिलरों को प्रदान किया जा रहा है। समिति प्रबंधक एवं समिति के अन्य पदाधिकारियों तथा जिले के खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा अनियमितता की जा रही है। फरवरी माह के बाद भी पुराने और खराब धान को खपाने के खेल बदस्तुर बिना रोकटोक के जारी है। यह केवल एक समिति में नहीं बल्कि बेमेतरा जिले के सभी सोसाइटियों में इस तरह का भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच से भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर होगी। प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच की मांग हेतु लिखित एवं मौखिक शिकायतों के पश्चात् भी पदाधिकारियों एवं अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से जिले के किसानों एवं आम जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा जिले की सेवा सहकारी समिति कुंवरा द्वारा वर्ष 2020-21 का अनुपयोगी धान समिति से परिवहन कराये जाने की शिकायत श्री दिनेश कुमार शुक्ला एवं श्री रमेश शुक्ला द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी नवागढ़ को दिनांक 21/02/2022 को किया गया था। इसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा की गई, जिसमें सेवा सहकारी समिति कुंवरा द्वारा 2600 बोरे अमानक धान में से 2100 बोरा धान भूतड़ा राईस मिल को अवैध रूप से जारी किया जाना एवं 500 बोरा धान समिति स्तर पर शेष होना पाया गया है। अत: जिला प्रशासन द्वारा उक्त धान को जप्त करने के साथ सेवा सहकारी समिति कुंवरा को तत्काल भंग करने की कार्यवाही की गई। साथ ही अशोक कुमार भूतड़ा, संचालक भूतड़ा राईस एवं दाल मिल बेमेतरा से 3 ट्रक 2100 क्विंटल धान सहित जप्ती की कार्यवाही की जा कर आगे की कार्यवाही प्रचलित है। अवैध ढंग से धान बेचने के लिए कुंवरा समिति के संचालक मंडल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03/03/2022 को जारी किया गया है।

अत: यह सही नहीं है कि बेमेतरा जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा खाद्य विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर पुराना धान बेचा जा रहा है एवं जिला खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर पुराना धान राईस मिलरों को प्रदाय किया जा रहा है और समिति प्रबंधक एवं समिति के अन्य पदाधिकारियों तथा जिले के खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों की

मिलीभगत कर करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार किया जाकर शासन को चूना लगाया जा रहा है। जिले में धान खरीदी के लिए उपार्जन केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा उपार्जन कार्य शासन के निर्देशानुसार किया जाता है जिसकी सतत् एवं नियमित जांच के लिए विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र स्तरीय नोडल अधिकारी के अतिरिक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी व्यवस्थित धान खरीदी का कार्य सम्पादन कराते हैं। उपार्जन केन्द्र स्तर पर अनियमितता की जानकारी/प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निलंबन के साथ-साथ अन्य कार्यवाहियां भी की जाती हैं। जिले के धान खरीदी कार्य को लेकर किसानों एवं आम जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहूंगा कि जब मैंने ध्यानाकर्षण लगाया उसके बाद जिले के खाद्य अधिकारी के द्वारा वहां के समिति प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी करके 7 दिनों का समय दिया गया । उसके बाद आनन-फानन में 7 में उसका जवाब लेने से पहले ही उसके निलंबन की कार्रवाई की गई और साथ ही साथ संचालक मंडल को भंग किया गया । जबकि समिति प्रबंधक को जिला खाद्य अधिकारी ने खुद ही निर्देश दिया था कि वह 2600 कट्टा धान भूतड़ा राईस मिल में भेजे, उनका शपथ पत्र मेरे पास है और जो लिखित निर्देश दिया था, उसकी कॉपी भी मेरे पास है । क्या खाद्य अधिकारी को ऐसा अधिकार है कि वह अमानक धान को बेचने के लिए समिति प्रबंधक को निर्देश दे सके ? क्या खाद्य अधिकारी ऐसा निर्देश दे सकता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हम लोगों का कहना तो नहीं मानते, सत्ता पक्ष के विधायक बोल रहे हैं, उनका तो कहना मान लो, कम से कम एक-दो कार्रवाई करवा दो । इन लोगों की पीड़ा तो देख लीजिए ।

समय :

1.41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, उक्त सहकारी समिति कुंवरा के खिलाफ जो शिकायत आई, उस शिकायत की तिथि है 21.10 और इसमें एस.डी.एम. के द्वारा इसकी जांच की गई, इस जांच में उसके खिलाफ जो भी अनियमितता पाई गई थी, उस पर कार्रवाई की गई है । उसमें समिति प्रबंधक भी है और राईस मिलर्स भी है, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, आपको गलत जानकारी दी गई है । एस.डी.एम. ने जो जांच रिपोर्ट पेश की है, उसकी प्रति मेरे पास है । एस.डी.एम. ने स्पष्ट लिखा है कि जिला खाद्य अधिकारी के निर्देश पर समिति प्रबंधक ने धान को बेचा है । जिला खाद्य अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग करके ऐसा किया । खाद्य मंत्री जी यह तो एक सोसायटी का उदाहरण है, यदि आप जांच

कराएंगे तो जिला खाद्य अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करके प्रत्येक समिति प्रबंधक पर दबाव डालकर अपने चहेते राईस मिलर्स के माध्यम से इस तरह से धान को बिकवा रहा है और सरकार का इसमें लाखो करोड़ों रूपए का नुकसान हो रहा है । पूरे जिले की यदि आप जांच करवाएंगे तो जिले में धान का लम्बा खेल है । यदि आप कहेंगे तो मेरे पास प्रमाण है, जिसमें उसने शपथ पत्र दिया और एस.डी.एम. ने जांच में पाया है कि जिला खाद्य अधिकारी इसमें संलिप्त हैं । मेरी मांग है कि आप तत्काल सदन में जिला खाद्य अधिकारी के निलम्बन की घोषणा करें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस समिति के खिलाफ बात उठाई । उस संदर्भ में खाद्य अधिकारी एवं उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं को समिति के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आदेशित कर दिया गया है ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा दोषी खाद्य अधिकारी है, उसके निर्देश पर ऐसा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं उसकी कॉपी पटल पर रख सकता हूं । यह तो एक उदाहरण है, ध्यानार्षण की एक गरिमा है, उसकी सीमा है । आप यदि जिले में जांच कराएंगे तो लगभग सभी समितियों का यही हाल है और जिला खाद्य अधिकारी लगातार धान बेचने में और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं । मेरा आपसे निवेदन है समिति प्रबंधक ने शपथ पत्र दिया है कि मैंने जिला खाद्य अधिकारी के निर्देश पर ही भूतड़ा राईस मिल को 2600 कट्टा धान दिया है । उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि गाड़ी आएगी, गाड़ी नम्बर भी है कि आप अपना धान इस गाड़ी से भूतड़ा राईस मिल को दें । समिति प्रबंधक ने उनके निर्देश का ही पालन किया है । अगर इसमें कोई असली दोषी है तो जिला खाद्य अधिकारी है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कुछ बोलना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, हम लोग विधायक हैं और हमारे क्षेत्र में इस बात की चर्चा होती है कि अगर शासन क्षेत्र में कुछ गलत कर रहा है तो यह बात विधान सभा में उठेगी और लोगों को विश्वास रहता है कि ये विधान सभा में बात उठाएंगे । दूसरी ओर यहां मंत्रियों द्वारा अधिकारियों के लिखे वक्तव्य को पढ़ा जाता है तो फिर इस सदन का महत्व क्या है ? हम तो पहली बार आए हैं, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि अगर सरकार कुछ गलत काम करेगी तो उसकी सुनवाई कम से कम विधान सभा में तो होगी । इस सदन की गरिमा रखिए, जो गलत-गलत जानकारी दे उन पर कार्रवाई करिये, बचाने की कोशिश मत करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पार्टी के सदस्य गंभीर बात बोल रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सारी बातों की पुष्टि हो गई है । अब माननीय मंत्री जी को सदन से निलंबन की कार्रवई करनी चाहिए । जब माननीय सदस्य सारी बातों को पुष्टि कर रहे हैं, सारी बातों का प्रमाण दे रहे हैं, जांच रिपोर्ट आ गई फिर माननीय मंत्री जी उस अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं ? आखिर उस अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं ? जब सारे प्रमाण हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- जब माननीय विधायक प्रमाण के साथ बोल रहे हैं तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, ये लोग नये सदस्यों को पूछने का मौका नहीं देते । 3 या 4 सदस्य पूरा एक घंटे का प्रश्नकाल निकाल देते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए । जब सारी बातों का प्रमाण दे रहे हैं तो माननीय मंत्री जी उस अधिकारी को क्यों बचाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिये आप लोग । माननीय विधायक जी अंतिम प्रश्न पूछिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- पूछ तो लिया, इसके बाद भी मंत्री जी की ओर से कुछ आए तो ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अध्यक्ष महोदय, मैं नया सदस्य हूं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए पूछिये ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूं। दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको बचाया जा रहा है। एक गरीब समिति प्रबंधक छोटे कर्मचारी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। मेन जो जिला खाद्य अधिकारी दोषी हैं, उसको आप तत्काल निलंबन करने की सदन में घोषणा करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (शेम-शेम की आवाज)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने भी मंत्री जी को कहा है। हमारे यहां के भी खाद्य अधिकारी किस तरह के खेल खेल रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- ओला घोषणा करे दे न निलंबन के।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने जिस बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, उसके संदर्भ में मैंने उत्तर में बताया कि किनके खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई है और क्या-क्या अनियमितता के विरूद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है और एस.डी.एम. ने जो जांच रिपोर्ट दिया है, उसमें उन सभी बिंदुओं में कार्यवाही अपेक्षित है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जो दस्तावेज देने की बात कर रहे हैं, उसका हम परीक्षण करा लेंगे और अगर उनका ..। (व्यवधान)

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं-नहीं, मंत्री जी मैं सीधे आपकी जवाब पर आता हूं। आप जिला खाद्य अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही करें। एस.डी.एम. ने जांच प्रतिवेदन दिया है।(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, परीक्षण की बात कहां से आ गई?

श्री नारायण चंदेल :- यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी दोषी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी क्यों बचाना चाह रहे हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गंभीर विषय है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस.डी.एम. की रिपोर्ट आ गई है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देना बंद करिये, इनके खिलाफ में कार्रवाई करिये। आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किस बात का संकोच है। मंत्री जी आप डाका डालने वाले को संरक्षण देते हैं । सदन की पवित्रता खत्म हो रहा है। आप अध्यक्ष जी के सामने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस.डी.एम. की रिपोर्ट आ गई है। एस.डी.एम. की रिपोर्ट में उन्होंने गड़बड़ी पाई है। तो इससे बड़ा फोरम तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सारे जांच में प्रमाणित हो गये, सारे जांच में प्रमामिण हो गये तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? मंत्री जी को घोषणा करने में क्या दिक्कत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको जवाब देना होगा मंत्री जी। जब सब प्रमाणित हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इस मामले को उठा रहा है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ऐसे अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए।(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी, आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- वे चिट्ठी लाकर दिये हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरा दस्तावेज प्रमाणित हो गया है। फिर मंत्री जी की क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है, पूरा सदन कह रहा है। मंत्री जी लाग-लपेट मत करिये। सारे दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद आप उनको संरक्षण क्यों दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं इसमें तो आपकी तरफ से निर्देश आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर आपके निर्देश पर कार्रवाई होगी, सस्पेंड होगा तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि एस.डी.एम. की रिपोर्ट आई है, उसमें गलत पाया गया है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, यह सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- बृजमोहन भैया, आप बैठ जाइये न, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप लोग थोड़ा शांत रहिये।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं निर्देश दे रहा हूं। पहले आप लोग सुन तो लो कि क्या कह रहे हैं मंत्री जी।

श्री नारायण चंदेल :- अब तो यह स्पष्ट है, वह अधिकारी भ्रष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। बैठ जाईये। चलिये मंत्री जी, निलंबित करना है तो करिये जल्दी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जिस बिंदु पर माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त किया, जिस बात की ओर ध्यानाकर्षित किया, उसमें जांच भी हुई और प्रथम दृष्टया जो दोषी पाया गया है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है, उसमें समिति प्रबंधक भी है और संबंधित जो भी कम्रचारी हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जांच अभी दिया गया है, वह अपेक्षित है, अभी चल रहा है और उसके ऊपर यदि जांच प्रमाणित हो जायेगा, तो वे जो बोल रहे हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं-नहीं मंत्री जी, अपेक्षित नहीं है। यह एस.डी.एम. का प्रतिवेदन है, जांच का प्रतिवेदन है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- मंत्री जी तो समर्थ्य हैं। अधिकारी से निवेदन करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- आपका संरक्षण...।

श्री आशीष छाबड़ा (बेमेतरा) :- ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए। मंत्री जी सदन में घोषणा कर दें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री आशीष छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवदेन है। मैं प्रमाण सहित बात कर रहा हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- आप घोषणा कर दीजिए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- आप एस.डी.एम. के लिए...।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिये तो सही।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की अनुमति लेकर..।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आप लोग बोलने...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने स्वीकार कर लिया है न।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांति से बैठिये। सदन मे गरिमा को तो आपको ही बनाना है, इनको ही बनाना है। रूक जाओ, मुझे बैठने दो। आप साफ-साफ उत्तर दे दीजिए, आपके सामने मैं देख रहा हूं कि माननीय गृहमंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं। इधर से यह मंत्री जी भी कह रहे हैं तो उनका उत्तर आप समझ कर दे दीजिए।

श्री आशीष छाबड़ा :- आदरणीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पी.डी.एस. हमारे कांग्रेस के गरीब कार्यकर्ता दुकान चला रहे हैं उनसे भी 2-2 हजार रूपये वसूली करते हैं। जो पी.डी.एस. के गरीब दुकान चलाते हैं। अधिकारी हैं वह।

श्री बृहस्पत सिंह :- इतने वरिष्ठ मंत्री को क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो मंत्री जी सदन में गिड़गिड़ा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने में डर रहे हैं। ऐसे क्या गिड़गिड़ा रहे हैं ? इतने वरिष्ठ मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं इस सदन में और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं। उनकी क्या ऐसी मजबूरी हो गई ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा हूं कि यह [XX] [8] करने से सही बात आ ही नहीं पाती है।

श्री नारायण चंदेल :- सदन को [XX] कहते हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मूल प्रश्नकर्ता, एक बहुत बड़ी मजबूरी है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- यह सदन का अपमान है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, बात रखेंगे तो [XX] हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह सदन की अवमानना है। सदन को [XX] कहना सदन का अपमान है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- माननीय मंत्री जी ने सदन को [XX] कहा है। क्या यह [XX] है ? माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने सदन को [XX] कहा है। क्या आपका सदन [XX] है। क्या यह सदन [XX] है ? हम लोग जो यह बोल रहे हैं क्या यह [XX] है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो अवमानना है। आपकी अवमानना है। अब मंत्री जी बता दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- खेक्सी, टेंगना।

श्री नारायण चंदेल :- मछली बाजार।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी अपने इस शब्द को वापस लें। वह माफी मांगे और उसके बाद सदन चलेगा। यह सदन [XX] [9] नहीं है। इस सदन में हम लोग मछली नहीं हैं। हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग चुनकर आये हैं। हमको मछली कह रहे हैं। हम लोग पैदा हुए हैं। हम लोग [XX] नहीं है। हम लोग मछली नहीं हैं। यह पूरे सदन के सदस्यों का अपमान है। आप माफी मांगे, नहीं तो हम...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप उनके शब्दों से सहमत हैं?

श्री नारायण चंदेल :- आपको बड़े मछली कहेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह वापस ले लें।

---

[8] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

[9] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

अध्यक्ष महोदय :- तो उनको माफी मांगने दोगे यार। वह खड़े हो रहे हैं तो खड़े तो उनको खड़े भी नहीं होने दे रहे हों। आप उनको खड़े होने दीजिए।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि यह [XX] है। [XX] जैसा माहौल मत बनाइये, यह कहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक तो यह मानसिकता तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार है उसको स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद दो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई है। बाकी की कार्रवाई के लिए मन बना लिये हैं। गृहमंत्री जी भी बोल दिये हैं और उसके बाद में उसको घोषणा करने के बजाय अब यह बोले कि यह [XX] है, तो यह [XX] है तो चर्चा हम कहां चर्चा करेंगे? यह घोर आपत्तिजनक है। यदि यह [XX] है तो हम लोग यहां बैठकर के क्या करेंगे? यह हाऊस [XX] है तो हम लोग यहां बैठकर क्या करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग जाते हैं। छुट्टी दे दीजिए, हम लोग जाते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग [XX] के सदस्य नहीं हैं। हम लोग इस विधानसभा के सदस्य हैं।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- हम लोग [XX] में नहीं हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि यह [XX] है तो यहां हमारा कोई काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरे लिए व्यवस्था चाहते हो या मंत्री जी की व्यवस्था चाहते हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- तो मैंने [XX] को विलोवित दिया। बात खत्म हो गयी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी माफी मांगेंगे, अपने शब्द वापस लें।

श्री आशीष छाबड़ा :- मंत्री जी, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसे निरस्त कर दिया है। मैंने उसे विलोपित कर दिया है।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, [XX][10] कहे रीहिस हे का ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग [XX] के सदस्य हैं। नहीं-नहीं, वह माफी मांगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसे निरस्त कर दिया है। विलोपित कर दिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उस शब्द को विलोपित कर दिया, अच्छी बात है, पर मंत्री जी को कम से कम शालीनता से अपनी बात कहनी चाहिए न । कितनी बातों को आप विलोपित करेंगे । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मछली विभाग के मंत्री सामने बैठे हैं । (व्यवधान)

---

[10] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

(सभी सदस्यों का एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

अध्यक्ष महोदय :- अब आप लोग न मेरी बात सुनने को तैयार हैं, न उनकी बात सुन रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन यह [XX] नहीं है और [XX] होगा तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग मेरी बात तो सुन लें हुजूर-ए-आला ।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम आपकी बात सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, मैंने उसको विलोपित कर दिया है । तथापि, तथापि मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें और यदि वे इसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं तो इससे सदन की गरिमा में वृद्धि होगी ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार बात होती है तो बात बोलते-बोलते अजय चन्द्राकर जी ऐसे शब्द बोलते हैं, जिसको हम लोग ओव्हर लूक कर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- फिर वही बात बोल रहे हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये क्या है । अजय चन्द्राकर जी की बात कहां से आ गई ? विषय को बदल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मुझे बोलने तो दीजिए । आप जैसा कहेंगे, वैसा ही कहूंगा, ऐसा थोड़ी है । आप लोग बैठेंगे, तब बोलूंगा न । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे नाम का उल्लेख हुआ है। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नाम का उल्लेख हुआ है, मैं बोलूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने निपोरचंद कहा था... (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नाम आया है, मैं बोलूंगा ।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- आप लोग वैसे ही चिल्ला रहे थे । आप लोग भी संसदीय आचरण का अनुकरण कीजिए । आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे? वैसे क्यों चिल्ला रहे थे ?

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी ने निपोरचंद शब्द का उपयोग किया था। ये जो कहेंगे, वह सही है, ये कुछ भी बोलेंगे, वह सही है । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं, ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । (व्यवधान)

अप्रवेशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- मैंने [XX] [11] टाईप इसलिए कहा क्योंकि मूल प्रश्नकर्ता को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, सही तथ्य आ ही नहीं पा रहा है । ये लोग बोलने नहीं देंगे, सही तथ्य नहीं आएगा तो कैसे होगा । इन के हिसाब से सदन चलेगा क्या ? (व्यवधान) आप कुछ भी बोलें, सब सही है । आप निपोरचंद कैसे बोले दिए थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नाम आया है तो मैं बोलूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो बोलें, वह सब सही है । (व्यवधान) आप हल्ला करते हैं और मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न नहीं करने देते, [XX] टाईप का हल्ला करते हैं, मैंने तो यही बोला था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, फिर वही शब्द बोल रहे हैं, फिर वही शब्द बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मैंने तो इतना ही बोला था, लेकिन आपके लिए नहीं बोला है । आप मूल प्रश्नकर्ता को अवसर नहीं देते हैं तो सही तथ्य सामने नहीं आएगा । बार-बार निपोरचंद बोलेंगे तो क्या यह उचित है (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मंत्री जी ऐसे ही शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम लोग नहीं बैठेंगे, यह [XX] है, हम लोग [XX] हैं क्या ? (व्यवधान) संसदीय कार्यमंत्री की उपस्थिति में ये सब हो रहा है । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

श्री अमरजीत भगत :- आप निपोरचंद कैसे बोलते हो, यह बताओ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री अमरजीत भगत :- ये निपोरचंद बोलेंगे, वह सही है । (व्यवधान) आप कुछ भी बोलेंगे, वह सब सही है । आपको पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलोगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित ।

(1.58 बजे से 2:42 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
2.42 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण,

---

[11] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित लो गए हैं :-

भारतीय जनता पार्टी

1. श्री धरम लाल कौशिक,
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल,
3. श्री ननकीराम कंवर,
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री अजय चन्द्राकर,
6. श्री नारायण चंदेल,
7. श्री शिवरतन शर्मा,
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,
9. श्री सौरभ सिंह,
10. श्री डमरूधर पुजारी,
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)

1. श्री धर्मजीत सिंह,
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित करूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
2.43 बजे

नियम 267 'क' के अन्तर्गत शून्यकाल की सूचना

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री चंदन कश्यप,
2. श्रीमती इन्दू बंजारे,
3. श्री अजय चन्द्राकर,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव

5. श्री किस्मतलाल नंद

श्री अशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब उस समय नहीं दे पाये थे।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

सभापति महोदय :- माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से ध्यानाकर्षण का जवाब चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे आपका 2 मिनट का सरंक्षण चाहिए। मेरा जवाब नहीं आ पाया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय :- मैंने माननीय ताम्रध्वज साहू जी का नाम पुकार लिया है। अब आप चर्चा चलने दीजिये, बाद में बात कर लेंगे। चर्चा शुरू करने दीजिये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- दो मिनट का समय दे दीजिये।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- उनका जवाब आने दीजिये।

सभापति महोदय :- पांडे जी, आप बैठिये।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- उनका जवाब दिलवा दीजिये।

सभापति महोदय :- आपका जवाब यथा समय मिल जायेगा। आप बैठिये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, 2 मिनट।

सभापति महोदय :- मैं अनुमति नहीं देता। मेहरबानी करके बैठ जायें।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- 2 मिनट समय दिला दीजिये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- ध्यानाकर्षण पूरा नहीं हो पाया था। मैं दो मिनट का समय चाहता हूं।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अनुमति दिया जाये।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये, पांडे जी बैठिये। मैंने आपको बता दिया, मैंने निवेदन कर लिया, आप बैठे।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- 2 मिनट के लिए समय दे दीजिये।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ गई है। माननीय श्री ताम्रध्वज जी साहू, गृहमंत्री जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- दो मिनट के लिए सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ गई है । माननीय साहू जी । गृह मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री वृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, सदन में बात नहीं कहेंगे तो कहां बात कहेंगे । (व्यवधान)

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, दो मिनट समय चाहिये ।

सभापति महोदय:- छाबड़ा जी बैठिये ।

श्री वृहस्पत सिंह :- सदन में बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बैठिये। वृहस्पत सिंह जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप बैठ जाईये । आप पहले बैठ जायें । सदस्य अपनी बात सदन में नहीं कहेगा तो कहां कहेगा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मैं माननीय सभापति से निवेदन कर रहा हूँ..। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- बात तो हो गे हे ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय ..।

श्री वृहस्पत सिंह :- आगे बढ़ा देंगे तो कहां बोलेंगे ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- दो मिनट का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यानाकर्षण में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, धान से जुड़ा हुआ मामला है, दो मिनट का संरक्षण चाहता हूँ । बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सभापति महोदय, पूरे जिले का यह मामला है ।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है । माननीय ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री जी ।

समय :

2.46 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

मांग संख्या	**24**	**लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल**
मांग संख्या	**67**	**लोक निर्माण कार्य-भवन**
मांग संख्या	**78**	**लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनायें**
मांग संख्या	**3**	**पुलिस**
मांग संख्या	**4**	**गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
मांग संख्या	**5**	**जेल**
मांग संख्या	**51**	**धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व**
मांग संख्या	**37**	**पर्यटन**

श्री वृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, लेकिन यह बहुत गंभीर बात है । यह बहुत गंभीर बात है । इस तरह से सदस्यों का सदन में अपमान करना और सीधा-सीधा अन्याय करना बहुत अनुचित है । बहुत अनुचित है । सभापति महोदय, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सदन में जवाब नहीं दे सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। विपक्ष का बायकाट हो गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- मेरा निवेदन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, धान से जुड़ा मामला है...। (व्यवधान)

श्री वृहस्पत सिंह :- हमारे माननीय सदस्य सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे । विपक्ष तो वाकआऊट कर गया । (व्यवधान) ऐसी क्या मजबूरी हो गई ।

सभापति महोदय :- मेरी सहमति के बिना जो बोल रहे हैं, रिकार्ड में नहीं आयेगा ।

श्री वृहस्पत सिंह :- [XX][12]

सभापति महोदय :- छाबड़ा जी बैठ जायें । मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप बैठ जायें ।

श्री वृहस्पत सिंह :- [XX]

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को-

मांग संख्या-24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए- दो हजार छः सौ पांच करोड़, छिहत्तर लाख, सड़सठ हजार रूपये,
मांग संख्या-67	लोक निर्माण कार्य- भवन के लिए- एक हजार पांच सौ तीन करोड़, पचास लाख, छियासी हजार रूपये,
मांग संख्या-76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियायेजनाएं के लिए- नौ सौ चालीस करोड़, पन्द्रह लाख, तीन हजार रूपये,
मांग संख्या-3	पुलिस के लिए- पांच हजार छः सौ पैंसठ करोड़, अठहत्तर लाख, बाईस हजार रूपये,
मांग संख्या-4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए-पचासी करोड़, सड़सठ लाख, छियानबे हजार रूपये,
मांग संख्या-5	जेल के लिए-एक सौ सत्तानबे करोड़, उनचास लाख, पचास हजार रूपये,
मांग संख्या-51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये- अट्ठारह करोड़, पचहत्तर लाख रूपये तथा
मांग संख्या- 37	पर्यटन के लिए- एक सौ छब्बीस करोड़ चौबीस लाख, अट्ठारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।
सभापति महोदय :-	प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[12] [XX] (आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।)

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्यका नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए मान जायेंगे ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, दो मिनट का आपसे संरक्षण चाहता हूँ । धान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मेरा ध्यानाकर्षण था, उसका जवाब भी मंत्री जी ...।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन सभापति महोदय, सारी बातें हद पार कर गई, सर से ऊपर हो गयी, सदस्यों को इस तरह से भरी सदन में इस तरह की बात करना बहुत गंभीर बात है । क्या हो गया है, मंत्री जी को । सभापति महोदय, हद हो गया । सारी सीमायें लांध गई ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, इस मामले में मंत्री जी का जवाब आना चाहिये । महत्वपूर्ण मुद्दा है । धान का मामला है ।

निलंबन समाप्ति की घोषणा

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के लियम 250 के उप नियम 1 के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे । मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूँ ।

भारतीय जनता पार्टी

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ.रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री ननकीराम कंवर
5. श्री पुन्नूलाल मोहले
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री नारायण चन्देल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री डमरूधर पुजारी
12. श्री विद्यारतन भसीन

13. श्री रजनीश कुमार सिंह

14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ (जे)

1. श्री धर्मजीत सिंह

2. डॉ.रेणु अजीत जोगी

3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

बहुजन समाज पार्टी

1. श्री केश्व प्रसाद चन्द्रा

2. श्रीमती इन्दू बंजारे

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX][13]

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- सभापति महोदय, मेरा बार-बार आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है..व्यवधान हम लोग अपनी बात को कहां बोलेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको अधिकार है सर । उस पर चर्चा करा लीजिए । उसको रोक कर कार्यवाही करा लीजिए ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य बार-बार अपने प्रश्न के बारे में ...व्यवधान

सभापति महोदय:- कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी प्रस्तुत हुआ है । उसको स्वीकार नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है, आप बैठिये। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय 3-4 सदस्य उस बात का आग्रह कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी के चेम्बर में जो बातचीत होती है, उसके बारे में हम लोग कोई चर्चा करते नहीं हैं। पहला विषय तो यह है कि माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण कन्टीन्यू चल रहा था और वह अपना प्रश्न पूछ रहे थे। दूसरा माननीय मंत्री जी ने जो सदन को मछलीबाजार कहा,

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय आना था। वह निर्णय भी नहीं आया। माननीय मंत्री जी को खेद व्यक्त करना था, उन्होंने खेद व्यक्त भी नहीं किया। अपने शब्द भी वापिस नहीं लिये।

सभापति महोदय :- देखिये, कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- नेता जी, मामला आगे बढ़ गया है, दूसरा मामला चालू हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आसंदी से हमारा आग्रह है, इस सदन का सम्मान करना आंसदी का काम है। आप आगे बढ़ा लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, कार्यवाही आगे बढ़ गई है। कार्यवाही रायपुर से दुर्ग नहीं पहुंची है, रायपुर में ही है। उसको आप यहां करवाईये।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है। अब चर्चा नहीं होगी। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अभी तो कटौती प्रस्ताव आया ही नहीं है। अभी तो हम उपस्थित हुए ही नहीं हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, अभी आप कटौती प्रस्ताव पढ़ रहे थे, उसमें यह कहा गया है कि जो माननीय सदस्य उपस्थित होंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के अनुसार माननीय सदस्य का जो अधूरा ध्यानाकर्षण है, वह पूरा हो पाये। माननीय अध्यक्ष जी ने जो यहां पर निर्देश दिया कि माननीय मंत्री जी खेद व्यक्त करें, अपने शब्द वापिस लें, इस बात को कहा, उस पर निर्णय नहीं हुआ है। उसका निर्णय पूरा हुए बिना यहां पर बजट पर सामान्य चर्चा विभागवार प्रारंभ हो रही है, उसको आप शुरू कर देंगे तो सदन की गरिमा कैसे रहेगी ? सदन का सम्मान कैसे रहेगा ? जिस बात को लेकर हम वेल में आये, उसके ऊपर में निर्णय नहीं हुआ तो उसके बिना फिर हमारा सदन में आने का औचित्य क्या है ? हम जब सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं, हम मंत्री जी के विभाग पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके बाद इसका निर्णय होना चाहिए न।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, जब सदन में अवरोध पैदा हुआ, उस वक्त ट्रेन रायपुर के विधानसभा पर खड़ी थी। आप कैसे बोल रहे हैं कि कार्यवाही आगे बढ़ गई। कार्यवाही आगे तो बढ़ी ही नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी माफी मांगे लें।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री जी को निर्देश दिये हैं, अब खेद व्यक्त करना या न करना, माननीय मंत्री जी के विवेक पर छोड़ता हूं। सदन की कार्यवाही चलने दी जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- खेद व्यक्त न करें, लेकिन इनके प्रश्न का तो जवाब दो। सत्तरूढ़ पार्टी के सदस्य हैं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब आना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस विषय पर वहां पर क्या बोलते हैं और यहां पर आप क्या करते हैं ? अगर आप यह चाहते हैं कि हम वहां की चर्चा करें तो हम वहां की भी चर्चा शुरू कर देते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- करना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- करना चाहिए तो हम कर देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, मेरे नाम का उल्लेख है। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- अभी तो आप बोल दिये कि करना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हॉ मैं अभी भी कह रहा हूं कि करना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सभापति जी, सदन की कार्यवाही में आपने माननीय ताम्रध्वज साहू जी लोक निर्माण मंत्री का नाम पुकार लिया। उन्होने अपनी डिमांड सदन में रख दी।

सभापति महोदय :- प्रस्तुत कर दिया, कार्यवाही आगे बढ़ गई।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब चर्चा की शुरूआत होनी चाहिए। क्या सदन चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है? क्या विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है?

श्री अजय चन्दाकर :- है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो फिर चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं? तो फिर चर्चा शुरू करिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX] [14]

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, आप जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष की चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

---

[14] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सभापति महोदय :- यह परंपरा उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष की चर्चा यहां नहीं की जा सकती। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, यह असत्य बोल रहे हैं। यह हमारे मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आपने कहा है कि (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में जो चर्चा हुई, उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- उन्होंने बजट पर चर्चा करने के लिये कहा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बजट पर चर्चा करने के लिये कहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- (व्यवधान) पर चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वह बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा है, मैं उसको विलोपित करता हूं। अब कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आयेगी।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह उचित परंपरा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- उन्होंने कहा है कि बजट पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री रविन्द्र चौबे :- (व्यवधान) चर्चा।

श्री कवासी लखमा :- यह झूठ बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या आपने मंत्री जी को बोलने दिया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][15]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंत्री जी बोलना चाह रहे थे, आपने बोलने नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन में चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं।

---

[15] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने मंत्री जी को बोलने ही नहीं दिया।

श्री कुलदीप जुनेजा :- यह खाली सदन की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, यह चर्चा नहीं चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- क्या माननीय मंत्री जी आपके हिसाब से जवाब देंगे ?

सभापति महोदय :- संसदीय कार्यमंत्री जी ने, जो बजट पर कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है, उस पर चर्चा के लिये कहा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह जिस तरह से सदन में चर्चा कर रहे हैं, यह तो गलत है।

श्री अमरजीत भगत :- यह तो दबाव है।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- देखिये, बृजमोहन अग्रवाल जी, उस पर चर्चा नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय के कक्ष की कोई बात का उल्लेख नहीं होगा। अगर कोई उल्लेख करता है तो मैं उसे विलोपित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह चर्चा से भाग रहे हैं।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी, चर्चा प्रारंभ करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह चर्चा से क्यों भागना चाह रहे हैं, बता दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- कोई निर्णय नहीं हुआ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब हो गया। यह किसी को बोलने नहीं देते। न मंत्री को बोलने देते हैं, न सदस्य को बोलने देते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष की चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX] [16]

---

[16] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनका बयान दर्ज नहीं किया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- चलिये, श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इनका बयान दर्ज (व्यवधान)।

श्री शिवरतन शर्मा :- कटौती प्रस्ताव पढ़वा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- न वो मंत्री जी को बोलने दिये, न वह अपने सदस्यों को बोलने दे रहे हैं। आप चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं बतायें ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपका व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, सदन की कार्यवाही (व्यवधान)।

श्री कवासी लखमा :- सदन से चर्चा से भाग रहे हैं, घूमाने की बात कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

सभापति महोदय :- मैंने कटौती प्रस्ताव के नाम पढ़े थे।

श्री धरम लाल कौशिक :-माननीय सभापति महोदय, नहीं, कटौती प्रस्ताव के समय हमारा निलंबन समाप्त नहीं हुआ था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX]

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उस समय हमारा निलंबन समाप्त नहीं हुआ था, आप हमारी अनुपस्थिति में कटौती प्रस्ताव पढ़ेंगे तो कैसे होगा। इसलिये मंत्री जी हमारी उपस्थिति में कटौती प्रस्ताव पढ़ेंगे तो उसके बाद आप कटौती प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद में चर्चा होगी और अगर वह हमारी अनुपस्थिति में होगी तो चर्चा कैस होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हमको यह महसूस हो रहा है कि सरकार बहुत जल्दी-जल्दी विभाग की चर्चा, बिना चर्चा के ही पूरा कराना चाहती है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, यह चर्चा से भाग रहे हैं। यह कहा चर्चा करना चाह रहे हैं ? चर्चा में भाग लीजिये, चर्चा शुरू करवाईये।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- इसलिये ,(व्यवधान) ध्यानाकर्षण का प्रश्न है तो उसको, इनको देने में क्या तकलीफ है। जवाब देने में, हां या ना जो भी जवाब देना है। आप चाहते हैं कि हम ईरीटेट हो, बाहर जाएं और आप हां, हां, हां करके (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, अपनी बात करें। छाबड़ा जी बैठ जाये, प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं। आप अध्यक्ष जी के कक्ष में चर्चा कर लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि कम से कम जवाब आना चाहिये।(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आप चर्चा शुरू करवाईये।

सभापति महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, आप अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर बात कर लें।

श्री आशीष छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे ? हम लोग नये सदस्य हैं, हम लोग पहली बार चुनकर आये हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके ऊपर में कार्यवाही नहीं होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय चौबे जी, माननीय अकबर भाई, ये सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, जरा इनकी समस्या हल करवा दीजिए।

श्री आशीष छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, गवाही, मेरे पास पूरे सबूत हैं। अगर यहां कार्यवाही नहीं होगी।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मंत्री महोदय, आप कार्यवाही करिये। माननीय मंत्री जी आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, इनकी समस्या हल करवा दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, हम लोगों का निलंबन समाप्त नहीं हुआ था।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह सदन का अपमान है।

सभापति महोदय :- माननीय छाबड़ा जी बैठिए।

श्री आशीष छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो इस सदन का क्या मतलब होगा ? मेरे पास पूरे सबूत हैं। मैं पटल पर रख दूंगा। ऐसे सबूत होने के बाद, ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य कुछ अभी बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है अब इसमें चर्चा नहीं होगी। मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहा है वह कार्यवाही में नहीं आएगा। (व्यवधान)

अप्रकाशन/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX][17]

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया, मैंने चर्चा के लिए माननीय शिवरतन शर्मा जी का नाम पुकार दिया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, आप बैठ जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

सभापति महोदय :- माननीय छाबड़ा जी, माननीय प्रमोद शर्मा जी, आप बैठ जाईये।

श्री आशीष छाबड़ा :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

सभापति महोदय :- मेरी बिना अनुमति के जो भी बोलेगा या खड़ा होगा, वह कार्यवाही में नहीं आएगा। आप बैठ जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- [XX]

सभापति महोदय :- प्रमोद शर्मा जी, आप बैठ जाईये।

श्री आशीष छाबड़ा :- [XX]

सभापति महोदय :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX][18]

---

[17] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[18] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX]

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- [XX]

सभापति महोदय :- आप कृपया बैठ जाएं। माननीय प्रमोद जी यह ठीक नहीं है। माननीय छाबड़ा जी मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री आशीष छाबड़ा :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, क्या है, माननीय शिवरतन शर्मा जी के भाषण शुरू होने के पहले हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

सभापति महोदय :- मैंने नाम पुकारा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पर हम उस समय नहीं थे।

सभापति महोदय :- आप गर्भगृह में आएंगे, निलंबित हो जाएंगे, फिर मैं उसको क्या करूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। आपको पहले निलंबन समाप्त करना चाहिए था।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों का निलंबन समाप्त नहीं हुआ था। निलंबन समाप्त होने के बाद ही कटौती प्रस्ताव पढ़ेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप चर्चा में भाग लीजिए। हम अवसर दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हमारा निलंबन समाप्त नहीं हुआ था, आपने कटौती प्रस्ताव पढ़ दिया। हम यहां नहीं है तो आप कटौती प्रस्ताव पढ़ेंगे तो यह प्रक्रियागत त्रुटि होगी, इसलिए आप एक बार कटौती प्रस्ताव को पढ़ लें फिर मैं अपनी बात रखूंगा, फिर शुरू करूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय मत्री महोदय, यह दुर्भाग्य के बात हे कि दू-दू झन विधायक मन कहात हे। आप कार्यवाही तो करो। करिया खाकर आगे हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, जब आपके सामने बात आ जाये, उसके बाद भी निराकरण होना चाहिए, ऐसा कभी घटा नहीं..।

सभापति महोदय :- देखिए, मैं आपके अनुरोध पर फिर से कटौती प्रस्ताव फिर से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यह उदाहरण नहीं बनेगा।

मांग संख्या -24

लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

1. श्री धरमलाल कौशिक 23

2.	डॉ. रमन सिंह	02
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	10
4.	श्री पुन्नूलाल मोहले	15
5.	श्री अजय चन्द्राकर	09
.	श्री शिवरतन शर्मा	10
7.	श्री नारायण चंदेल	02
8.	श्री ननकीराम कंवर	01
9.	श्री धर्मजीत सिंह	11
10.	श्री सौरभ सिंह	06
11.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	31
12.	श्री डमरूधर पुजारी	06
13.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	08
14.	श्री रजनीश कुमार सिंह	26
15.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	06
16.	श्रीमती इंदू बंजारे	01

मांग संख्या 67

लोक निर्माण कार्य- भवन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	02
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	02
3.	श्री अजय चन्द्राकर	06
4.	श्री शिवरतन शर्मा	06
5.	श्री नारायण चंदेल	01
6.	श्री डमरूधर पुजारी	01
7.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	04
8.	श्री रजनीश कुमार सिंह	01

मांग संख्या 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1.	श्री अजय चन्द्राकर	01
2.	श्री शिवरतन शर्मा	02

मांग संख्या-03

पुलिस

1.	श्री धरमलाल कौशिक	05
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	15
3.	श्री अजय चन्द्राकर	02
4.	श्री शिवरतन शर्मा	19
05.	श्री नारायण चंदेल	01
6.	श्री ननकीराम कंवर	01
7.	श्री सौरभ सिंह	03
08.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	01
09.	श्री डमरूधर पुजारी	03
10.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	02
11.	श्री रजनीश कुमार सिंह	02
12.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	02

मांग संख्या - 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

1.	श्री अजय चंद्राकर	1
2.	श्री शिवरतन शर्मा	2
3.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
4.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या - 5

जेल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	7
5.	श्री ननकीराम कंवर	1
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	2
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2
3.	श्री अजय चंद्राकर	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	4
5.	श्री डमरूधर पुजारी	2
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
7.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या - 37

पर्यटन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	4
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री पुन्नूलाल मोहले	3
4.	श्री अजय चंद्राकर	1
5.	श्री शिवरतन शर्मा	7
6.	श्री नारायण चंदेल	1
7.	श्री ननकीराम कंवर	1
8.	श्री डमरूधर पुजारी	3
9.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
10.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है। आप बैठ जाएं।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, हम लोग अपनी बात कहां रखें, आप बताईए। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब अभी तक माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है, मैं जवाब बस चाहता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, आप शुरू नहीं करेंगे तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा एक लाईन का निवेदन है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण लगाने से अगर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा है तो फिर ध्यानाकर्षण लगाने का मतलब ही नहीं है।

सभापति महोदय :- मैंने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, सदन में हम लोगों ने देखा हैं, कई बार यह अनुभव में आया है कि तत्कालिक विषय और उसमें यदि किसी बात में आ गए तो इस सदन की परंपरा, इस सदन की गरिमा यह और आगे बढ़े। उसके लिए सामान्यतया कोई सदस्य या कोई मंत्री हम सब मानकर चलते हैं कि जिनके तरफ से हुई है, वह स्वयं खेद व्यक्त कर देते हैं। सदन की कार्यवाही आगे बढ़ जाती है। इसके बाद यदि कोई आसंदी से निर्देश आ जाए और उनके विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाए तो भी वह एक प्रकार से निर्देश है, उसका पालन करना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे कि वे पालन करेंगे, ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी को एक बार फिर विचार करना चाहिए। क्योंकि इस सदन की गरिमा बढ़े, यह हम सबकी जवाबदारी है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इधर से भी आया है, खेद व्यक्त किया गया है, चाहे वह अजय चंद्राकर जी हो, चाहे बृजमोहन जी हो और उधर से भी मंत्री रहे हैं तो भी यह खेद व्यक्त किए हैं। चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तब भी खेद व्यक्त किए हैं। माननीय सभापति महोदय, खेद व्यक्त करने में कोई छोटा नहीं होता है, उसका बड़प्पन बढ़ता है, सदन की गरिमा बढ़ती है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि माननीय मंत्री जी, स्वयं या जो आसंदी का निर्देश है, यदि उसका पालन करते हैं तो इस सदन की गरिमा बढ़ेगी, उनकी भी गरिमा बढ़ेगी, कोई कम नहीं होगी। आप कुछ बोल रहे है क्या ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, अभी होली आई नहीं है और होली का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। उसमें कुछ लोगों को बहुत जल्दी में है कि जल्दी होली आए। मैं सब लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोई ऐसा क्यों सोचता है कि कोई हमसे नाराज है या हमको छोटा दिखाना चाहता है। यह तो वाद-प्रतिवाद है, आप कुछ कहेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा, अब आप किसी बात को दिल में क्यों लेते हैं ? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो बात आती है उसको वहीं तक रखना चाहिए। जब हम लोग कई बार बैठे रहते हैं,..।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप विषय का जवाब दे दो ना।

श्री अमरजीत भगत :- आप पहले बात सुनिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शिवरतन शर्मा जी...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भाषण मत दीजिए न। हम लोग भाषण सुनने नहीं बैठे हैं। आपको खेद व्यक्त करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप पहले बोलने तो दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, बैठ जाएं। पहले सुन तो लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग बोलने नहीं देंगे तो....। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप लोग भाषण दोगे तो ठीक है और यह बोल रहे हैं तो आप लोग...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने तय किया है और हम लोगों ने निर्णय लिया है।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, आप लोग यदि बोलने नहीं देंगे तो...।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, यदि सदन की गरिमा है, परंपरा है, उसमें भी यदि दिक्कत आ रही है तो हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि शेष जो सदन के समय बचे हुए हैं, माननीय मंत्री जी से प्रश्न नहीं पूछेंगे, उनके विभाग में चर्चा नहीं करेंगे और इस सदन में उनका बहिष्कार करेंगे। आप आगे बढ़ाईए।

सभापति महोदय :- माननीय शिवरतन शर्मा जी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया था। अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। मैं यह बोल रहा था कि ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप डायरेक्ट माफी मांग लीजिए न, आप क्यों वातावरण को बिगाड़ रहे हो ?

श्री अमरजीत भगत :- रूकिए न, ऐसा कैसे होगा ? आप बात बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- एक सेकंड। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, अब हमको उनको सुनना ही नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगा ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अब आप कार्यवाही आगे बढ़ाईए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आगे बढ़ाईए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप सुन तो लीजिए। माननीय मंत्री जी को सुन तो लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण से चालू करिए।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

सभापति महोदय :- प्रमोद शर्मा जी बैठिए, यह उचित नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसको सुन लीजिये भई ।

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं गृह, लोकनिर्माण, धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा प्रस्तुत सारे अनुदान मांगों का विरोध करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, इसका विरोध करने का जो कारण है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सारे महत्वपूर्ण विभाग गृह और पी.डब्ल्यू.डी. जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी हैं लेकिन इनका विभाग चल कैसे रहा है ? श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी हमारे सदन की सदस्या हैं, उनके साथ दो दिन पहले जो घटना घटित हुई । उन्होंने अपनी पीड़ा सदन के सामने रखी और माननीय मंत्री जी का उसमें वक्तव्य आया । वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पति के खिलाफ जो रिपोर्ट है वह विवेचनाधीन है और जो प्रकरण विवेचनाधीन हो उसमें उनके पति को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद जेल भेज देती है । (शेम-शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर में थाने के उद्घाटन का कार्यक्रम होता है । माननीय मंत्री जी उस उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहते हैं । बिलासपुर के विधायक उस कार्यक्रम में भाषण देने के लिये खड़े होते हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने भाषण में कहते हैं कि पुलिस विभाग को अपनी एक वेट लिस्ट बनाकर के दीवाल पर चस्पा कर देना चाहिए, टांग देना चाहिए ताकि लोगों को भटकना न पड़े । इनके थाने कैसे संचालित हो रहे हैं ? उस पीड़ा को आदरणीय सदन के सदस्य श्री शैलेश पाण्डे जी ने पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उद्धृत किया । माननीय सभापति महोदय, जनसुनवाई होती है । विधायक जनसुनवाई में विरोध करने के लिये जाता है । पूरा पुलिस प्रशासन जनसुनवाई में जनता को कैसे रोका जाये उसमें लगता है और विधायक जब जनता की बात को वहां रखता है तो विधायक की गिरफ्तारी होती है, नॉनविलेबल अफेंस कायम किये जाते हैं, एट्रोसिटी एक्ट के

अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है । यह हमारे यहां की पुलिस काम कर रही है । पुलिस की हालत ऐसी है कि जगदलपुर नगर-निगम की पार्षद कोमल सेन प्रधानमंत्री आवास में 40 लोगों से 25-25 हजार रूपये लेती है । शिकायतकर्ता थाने में एफिट-डेविट के साथ शिकायत करता है कि हमसे रिश्वत ली गयी है आप इस पर कार्यवाही करो । जगदलपुर के जनप्रतिनिधि धरने में बैठते हैं । ईलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरे प्रदेश में उसको प्रकाशित करता है लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती । कार्यवाही कब होती है जब एक महीने बाद...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, इनके बिलासपुर के भाजपा के विधायक ने पैसा ले लिया था, लोगों ने अपना पैसा मांगा तो उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये हमको आईना दिखा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब मंत्री जी के जवाब के बारी आही न तो मंत्री जी तें हा जवाब मत देबे, डहरिया जी ओकर जवाब दिही । ठीक है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, जब महामहिम राज्यपाल जी का हस्तक्षेप होता है तो मामला पंजीबद्ध होता है, पार्षद की गिरफ्तारी होती है और पुलिस विभाग तत्काल पीछे लगकर उसको जेल भेजने की बजाय हॉस्पिटलाईज करने में मदद करता है । कोरोना ठीक होता है तो दूसरी बीमारी में उसको अस्पताल में रखने की व्यवस्था यह सरकार, इनकी पुलिस करती है । माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई प्रदर्शन करे । प्रदर्शन करने का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है । उनके प्रदर्शन में नॉनवेलेबल अफेंस कायम किया जाता है । जगदलपुर में आर.टी.ओ. कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जाते हैं और खाली एक घटना घटती है कि वहां की जो नेमपट्टिका है उसमें कालिख पोती जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के मण्डल अध्यक्ष और उनके साथ 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है और उनकी गिरफ्तारी कब होती है जब मण्डल अध्यक्ष पार्षद था और पार्षद ने कोमल सेन के खिलाफ धरने का नेतृत्व किया तो कोमल सेन के खिलाफ मजबूरी में मामला कायम करना पड़ा तो पार्षद सुरेश सिन्हा की गिरफ्तारी होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। माननीय सभापति जी, लगातार प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और इस अपराध को बढ़ने से रोकने में पुलिस जहां असफल हुई है, वहीं निर्दोष लोगों को मारने का काम भी यह पुलिस कर रही है और मंत्री जी इसे रोकने में असफल हो रहे हैं। सिलगेर की घटना। आदिवासियों का शांतिपूर्वक धरना चल रहा था और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि हां, जो पुलिस का कैंप खोलना है, वह नहीं खुलना चाहिए।

समय :

3.15 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

पुलिस गोलियां चलाती है। 3 आदिवासी मारे जाते हैं। बाद में चौथे की मृत्यु हो जाती है। कवासी लखमा जी यहां तो खूब बोलते हैं। घटना इनके क्षेत्र की है। वहां जाने की फुर्सत आदरणीय कवासी लखमा जी को नहीं मिली। वहां जाने की फुर्सत माननीय गृह मंत्री जी को नहीं मिली। 4 निर्दोष आदिवासियों की हत्या सिलगेर में होती है और यहां का पुलिस प्रशासन उस हत्या का जिम्मेदार है। नारायणपुर में भी हाल की घटना है। एक व्यक्ति को मारते हैं। पुलिस बोलती है कि नक्सलाइट है और जब वहां उसका विरोध शुरू होता है तो विरोध शुरू होने के बाद एक हफ्ते बाद पुलिस अपने बयान से बदलती है और यह स्वीकार करती है कि यह नक्सलाइट नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया नक्सलाइट नहीं है, पर उसकी हत्या के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जवान जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की क्या? आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। माननीय सभापति जी, सारी जगह पुलिस विभाग में यही चल रहा है। अपराधियों को कैसे बचायें और निर्दोष को कैसे फंसायें और उसके चलते छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मैं सिर्फ ढाई साल का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। छत्तीसगढ़ में 3 वर्षों में सामूहिक हत्या के 81 प्रकरण घटित हुए हैं। 19 हजार 667 आत्महत्या की घटनाएं घटित हुई हैं। माननीय सभापति जी, 431 किसानों ने इस छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की है, पर सरकार चाहे आत्महत्या करने के कारणों की जांच की बात हो, चाहे किसानों की आत्महत्या करने की बात हो, चाहे सामूहिक हत्या की बात हो, इसका रिजल्ट आखिर व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर रहा है ? किससे पीडित होकर आत्महत्या कर रहा है। कहीं कोई जांच नहीं। कहीं कोई कार्रवाई नहीं और उसके चलते छत्तीसगढ़ के सारे अपराधों में हम लगातार अपना स्थान पूरे देश में बढ़ाते जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है ? माननीय सभापति जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो अपना डाटा प्रकाशित किया है, उसमें पूरे देश में बलात्कार में हम 6वें नंबर पर हैं। डकैती में हमारा 5वां नंबर है और हत्या में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। आत्महत्या में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। अपहरण में छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां है और फिरौती के लिए अपहरण में छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा है और गैंग रेप में छत्तीसगढ़ का स्थान 12वां है। यह डाटा विधान सभा के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने माननीय डमरूधर पुजारी जी के प्रश्न में 10 मार्च को दिया है। आपने यह जो डाटा दिया है, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो गई है ? हत्या के मामले में हम बिहार से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हत्या 3.3 फीसदी मामले हैं, जबकि बिहार 2.6 में है। दुष्कर्म के मामले में 1 लाख की आबादी में 8.3 प्रतिशत 3 फीसदी हमारे यहां दुष्कर्म हो रहे हैं, जबकि बिहार की स्थिति 1.4 की है। गुजरात की 1.5 की है। माने सारे अपराध माननीय सभापति जी, लगातार बढ़ रहे हैं और इन अपराधों के बढ़ने के पीछे कारण क्या है ? अपराध बढ़ने के पीछे कारण यह है कि अपराधियों को खुला संरक्षण है सरकार का, नशे के व्यापार को खुला संरक्षण है सरकार का, आज दुनिया का ऐसा कोई नशा नहीं है जो छत्तीसगढ़ में न मिलता हो और छत्तीसगढ़ की पुलिस नशीले पदार्थों की जप्ती का दावा करती है ।

बार-बार कहा जाता है कि हरियाणा की शराब पकड़ी, दिल्ली की शराब पकड़ी, पंजाब की शराब पकड़ी । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बैरियर में कितने नशे के सामान पकड़े । जो भी नशे के सामान पकड़े जाते हैं वे बैरियर में नहीं पकड़े जाते, प्रदेश के अंदर आने के बाद पकड़े जाते हैं । पकड़ी कब जाती है, बैरियर में वे सेटिंग करके निकल आते हैं, यहां जब किसी अधिकारी से, कर्मचारी से सेटिंग नहीं होती तो उसको पकड़ने का नाटक होता है और शराब के मामले में तो मैं कहूंगा कि शराब तो ज्यादातर छत्तीसगढ़ की होती है, उसमें महाराष्ट्र का, पंजाब का, हरियाणा का लेबल लगा रहता है । जितनी शराब बनती है वह भिलाई, बिलासपुर और यहीं बनती है, उसमें लेबल लगाकर बेचा जाता है । ऐसे शराब के ठेकेदारों को सरकार का संरक्षण है ।

सभापति जी, 2018 का जनघोषणा पत्र इस सरकार ने जारी किया, जिसको आत्मसात किया गया है । पुलिस के कर्मचारियों के लिए इन्होंने इतनी घोषणाएं की थीं कि 2018 में तो हमारी स्थिति यह हो गई थी कि पुलिस लाईन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया गया । जिनको आपने आश्वासन दिया, आपने कितने आश्वासन पूरे किये । आपने कहा था कि सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस के जवानों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी देंगे । रिकॉर्ड एस.पी. को अधिकार दे दिया गया है कि एस.पी. छुट्टी स्वीकृत कर सकता है लेकिन थानों का रिकॉर्ड मंगा कर देख लें । कितने लोगों को छुट्टी दी गई । केवल झूठी घोषणा की गई । सभापति जी, किट पेटी चलन बंद करके उसके स्थान पर प्रतिवर्ष 10 हजार रूपया देंगे जनघोषणा पत्र में है । माननीय मंत्री जी, क्या किट का 10 हजार रूपया देना शुरू हो गया । आप 4 बजट पेश कर चुके हैं, केवल एक बजट पेश करना बाकी है । आज भी पुलिस के कर्मचारियों को सायकल का भत्ता मिल रहा है । पेट्रोल भत्ता नहीं मिल रहा है, जबकि आपने जन घोषणा पत्र में लिखा था कि पेट्रोल भत्ता देंगे । ज़रा बताएं कि पुलिस का कौन सा सिपाही सायकल से चलता है ?

श्री रामकुमार यादव :- पेट्रोल के कीमत ला बढ़ा दे हव, अउ एती भत्ता के बात करत हौ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कौन सा पुलिस का कर्मचारी सायकल से चलता है बता दीजिए ? अब अगर आप उनको पेट्रोल का भत्ता नहीं देंगे तो पेट्रोल के खर्चे को निकालने के लिए वह कहीं न कहीं कोई व्यवस्था तो करेगा । आपने समय पर पदोन्नति देने की बात कही थी । आप चेक करवाइए कि कितने लोगों को समय पर पदोन्नति दे रहे हो । जोखिम भत्ता कितना दे रहे हो और सभापति जी, अगस्त-सितम्बर 2018 में 650 एस.आई. की भर्ती के विज्ञापन निकले । सरकार बदल गई, भर्ती रूक गई । लेकिन सरकार बदलने के बाद 2019 में इन्होंने फिर से विज्ञापन निकाला, कितने लोगों की भर्ती हुई ? छत्तीसगढ़ के 1 लाख से ऊपर बेरोजगारों ने फार्म भरा और वे इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती होगी तो हमारा भाग्य खुलेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एमन के कार्यकाल मा फार्म भरवाए रहिए, भर्ती ला हमन करवाए हन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस के बच्चों के लिए हर जिले में स्कूल की व्यवस्था करेंगे । मंत्री जी ज़रा जवाब में बता दें कि रायपुर को छोड़कर कहां-कहां पुलिस विभाग ने स्कूल खोला ? रायपुर में तो हमारी सरकार के समय में, बृजमोहन जी के समय में खुला । ज़रा आप यह बताने की कृपा करेंगे । सभापति जी, पुलिस के जवान का टी.ए. कितना है, आपको मालूम है । एक दिन का 25 रूपया फिक्स है । रायपुर के सिपाही को आप राजनांदगांव, दुर्ग ड्यूटी पर भेज दो तो क्या 25 रूपए के टी.ए. में उसका काम हो जाएगा क्या? आप स्वयं, आपका विभाग स्वयं ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि वह लूट खसोट में लगे। यदि उसको पर्याप्त पैसा नहीं मिलेगा तो वह कहीं न कहीं से भ्रष्ट तरीके से पैसा कमायेगा। 25 रूपये फिक्स टी.ए. है उसको बढ़ाने की बात थी। 60 रूपये वर्दी भत्ता, 100 रूपये महीना पौष्टिक आहार, मंत्री जी जरा अपने ऊपर में एकाध महीना ट्राई करके देख लो कि इतने में कितने दिन चल सकते हो। आपकी विभाग की व्यवस्था यह है कि भ्रष्टाचार में आपके विभाग के चलते वह लिप्त होने को बाध्य होते हैं। माननीय सभापति जी, पुलिस विभाग अपने जवानों को वर्दी और जूता खरीद कर देता है। यहां सारे पुलिस के बड़े अधिकारी भी बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- कौन से बड़े अधिकारी हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- डी.जी. साहब बइठे हे। विभाग जो वर्दी, जूता देता है। आप जरा चेक करा कर देख लो कि कितने लोग उस वर्दी व जूते का उपयोग करते हैं। वह तो खरीदी में कमीशन के भेंट चढ़ जाता है। चाहे छोटा सिपाही हो या बड़ा अधिकारी हो, सारे लोग अपनी व्यवस्था में वर्दी और जूता खरीदते हैं और पहनते हैं। आप वर्दी जूता खरीदने के बजाय, उनको एक फीक्स Amount क्यों नहीं दे देते कि आप अपने से हिसाब से खरीदो और पहनो। लेकिन यदि आप फीक्स Amount दे देंगे तो आपके लिए बचेगा कहां से? मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो चाहती तो उसको पुलिस रोक सकती थी। पर पुलिस के संरक्षण में यह अपराध यहां घटित हुए हैं। रायपुर में एक घटना बार-बार घटित होती है। 20-22 साल का लड़का निकलता है, चौक में पुलिस के जवान रोकते हैं, वह पुलिस के जवान को मां-बहन की गाली-गलौज करता है, video clipping पूरे जगह चलती है, पर सब कुछ होने के बाद उस नौजवान पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उस नौजवान के ऊपर किसका संरक्षण है? रायपुर में धर्मांतरण की घटना घटती है। जो लोग धर्मांतरण का विरोध करने जाते हैं, उनके खिलाफ में Non-Bailable Offence कायम होता है। पर सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रानिक मीडिया के सामने एक व्यक्ति संविधान की प्रतियां जलाने की बात करता है और प्रेस मूक दर्शक बनी रहती है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय सभापति जी, माननीय विधायक जी नहीं है। विधायक की उपस्थिति में जिला कार्यालय के अंदर आबकारी अधिकारी की खून के आते तक ठुकाई होती है। वहां कलेक्टर और जिले का अधिकारी उपस्थित रहता है,

परंतु राजनीतिक दबाव में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने कवर्धा की घटना का बार-बार जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सांसद संतोष पाण्डेय, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक मोती राम चंद्रवंशी, पूर्व विधायक अशोक साहू, इनको पुलिस की सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है□? इनकी सुरक्षा के लिये कितने जवान पदस्थ हैं? उसके बाद उनके खिलाफ में Non-Bailable Offence कायम होता है और गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस फरारी में चालान पेश करने गई।

श्री अजय चंद्राकर :- संतोष पाण्डेय के गिरफ्तारी का मामला लोक सभा में भी उठा है और लोक सभा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ पुलिस को क्या निर्देश दिये हैं? यह भी आप पूछो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि मैंने चार नाम का उल्लेख किया है। इनको सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है? इनके सुरक्षाकर्मी, उनके दौरे कार्यक्रम की जानकारी प्रोटोकॉल के तहत पुलिस विभाग को, राजस्व विभाग को भेजते हैं या नहीं? अगर यह जानकारी नहीं मिलती है तो आपको अपने सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर आप इनको फरार घोषित करते हो, इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए इनकी संपत्ति की जानकारी को मंगाते हों, यह आपकी असफलता है। लोकसभा में भी यह मामला उठ चुका है। सभापति जी, मैं जिस व्यक्ति का, जिस नौजवान का जिक्र कर रहा था, चौक पर वी.आई.पी. रोड में जो होटल है उसमें रिवाल्वर चलाने की घटना हुई थी। आपकी जानकारी में है कि नहीं? किसके संरक्षण में मामला कायम नहीं हुआ? अपराधी को क्यों छोड़ दिया गया? होटल मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? माननीय बृहस्पत जी चले गये, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लागाया था कि एक मंत्री मेरी हत्या कराना चाहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- खुद उसकी जांच किये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस रिपोर्ट की किसने जांच की ? जब बिना विवेचना के छन्नी साहू के पति को आप अरेस्ट कर सकते हों, एक ड्राइवर की रिपोर्ट पर, तो एक विधायक की रिपोर्ट पर आपने क्या कार्रवाई की? माननीय मंत्री जी, उस पूरे घटनाक्रम की किसने जांच की, माननीय मंत्री जी, जरा आप जानकारी देने की कृपा करें ? देश भर के अपराधियों का पनाह, शरणास्थली शरण देने का अगर कोई स्थान बना है तो हमारी राजधानी रायपुर बनी है। बड़े गर्व से माननीय मंत्री जी कहते हो कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। कहीं-कहीं तो बोलते हैं कि भूपेश हैं तो भरोसा है। माननीय गृहमंत्री जी, भूपेश जी पर कितना भरोसा है ? हम लोग तो यह मानकर चलते हैं कि भूपेश है तो क्या भरोसा, जरा आप सुन लीजिए। भूपेश हैं तभी छत्तीसगढ़ की गली-गली में गांजा मिल रहा है। भूपेश की सरकार है तभी गांव-गांव, गली-गली में अवैध शराब बिक रही है। भूपेश हैं तभी छत्तीसगढ़ में चरस, अफीम, ड्रग्स आ रहा है। भूपेश हैं तभी चौक-चाराहों में दिन-दहाड़े चाकूबाजी हो रही है। भूपेश हैं तभी सभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। भूपेश हैं तभी छत्तीसगढ़ में बलात्कार बड़े-बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश हैं तभी यह 14 सीट में सिमट गये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, यह अपने आपको खुश करने के लिए काफी है। आप खुद ही खुश होते रहो। प्रदेश की जनता वास्तविकता जानती है। आपके कितने भी झूठे आंकड़े यहां पर ले आइये, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- भूपेश हैं तभी पुलिस वाले सार्वजनिक रूप से पीटे जा रहे हैं। भूपेश हैं तभी चौक-चौराहे में हत्या हो रही है। पूरे प्रदेश में...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, लगातार हंटर की बात होती है न। वह हंटर बहुत चलाये हैं। तभी तो माननीय सदस्य महोदय लिख कर लाये हैं।

श्री अरूण वोरा :- अभी वह हंटर वाली आ गई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- भूपेश हैं तो सीमी के अपराधी रायपुर में पकड़े जा रहे हैं और कल ही सीमी के अपराधियों को पकड़ा गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी बता दे कि सीमी के अपराधी कौन है ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश सरकार आ गई है चार दिन...।

सभापति महोदय :- वोरी जी, बैठिये।

श्री अरूण वोरा :- और हंटर चलाएगी।

श्री मोहन मरकाम :- भूपेश हैं तो भरोसा है। नौजवानों को भरोसा है।

एक माननीय सदस्य :- भूपेश बघेल जी है तो अपराध असफल हुआ है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, भूपेश हैं तभी महिलाएं सुरक्षित हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके कार्यकाल में भी तो बहुत घटनाएं हुई हैं।

सभापति महोदय :- ठीक है-ठीक है, बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महिलाएं और किसान सभी सुरक्षित हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हथफोड़वा काण्ड, दुनिया भर का काण्ड हो रहा है।

सभापति महोदय :- वोरा जी, कृपया बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, रायपुर में अभी तक सीमी के 6 अपराधी पकड़े गये हैं। एक अपराधी को कल-परसों में ही 6 आंतकवादियों के साथ जुड़े होने के कारण एन.आई.ए. पकड़ कर ले गया है। हम चाहेंगे कि आप जरा इसकी जानकारी दें। रायपुर अपराधियों का चारागाह बन रहा है। आंतकवादी यहां पर आकर छिप रहे हैं और पुलिस उनको पनाह दे रही है। जरा आप इसकी जानकारी सदन में देंगे। मैं तो चाहता हूं कि इसका वक्तव्य आना चाहिए कि क्या एन.आई.ए. ने कल-परसों में किसी अपराधी को पकड़ा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार की ओर से साढ़े 3 साल से वक्तव्य आना बंद है।

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- परसों पकड़ा है। एन.आई.ए. ने सीमी के अपराधियों को आतंकवादी बंबई में 6, भोपाल में 6 आतंकवादी पकड़े गये। उनसे तार जुड़ा हुआ था और मेरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे संजय नगर से पकड़ा गया। वह यहां पर आकर क्या कर रहे हैं, कृपया मंत्री जी जानकारी दें।

सभापति महोदय :- कृपया बैठिये, माननीय बृजमोहन जी। श्री शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अरूण वोरा जी में आज हलचल है। वह मुझे बोले कि कि मैं सोमवार को हलचल के साथ आऊंगा करके।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं अरूण वोरा जी को...।

श्री अरूण वोरा :- मेरी हलचल की...।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, चलिये बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं...।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी हलचल से इनको क्या लेना-देना है। (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, शर्मा जी। जारी रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकेले होली मना रहे हों, सब विधायकों का गांधी को श्राप लगेगा। टाइम-बे-टाइम होली मना रहे हों न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, गृह विभाग पूरी तरह से माननीय मंत्री जी के नियंत्रण से बाहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले 2 साल के अंदर बजट में जितने चौकी को थाने में उन्नयन करने की बात कब लेकर के आये थे ? जरा अपने जवाब में बता दीजिए। कितनी चौकी हैं आपके बजट में जो उसमें थाने खुल गये ? आपको खाली घोषणा करने के लिए पैसा चाहिए। खाली भ्रष्टाचार करने के लिए आपको पैसा चाहिए । हम छत्तीसढ़ की जनता को लूटने के लिए हम पैसा नहीं देना चाहते ।

माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के पास जेल विभाग भी है । वास्तव में जो अपराधी जेल जाता है, उसको सुधारने के लिए जेल है, पर जेल प्रताड़ना का केन्द्र बन गया है, यातना गृह के रूप में परिवर्तित हो गया है । तीन साल में जेल में कितने बंदियों ने आत्महत्या की, जरा इसका रिकार्ड बता दें । सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है और हमेशा यह कहा जाता है कि बंदी ने दरवाजे से लटककर फांसी लगा ली, शौचालय में फांसी लगा ली, पर वास्तव में यह फांसी नहीं होती, यह हत्या होती है और उस हत्या को आत्महत्या के रूप में परिवर्तित करने का काम पुलिस के सहयोग से जेल के अधिकारी करते हैं । कुछ घटनाएं गैंगवार की होती है तो जेल को भी सम्हालने में आप अक्षम हैं । जेल की स्थिति क्या है ? आपके पास जितनी भी जेल है-केन्द्रीय जेल, जिला जेल, उपजेल । अगर सबको जोड़ तो आपके पास 13500 बंदी रखने की क्षमता की है और वर्तमान में 20061 बंदी हैं, लगभग डेढ़ गुना बंदी हैं । यह आपने अपने प्रतिवेदन में लिखा है । आदमी कैसे रहेगा, कहां सोएगा, जेल में चबूतरे

के एलाटमेंट को लेकर झगड़ा होता है । जेल में चबूतरे के लिए पैसे की बातचीत होती है तो उनको पैसा मिलता है । जेल में 2402 स्वीकृत पद हैं और उनमें से 811 पद रिक्त हैं । जेल विभाग के एक तिहाई पद रिक्त हैं । जेल की सबसे बात यह है कि जेल मेनुअल में बंदियों को जो खाने देने की बात है, उसका उल्लेख मैं विशेष रूप से करता हूं । इनके मेनुअल की कॉपी मेरे पास है । एक जेल के कैदी को दिन भर में 235 ग्राम हरी सब्जी देने का प्रावधान है । माननीय मंत्री जी, अगर गोभी खरीदकर ले आये और उसको डंठल निकालोगे तो कितना हिस्सा बचेगा ? नमक दिन में 20 ग्राम, तेल 25 ग्राम, चायपत्ती 4 ग्राम, शक्कर 20 ग्राम मिर्च 1 ग्राम, धनिया आधा ग्राम, प्याज ढाई ग्राम और हल्दी एक ग्राम, दाल 115 ग्राम और चांवल 525 ग्राम । ये कैदियों को आप दिन भर में खुराक दे रहे हैं । आप जरा बता दें कि क्या यह उपयुक्त है ? कोई बंदी व्यक्ति जाता है, अगर तीन टाईम का खाना जोड़ें तो क्या यह पर्याप्त है, आप बता दें । 20 ग्राम नमक या आधे ग्राम धनिया से एक व्यक्ति का काम चल सकता है या 4 ग्राम चाय से उसकी चाय बन सकती है ? 30-35 साल पहले जो बना हुआ मेलुअल था, उसी को अभी भी चला रहे हैं । और नाश्ते में क्या देते हैं ? सिर्फ खिचड़ी, वह भी परमानेंट । जेल विभाग का बजट लगातार बढ़ा है, पर जेल का बजट बढ़ने के बाद क्या हो रहा है ? इन बेचारों को क्या फायदा मिल रहा है । इनको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है । जेल जो है, यह जेल सुधार गृह नहीं, यातना के केन्द्र बन गए हैं ।

संसदीय सचिव (वन मंत्री से सम्बद्ध) (श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय) :- शिवरतन भैया, आप लोगों ने 15 साल क्या किया? इसमें बढ़ोत्तरी कर देनी चाहिए थी ।

श्री देवेन्द्र यादव :- उस समय इनकी सरकार थी तो जेल नहीं जाना पड़ा । अभी आन्दोलन में थोड़ा बहुत जेल गए होंगे तो देखे होंगे । पहले पता नहीं चला, पहले हम लोग जेल जाते थे । हम लोग देखते थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, आप तो बड़े विधान विशेषज्ञ हैं, आपके संसदीय कार्यमंत्री को भी थोड़ा मंतर वगैरह दो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, बार-बार विषय आता है कि 15 साल में आप लोगों ने क्या किया ? हमने जो किया, वह जनता के सामने है । चलो, हम नहीं कर पाये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- जनता ने उसी 15 साल का जवाब दे दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- ठीक है, जनता ने जवाब दे दिया और आपको यहां बैठा दिया। तो आप लोगों को कुछ करने के लिए बैठाया और लूटने के लिए बैठाया है ? जनता से वादा करके आये हैं, जनता ने जिस विश्वास से बैठाया है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए कुछ करोगे या खाली लूटने में लगे रहोगे। चारो तरफ खाली लूट मची है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास लोक निर्माण विभाग भी है। मुझे याद है कि जब पहला बजट सत्र था तो इसी सदन में एक्सप्रेस हाईवे का विषय उठा था। माननीय मंत्री जी ने बड़े जोश में कहा था कि जो भी दोषी है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चाहे ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। 3 साल हो गए। आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है ? आपने कितने लोगों को सस्पेण्ड किया और सस्पेण्ड करने के बाद किस आधार पर बहाल कर दिए ? एक्सप्रेस हाईवे 3 साल में क्यों चालू नहीं हो सका ? खाली विधानसभा में घोषणा ही करना था कि हम कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी, किसी पर कार्रवाई नहीं, ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। कहीं कोई सेटिंग हो गया क्या ? सेटिंग हो गया है तो बता दो। आज से 3 साल पहले की बात की आज विधानसभा में चर्चा हो रही है, क्या हुआ ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्काईवाक के बारे में कहा था कि यह स्मारक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- शर्मा जी, जब यह सरकार बनी थी तो मैं पहले ही विधानसभा के पहले सत्र में कहा था कि ये स्काईवॉक जरूर बनायेंगे, लेकिन अभी उसकी लागत बढ़ायेंगे। जब वह डेढ़-दो सौ करोड़ रूपये का हो जायेगा, तब उसको शुरू करेंगे। 38 करोड़ में सब थोड़ी न बनायेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी। आदरणीय सत्तू भैय्या की अध्यक्षता में एक समिति भी बन गई। 3 साल में क्या हुआ ? तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। लागत बढ़ाने के बाद बनायेंगे। ठेकेदार से कोई सेटिंग करने के बाद कोई बात आगे बढ़ेगी। आप 3 साल में भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो। विधानसभा में घोषणाएं तो बड़े गजरते हुए किए थे कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, कोई दोष नहीं बचेगा। ना अधिकारी बचेगा, ना राजनेता बचेंगे। स्काईवॉक का क्या हुआ, आपने क्या किया ? जरा बताने का कष्ट करेंगे।

माननीय सभापति जी, हमारे बस्तर के साथी मोहन मरकाम जी बैठे हैं।

श्री कवासी लखमा :- पंडित जी, थोड़ा नया बात बताओ। पुरानी बात को लेकर जनता ने जवाब दे दिया है। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री को क्यों छोड़ रहे हो भाई ? राजेश मूणत वाला क्या है ? गलत बना दिया था, उसको जनता ने बता दिया।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मोहन मरकाम जी आते-जाते हैं। केशकाल घाटी रोड की क्या स्थिति है ? वहां रोज चक्काजाम होता है।

श्री कवासी लखमा :- केशकाल की रोड में वह नागपुर वाला कहां है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- एन.एच. की रोड है, केन्द्र की सरकार ने पैसा दे दिया है। इनको काम कराना है। परन्तु इनकी काम कराने की स्थिति नहीं है।

सभापति महोदय :- समय का ख्याल रखें।

श्री कवासी लखमा :- मुम्बई का जो केन्द्रीय मंत्री है, उनके कारण वहां पर काम नहीं कर पा रहा है। यह छत्तीसगढ़ का नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, रायगढ़- जशपुर रोड की3 साल में क्या स्थिति है ? आज जशपुर जाने की स्थिति यह है कि अगर व्यक्ति को जशपुर जाना होता है तो वह रायगढ़ से जशपुर ना जाकर झारसुगड़ा रोड से जशपुर जाता है। 3 साल में कहीं कोई काम नहीं।

माननीय सभापति जी, लोक निर्माण विभाग मतलब सिर्फ दुर्ग जिला और पाटन विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण विधाना सभा है क्या ? अगर ऐसा है तो बता दो। दुर्ग ग्रामीण और पाटन विधानसभा की स्थिति यह है कि अच्छी सड़कें भी उखाड़ी जा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेमेतरा भी जोड़ दो न।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वह सड़क फोनलेन बन रही है। पर यदि जिला मुख्यालय जशपुर जाना है, तो जिला मुख्यालय जशपुर जाने के लिए सवा तीन साल में सड़क नहीं बन रही है। पाटन की सड़कें बनेंगी, दुर्ग ग्रामीण की सड़कें बनेगी। बाकी पूरे प्रदेश को खंडहर के रूप में परिवर्तित करने का काम यह सरकार करने में लगी हुई है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में तीन साल में कितने रेल्वे के ब्रिज और अंडर ब्रिज बजट में है और कितने में काम शुरू हुआ है आप जरा बता दो । बजट प्रावधान किया जाता है, बजट प्रावधान के बाद में एक ही जिम्मेदारी होता है...।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जरा बता दें, सभापति जी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि कोई सड़क, कोई पुल-पुलिया, बजट में लगातार दो साल प्रिंट होती है, बजट की स्वीकृति सदन देता है, तीसरे साल स्वमेव विलोपित हो जाता है । जिस सड़क को, पुल-पुलिया को सदन ने स्वीकृति दी है, वह कैसे विलोपित हो जाती है ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, पी.डब्लू.डी. विभाग भगवान मालिक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोरोना काल में यह घोषणा हुई थी कि नवा रायपुर में जितने आवास बन रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल आवास, मंत्रियों के आवास, अधिकारियों के आवास, सब के काम हम बन्द कर देंगे ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लगभग 1 हजार करोड़ का काम चल रहा है । दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का आप विरोध कर रहे थे, सेंट्रल विस्टा के निर्माण से 500 करोड़ रूपया प्रतिवर्ष किराये का बचना है । आपने 6 महीना रोक कर कौन सी बहादुरी की है । जरा सदन को अवगत कराये कि काम क्यों रोका गया था और 6 महीने बाद क्यों शुरू कर दिया गया । माननीय सभापति जी, आपके पास धर्मस्व और पर्यटन भी है, आप बोल रहे हैं तो छोड़ के बात कर रहा हूँ । धर्मस्व विभाग की यह स्थिति है, धर्मस्व विभाग में इतने न्यास के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि कितने धार्मिक मंदिरों के कलेक्टर सर्वाकार है, उनके पास कितनी प्रापर्टी है...।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा:- आज स्थिति यह बन गई है कि धर्मस्व, न्यास की जमीन को व्यक्ति बेच रहा है, सरकार उसको रोकने में असफल हो गई है । माननीय मंत्री जी, मैं दसों उदाहरण बता सकता हूँ । आप धर्मस्व विभाग की प्रापर्टी को बचाने में, उसका उत्थान करने में बहुत दूर हैं । उनकी प्रापर्टी को भी बचाने में असफल हुये हैं ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो ऐसी असफल सरकार हो, इसको खर्च के लिए किसी प्रकार की राशि नहीं देनी चाहिये । मैं सारी अनुदान मांगों का विरोध करते हुये, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी ।

श्री मोहन मरकाम कोंडागांव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37 का समर्थन करता हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- निराश मत होईये ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी देश या प्रदेश के विकास का पैमाना उस प्रदेश के सड़कों से आंका जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य उन्नति की असीम संभावनाओं वाला राज्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज पदार्थ, वन संपदा से समृद्ध राज्य में प्रगति का सबसे बड़ा द्वार सड़कों के निर्माण से ही खुल जायेगा । देश का 26 वें राज्य के रूप में गठित इस राज्य का क्षेत्रफल 1 लाख 35 हजार 194 वर्ग किलोमीटर है । 7 राज्यों से घिरा हुआ यह प्रदेश, जहां सड़कों का जाल बिछाने का निर्णय माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने लिया है । माननीय सभापति जी, हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में माननीय पी.डब्लू.डी. मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हर क्षेत्रों से जो सड़कों का जाल बिछा है, यहां के सड़कों की तारीफ अन्य प्रदेशों की सरकारें भी कर रही है । इस दृष्टि से भी छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास का महत्व प्रदेश तक सीमित न होकर अन्तर्राज्यीय आवागमन से भी संबंधित है । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार एक नई परिकल्पना गढ़बो छत्तीसगढ़ के साथ

आगे बढ़ रही है । हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, उससे कनेक्टिविटी के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । माननीय सभापति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में भी यह बात आई कि सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगभग 24 हजार करोड़ रुपये की सड़कें कार्ययोजना के साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। वर्ष 2022-23 के बजट में लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 6,638 करोड़ का प्रावधान है। राज्य बजट के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से भी वित्त व्यवस्था करते हुए वर्तमान में 16 हजार करोड़ से भी अधिक लागत की सड़कें एवं पुल-पुलियों का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति जी, राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 228 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 458 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 810 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 315 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति जी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़ तथा 08 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु बजट में 3 करोड रुपये का प्रावधान है। 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 08 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान है। आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, पूरे बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत राज्य में निर्मित शासकीय भवनों जैसे :- स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण की लोकप्रियता को देखते हुए इस बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 884 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से निर्मित ग्रामीण मार्गों एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु बजट में 236 करोड़ का प्रावधान है। माननीय सभापति जी, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के बजट में भी विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों के उन्नयन के लिए, नई सड़कों के निर्माण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 227.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें 38 पुलों का निर्माण किया जायेगा जिसमें 21 पुल आदिवासी क्षेत्रों में तथा 3 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए पूर्ण रखने का लक्ष्य है। जवाहर सेतु योजना के तहत 19 वृहद पुलों का निर्माण का प्रावधान है जिसमें 10 पुल आदिवासी क्षेत्र तथा 1 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में निर्माण का प्रावधान है जिसके लिए 104 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। नाबार्ड ऋण सहायता योजना के अंतर्गत पुल का निर्माण करने के लिए 71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 8 पुलों का निर्माण किया जायेगा जिसमे 02 पुल आदिवासी क्षेत्र के लिए है। राज्य मार्ग का निर्माण, मजबूती चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कर राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 167 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला मार्ग निर्माण के लिए 457 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेलवे ओवर अंडरब्रिज के लिए 90 करोड़ रुपये का, ए.डी.बी. परियोजना

के लिए जिसमें 305 किलोमीटर मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है जिसमें 27 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों तथा 28 किलोमीटर अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रस्तावित है जिसके लिए 940.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण के लिए 810 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें 776 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन होगा जिसमें 200 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सदन की यह परंपरा रही है कि देखकर नहीं बोलते, रिफ्रेन्स के लिए बोलते हैं। यदि पूरा देखकर पढ़ रहे हैं तो उसको पटल पर रखवा दीजिए। उसको मान लिया जायेगा। यदि मैं देखकर पढ़ता हूं, सभापति महोदय, हर चीज को देखकर पढ़ा नहीं जाता। आप पटल पर रखवा दीजिए, सदन का समय बचेगा।

सभापति महोदय :- आप कृपया बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने क्या-क्या काम किया है। आप यह कहते हैं कि इनके पास बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, आपको सुनने की भी आदत होनी चाहिए कि हमारी सरकार क्या रही है । आपको सुनने की भी आदत होनी चाहिये कि हमारी सरकार क्या कर रही है। केंद्र परिवर्तित योजनाएं आर.आर.पी. के अंतर्गत एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित सड़कों के लिये भी 400 किलोमीटर सड़क निर्माण, 24 पुलों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये 520 करोड़ का प्रावधान है। आप यह सुनने की हिम्मत रखिये कि हमारी सरकार क्या-क्या काम कर रही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- श्री मरकाम साहब, सरकार सब के लिये कर रही है लेकिन आपके लिये नहीं कर रही है, आप याचिका लगाते हो।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, उस काम को आज इनके पास सुनने की ताकत नहीं है। शिक्षा विभाग संबंधी भवनों के लिये भी 209 करोड़ का प्रावधान है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमने पिछले सालों में भी देखा है कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। नक्सल प्रभावित जिलों हेतु एल.डब्ल्यू.ई. योजना के अंतर्गत कुल 54 कार्यों के लिये कुल राशि 3461 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है, अभी तक 38 कार्य पूर्ण एवं 16 कार्य प्रगति पर है। इनमें कुल 1654 कि.मी. लम्बाई की सड़क एवं 3 पुलों का कार्य किया जायेगा। आर.सी.पी. और एल.डब्ल्यू.ई. योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 291 सड़क लंबाई 2479 कि.मी. के उन्नयन एवं निर्माण कार्य हेतु 25 पुलों के निर्माण कार्य, कुल 316 कार्यों के लिये 1 हजार 637 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री, गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी बजट में

प्रावधान किये गये थे, हमारी सरकार लगातार सब को प्रशासकीय स्वीकृति दे करके सभी कामों को गति देने का काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो बजट में प्रावधान थे, उनकी 2-2 साल तक प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती थी, जिसके कारण सड़कों का बुरा हाल था। आज बस्तर को देख लीजिये, सरगुजा को देख लीजिये या मैदानी क्षेत्रों में देख लीजिये, हमारी सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है। आज आप देख लीजिये, कहीं न कहीं हमारी विधान सभा से लेकर बस्तर के कोई भी विधान सभा को देख लीजिये, हर गांव डामरीकृत सड़कों से बन रहे हैं, यह हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ये मन के समय में हर जगह धुर्रा उड़े हे, बस धुर्रा।

सभापति महोदय :- यादव जी बैठिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज सी.पी.आर., एल.डब्ल्यू.ई के अगले चरण में 120 कार्यों के लिये 104 सड़क लंबाई, 539 कि.मी., 16 पुलों के लिये 392 करोड़ केंद्र सरकार एवं गृह मंत्रालय से सहमति दी गयी है। गृह मंत्रालय की बात है, आज छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंटे पर चल रही है। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, लगातार जो नक्सली गतिविधियां है, उस पर रोक लगाने में सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जहां 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, नक्सली गतिविधियां सिर्फ 3 जिलों तक ही सीमित थी, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 16 से 17 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ गयी। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन काल में नक्सली गतिविधियां हुई है। हमारी सरकार तात्कालीन यू.पी.ए. की सरकार, माननीय मनमोहन जी की सरकार, डी.आर.जी.एफ. हो या अन्य योजनाओं में 30-30 करोड़ रूपये आई.ए. की योजना और डी.आर.जी.एफ. योजना में हर जिलों को केंद्र सरकार देती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, तात्कालीन मुख्यमंत्री, उस राशि का भी बंदरबाट करते थे, सड़क और पुल-पुलियों पर ध्यान नहीं देते थे। हमारी सरकार आने के बाद नक्सली गतिविधियां आज 17 जिलों से केवल 3-4 जिलों तक ही सीमित हो गई है। आज हमारी सरकार जो लगातार काम कर रही है, यह उसी का परिणाम है। 12 सालों बाद जगरगुण्डा जैसे स्थानों में भी स्कूल संचालित हो रहे हैं।

समय :

4.00 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

हम कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं। हमारी सरकार लगातार इन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की पहल कर रही है और वहां विकास के काम हो रहे हैं। आज उन क्षेत्रों में रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। आज हम देखते हैं जो हमारी सरकार कार्य कर रही है अंदरूनी क्षेत्रों में चाहे पी.डी.एस. की दुकान हो, संचालित हो रहे हैं जो कर्मचारियों की बात है जो पुलिस कर्मियों को जो रिस्पांस भत्ता देने की बात हमारी सरकार ने घोषणा की थी, उसको भी लागू किया है। जिले में पुलिस बल, जो थानों में आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक निरीक्षक तक एक हजार से बढ़ाकर 1200 रूपये प्रतिमाह रिस्पांस भत्ता देने की हमारी सरकार ने बात की थी, वह उनको मिल रहा है। महिला अपराधों में रोकथाम के लिए कार्य किये जा रहे हैं। महिला पीड़ितों को क्षतिपूर्ति योजना के तहत भी लगातार दी जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के आश्रितों, परिवारजनों को दी जाने वाली एग्रेसिया राशि भी 3 लाख रूपये से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 20 लाख रूपये कर दिया है। इस प्रकार से शहीदों के आश्रित परिवार जनों को कुल 35 लाख रूपया हमारी सरकार दे रही है। आज परिजनों को कुल 25 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जा रही है। गंभीर बीमारी प्राकृतिक आपदा के समय संकटनिधि पूरे सेवाकाल में एक लाख रूपये दी जाती थी उसे बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपया हमारी सरकार ने की है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, छत्तीसगढ़ पुलिस सेवासम्मान निधि में वृद्धि करते हुए, इसे अप्रैल 2020 से 2 लाख कर दिया गया है। चाहे पुलिसकर्मी हो, हमारे अन्य कर्मी हों, उनके लिए लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चाहे विधायक हों, चाहे विपक्ष के कार्यकर्त्ता हों, उनके ऊपर जो भी धरना प्रदर्शन करते थे, उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो गये थे, हम जैसे विधायक पिछले कार्यकाल में थे। आज भी धरना प्रदर्शन के नाम से हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तानाशाही अपनायी गई थी।

सभापति महोदय :- मरकाम जी, जरा संक्षेप में करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर न्यायायिक जांच का प्रतिवेदन रखा है। बस्तर के एटसमेटा में हमारे वहां के आदिवासी, बीज पण्डुम, बीज त्यौहार मनाते हैं वह बीज पण्डुम का त्यौहार मना रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, निर्दोष आदिवासियों की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पेंदागेलूर हो, चेन्नागेलूर, मड़कामीड़ से लेकर अनगिनत हमारे आदिवासियों की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 3 लाख 50 हजार आदिवासियों का घर जलाकर, उनको बेदखल किया गया था। आज भी 50 हजार से अधिक जो आदिवासी तेलंगाना, आंध्रप्रदेश या अन्य प्रदेशों में बैठे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बस्तर को उजाड़ने का काम किया गया था। इसलिए बस्तर के 12 के 12 विधायक आज कांग्रेस पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र था, भारतीय जनता पार्टी के

नेताओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों की नृशंस हत्या करने का कार्य किया गया था। आज लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय :- माननीय मरकाम साहब, आप समाप्त करें और समय का ध्यान रखें। माननीय चन्द्राकर जी।

श्री रामकुमार यादव :- अभी और बोलने दीजिए। हमारे प्रमुख वक्ता है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज धार्मिक और राजस्व की बात है। तो छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परम्परा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति रग-रग में बंसी है उसके लिए राजिम, गिरौधपुरी एवं लालपुर में मेले आदि के लिए हमारी सरकार ने 90 करोड़ का प्रावधान किया है । मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए भी 55 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति, नीति की विशेष ख्याल करने वाली कोई सरकार है तो वह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। हमें लगता है कि जिस ढंग से हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है, इसलिए माननीय गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री के सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विभाग की जितनी मांग संख्या है, उन सबका विरोध करता हूं। मंत्री जी, आज थोड़े विचलित हैं। एक डेड़ घंटे पहले आ गए हैं, विधानसभा में ऐसे-ऐसे घूमते रहते हैं, ये कागज इसको देते हैं, ये कागज उसको देते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जांच पड़ताल की बस मांग करेंगे....।

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, यह वरिष्ठ नेता हैं। रोड का विरोध करोगे, रोड से नहीं जाओगे क्या, आपको रोड नहीं चाहिए ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो मुझे गृह मंत्री का कार्यक्षेत्र जानना है। कार्यक्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ है कि दुर्ग जिला है कि बंगले के अंदर भर के गृहमंत्री हैं। उसकी इंटेलीजेंसी, उनके गोपनीय सूत्र मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करते हैं कि एकात लाईन गृहमंत्री को भी बता देते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतना निरीह गृहमंत्री मैंने नहीं देखा है। कांग्रेस के भी गृहमंत्री...।

श्री कवासी लखमा :- चंद्राकर जी, आपके सामने जो गृहमंत्री बैठे हैं, वे क्या-क्या बोल रहे थे, मेरी कोई नहीं सुनता है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह वाला मेरे समय में मत जोड़िएगा। चलने दीजिए, जितना चलाए। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी बेबाकी से बहुत सारी बातें कही।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, मंत्री ताकतवर होता है, निरीह नहीं होता है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह लगता है कि...।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सभापति जी, इनके कार्यकाल में निरीह रहा होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, ऐसा है, आपके ओ.एस.डी. के पास पुराने पास एडवांस हैं उनको वापिस करो, नहीं तो उसमें भी आत्महत्या होगी। पुलिस के ऊपर जबर्दस्ती नाम आएगा। माननीय सभापति महोदय, मंत्री होते हैं, यह मैं भी जानता हूं, मैं भी कुछ दिन मंत्री रहा हूं। चलना, कहां तक कार्यक्षेत्र है, चलता है कि नहीं चलता है। डीजीपी या सेक्रेटरी या जो रेंज हैं, उसके अफसर उनके फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, त्वरित जानकारी आती है कि नहीं आती है और पुलिस सुधार के लिए 1 भी नवाचारी कदम छत्तीसगढ़ की परिस्थिति के लिए बजट में कोई नई चीजें आई हो तो बताएं। शिवरतन जी ने जितनी बातें कही, अब शिवरतन जी की बात बोल रहा हूं तो मेरे पास कोई विषय रहेगा नहीं। चिटफंड कंपनी, 375 प्रकरण जो स्थानीय लोगों के ऊपर लगे हैं, उसमें से आपने एक भी प्रकरण वापस नहीं लिया है, आपने जो कहा था कि हम वापस लेंगे और जो कंपनी मालिक है, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। गांजा की जो तस्करी आ रही है उसका प्रभाव भी हमारे काम में दिख रहा है लगता है या हेरोईन आ रही है या चरस आ रहा है या नशें के जितने सामान हैं, छत्तीसगढ़ उसका हब बन गया है। यदि यहां से सारी चीजें संचालित होती है, माफिया पहुंच चुका है तो उनके दबाव में वापस नहीं ले रहे हैं। 79 मालिक डिडेक्ट हुए हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ में कही-कहीं चिटफंड चलाते थे, इतनी तीव्रता है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ला गढ़बो नहीं, बोरबो। छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत दिखत तेला डुबोबो। अभी छुट्टा गरवा चलत हे ना, उत्तर प्रदेश में छुट्टा गरवा मुद्दा रिहिस। वइसने ओमन हा छुट्टा गरवा बरोबर घुमत हे। अब वसूली, आपकी घोषणापत्र में यह कहीं पर नहीं लिखा है कि आप नीलाम करेंगे तब उनको देखेंगे। पूरी राशि की वापसी लिखी है। अभी आपने जितने पैसे वसूल किए हैं, अभी तक किसी को बंटा नहीं है। किसी को नहीं बंटा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी एकाध दिन नाराज होते हैं तो हमारे पेपरवाले बंधु लोग छाप देते हैं कि प्रशासन सड़कों पर, पुलिस मुस्तैद, ये-वो । पता नहीं, क्या-क्या शब्द ? समझ में नहीं आता । अब विशेषज्ञ, कांग्रेस अध्यक्ष महोदय जी आदिवासी विषय की बात कर रहे थे कि मेरी सरकार, ये सरकार, वो सरकार तो आदिवासियों में अनलॉफुल एक्ट के लिये रिहाई के लिये पटनायक कमेटी बनी । पटनायक कमेटी की बैठकें हुई उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जाने का मतलब क्या है, इस कमेटी का मतलब क्या है ? अनलॉफुल एक्ट तो अभी भी आदिवासियों के ऊपर लग रहे हैं और अभी भी रिहाई नहीं हुई है तो इस कमेटी का औचित्य क्या है ? मैं इसका औचित्य बता देता हूं कि बोरबो नवा छत्तीसगढ़ ला । छत्तीसगढ़ ला बोरबो, गढ़बो छत्तीसगढ़ ला जाके सी.एम. पीछे मा बइठे रहिथे न तेमा मिटा देबे, गढ़बो ला बोरबो कर देबे ।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक एक की भी रिहाई नहीं हुई । शिवरतन जी जूते की एक बात कर रहे थे । आई.पी.सी. गदर के बाद सन् 1861 में बनी । सी.आर.पी.सी. इनका इतिहास है, जूता

दू जोड़ी या तीन जोड़ी ड्रेस यह डेढ़ सौ सालों से चल रहा है, मध्यप्रदेश ने खत्म कर दिया । स्मार्ट पुलिसिंग क्या होती है, कैसे होती है ? छत्तीसगढ़ में वह ज्यों का त्यों चल रहा है । जेल मैनुअल में मंत्री को इस बात का पालन करना चाहिए कि उन्होंने कैदियों के लिये जितना खाना निर्धारित किया है उतने में वह एक सप्ताह जिंदा रहकर बतायें । मैं उनकी दीर्घायु की कामना कर देता हूं । यह एक प्रतीक है कि वह एक सप्ताह तो उनके खाने को उतनी मात्रा में खाकर बतायें तो आज की तारीख में गृह विभाग का जो मतलब है । मैं बार-बार अपने सोशल मीडिया में लिखता हूं कि गृह विभाग छत्तीसगढ़ में खत्म कर देना चाहिए, खत्म इसलिये कर देना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप आज के जमाने की जरूरत है । अकबर भैया, पुलिस ने ठगी का स्टार्ट अब शुरू किया है । आज भी एक करोड़ की ऑनलाईन ठगी हुई । आज भी 1 करोड़ रूपये की ऑनलाईन ठगी हुई है । दुनियाभर के जितने नटवरलाल हैं या जो थोड़ी-बहुत अक्ल वाले हैं, जिसको बटन दबाना आता है, की-पैड दबाना आता है वे सब छत्तीसगढ़ को चारागाह बोलते हैं । यह शब्द छोटा है, वह पशुओं के लिये उपयोग होता है । ऐशगाह, पुलिस का संरक्षण, मंत्री का संरक्षण, पी.ए. का संरक्षण, ओ.एस.डी. का संरक्षण, आई.जी. का संरक्षण और जो-जो लोग हैं उन सबका संरक्षण । आपने कॉरिडोर एक्ट बना दिया है, पहले बोलते थे न कि रेत कॉरीडोर नेपाल से लंका तक कहां तक शायद केरल तक बन रहा है तो एक कॉरीडोर बन गया । मैं तो एकदम हास्यास्पद उनका बयान सुनता हूं । मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि उड़ीसा पुलिस क्यों कार्यवाही नहीं करती ? गाड़ी मॉबलिचिंग करके मध्यप्रदेश जा रही थी तो मध्यप्रदेश पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती ? यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है ।

माननीय सभापति महोदय, अपराध जहां घटित होगा, जिस समय घटित होगा वहां पर उपस्थित बल ही वहां पर कार्यवाही करेगा । यह कौन सी नयी थीम है ? गांजा उड़ीसा में होता है और छत्तीसगढ़ आ जाता है, पुलिसवाले उतना ही पकड़ते हैं । जितना उनको दिखाना जरूरी है । बाकी सब ऐसा ही है । एक नया ट्रेड, धमक वाले गृहमंत्री हैं बोलते हैं भई, मैं तो नहीं जानता कि कार्यक्षेत्र क्या है ? मैं उनके सामने दोहरा देता हूं कि धमक होती न तो इस सरकार में पहली बार यह ट्रेड शुरू हुआ कि कोण्डागांव में पुलिस की पिटाई होती है, बोल रहे थे कि डीएसपी पिटाई हुई । वीडियो बने, सारी चीजें हुई, एक पैसा भय नहीं । उसके बाद अब मैं झीरम काण्ड में बाद में चर्चा करूंगा । जितने प्रकार के अपराध होते हैं वे सब यहां हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक शब्द गंजेड़ी पूछता हूं । यह गंजेड़ी शब्द संसदीय है कि असंसदीय है ? आप भी एक न्याय योजना शुरू कर लो गंजेड़ी न्याय योजना । सरकार की ओर से उनको चिलम, गोटी, लंगोटी सब फ्री दिया जायेगा, पूरा छत्तीसगढ़ गांजा पीओ बोलो, गांजा फ्री है करके तो आपके यहां यदि बहुत सारी न्याय योजना चल रही है तो एक गंजेड़ी न्याय योजना शुरू कर दो । सरकार की ओर से जो गांजा पीयेगा, अफीम-चरस पीयेगा उसको चिलम, गोटी-लंगोटी सब सरकार की ओर से दिया जायेगा । पुलिस और गृहमंत्री का काम इतना ही है । लॉ एण्ड ऑर्डर नाम की जो चीज होती है, जो

पुलिस की धमक होती है , वह खत्म हो गई है। अब यह ज्यादा बोलने का विषय नहीं है। जेल सुधार के बारे में बोल दिया। मैंने एक दिन मंत्री जी को बोला एक हफ्ते का खाना उन्हें खिलवा दीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए, हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो एक विभाग हुआ है। मैं तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- तो आपके 7 ब्रेक हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, सड़क विभाग पर नहीं बोलता। सड़क विभाग में एक लाइन बोल देता हूं। एक लाइन बाजू कर दिया। एक एहसान करना मुझ पर कि कोई एहसान मत करना मुझ पर। गृहमंत्री जी यह वांटेड फिल्म का डायलॉग है। मेरे विधान सभा में आपने जितने 5-6 रोड दिये हैं, उसे आप वापस कर लो। बजट में घोषणा करोगे कि ये इन 6 रोड को मैं विलोपित करता हूं। विधान सभा में हां की जीत हुई, ना की जीत हुई, उसमें मान लिया जायेगा। उसका कारण यह है कि आपको प्रदेश स्तर का दृष्टिकोण बनाने में टाइम लगेगा और सरकार चल देगी, लेकिन आप 2-3 काम ऐसे कर रहे हैं कि सड़क के इतिहास में सबसे पहले शेरशाह सूरी का नाम लिया जाता है। जिसे आज कल ग्रांट ट्रंक रोड बोलते हैं, जिसे बनाया गया। अटल जी का नाम लिया जाता है। ग्रामीण सड़क राज्य के विषय होते थे। उन्होंने कहा कि यदि हम ग्रामीण सड़क नहीं बनाएंगे तो उन राज्यों के पास इतनी क्षमता नहीं है। मैं आपका दृष्टिकोण बता देता हूं। वह अंडा के constituency में आता है। दुर्ग से अंडा फोरलेन। कोई सड़क नीति नहीं। कोई ट्रैफिक की गणना नहीं। कोई बात नहीं और संकीर्णता कितनी। यदि उसे बालोद से जोड़ देते तो कितना किलोमीटर लगता, लेकिन शेरशाह सूरी बनना है। याद रखा जायेगा इस ग्रांट ट्रंक रोड के लिए। उतई से पाटन फोरलेन, अकबर जी, हम वहीं पैदल चलने के लिए चलेंगे। शेरशाह सूरी के बराबर का आदमी है, दो फोरलेन है। बाकी ए.डी.बी. का पैसा मिला, सी.आर.एफ. का पैसा मिला और कोई खुलेआम लोन मिला तो बड़ी सड़कें गडकरी जी की कृपा से कुछ बन रही हैं। बाकी तो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। पी.डब्ल्यू.डी. का बजट आर.ओ.बी. जितना आप देखेंगे, मैं किसी दिन बाद में बोल दूंगा। अभी जल्दी बोलने के लिए बोल रहे हैं तो आर.ओ.बी. जितनी जरूरत है, वह भिलाई 3 और वह बालोद उसी तरफ जरूरत है। छत्तीसगढ़ में और रेल चलती नहीं है। इसलिए तो छत्तीसगढ़ स्तर का दृष्टिकोण बनाना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- क्योंकि महोदय जी, भा.ज.पा. शासनकाल में बालोद विधान सभा को एक भी रोड नहीं मिला था।

श्री अजय चन्द्राकर :- गुण्डरदेही नहीं तो बालोद जोड़वा ले तोर constituency में, दम से बोलथौ अंडा तक हे फोरलेन हा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओहा जुड़ जाही। अभी अगले बजट में जुड़ जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक मिनट पर्यटन में बोल देता हूं। कई प्रकार के पर्यटन होते हैं। एडवेंचर के पर्यटन है। धार्मिक पर्यटन है। ऐतिहासिक पर्यटन है। साहसिक पर्यटन है। कई तरह के पर्यटन है। मुझे भी थोड़े दिन पर्यटन में काम करने का अवसर मिला है, लेकिन माननीय पर्यटन मंत्री को चाहिए कि उसमें भी स्टार्ट-अप शुरू कर लें। वे आपके बाजू में बैठे थे। उठकर चले गये। उस दिन मैं बोला था कि मैं पटल में रखूंगा। तो आज नाम बता देता हूं। सुकमा की डोंडरी अंतर्राष्ट्रीय जगह बन गयी है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा और महाराष्ट्र, तेलंगाना सबके जुआड़ी आते हैं, पुलिस को पूरा मालूम है। पर आप उसे विकसित करते हैं लास वेगास या पटाया की तरह तो जुआ खेलना भी एक पर्यटन होगा। आप उसमें संभावनाएं तलाशिए। संरक्षण दीजिए। जब गांजा को दे सकते हो तो उसे भी संरक्षण दीजिए। अब दूसरे पर्यटन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने राजनीतिक पर्यटन शुरू किया। जो चित्रकूट में वहां के हट बने है, दारू की बोतलें, मुर्गे की हड्डी, मछली का कांटा पूरे देशभर में वायरल हुआ। आपने कांग्रेस के विधायकों का ऐसा स्वागत किया और अभी रिजल्ट के पहले भी छपा कि उनकी बाड़ेबंदी बनने के लिए छत्तीसगढ़ में यदि सुरक्षित जगह है तो वह चित्रकूट है। मैंने लिखा था कि आप पर्यटन स्थल चित्रकूट को देखने आइए, दारू, गांजा फ्री, मुर्गा फ्री। पूरे देशभर में वायरल हुआ और उसमें हमने इतनी प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ में अपने सेवाभाव से अर्जित की, पर्यटन माने सत्कार hospitality ही होती है। आपने hospitality इतनी जोरदार दिखाई कि पूरा विश्व, पूरी कांग्रेस पार्टी आपका अभिनंदन कर रही है । आप इसी योग्यता के कारण मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वह तो शकुनी का पासा है गड़बड़ हो गया, नहीं तो आप बन ही गए थे । माननीय सभापति महोदय, आखिरी में धर्मस्व के लिए दो लाईन बोल देता हूं । मैंने एक प्रश्न लगाया कि धर्मस्व में कितने ट्रस्ट हैं ? उसकी लिस्ट बता दूं तो जितने ट्रस्ट मेरे जिले या राजिम में हैं, उसकी भी जानकारी नहीं थी । उस ट्रस्ट में कितना पैसा है उसकी जानकारी उनको नहीं थी । कितने ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, कितने के सर्वाधिकार कलेक्टर के पास हैं । उन मंदिरों में यदि पूंजी है तो उसकी देखभाल कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वे लोग चले गए हैं । मुझे एक लाईन की जानकारी देकर टहला दिया गया कि मैं इसका एक डायरेक्टर बना रहा हूं । फिर मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा । दूसरे प्रश्नों में मैंने ट्रस्टों के खर्चे पूछे तो एक ट्रस्ट ने 44 लाख खर्च कर दिया । मंदिर का ट्रस्ट, उसने कहा कि जनहित में खर्च कर दिया । मैं यह उत्तर दिखा दूंगा, पटल में रख दूंगा । तो मंदिर के पैसे भी खाने के लिए हो गए आपके लिए । यदि आप नहीं करते तो आपके संरक्षण में हो रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- अयोध्या में देखे रहे, कइसे होर रहिस तेला ।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त करें, समय का ध्यान रखें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुरूद की बात कभी नहीं करता । धोखे से एक चिट्ठी लिख दिया था, कांवरिया जाते हैं तो मेघा में उनके लिए कांवर टांगने और ठहरने के लिए

स्थान बनाना है, मैंने 3 साल पहले लिखा था । बहुत विनम्रता से उस चिट्ठी को वापस लेता हूं, आप कृपा करके उसको मत बनाइएगा। मेरे क्षेत्र में 5 सड़क बनाए हैं, घोषणा कर दीजिए कि मैं इसको वापस लेता हूं । आप मानसिकता के लिए बढ़िया ध्यान करिये । आपको 5-7 ध्यान सिखा देंगे ताकि आपके मन में यह सेटअप तो बने कि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं । आप अंडा और पाटन तक के मंत्री नहीं हैं ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आपकी सारी बातें आ गई हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप से आखिरी बजट आएगा, जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा और पूरे बजट में यदि थोड़ी भी नैतिकता है, पूंजीगत् व्यय माना जाता है, सड़क इस देश की धमनी होती है, शिक्षा आती है, चिकित्सा आती है, सभ्यता आती है, क्रांति आती है, सारी चीजें आती हैं । आप असफल साबित हुए हो और आपमें यदि नैतिकता है तो बता दीजिए कि 3 साल में मुझे इतना बजट मिला, इसमें से इतने की प्रशासकीय स्वीकृति हुई और इतना आपने रिवाइज किया और कितने की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई और पहली बार मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे कि 24 हजार करोड़ का बनाएंगे, हिसाब तो दें कि कौन सा 24 हजार करोड़ है । कब से कब तक का 24 हजार करोड़ है । रोजगार मिशन जैसा बना रहे हैं कि 15 साल में आप इतना रोजगार देंगे । उसमें बाद में बात करेंगे । निहायत असफल गृहमंत्री, निहायत असफल, दृष्टिकोण विहीन, धर्मस्व के पैसे का दुरूपयोग करने वाला और पर्यटन में दारू और मुर्गा फ्री करने वाला, उसका पैकेज देने वाला गृहमंत्री आपका अभिनंदन करते हुए, आपको सेल्यूट करते हुए, आपकी कार्यप्रणाली और आपकी निरीहता के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए । आपके अधिकारी आपका फोन उठा लें तो आप जो कहेंगे वह करूंगा, खास तौर पर पुलिस विभाग के । हमारा तो संवाद ही नहीं है, हम 14-18 लोग तो समझते ही नहीं कि कोई अधिकारी हमारा फोन उठा लेगा । संवादहीनता आपकी पुलिस की उपलब्धि है । बड़ी घटना घट जाती है जब देना चाहो तो बेस्ट पुलिसिंग जिसे कहते हैं, वह 30 राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है । आपको, आपकी निरीहता के लिए अपनी सद्भावनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ । धन्यवाद् माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- श्री आशीष कुमार छाबड़ा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- छाबड़ा जी, आपके ध्यानाकर्षण का क्या हुआ ? पहले तो ध्यानाकर्षण का जवाब ले लो ना, उसके बाद बोलना, ज्यादा अच्छा है (हंसी)।

श्री कुलदीप जुनेजा :- बृजमोहन जी, वह सब हो जाएगा ।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- माननीय सभापित महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51 और 37 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर किसी भी राज्य के विकास की तुलना देखी जाय कि वह राज्य में किस गति से विकास हुआ है और अर्थव्यवस्था की जो धमनियां हैं,

उसको अगर हम मानेंगे तो सड़कों को मानेंगे। अगर हम किसी भी राज्य में प्रवेश करते हैं, वहां की सड़कें अच्छी होती हैं, पहुंच मार्ग अच्छे होते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस प्रदेश में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार कि पहली बार अगर हम देखें तो 15 साल के बाद बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैं समझता हूं कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में, सभी अंचल में, सुदूर अंचलों से भी मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम हमारी सरकार के माध्यम से, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 16 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पुल-पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- छाबड़ा जी, उसके लिए भी दे देना जो बजट में आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधानित है। उसको पढ़ देना कि कितना हुआ है।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- जी, जी। साथ ही साथ इस बजट में कुल 6,638 करोड़ का प्रावधान राज्य बजट से अतिरिक्त संसाधन की भी व्यवस्था करते हुए इस बजट में किया गया है। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों से सड़क निर्माण के काम काफी तेज गति से आगे बढ़े हैं। चूंकि, मैं बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हूं। अगर मैं अपने विधान सभा की बात करूं। बेमेतरा जिला मुख्यालय है और बेमेतरा शहर एक ऐसा शहर है, जहां की जो परिवहन व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वह मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करती है। वह जबलपुर से रायपुर मुख्य मार्ग बेमेतरा होते हुए गुजरता है। माननीय सभापति महोदय, पिछले कई वर्षों से बेमेतरा जिला बनने के बाद लगातार जिला मुख्यालय के लोगों के माध्यम से यह मांग की जा रही थी। यहां तक की उनको आंदोलन भी करना पड़ा कि बेमेतरा में एक बाईपास निर्माण होना चाहिए। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद आपसे हम बेमेतरा वासियों ने निवेदन किया। चूंकि सौभाग्य से आप भी बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। तो आपने उस मांग को प्राथमिकता में लेते हुए तत्काल उसकी स्वीकृति की और वह काम लगभग पूर्णता की ओर है। बहुत ही जल्दी हमारे यहां बाई पास निर्माण का काम हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील हैं। निर्माण के मामलों में यह जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे थे, शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, उसको त्वरित जो काम पिछली 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पाया, वह हमारी सरकार बनने के एक साल के अंदर ही आपने उस मांग को सहज स्वीकार करते हुए उसकी जो स्वीकृति दी है, निश्चित रूप से मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। चूंकि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा का विधायक हूं इसलिए मैंने अपने विधान सभा का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं समझता हूं कि हमारे जितने विधानसभा के विधायक साथी हैं, लगभग सभी के क्षेत्रों में काफी अच्छे लोक

निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। सभी क्षेत्रों में चारों तरफ रोड के पुल-पुलिया की मांग के अनुरूप विकास काम तेजी से चल रहा है। एक व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। इस योजना हेतु इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, प्रत्येक शासकीय भवन हो, चाहे आंगनबाड़ी के केन्द्र हों, चाहे स्कूल हों, चाहे पंचायत के भवन हों, पहले हमारे बच्चे जब घर से निकल कर स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो स्कूल जाते-जाते उनके जो पहुंच मार्ग विहीन स्कूल थे या स्कूल के भवन थे, आंगनबाड़ी के भवन थे। बच्चों को बरसात के समय से कीचड़ से होकर जाना पड़ता था। उनको बड़ी मुसीबतों और कष्टों का सामना करना पडता था। लेकिन एक बहुत ही अच्छी योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से आपने जो एक नई योजना की शुरूआत की है जिससे सभी शासकीय भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल एवं अन्य भवनों को जोड़ने का काम किया है। इस साल उस योजना के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस विभाग के माध्यम से बेरोजगार इंजीनियरों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे बहुत से ऐसे बेरोजगार इंजीनियर हैं जो डिप्लोमाधारी हैं। जिनको नौकरियां उपलब्ध नहीं होने के कारण वह लगातार इधर-उधर भटकते थे, लेकिन आपके विभाग के द्वारा जो एक नया निर्देश जारी हुआ है कि ठेकेदारों को अपने हर पैकेज में, हर कार्य में एक इंजीनियर रखना अनिवार्य होगा, उससे निश्चित रूप से हमारे जो बेरोजगार इंजीनियर थे, जिनके मन में एक निराशा आ गई थी, जिनके आने वाले भविष्य को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, उनको आप एक अच्छा आपके विभाग के माध्यम स मिला है। उनको जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। जल्दी कीजिए, समय का ध्यान रखना है न।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय जी, अभी तो समाप्त नहीं हुआ है। आपका थोड़ा-सा संरक्षण चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिये, जल्दी कीजिए।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- तो निश्चित रूप से ऐसे बेरोजगार इंजीनियरों को भी आपने रोजगार देने का काम किया है उसके लिए भी मैं आपके प्रति आभार और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ऐसे बहुत सारे बेरोजगार साथी थे, जो कुछ करना चाहते थे, जिनके मन में इच्छा थी, जिनके मन में जिज्ञासा थी कि हम भी कुछ करें। हमारे माध्यम से हमारे परिवारों का घर चले। उनमें करने की क्षमता थी लेकिन उनको करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। ई-श्रेणी पंजीयन के माध्यम से जो हमारे बेरोजगार युवाओं को आपने 50-50 लाख रूपये तक के काम एक प्रति वित्तीय वर्ष देने का जो इसमें प्रावधान किया है पिछले वर्ष से यह योजना चालू है। निश्चित रूप से उन सभी बेरोजगार

युवाओं की तरफ से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे विपक्ष के जितने साथी हैं, सभी हम सब से काफी विद्वान हैं। मैं सभी का निश्चित रूप से सम्मान करता हूं। लेकिन, जब से यह सत्र प्रारंभ हुआ है तब से लगातार पुलिस विभाग की चर्चा चलती आ रही है। मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं क्योंकि मैं खुद एक उदाहरण हूं। पिछली बार जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं तात्कालिक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। एक महिला को, पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के नाम से हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसके लिए हमारे ऊपर ही 307 की धारा तात्कालिक जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के साथ-साथ पूरे कांग्रेस कमेटी के लोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर सभी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो अत्याचार पुलिस विभाग के माध्यम से इन्होंने किया है उसका मैं एक जीता-जागता उदाहरण हूं और यह पुलिस विभाग की बात करते हैं। मैं तो समझता हूं आज की तारीख में मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जिले में बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं जिसको ट्रेस करके तत्काल पुलिस विभाग ने उसपर तुरंत कार्रवाई की है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पुलिस काफी संवेदनशील पुलिस है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी से और जवाबदारी से काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से लगातार उनको प्रोत्साहित करते हुए उनको...।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेमेतरा में सट्टा नहीं होता है बोल रहे हो ?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- नहीं, बेमेतरा में बिल्कुल सट्टा नहीं होता है। तो निश्चित रूप से काफी अच्छा काम हमारी प्रदेश...।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत सिंह जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- प्रश्न आ गया है। छाबड़ा जी, समय का ध्यान रखिये।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने पहले भी बताया था कि बजट में कोई प्रावधान कर देने से ही विकास नहीं होता है क्योंकि सरकार की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। बजट में जो प्रावधान किये गये हैं उनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से और त्वरित रूप से हो, तभी कोई काम हो सकता है। बजट में, मैंने सामान्य बजट की चर्चा में भी इसका जिक्र किया था, उस दिन मंत्री जी उपस्थित नहीं थे। पिछले साल

के बजट में खुड़िया के पास जाने के लिए मनियारी नदी पर एक पुल, यह ई.एन.सी. साहब ने एक चिट्ठी लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करें। एक साल पहले इसी तारीख में जो बजट पास हुआ था, उसमें खुड़िया के पास का कारीडोंगरी और दरवाजा गांव के बीच में मनियारी नदी में एक पुल बनना है उसका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आप एक साल में नहीं दिये, टेण्डर नहीं हो पाया तो आखिर सड़क-पुल कैसे बनेगा ? इस प्रक्रिया को बहुत सार्ट होना चाहिए। एकदम कम होना चाहिए कि कैसे भी जो भी प्रावधान है चाहे आप एक दीजिए, दो दीजिए, पांच दीजिए, एक हजार दीजिए लेकिन आपका काम इतना त्वरित होना चहिए कि वहां पर यह बने। हम लोग अखबार में छपवाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि सड़क नहीं बन रही है, टेण्डर नहीं लग रहा है तो लोग हमको गाली बकते हैं इसलिए कृपा करके आपकी व्यवस्था को सुधरवा लीजिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पुल के काम को भी लिखा था कि ऐसा-ऐसा पुल है । माननीय मंत्री जी, मैंने आपको रवेली विजयपुर मार्ग पर मनियारी में उच्च स्तरीय पुल 15.2 को चिट्ठी लिखी थी । मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह बजट में आया या नहीं आया, कृपा करके मुझे बता दीजिएगा । अगर एक भी पुल मंजूर हुआ हो तो मुझे जरूर आप कृपा करके बताईएगा ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपका एक काम तो ठीक है, जो मुख्यमंत्री गौरवपथ, सुगमपथ बढ़िया स्कीम है । मैं चाहता हूं कि उसमें और पैसा रखें और उसमें कुछ सड़कें बन भी रही हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में है । आशीष जी ने ई टेण्डरिंग के बारे में बात की, आपका वह काम ठीक है, कई हजार बेरोजगारों को आपने काम दिया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं । ए.डी.बी. में अभी चौथे फेस के लिए बैंक का फाईनेंस होना है, उसमें मैं चाहता हूं कि मुंगेली से लोरमी की तरफ जो सड़क आ रही है, उस सड़क को बढ़ाकर बोधापारा से लोरमी और लोरमी से उसको गोढ़खामी की तरफ उस सड़क को बनाने के लिए कृपा करके आप जरूर जोड़ दीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी, लोरमी में थाना भवन बहुत पहले बना हुआ है । उसमें आजतक थाना नहीं लग रहा है । डी.जी.पी. साहब भी बैठे हैं । वह भवन खण्डहर हो रहा है । मैं चाहता हूं कि अगर वह भवन आपको पसंद नहीं है तो कृपा करके उसको आप हमें वापस कर दीजिए, नगर पंचायत को दे दीजिए, वहां पर एक सामुदायिक भवन बनवाएंगे और जहां पर नया थाना है, वहां पर नई बिल्डिंग के लिए आप पैसा मंजूर कर दीजिए, ताकि वहां थाना भी बन जाए और जो पुरानी बिल्डिंग 10 साल से बनी हुई है, वह खण्डहर हो रही है । आपने उसमें ताला बंद करके रखा है, पुलिस वालों से उसको कोई ले नहीं सकता, दूसरे विभाग के लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते, आप खुद उसका उपयोग नहीं रहे हैं, लेकिन ताला लगाकर आप अपना जन्मसिद्ध अधिकार बता रहे हैं तो यह सब ठीक

नहीं है, उसको खतम करिए और ताला-चाबी मंगवाकर हमारे नगर पंचायत में भिजवा दीजिए । उसमें हम सामुदायिक भवन बनवाएंगे और आप एक नया थाना भवन खुलवा लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन सत्र पहले बोला था कि खुड़िया में जो चौकी है, उसमें उत्पात बहुत होता है । उसको बंद कर दीजिए और उस चौकी को डिंडोरी गांव में ट्रांसफर कर दीजिए । आपने खुड़िया की चौकी को तो बंद कर दिया, लेकिन डिंडोरी में उसको नहीं खोला। उसमें बड़ा विरोध होने लगा । ऐसा लगा कि जैसा कि मैं नहीं चाहता हूं । मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि खुड़िया एकदम जंगल के नीचे में है, वहां पर गांव वालों के ऊपर पुलिस वाले कुछ भी बोलते रहते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है इसलिए मैंने कहा था । अगर आप डिंडोरी में खोल सकते हैं तो खुड़िया को ही आप थाना बनाकर ठीक से काम करा दीजिए ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नवागांव ठेलका और सिंघनपुरी एक अनुसूचित बाहुल्य गांव है । इसके बीच में 3 किलोमीटर की नई सड़क की मैं आपसे मांग करता हूं । मैंने जो पुल-पुलिया लिखा है, अगर आपके बजट में एक भी आया हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिएगा । मुझे बजट की किताब देखने नहीं आती है कि कहां-कहां कैसे रहता है, क्या लिखा है, ईमानदारी की बात यह है कि वह समझ में भी नहीं आता है इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं और पण्डरिया में एक बाईपास रोड़ बनवा दीजिए । पण्डरिया के अंदर ट्रेफिक बहुत है । कवर्धा जिले में पण्डरिया है, वह मेरा गांव है, मेरा घर है, मेरा जन्मस्थान है । मैं वहां के लिए कहना चाहता हूं कि वहां पर एक बाईपास रोड़ बन जाए, जो लोरमी और मुंगेली की तरफ से आने वाली गाड़ियों को सीधा कवर्धा की तरफ भेज सके क्योंकि अभी वहां पर शक्कर कारखाने के कारण बहुत सी तकलीफें बनी हुई हैं ।

माननीय सभापति जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, आप मुझे जरा बताईए, मैं आपके विभाग का प्रतिवेदन पढ़ रहा था । सारे प्रतिवेदन में जितने फोटो छपे हैं, वह सब भाजपा शासनकाल में बने हुए रिसोर्ट हैं चाहे वह चिल्फी का हो या और कहीं का हो । मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि खुड़िया सबसे सुन्दर जगह है, आप खुडिया नहीं गए हैं । अगर आप हेलीकाप्टर मांग लें तो आप कल चले जाईए, घूमकर आ जाईए, हमको मत ले जाईएगा । हम नहीं कहते कि हेलीकाप्टर में हमको ले चलिए, लेकिन वहां जाकर देखिए, तीन साल में वहां पर दो लाख रूपए का एक चबूतरा भी आपने पर्यटन विभाग से कुछ नहीं बनवाया है । मैं यहां मांग कर-करके थक गया, अब तो बोलने में भी लज्जा आती है । इसलिए अब हम लोग नहीं बोलेंगे । आपकी इच्छा हो तो बनवाईएगा । वैसे मैंने अपने विधायक निधि से 20 लाख रूपए वहां पर प्रोफेसर पी.डी. खेरा, जिन्होंने लमनी में अपना जीवन समर्पित किया आमाडोब में है, उसे ठीक-ठाक करा दीजिए, हमारे क्षेत्र में आखिरी एक मांग करना चाहता हूँ, इसको जरूर कर दीजिएगा । आप कोई काम मेरा करे या मत करे ..।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भईया, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, संगति गलत होने से आज हर बात में यह बोल रहे हैं कि मेरा यह काम मत करियेगा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ साहब । इस गांव के लोग बहुत परेशान है । इसको बजट में प्रावधान नहीं करना है। इसको ई.एन.सी. या बृज वाले जो अधिकारी हैं, एक हुकूम में उसको मंजूर कर देंगे । नवागांव दयाली, लोरमी विधान सभा क्षेत्र का नवागांव दयाली में आपके समाज के लोग हैं, वहां से डिंडौरी गांव दोनों के बीच में एक छोटा सा रहन नाला है, 25 या 50 लाख रूपया में वह पुल बन जायेगा । उसको बनवा दीजिए साहब, कई साल से मैं परेशान हूँ, बोल-बोल के थक गया हूँ, बनता नहीं तो आखिरी में अपने ही ऊपर भरोसा नहीं होता, आखिर हम किसको बोलें, क्यों बोले कि नहीं बोले, कान्फीडेंस लूज हो रहा है ना, आप कम से कम इसकी घोषणा जवाब में जरूर कर दीजिएगा । एक पुल जो रवेली के पास है, रबेली गांव हमारे लोरमी में है, उसके बाद मनियारी नदी है,उस तरफ तखतपुर का विजयपुर गांव है, उसमें पुल नहीं है, बड़ी-बड़ी आबादी वाले गांव है, दोनों अंडमान, निकोबार, जाफना सरीखे कटा रहता है, दो पुल के बारे में जरूर बोलिये । मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मंजूरी दे देंगे तो हमारे पिछड़े हुये क्षेत्र में भला हो जायेगा । हमारे खुड़िया में आप जरूर टूरिज्म के नाम से कुछ न कुछ जरूर कराईयेगा । ऐसी मैं आशा करता हूँ । आप विचार भी करेंगे, ऐसा सोचता हूँ । आपने मौका दिया उसके लिए आभारी हूँ, क्योंकि आपने इतना शांति से बोलने का अवसर दिया, उसमें हमारे क्षेत्र के विकास के कई कामों के लिए माननीय मंत्री जी ने ध्यान दिया है । मैं आशा करता हूँ कि उसमें वह विचार करेंगे । धन्यवाद ।

सभापति महोदय:- श्रीमती संगीता सिन्हा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, आज इस बजट अनुदान चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ । बजट अनुदान की चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत वर्षों से ओव्हर ब्रिज की मांग थी, जो बालोद राजनांदगांव मुख्य मार्ग परपाल राज रेल्वे क्रासिंग ओव्हर ब्रिज के लिए जो बजट में सम्मिलित किया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । सभापति महोदय, यह वर्षों से मांग थी, भाजपा काल से हम लोग मांग करते-करते थक गये थे, उभी उस रेल्वे क्रासिंग में एक दिन में 32 बार ट्रेन गुजरती थी, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक रेल्वे क्रासिंग बन्द रहता था, वहां पर कई लोगों की मौतें हो चुकी थी, एक्सीडेंट में मारे गये थे, वहां एम्बुलेंस खड़ा रहता था, चाहे डिलिवरी वाले खड़े रहते थे, चाहे बच्चे की तबियत खराब हो, कई मौतें वहां पर हो चुकी थी । बजट में इसे शामिल करने पर मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ । सभापति महोदय, दूसरा जो सबसे इम्पार्टेंड था, सेमरिया नाला पर ग्राम बोरी का पुल निर्माण । सभापति महोदय जी, ग्रामवासी इतने परेशान थे, वहां भी स्कूल का जो बस था गिर चुका था, कई बार गिर चुका था । यह

ऐसी मांगे थी, जो पूरा हो नहीं सकता था । हमारे गांव के लोग, बोरी गांव के लोग, होली और दीवाली एक साथ मनाये हैं । हनुमान मंदिर में पूजा करके खुशी व्यक्त किये और सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किये हैं । इसके साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बासिन मेंनवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इसको इसलिए विशेष रूप से रख रही हूँ कि मैं उच्च शिक्षा मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गृह मंत्री का गृह ग्राम बासीन है । रामायण में राजा दशरथ की एक कहावत है कि राम ने जो आज्ञा का पालन किया, वैसे ही हमारे गृह मंत्री जी के पिताजी का एक सपना था कि बासिन में महाविद्यालय हो, उस सपने को साकार हमारे गृहमंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने बजट में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए विशेष प्राथमिकता दिया है। जैसे कि हमारे सम्माननीय विपक्ष के साथी ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में सड़क का काम नहीं हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में अपने-अपने क्षेत्र में पूरा कार्य अच्छे से कर लिया है। हम बाजू के क्षेत्र में रहते थे, हमारे यहां मांग करते रहते थे लेकिन हमारी क्षेत्र की एक भी सड़क का कार्य पूरा नहीं होता था। उनके क्षेत्र में सड़कों का कार्य इतने ज्यादा अच्छे से हुआ था कि जहां नाली में जरूरत नहीं थी वहां भी सी.सी. रोड का निर्माण हुआ है। अब उस क्षेत्र में किसी प्रकार की जरूरत नहीं है और वह मांग कर रहे हैं। हम लोंगों के क्षेत्र में जहां आवागमन की बिल्कुल सुविधा नहीं थी, जो रोड पूरी उखड़ चुकी थी, वह रोड का कार्य पूरा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सी सड़कें भी दी हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। सड़कों के उन्नयन के लिए विशेष ध्यान दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो सड़कों के उन्नयन का कार्य किया है, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। साथ में ए.डी.बी. लोन-3 परियोजना के अंतर्गत 16 जिलों में 25 मार्ग का निर्माण जिनकी लंबाई 869 किलोमीटर की लागत 3536 करोड़ रुपये की लागत आई है, इसके लिए 2022-23 के बजट में 940 करोड़ 15 लाख 3 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। सुगम सड़क योजना के बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने भी तारीफ की है कि यह बहुत ही अच्छा कार्य है। मेन स्कूल से, आंगनबाड़ी से जो रोड जाती है, उसको जोड़ा गया है, उसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके लिए बहुत-बहुत देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। पिछली बार तो हम महिलाओं की बात करें तो हम महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। हम महिलाएं सुरक्षित तो दूर की बात थी, झलियामारी में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ था, वह सभी जानते हैं। वह ज्यादा दूरी की बात नहीं है, वह कांकेर क्षेत्र की बात है। हमारे शासनकाल में बच्चियां तो सुरक्षित हैं ही, महिलायें भी सुरक्षित हैं, नौजवान साथी भी सुरक्षित हैं। अभी सभी वर्ग के लोग भूपेश भैया के शासनकाल में सुरक्षित हैं।

माननीय सभापति महोदय, आजकल मोबाईल का जमाना है। साईबर क्राईम बहुत बढ़ रहा है। साईबर क्राईम के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में "एंटी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट" के गठन का फैसला लिया गया है। उसका मैं स्वागत करती हूं। सभापति महोदय, नोटिफाईड साइबर थाने की आवश्यकता हर जिले में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही कहना चाहती हूं वह सभी जिले में इसकी स्थापना करें। माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र की सिर्फ दो मांगे हैं- तरौद-मनौद-घुमका मार्ग और बुहारडीह से ठेकवाडीह मार्ग। सिर्फ दो रोड बची हैं मैं चाहती हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय जी इसमें हां कर दें तो हम बहुत आभारी रहेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम मुझे इस विषय में बोलने के लिए अनुमति दिया है। माननीय सभापति जी, गृह विभाग के संबंध में मेरा इतना कहना है कि इस विधानसभा में जब मैं गृहमंत्री था, एक माननीय सदस्य ने कहा कि थानेदार 10 हजार रुपया लेता है। मैंने कहा था कि एक थानेदार के बारे में बतला दो, शिकायत कर दो, मैं फिर देखूंगा। वह बात आज दोबारा बोल रहा हूं। कम से माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में अब तो आप एक कमाई का साधन बना लिये हैं। एक दारू बनाने आदिवासी से कम से कम 20-25 हजार रूपये से कम नहीं लेते, मैंने कई लोगों को बता दिया है। मैंने इसी के कारण हमारे यहां के एस.पी. साहब को बोला कि कम से कम थोड़ी रियायत दो। आप एक मोटर साईकिल वाले से 10 हजार से कम की बात नहीं करते हैं। ट्रेक्टर से, आपने बहुत अच्छा नियम बना दिया था कि सब लोगों की रॉयल्टी खत्म कर दिया था। एक, दो खदान को रॉयल्टी में देते थे। पंचायत किसमें काम करेगा ? गांव में तो रॉयल्टी था ही नहीं और उस रॉयल्टी के ट्रेक्टर को पकड़ने के लिये थानेदार, पुलिस वाला और मैं आपको बता दूं कि एक रेलवे का काम कर रहा था, ट्रेक्टर में रेत शिफ्ट कर रहा था, उसको भी 25 हजार रूपये बोलते थे। मेरे कहने के बाद भी वह नहीं माना फिर मैंने एस.पी. साहब को बोला। आपने पुलिस विभाग का यह हाल बना दिया है, वह क्या काम करेंगे। हां, हो सकत है कि 5-5 चुनाव में आपने काम किया, उसके लिये वह उगाही हो सकती है। लेकिन सुन लीजिये, यह आपका अंतिम समय है। 5 राज्यों में से 1 राज्य में भी आपकी सरकार नहीं बनी तो आप क्या उम्मीद करेंगे और इधर बैठे हुये सम्माननीय सदस्य को भी बोल देता हूं कि कम से कम।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- एक समय में आप लोगों की भी 2 ही सीट थी, उस 2 सीट को याद करिये।

श्री ननकीराम कंवर :- आप देखते जाईये, देखते जाईये। मैंने किसी के में आपत्ति नहीं की थी, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं सबूत दे सकता हूं। आप समझ रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- ए हा सात नो हे, ऐसे नहीं करव तो ऐसे हो जाओ, ऐसे कहना है।

श्री ननकीराम कंवर :- और 5 साल में अपराध में कमी आयी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 5 साल में नहीं, 7 साल में ही आपके ही सदस्य ने प्रश्न किया था कि अपराध में कितनी कमी आयी है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि 7 साल में कमी आयी है, वह भी 5 साल वाला कव्हर कर लिये। तो अगर अपराध में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जितना भी विकास कर रहे हैं, वह सब धरा का धरा रह जाएगा, इसलिये आप कंट्रोल कीजिये और कंट्रोल नहीं कर सकते तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहते तो मैं उनको बोलता, वैसे तो 2 दिन से गायब है। अभी कहीं भी तो चुनाव नहीं हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तोरे पक्ष में ही बात करथव। तै बहुत अच्छा काम करत रेहे। बृजमोहन भैया भी अच्छा काम करत रहै। लेकिन, तोरे गोठ ल गोठियाथव गा, लेकिन उठे, बैठे ओ हा तोला काम नहीं करत देवथे न। (व्यवधान) एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो बंद कर दे रहिस।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति जी, सुन ले भैया, सुन ले। अभी-भी मैं बोल रहा हूं कि जिस भी विभाग में काम करते हो, उतना अच्छा काम करके बता दो। यह दलाली करने से काम नहीं चलेगा, बेईमानी का खाने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। जिस अधिकारी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या विभाग में काम करोगे। देखिये, मेरे साथ बिल्कुल बात मत करिये, सुनना है तो सुनिये, नहीं तो आप चल दीजिये और नहीं तो मैं चले जाता हूं। मैं गलत नहीं बोलता हूं, गलत काम नहीं करता हूं, समझ रहे हैं। बहुत दुख लगता है। एक तो खुद काम नहीं करना और काम करने वालों की तिरस्कार करने की बात करते हैं। माननीय गृहमंत्री जी, आप यह बता दीजिये कि 3 साल में आपने मेरे क्षेत्र में एक भी काम किया हो तो बताओ ? मैं मांगूंगा नहीं,2-3 बार मांग चुका हूं। क्योंकि हम दुर्ग जिला के हैं, प्राय:-प्राय: सभी भाटो बोलते हैं और एक साला तो अभी तक आया नहीं है। बताऊ भिलाई में क्या बोलते हैं ? बोलते हैं भाटो, अगर तोर लईका हा गलत करही, तो मैं कहा मैं उसको भी जेल भेजूंगा, यह दम हो तो करके देखो और विभाग तब ठीक होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि अधिकारियों से पैसा वसूल करके दूसरे प्रदेश में खर्चा करो, चुनाव में खर्चा करो। लो बता दो कि मुख्यमंत्री जी ने दूसरे प्रदेश में खर्चा नहीं किये हैं, उसके बाद क्या परिणाम आया, जीरो। एक प्रदेश में आपने सरकार नहीं बना पाये। लेकिन छत्तीसगढ़ का कितना पैसा लगा होगा ? उनसे पूछो। खैर आपके बस की बात नहीं है, और आपको देंगे भी कैसे, क्योंकि चाबी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। श्रीमान विभाग ठीक कर लीजिये। गांव के गरीब को कितना तकलीफ हो रहा है, आपको मालूम है ? मैं रेत की बात कह रहा था, रेलवे का कार्य दूसरे जगह शिफ्ट हो रहा था , उसमें भी 4 दिन तक मेरे कहने के बाद में, आपके एस.पी. और थानेदार बात नहीं किये। यह हाल है। आखिर उस व्यक्ति की क्या गलती थी जो ठेका लिया था या जो ट्रेक्टर लाया था। अगर 4 दिन, 6 दिन खड़ा होगा तो एक दिन में कम से कम 2 हजार, 5 हजार रूपये कमा लेगा तो वह 20 हजार रूपये, 10 हजार रूपये दे ही देगा। आप हिसाब समझ रहे हैं? इसलिए आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अभी मरकाम साहब नहीं हैं, वे आदिवासियों के बड़े हितैषी हैं। आप आदिवासियों का दारू

पीना बंद करवाईये, तब उसका विकास होगा। मैंने वर्ष 2003 में भिलाई में यही बात कही थी। वहां जितने आदिवासी आये थे कभी भी मेरी सभा में उतनी ताली नहीं बजी थी, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, मैंने उनके सामने बोला था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दारू बंद करवा दीजिए। उस सभा में तालियां क्यों बजी? मैं आपको बताऊं आप भी वायदा किये थे कि हम दारू बंद करेंगे। आपको महिलाओं ने खूब वोट दिया है। क्यों बहन जी, आप बोल रही थीं, आप बतला दीजिए। इस प्रदेश में दारू बंद करना अच्छा है या चलना चाहिए?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, अभी दो साल बाकी है।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बतला रहा हूँ कि आपने जितने वायदे किये थे, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस प्रदेश की जनता भी बहुत सक्रिय है, बहुत जानकार है, आप बहुत योग्य हैं इसलिए...।तैं तो मत बोल।

श्री रामकुमार यादव :- बाबूजी, तुंहर जमाना में जर्सी गाय के वादा करे रहेव, ...।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल रहा हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- गेरवा ला बांधे हे ते खोजत हे कि कहां हे ?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, उसके बाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलता था कि आपने दारू बंद नहीं किया।

श्री सौरभ सिंह :- अरे अभी बइला ला फंदो दिही, तें बइला ला नइ फंसो सकस।

श्री रामकुमार यादव :- ओ मोला धर डारे रिहिस हे ता मैं तोर नाम ले हों भईया।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कम से कम आप लोग कुछ चीजों में ध्यान दीजिए। अभी मरकाम जी होते तो मैं स्पष्ट बोलता। देखिए, मैं आज भी बोलता हूँ। जब मैं पांचवी पढ़ रहा था, उस समय से दारू छोड़ा हूँ। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। मेरे साथ 40 साल का नौजवान काम कर ले। आप बहुत गौठान की बात करते हैं। आप कितनी गलत बात करते हैं, यह देख लीजिए। आपने पंचायत के हर काम को छिन लिया, उनके अधिकारों को छिन लिया। मैं पंचायत को लिखाने तो नहीं जा सकता हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय कंवर साहब, आप पंचायत की डिमाण्ड पर बोलिएगा। जब पंचायत की मांग आये तब आप बोल लीजिएगा।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसी के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं उसे समझा नहीं सकता।

सभापति महोदय :- मेरा मतलब है कि यह गृह और लोक निर्माण विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही हैं। आप इसी तक सीमित रहिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वह बहुत दिनों के बाद बोले हैं। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोलने में बहुत कमजोर हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, एक तो बहुत दिनों के बाद उठे हैं और दूसरी बात यह है कि रामकुमार तें झन लाग। अमरजीत चुपेचुप बइठ गे हे। आप बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- में ओला कुछ नई कहात हों।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि मैं भाषण देने में बहुत कमजोर हूँ। हो सकता है कि मैं अपनी बात बहुत धीरे से समझा पाऊं।

सभापति महोदय :- आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है लेकिन उस विभाग की मांगों पर बोलिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं विषय पर आ जाता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन के सबसे सीनियर सदस्य हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, और भी सीनियर सदस्य हैं। हमारे एक और साथी हैं।

सभापति महोदय :- तभी तो हम इनको ननकी दाद कहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1977 से आप चुनाव लड़ रहे हैं और वह अपनी मन की पीड़ा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको सीमा में मत बांधे। उनको बोलने दीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी से समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय :- मेरा कहने का मतलब है कि जिस विभाग की मांगों पर चर्चा चल रही है, उस पर ही बोलना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन भईया, मैं वही बोल रहा था कि आप लोग बढ़िया कर रहे थे, आप लोगों को करने नहीं दिया गया। भईया बात को समझते नहीं हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि शांति व्यवस्था के लिए आपका विभाग है, वह अशांति पैदा न करे, गलत काम न करे। इससे इस प्रदेश की जनता का भला ही होगा और नहीं तो आपकी सरकार और आपका विरोध होगा। मैं आपके लोक निर्माण विभाग में सड़कों के बारे में बता रहा हूँ। डॉ. साहब के समय में मेरे क्षेत्र में माननीय 38 किलोमीटर में सड़क बनना शुरू हुआ था, वह भी आखिरी समय में हुआ था, 12 किलोमीटर का कार्य रह गया, तीन सालों में आप उस 12 किलोमीटर की सड़क को पूरा करने के लिए एक पैसा भी दिये होगे तो बताईये, कुदमुरा सियांग रोड। मैंने आपके जिले के लिए एक निवेदन कर दिया । मेरे क्षेत्र से अंबिकापुर के लिए एक सड़क बना दें तो आपकी वाह-वाही होगी। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात, गृह विभाग में मैं आपसे पुन: निवेदन

कर रहा हूं, अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाने के लिए छुट्टा छोड़ दीजिए। आपने सोच लिया है कि वह वसूली का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी होते तो मैं उनको बोलता। अपराध में जो कमी आई है, कम से कम उतना न कर सकें तो डेड़ साल बाकी है, दो साल भी कहां है, डेड़ साल में अधिकारियों, कर्मचारियों को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लें। अब यह बताईए कि पुलिस का काम है कि वह यह काम करें कि आपके विरोध करते हैं, उनको कुचले। आप नहीं कुचल सकते। मैं आज ही की बात बता रहा हूं, मेरे गांव से दो गाड़ी में आ रहे थे, वे भी हमारे कार्यकर्ता हैं, यहां आ रहे थे, उनको कोई आदिवासी से लेना देना नहीं है। उनको चांपा में रोक दिया गया। क्या आप यह काम करेंगे ? कहीं भी आदमी जा रहे हैं, आंदोलन में तो नहीं आ रहे थे। मेरे कहने के बाद भी आपके एस.पी. नहीं माने। आपको ताज्जुब होगा, एस.आई. था, वह कहता है, साहब, टी.आई. बोलेंगे तब मैं छोड़ूंगा। वह ननकीराम के कहने से नहीं छोड़ेगा। एस.पी. ने भी कहा कि वे आदिवासी के आंदोलन में जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने रोकने के लिए कहा है। आप ऐसे ही रोकेंगे लेकिन उनको कुचल नहीं सकते। आप जनता के आक्रोश को नहीं कुचल सकते। कृपया ऐसे कामों में न लगाएं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय गृहमंत्री जी के संबंधित अनुदान मांग मा मैं बोलना चाहथंव। ज्यादा विषय ला नई रखव, कुछ क्षेत्र के पीड़ा हे, जेला में पूर्व मा बोल चुके हंव, ऊही ला रखिहंव। काबर की हमर सत्ता पक्ष के विधायक मन खूब प्रशंसा करिन हावए, ओमन बनेच अकन सड़क पाए हावए या हो सकत हावए अभी गलतफहमी मा होही। माला पहिन डारे होही ता चुनाव मा जाही ता पता चलही, बजट मा आए हे ते हा ऐ मन ला प्रशासकीय स्वीकृति नई मिलय। अभी ए मन गलतफहमी मा हे।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय सभापति जी, चंद्रा भैया, मोर यहां काम शुरू हे और कोरिया जिला से हमको यहां आने में 6 घंटे लगते थे, आज की तारीख में मैं सुबह 7 बजे निकला हूं और 11.30 बजे आपके यहां सदन पहुंचा हूं। यह हमारी सरकार का काम दिख रहा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- विधायक जी, हेलीकाप्टर ले ले अऊ जल्दी आ जबे। (हंसी)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय सभापति महोदय, यह सब हमारी सरकार में हो रहा है। पेण्ड्रा जिला बनने के बाद वहां का रोड बन गया है, बीच का पेंच खराब था, हमने सेक्रेटरी साहब, ई.एन.सी. साहब और मंत्री जी से निवेदन किया तो वह भी रोड बन गया है। पुरानी सरकार का काम नहीं है, हमारी सरकार का काम है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति जी, अब तोर मा छप्पा लगे हे न भाई, हमर मा आने छप्पा हे। (हंसी)

श्री गुलाब कमरो :- सभापति जी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारे यहां छप्पा नहीं है, हमारा दो गांव कटा था, 11 करोड़ का पुलिया था, जिसमें पानी नहीं आती थी तो वह पुल भी हमारी सरकार में बना है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भैया समझना, तोन आने छप्पा हे, हमर आने छप्पा हे। ए सरकार हा छप्पा के आधार पे काम करत हे।

श्री रामकुमार यादव :- विधायक जी, जरूरत के अनुसार करत हे।

सभापति महोदय :- यादव जी बैठिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी वर्ष 2017-18 मा मोर क्षेत्र के सड़क बजट मा सम्मिलित रहिन। अऊ वर्ष 2019-20 मा आप बजट ले बाहर कर देव। न ओकर प्रशासकीय स्वीकृति मिलिस, न काम आगे बढ़िस। अऊ कोई एक दू ठन सड़क नो हरे, मल्ली से खजरानी साढ़े तीन किलोमीटर, बड़े सड़क भी नो ए, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के भी सड़क नो ए, अकलसरा से भोथिया 5 किलोमीटर, घोघरी से बरभांठा, 1 किलोमीटर, नगारीडीह से मालदा 1 किलोमीटर, धमनी से नरियरा 1 किलोमीटर, अऊ बोरसरा से करमनडीह रोड 1 किलोमीटर हे। ए अइसे गांव हे जेमन पहुंचविहीन हे। अभी हमर विधायक जी, कहात हे, बड़का लंबा सड़क, तोर तो थोड़ अकन दूरिहा ले बनातिस ते मोर सब विधानसभा के सड़क बन जतिस। वर्ष 2014-15 के बजट मा सम्मिलित होके वर्ष 2014-15 मा स्वीकृति मिले हे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कलमीडीह मा प्राईमरी पढ़ाई करओं अऊ 3 किलोमीटर दूर बैलादुला नाला पार करके पढे जाओं । विधायक बनेओं ता ओ गांव के मन कहिन कि जेमा तें पैदल चले हस तेमा सड़क बनवा दे । नावा-नावा जोश रिहिस हावय, विधायक बने रहेन ता तुरंत कहेन । बजट मा जुड़ गे, वर्ष 2014-15 मा प्रशासकीय स्वीकृति मिल गे अऊ आज वर्ष 2022 होगे । टेंडर हो गे, अनुबंध हो गे । अनुबंध के तारीख समाप्त हो गे लेकिन सड़क हा चूना ले आगे नइ बढ़िस । ये बैलादुला से कलमीडीह सड़क मात्र 3 किलोमीटर । 2 करोड़ 83 लाख रूपया के स्वीकृति हे । छीता पंडरिया से खम्हरिया सड़क केवल साढ़े 3 किलोमीटर 2 करोड़ 13 लाख रूपया के प्रशासकीय स्वीकृति हे । माननीय मंत्री महोदय, ए कुछ सड़क अभी बजट मा बाचे हवय । मोला एकमात्र सड़क दे हावओ । रामकुमार जी बार-बार कथें न कि जैजैपुर ले ओ सड़क, ओ एडीबी के लोन में बनत हावय । बाकी आपके विभाग ले मोला केवल 2 किलोमीटर के सड़क मिले हावय जो 2 किलोमीटर के सड़क के प्रशासकीय स्वीकृति मिले । अभी भी ए सड़क मन जेमन बजट मा हाववयं, निवेदन हे, कृपा करिहा प्रशासकीय स्वीकृति दे दिहा ता नइ तो छप्पेच के आधार पे काम करिहा तो कम से कम बता दिहा, जनता मन ला बता देबो भई कि छप्पा के आधार पर काम होथे भई अऊ प्रदेश मा ए छप्पा ला हटावा अऊ हमरे छप्पा ला लावओ कहिके । ओड़ेकेरा से जुनवानी वर्ष 2020-21 के बजट मा हे 4 किलोमीटर के प्रशासकीय स्वीकृति नइ मिले हे । ठठारी से अकलसरा होते हुए केकराभाठ ए 3 किलोमीटर के सड़क हे, वर्ष 2020-21 के बजट मा हे ।

बंसुला से कपिस्दा मात्र ढ़ाई किलोमीटर वर्ष 2020-21 के बजट मा हे । झर्रा से भदरा लंबाई 2 किलोमीटर वर्ष 2020-21 के बजट मा हे । सोंठी आश्रम से संजयग्राम दर्राभाठा सल्ली ये 11 किलोमीटर के सड़क हे । डभरा से कोसमझर मांझरपुर मरघट्टी मिरौनी ए 15 किलोमीटर के सड़क हे । पिहरीद से पिरदा बड़े रबेली होते हुए 7 किलोमीटर ये भी वर्ष 2019-20 के बजट मा हे । सेमरिया से मुक्ता मात्र डेढ़ किलोमीटर । आप नदिया मा पुल बना देहा लेकिन दूनों तरफ हा जुड़े नइ हे । ये डेढ़ किलोमीटर के सड़क हे । अगर आपके कृपा हो जतिस, प्रशासकीय स्वीकृति मिलतिस या विधायक जी ला पूछ लूहूं कि काकर-काकर हाथ-पांव जोड़े ले मिल जथे कहत रिहिन हे ता । मोला हाथ-पांव जोड़े मा कोई लज्जा के बात नइ हे मोर क्षेत्र मा करे बर अऊ संभवत: आप करा भी जाकर आवेदन दे दिहां लेकिन आवेदन मा ओतके अकन प्रतिकिया होथे । मूलत: विधायक के आवेदन आपकी ओर प्रेषित हैं, विधायक को अवगत करायें और इस कार्यालय को भी अवगत करायें फिर एक काण्ड खत्म हो गे, दूसरा काण्ड फिर जथन, दूसरा काण्ड खत्म होगे, पूरा रामायण खत्म हो गे लेकिन सड़क नइ बनिस । पिछले बजट मा आप मोला मोर अनुरोध मा 5 ठन पुलिया बजट मा जोड़े हओ लेकिन एक भी पुलिया के प्रशासकीय स्वीकृति नइ मिले हे, निवेदन हे कि एकर भी लव-कुश काण्ड के साथ रामायण खत्म होथे ओइसनहे झन होतिस बल्कि ऐमन भी हो जतिस । नरसिहा से बिर्रा के बीच मा सोन नदी मा पुल, अचरीपाली से मुड़पार के बीच मा बोराई नदी मा पुल, धनुहार पारा सल्ली से नावागांव के बीच में बोराई नदी मा पुल, छपोराहसौद मार्ग मा भेड़ीकोना के पास बोराई नदी मा पुल अऊ रामकुमार जी नावागांव के मन तुहू ला माला पहिनाये हे काबर कि नावागांव तुंहरे गांव हे ।

सभापति महोदय :- चलिये, चंद्रा जी समाप्त करिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपन क्षेत्र के बात ला ही बतात हंओं ।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप जल्दी बताईये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, अब अतका अकन मोर बुता हा नइ होए हे ता मैं हा मंत्री जी ला बता देथओं, व्यक्तिगत बताथन । भड़ौरा से खरझिट्टी के बीच बोराई नदी मा पुल, अभी आपके अधिकारी मन हा गे रिहिन हे अऊ कहिन कि प्राथमिकता में 3 ठन सड़क देवओ अऊ 2-3 किलोमीटर के ज्यादा मत रहए । प्राईरिटी मा 3 ठन सड़क दे हें लेकिन महोदय उहू सड़क हमर बजट में नइ अइस । अब ऐमन तो मजबूरी में गुणगान करहीं लेकिन हमर करा का मजबूरी हे कि हम आपके गुणगान करबो ? हम तो सही चीज ला कहिबो । कइसे कहिबो कि आप छत्तीसगढ़ के विकास करत हा, छत्तीसगढ़ के आवागमन ला बेहतर बनाये बर आपके प्रयास हवय । पहुंचविहीन गांव आज आजादी के बाद अतके दिन तक अगर ओकर पहुंच बर डेढ़ किलोमीटर अऊ दू किलोमीटर के सड़क नइ बनत हे ता ओ गांव के जनता अऊ ओ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कइसे आपके सरकार के प्रशंसा कर सकत हवएं ? मोर निवेदन हे, प्रार्थना हे, आप करा अनुरोध हे कि एक भी बड़े काम नइ हे। 7 किलोमीटर ले

एको ठन रोड ज्यादा के नइ बताए हंओं । खदान खुले हे । आपके बड़े-बड़े गाड़ी चलत हावय। आप ला ओखर से रॉयल्टी मिलथे। सड़क हमर टूटथे। रेत खदान मा तो हालत ए होगे हे कि सड़क में चलना दूभर होगे हे। हमर जतका प्रधानमंत्री के सड़क टूटगे। प्रधानमंत्री रिपेयरिंग भी कराही तो सड़क चलने वाला नहीं हे। ओमा चले के लायक नहीं रह सकथन। अब आप ला भी ओमे सड़क बनाये के जरूरत हावय। सुगम सड़क के बहुत अकन प्रशंसा करिन, बढिया योजना हे। मैं आप ला धन्यवाद देथौ। स्कूल मन, अस्पताल मन, सरकारी बिल्डिंग मन एमा जुड़त हावय, लेकिन एमा काम करने वाला मन के कतका कन दुर्दशा हे, एला भी आप मन ला देखे बर लागही। बेरोजगार मन ला काम देथन कहथे। 12वीं पास मन ला रजिस्ट्रेशन कराहौ, काम देहौ, ओमन ला 1-1 साल होगे हे काम के लेकिन ओमन ला भुगतान नहीं मिलेहे। पैसा नहीं हे काहथे। का वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रखे हावव। अभी साहब करा जाके गौराही एक-एक काम बर, एक-एक ठन अधिकारी नियुक्त करही तो ओहा जाके निरीक्षण करही तब कहीं जाके ओला भुगतान होही। आप थोड़ा से व्यवस्था ला सुधारौ। ये मोर निवेदन हावै ताकि ओखर सुविधा मिल सकै। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में अभी बहुत अकन कहिन हे। महू काहत हवौ। पुलिस अगर अच्छा काम करथे तो आम जनता ला बहुत विश्वास बनथे। अउ पुलिस के काम अगर अच्छा नहीं हे तो आम जनता हा भय मा जीवन-यापन करथे। अभी कुछ दिन पहले मेहा सदन मा बात रखे रहौ, ढाई साल के एक लइका 6 दिन ले लापता रहिसे। कल कुआं मा ओखर लाश मिलिसे। शंका हे। दुर्घटना या घटना हे। अगर पुलिस अच्छा काम कर लीही तो घटना करने वाला ला पहचान भी लीही, अउ दुर्घटना होही तहू ला स्थिति स्पष्ट कर दिही, लेकिन 6 दिन तक ओ परिवार हा अतका कन कष्ट मा जीवन-यापन करिसे। रात के 1 बजे भी पुलिस उठा के ले जाये। दिन भर थाना मा बइठा के रखैं। मैं नहीं कहाथव कि पुलिस जांच मत करैं, लेकिन पुलिस जांच करैं, लेकिन प्रताडित मत करै। 50 ठन गाड़ी ला ओहा मालखरौदा थाना मा खड़ा करवा दिन। आज भी गाड़ी ला नहीं छोड़े हावय। आम रास्ता चलने वाला के जेखर गाड़ी ला पाइन तेखर गाड़ी ला।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अइसे कानून व्यवस्था मत बनावौ। अउ वही विषय मा मेहा एस.पी. साहब ले चर्चा करना चाहेव, फोन करेव, एस.पी. साहब करा निवेदन करेव, ओखर साथ एक ठोक अउ निवेदन करेव, साहब, ओखर ऊपर अपराध कायम हे, अउ ओहा घूमत हावय। एस.पी. साहब कहथे, गलत ढंग से अपराध कायम हो गया। मतलब पुलिस गलत ढंग से अपराध कायम करके अफसोस व्यक्त करथे। महोदय, ये व्यवस्था मन ला थोड़े से सुधारौ। साहब, आप मंत्री हव।

सभापति महोदय, चन्द्रा जी, आपकी बात आ गई।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक मिनट माननीय सभापति महोदय, पर्यटन भी आपके पास हावय। आप ग्रामीण पर्यटन ला बढ़ावा देवव। बड़े-बड़े जगह मा तो बड़े-बड़े आदमी मन जाथे, लेकिन गांव के हर

विधान सभा में अइसे 1-2 जगह होही, कोई तीर्थ स्थल होही, कोई धार्मिक स्थल होही, कहीं मेला लगथे, ओला अगर ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित करके बहुत बड़े राशि नहीं, छोटे-मोटे एक राशि से उहां अगर निर्माण कर दिया जाये, ओ जगह ला चिन्हांकित कर दिया जाये तो ओ जगह के रहय्या मन अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करही। अउ आसपास के आदमी मन भी ओखर लाभ लिही। हमन ला सरकार के कोई योजना के अइसे अवसर मिलथे तो जरूर ओखर बूता करवाथन। जैसे अभी हाई मास्ट लाइट हे। तो अइसे जगह लाइट लगवाहौ जेमा अंजोर राहे। हमर निधि के सामुदायिक भवन बनवा देथन।

सभापति महोदय :- चन्द्रा जी, आपकी बात आ गई।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मोरा क्षेत्र मा अइसे 2-4 जगह हे। आप करा अनुरोध करत हावन, ग्रामीण पर्यटन ला भी आप बढ़ावा दिहौ। ग्रामीण पर्यटन स्थल ला विकसित करे बर आप बढ़ावा दिहौ, अउ मैं एक ही जगह मा रायपुरा में चौकी के मांग करे रहेव। अगर संभव होही बजट तो आगिसे, आने वाला दिन मा कोई जगह रास्ता दिखही तो रायपुरा मा पुलिस चौकी खोले के भी आप कोशिश करिहौ। माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

समय :
5.19 बजे

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था माननीय श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी की ओर से लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है।

कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये।

मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सभापति महोदय :- माननीय भुनेश्वर शोभाराम बघेल ।

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल (डोंगरगढ़) :- आदरणीय सभापति महोदय, हम जइसे नया विधायक मन ला बोले बर मउका देव, हमन बइठे रहिथन कि हमर नम्बर कब आही । इकर लिए मैं हिरदय ले आपला धन्यवाद् देवत हौं । सभापति महोदय, आज मे हा गृहमंत्री आदरणीय बाबूजी, ताम्रध्वज साहू जी के विभाग से संबंधित बजट के बारे मा चरचा करे बर खड़े होए हौं । हमर सरकार ला बने लगभग 3

साल पूरा हो गे हे अउ ए सरकार जब से बने हे, तब से हमर सरकार चाहे लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हो, चाहे पर्यटन के माध्यम से हो, बहुत सारा काम अइसे करे हे, जेला हमन अपन क्षेत्र मा जाके बताए के काम करथन । सबसे पहिली काम, हमर सरकार के सुगम सड़क योजना । पूर्ववर्ती सरकार मा जितना भी बिल्डिंग बने रहिस हे, चाहे हास्पीटल होय, चाहे स्कूल होय अउ भी जो सरकारी बिल्डिंग राहय, ओमा जाए बर बड़ा तकलीफ होवय, हमन लइका मन ला आंगनबाड़ी केन्द्र मा जाए बर तकलीफ होय। स्कूल मा लइका मन ला जाए बर तकलीफ होवय, हमर सरकार सुगम सड़क योजना बनाइस हे । आज आप देखहूं, बहुत सारा सरकारी भवन हे ओमा सुगम सड़क योजना के माध्यम से आवागमन के साधन बन के हे । एखर लिए मैं आदरणीय गृहमंत्री जी ला अउ हमन जम्मो अधिकारी मन ला धन्यवाद् दुहुं कि अइसन योजना ला लाके बहुत अच्छा काम करे हे । संगवारी, आदरणीय सभापति महोदय, मोर क्षेत्र बर मैं कुछ मांग कर लेथें, आज इहां अधिकारी मन हे अउ मंत्री जी भी हे । तलडबरी पटेवा मार्ग जो पूर्व सरकार के समय बने रहिस हे, ओमा के 23 किसान मन ला आज तक मुआवजा नइ मिले हे, लगभग 5-6 साल हो गे हे । मैं हा हमर किसान साथी बन मांग करते हौं कि उंखर मुआवजा ला जल्दी से जल्दी दिलवाए के काम करही । अउ के छोटे से मांग हे कलेवा से टूरीपार, नाला मा एक पुल बनना है उंखर बर मैं आज मंत्री जी ले मांग करत हौं कि वो पुल ला भी जल्दी से जल्दी बनवाए के कोशिश करही । हमर डोंगरगढ़ शहर मा पहिली रेल्वे मा अंडरब्रिज नइ रिहिस हे, अंडरब्रिज बने के कारण ओमा आवागमन के बहुत कठिनाई हो गे हे । मैं चाहूं कि एक ठन बाइपास हमर डोंगरगढ़ शहर से खैरागढ़ रोड तरफ बनाए, मैं मंत्री जी से मांग करत हौं ।

(श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा संसदीय कार्यमंत्री के आसन के सामने खड़े होकर बातचीत करने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सब आसंदी की ओर पीठ करके खड़े हैं ।

सभापति महोदय :- धर्मजीत जी खड़े हो गए तो आपको अच्छा नहीं लगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी की ओर पीठ कर सकेत हैं ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं, किसी ने नहीं किया, चलिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- गलती हो गई साहब माफ कर दीजिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- (हंसी) ।

सभापति महोदय :- (हंसी) उनसे कहिए, आपत्ति उन्होंने की है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, (दो सदस्यों के मध्य लगे पार्टीशन ग्लास के संबंध में) ये हटवा दीजिए । और कहीं का नहीं हटवाते तो यहां का हटवा दीजिए, मेरे और भांचा के बीच की दूरी कम हो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मामा और भांचा के बीच दरार आ रही है ।

श्री सौरभ सिंह :- ओती जाथे तो तीरे के भी काम आही ना, ओती रेंगे, रेंगे कर करथे ।

श्री भुनेश्वर शोभराम बघेल :- मोर क्षेत्र डोंगरगढ़ एक पर्यटन नगरी के नाम से जाने जाथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भुनेश्वर, आज अपने विधायक आशीष छाबड़ा जी की हालत देखे हो ना । कितना भी बोल लो हालत वैसी ही रहेगी ।

श्री भुनेश्वर शोभराम बघेल :- हमें तो हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रही है, ओला तो बोलना ही हमन ला ।

श्री केशवर प्रसाद चंद्रा :- वो बांटने वाला बन गे हे, प्राधिकरण के अध्यक्ष हे । ओखर कस हालत कइसे होही ।

श्री भुनेश्वर शोभराम बघेल :- प्राधिकरण के अध्यक्ष बने के बाद हमन के बहुत सारा काम भी होए हे अउ 15 साल तक मुख्यमंत्री जी हा प्राधिकरण ला अपन पास रखे रिहिस हे । हमर मुख्यमंत्री हा तो कम से कम हमन ला काम करे के मउका दे हे । मोर क्षेत्र मा मां बमलेश्वरी के मंदिर हे, अउ ओमा बहुत सारा पर्यटन के क्षेत्र आथे । मंदिर के पास लगभग 20 किलोमीटर के दायरा मा करेला मा मां भवानी के मंदिर हे, बनबोड में विंध्यवासिनी के मंदिर हे, ओखर से लगे हुए रणछोड़ के मंदिर हे, ओला मैं अपन मंत्री जी से अउ पर्यटन के अधिकारी मन से चाहूं कि टूरिज्म कियोस्क प्वाइंट के रूप में विकसित करे के काम करही, डंगोरा के बांध भी हे जिहां हमन पर्यटन ला पढ़ा दे सकथन, अउ बहुत अच्छा उदाहरण खड़ा कर सकथन के हमर पर्यटक साथी मन उहां आए । अउ उहां अपन टूरिस्ट ला बढ़ावा देबर सब काम कर सकथन । पुलिस के संगवारी मन ला भी बहुत बहुत बधाई दूहूं । हमर क्षेत्र मा बार्डर जिला होए के कारण शराब की तस्करी अउ गांजा सब चीज आथे । एला मुस्तैदी से ओमा रोक करथे, एकर बर पुलिस के जवान ला भी धन्यवाद दुहूं । आप मन बोले के मउका देव, धन्यवाद् अउ हिरदय से आभार ।

सभापति महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी।

श्री नारायण चंदेल (जाँजगीर-चाँपा) :- माननीय सभापति महोदय।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भैया, चांपा अउ जांजगीर के किस्सा ल मंत्री जी ल बता देबे।

श्री नारायण चंदेल :- हां, हां बताहूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी रही, तेला तो बताही।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नइ रही तभो जेकरा रही तेकरा जाही।

श्री अजय चंद्राकर :- ओ नइ बताय, ओहर लिखते नइ हे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय विधायक जी, 15 साल में जेन हर नइ बने हावय, तेला जरूर बताइहा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, मंत्री जी तो रहे। जिनके विभागों पर चर्चा हो रही है, वे तो उपस्थित रहें।

श्री अजय चंद्राकर :- उनके पास पेन ही नइ हे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51 एवं 37 का विरोध करता हूँ।

(माननीय मंत्री, श्री ताम्रध्वज साहू जी के सदन में आने पर)

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी आ गये। माननीय सभापति महोदय, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। बाकी विषय हमारे सभी साथियों ने लिया है। माननीय मंत्री एक तो आप ध्यान दें कि आपके गृह विभाग का जो खुफिया तंत्र है, वह एकदम कमजोर है, नहीं के बराबर है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, हर प्रमुख स्थानों में बड़ी तेजी के साथ में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम लोगों ने जांजगीर में जा करके एस.पी. को ज्ञापन दिया था। तीन-चार सालों में तेजी के साथ लोग कहां से आ गये? कैसे उनका आधार कार्ड बन गया? कैसे राशन कार्ड बन गया? कैसे उनकी वोटर आईडी बन गई? इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके खुफिया विभाग को आप सक्रिय करिये। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह वातावरण है। मैं तो समझता हूं कि रायपुर में हजारों की संख्या में ऐसे लोग एकाएक बढ़ गये होंगे और जितने अपराध घटित हो रहे हैं और नित नये किश्म के अपराध घटित हो रहे हैं। जिस प्रकार से साइबर अपराध घटित हो रहे हैं। इसमें सारे बाहरी लोगों का हाथ है, जानकार लोगों का हाथ है, इसको आप ठीक कराईये।

माननीय सभापति महोदय, अभी बेचारे पुलिस वाले, हमारे विधायक जेल की बात कर रहे थे। जेल की Manual की बात कर रहे थे। पुलिस के जो जवान दिन-रात ड्यूटी करते हैं, होमगार्ड के जो जवान बंगले में ड्यूटी करते हैं, उनका वेतन-भत्ता, उनका ड्रेस, भोजन, नाश्ते, प्रेस करने का भत्ता, उनका वेतन और भत्ता आप देखिये, वर्षों से नहीं बढ़ा है। उनके परिवार को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उनके लिए कुछ जिलों में जरूर आवासीय भवन बन गए हैं। उनके कारण हम सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी देंगे। कहीं पर उसका कोई अता-पता नहीं है। वे भी मनुष्य हैं, वे भी हमारे भाई-बंधु हैं, उसमें पुलिस के जो जवान हैं, होम गार्ड के जो जवान हैं, उनको हम कैसे और सुविधा दे सकते हैं, इस बारे में आपके विभाग को विचार करने की आवश्यकता है। जहां पर भी आप जाए, सिर्फ सर्किट हाउस से या बैठक ले करके वापिस मत आए, एक बार उस जिला जेल का निरीक्षण तो करिए कि उस जेल की स्थिति क्या है। वहां पर क्षमता से कितने अधिक कैदी बंदी हैं। आज जेल जेल नहीं है यातना गृह है। इसलिए आप जब भी जाए, आधे घंटे का समय निकाल कर जेल का निरीक्षण करें, जेल के अधिकारियों के साथ बैठ कर बात करिये, जेल के कैदियों के साथ आप पूछताछ करिये कि कैसे हम जेल की व्यवस्था को सुधार सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की जो स्थिति है, वह इतनी दयनीय है। नई सड़क बनाने की बात तो दूर है, जो Annual patchwork होता है, जो रख-रखाव होता है, मेंटनेंस होता है, अभी वर्तमान में वह नहीं हो पा रहा है। जिला मुख्यालय जांजगीर और चांपा के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मैं एक दिन चांपा से जांजगीर आ रहा था। माननीय चौबे जी, आप उधर बहुत गये हैं। एक मोटरसाइकिल वाला मेरे सामने-सामने जा रहा था, अपनी श्रीमती जी को बठाया हुआ था, हर 5 मिनट बाद वह हाथ फेरकर देखता था कि उसकी श्रीमती है कि नहीं है। मैं जब खोकसा फाटक पर रूका तो मैंने उनसे पूछा कि आप दिन भर हाथ पीछे क्यों फेरते हो? तो वह बोले कि भैय्या, सड़क इतनी बद से बद्तर है। इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि मैं...।

संसदीय कर्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप 10 किलोमीटर तक उसी को ही क्यों देख रहे थे? (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- ओ गड्ढा के कारण उहु गाड़ी ला जोर से भगाये नहीं सकत रीहिस हे न।

श्री नारायण चंदेल :- वह बोले कि वह है या नहीं ? वह गड्ढे में तो नहीं समा गयी ? यह स्थिति आपके सड़क की है। पी.डब्ल्यू.डी. के सड़क की।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- ओ आप ला देख के डर्रात रीहिसे, सड़क ला देख के नइ। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- तो इसलिए आप जो है रख-रखाव को सुनिश्चित करवाइये और आपका जो विभाग है उसमें रख-रखाव के नाम पर फर्जी बिलिंग हो रही है। मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। उसमें सिर्फ डामर का लेप चढ़ा रहे हैं। उसमें रंग-रोवन कर रहे हैं इसलिए जो सड़के हैं, वह चलने लायक बन जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जांजगीर से चांपा के बीच में हसदेव नदी है। हसदेव नदी का जो पुल है वह 50 साल, 60 साल पहले का पुल है और वह पुल एकदम जर्जर हो गया है इसलिए उस पर नये पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दें। नहीं तो अगर किसी भी दिन कोई बड़ी घटना, दुर्घना हो गई तो हमारा रायगढ़ तक पूरा संपर्क टूट जाएगा। जांजगीर में महाविद्यालय के नये भवन के लिए शायद स्वीकृति मिली है लेकिन आपके विभाग वाले उसका टेण्डर नहीं कर रहे हैं। एक से डेढ़ साल हो गया है। वह पैसा फिर वापस आ जाएगा। तो विभाग को आप थोड़ा टाइट करिये। रेलवे का जो ओवरब्रिज बन रहा है जांजगीर और चांपा के बीच में खोकसा का रेलवे का ओवरब्रिज है। हमारा जो दोनों शहर है वह हावड़ा-बॉम्बे के मेन ट्रैक पर है। हर 5 मिनट में वहां से गाड़ी गुजरती है। हर 3 मिनट बाद रेलवे का फाटक बंद हो जाता है और खोकसा के रेलवे ओवरब्रिज को बनते 9 साल हो गये, 9 साल। वही पर चांपा में जो बिर्रा का रेलवे ओवरब्रिज है वह भी 9 साल से निर्माणाधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 साल और लगेगा।

श्री नारायण चंदेल :- अब वह कब तक पूरा होगा? या तो आपका विभाग बता दे कि वर्ष 2040 में पूरा होगा। वर्ष 2050 में पूरा होगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये, कृपया समाप्त करिये। आपको बोलते हुए 7 मिनट हो गये।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है न। मैं 8 मिनट और बोलूंगा। तो माननीय सभापति महोदय, आप इसको थोड़ा दिखवा लीजिए। आप अधिकारियों को तलब करिये। आप इसकी जानकारी लीजिए। नैला के पास में बलौदा का एक रेलवे फाटक है वह हर 4 मिनट में बंद हो जाता है और डेढ़ किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। तो या तो उसमें अंडरब्रिज की स्वीकृति हो जाए या ओवरब्रिज की स्वीकृति हो जाए। जितनी ओवर लोड गाडियां चल रही हैं उससे आपकी जो बची-खुची सड़क हैं, वह पूरी सड़क खराब हो रही हैं । सड़क का हाल तो वैसे ही पहले ही बदहाल है लेकिन जो थोड़ा-मोड़ा सड़क बचा है। वह...।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सड़क तो पिछले 15 साल से नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा बैठिये।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार यादव जी।

श्री नारायण चंदेल :- तो उन सारी चीजों को आप दिखवा लेते। मैं राककुमार जी के क्षेत्र में परसों गया था। रामकुमार जी, पता नहीं आप कैसे आते हों? इतनी बद से बद्तर स्थिति है चंद्रपुर से आप डभरा चले जाओ या आपके और किसी क्षेत्र के गांव में चले जाओ और यहां पर आप सरकार की प्रशंसा करते हों। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आप मोला मौका दे हो, एखर लिए आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत के सर्व प्रथम, बेस्ट मंत्री के जो अवार्ड मिले हे, ओखर बजट में मैं आज बोले के लिए आज खड़ा होए हो। ओखर समर्थन मा मे खड़े होए हो।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- ओला कुछु बात हा नहीं छूटना चाहिए। सब बात आ जाना चाहिए ताकि ते बीच मा टोका-टोकी मत करबे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय,

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओला का हे न, उहु छप्पा वाला हे। अब्बड़ अकन बजट मिले हे ता अभी माला पहिनत हे। दू साल बाद ओला पता चलही कि ए माला हा तो माला ही रहिगे कइके। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हम सौभाग्यशाली हन कि हम ऐइसे गांव के व्यक्ति अन। जेन ला सही मा अंतिम छोर कथे, वइसने व्यक्ति आज इहा विधायक बन के आहे। जे समय हम विधायक नइ रहे हन, ओ समय हम ए बात ला सोचन और कहन कि एक तरफ रोड के ऊपर

रोड बनत हवे अउ एक तरफ गांव में माड़ी भर के चिखला हे। मेन रोड हा चिखला हे। 15 साल तक जे क्षेत्र ले मे चुनकर आए हो, ओ क्षेत्र मा इंसान मन इंसान कस नइ रहाये। रोड़ में नहीं रेंगन, हमन खेत के पार में रेंगत रेहेन । आज मैं माननीय मंत्री जी ला अउ हमर सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ला धन्यवाद दिहौं । जैसे ही सरकार बनिस, आप सबो जानथवव कि मोर क्षेत्र मा चंद्रहासिनी मंदिर हे और चंद्रहासिनी मंदिर के दर्शन करे बर पूरा भारत के कोना-कोना के आदमी मन जाथे और वह उड़ीसा के बार्डर में हवय । जैसे ही ओमन दर्शन करेबर आंवय, मैं इकर 15 साल के करतूत ला देख करके ओमन कहें कि इहां के राज चलाने वाला मन कइसे व्यक्ति हे । लेकिन जैसे ही हमर सरकार बनिस, माननीय भूपेश बघेल जी ला मैं धन्यवाद दिहौं के आज थोड़-मोड़ पईसा नहीं, डेढ़ सौ करोड़ रूपए के ए.डी.बी. में पास करके आज जो काम ला शुरू करे हे, ये होथे सरकार ।

माननीय सभापति जी, आज ए मन सुगम सड़क योजना के बारे में कहात रिहीन हे । हम छोटे रेहेन त हमन सपना देखन अउ हमन कहान, एक छत्तीसगढ़ी में कहावत हे कि भरे ला भरे अउ जुच्छा ला ढरकाय । बड़े आदमी अउ बडे बनत रिहीसे । ठेकेदार मन टेण्डर ला डाल देवय, ओमन बड़े-बड़े ठेका नहीं करय अउ आने ला दे देवय कि त ऐला करबे अउ घर में जाकर गद्दी लगाकर सुते रहाय, लेकिन आज हमर सरकार बनिस त वह सोचिस कि यह छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी ला भी अधिकार हे अउ आज ओमन 12वीं, काबर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मन कम पड़े लिखे रहिथे, जंगल के भीतरी में, 15 साल ओमन शिक्षा ला रोके रिहीसे, ओकर खातिर हमर सरकार ह ओमन ला 12 पास के अधिकार दिस । बी.ए. पास गरीब लईका मन आज सी.सी. रोड़ बनावथे अउ ओमन आज प्रदेश के उन्नति में भागीदारी निभावथे ।

माननीय सभापति जी, ऐमन पुलिस के बारे में कई ठी बात गोठियावत रिहीन हे, मैं देखत रेहेंव । ए वही पुलिस ए, जब हमर घर में कोई दरूवा आकर के हंगामा करथे त फोन करके कईथन त तुरंत पुलिस ह जाके खड़ा होथे त हमर घर-परिवार के चेहरा मन ला मुस्कान लानथे । ए ओ पुलिस हे, लेकिन आज एमन अतके बार कोसथे । आज कोई आदमी बुरा काम करथे, ओला बुरा कहना चाहिए, लेकिन कोई अच्छा काम करथे, ओकर पीठ ला भी थपथपाना चाहिए । मैं सदन से कहना चाहथं कि आज एमन हमर पुलिस के मनोबल ला गिराए के प्रयास करथें । लेकिन मोर छत्तीसगढ़ के पुलिस, मोर छत्तीसगढ़ के जवान ए मन के कुछ मनोबल ला गिराए मा नहीं गिरयं, ओमन मजबूती के तरह जिस प्रकार से काम करथें, ओमन निरंतर करत रहिही ।

सभापति महोदय, अब मोर क्षेत्र क्षेत्र के बारे में बोल देथव । चूंकि समय बहुत कम हे, मैं जानथव । फिर आप मोला कहिहव, तेकर ले मोर क्षेत्र के बारे में कहिहव। मोर मंत्री जी मोर क्षेत्र में बहुत कुछ देहे, कुछ बाकी हे । मैं मंत्री जी से अउ हमर अधिकारी मन से निवेदन करिहौं कि थोड़ा नोट कर लिहीं । चंद्रपुर विधान सभा में अइसे गांव हे, जिहा चुनाव के बहिष्कार भी होए हवय, आजतक ऊंहा

रोड़ नहीं हे । आज 15-20 साल राज करे के बाद भी अईसे गांव हे, जिहा अभी तक ओ गांव में रोड़ नहीं हे, जईसे ही बरसात आथे, त 6-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर तक साईकिल ला छोड़ देथे । मोटर साईकिल ला छोड़ देथे, ओ गांव मा रोड नहीं हे । अईसने ए ठी बगरैल गांव हे, जिहां चुनाव बहिष्कार होए रिहीसे । मोर क्षेत्र में एक महुआपाली गांव हे, जिहां आजतक ऊंहा नाता-रिश्ता जोड़े बर आदमी कतराथे । मोर क्षेत्र में बेनीपाली हे, जहां आजतक रोड़ के चिन्हा नहीं हे । मोर क्षेत्र में अईसे 4-6 ठी गांव हे, जिहा रास्ता नहीं हे । ओमन बर मैं मंत्री जी ला निवेदन करिहौं कि जिहां रास्ता नहीं हे, तिहां रास्ते दे दिही । मालखरौदा से चिखली, चूंकि अभी मालखरौदा सब डिवीजन बन गिस हे, मालखरौंदा से चिखली होते हुए बेलहाडीह छोटे सीपत चिखली रोड़, अड़भार ये बुदेली छोटे ढिमानी तक मेन रोड़ तक और अभी हमर जो सकर्रा एरिया हवय, ते ह ओ हर थाना के लिए सक्ति जाथे । चूंकि अब सक्ती ह जिला बन गे, बहुत दूर के व्यक्ति मन आने विधान सभा क्षेत्र में जाथें त सकर्रा ला पुलिस चौकी बना दिया जाये । चोरतेली हाईस्कूल से चोरतेला गोबरा तक ए रोड़ हे अउ एक ठ चूंकि अभी अड़भार ह तहसील बन गे, ऊंहा अस्टभुजी मां के मंदिर भी हे, त ऊंहा रेस्ट हाऊस नहीं हे, बड़े-बड़े अधिकारी मन जाथें तो ओतकेजड़ गांव में, एतिहासिक गांव में ऊहां रेस्ट हाऊस नहीं हे त ऊंहा रेस्ट हाऊस बन जाही तब सब दर्शन करईया मन ला, कोई बाहर के श्रद्धालू मन ला जाकर अपन बैठे के, पानी पीये के जगह मिल जही । पुन: मोर बाबू जी ह एतके सुन्दर बजट पेश करे हे, ओतके सुन्दर काम करथे, तभे वह दिल्ली में जाकर पुरस्कार ग्रहण करथे । मैं निवेदन करथौ कि मैं अंतिम छोर के व्यक्ति अव, मोर क्षेत्र ला एमन 15 साल तक विकास ला रोके हवय । ज्यादा से ज्यादा ओ क्षेत्र में पईसा देवव, ताकि मोरो विधान सभा क्षेत्र के आदमी मन ह मुस्कुराके जीयय । सभापति महोदय, हमर अतेककन विकास हे, उहू ला जोड़ दिहौ । आप मन मोला बोले के मौका दे हव और ऐला कहात हुए अपन वाणी ला विराम देवथौं ।

श्रीमती इन्दू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के जो काम हैं, उनके बारे में बोलना चाहूंगी। अभी मंत्री जी तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम संबंधित विभाग इसे नोट करेंगे। मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय से पामगढ़-ससहा, जोंधरा-डोडोपार होते हुए जो सड़क बनी है, जो राजधानी को जोड़ती है, सी.जी.आई.डी.सी.एल. के द्वारा बनाया गया है। उस सड़क में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दोआकरोद और ससहा का सड़क अपूर्ण है, उस अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने के लिए निवेदन है। चूंकि वहां के जो प्रभावित किसान हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। जो प्रभावित किसान थे, उन्हों न्यायालय में केस लगाया था। न्यायालय से उस पर अवार्ड पारित हो गया है। मुआवजा वितरण कराने के बाद उस सडक को पूर्ण किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित

कराना चाहूंगी कि वह सड़क बन गया है और 9 करोड़ का आवार्ड पारित हो चुका है। लेकिन लगभग 6 किलोमीटर तक सड़क अपूर्ण है। चूंकि प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मुआवजा वितरण कराकर सड़क को पूर्ण करायें। चूंकि मैंने इस मामलें में अपने विधानसभा क्षेत्र में कईयों बार धरना-प्रर्दशन और आंदालन किया है। प्रशासनिक तौर पर आश्वासन मिला था कि 15 दिन के अंदर परीक्षण कराकर मुआवजा वितरण कराया जायेगा। लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

सम्माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत भिलौनी, जो मेरा गृह ग्राम है, वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माणाधीन है और वह अधूरा है। मैंने इसे पूर्ण कराने हेतु संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इसे बजट में शामिल करें।जो हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन अधूरा है, उसे पूर्ण करायें। चूंकि वह मेरा गृह ग्राम है इसलिए वहां के लोग मुझे विश्वास की नजर से देखते हैं कि कम से कम इस स्कूल को तो पूर्ण करायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत खोखरी अटल चौक से सन्नौद सड़क जो, बहुत ही जर्जर है, हम उस पर पैदल भी नहीं चल पाते हैं। वह मुख्य मार्ग है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इसे भी अपने बजट में जोड़ें।

सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे पामगढ़ में रेस्ट हाऊस है और उसमें एक ही कक्ष है। जहां अन्यत्र जगह से व्ही.आई.पी. लोग आते हैं तो वहां काफी दिक्कत होती है। मैंने इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से चर्चा किया था। तो मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि इसे भी अपने बजट में शामिल करें। ताकि हमारे पामगढ़ क्षेत्र में एक अच्छा रेस्ट हाऊस बन सके।

सम्माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट में मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जोगीडीपा व मुरली के मध्य नाले पर पुल निर्माण बजट में शामिल किया गया था। इसे प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की महान कृपा करेंगे।

सम्माननीय सभापति महोदय, मेरे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलखन के रोशनदास महंत जी अपने घर से घूमने के लिए निकले थे। जब वे घर नहीं आये थे तो शाम को उनके घर के लोगों ने तलाश किया तो उसे पानी टंकी के पास मृत स्थिति में मिले। उनके परिजनों ने शिवरीनारायण थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराया था। लेकिन आज तक उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह इसे अपने संज्ञान में लेकर अपराधियों को पकड़े। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति का माहौल फैला हुआ है। गुण्डे, गुण्डागर्दी कर रहे हैं। चोर, चोरी कर रहे हैं। हत्यारे, हत्या कर रहे हैं। बलात्कारी, बलात्कार कर रहे हैं और हमारे पूरा

युवा नशे में चूर हो चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हर तरह का अपराध हो रहा है। यहां पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी पन्द्रह दिन पहले हमारे पामगढ़ विधान सभा के अंतर्गत नगर पंचायत शिवरीनारायण में मेला का आयोजन हुआ था । मेले में हजारों की संख्या उपस्थित थी । लूट की घटना में एक युवक के गले को ब्लेड से रेंत दिया गया और उसकी मौत हो गयी । इतने हजारों की संख्या में ऐसी घटनायें हो रही है । माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुये बहुत दु:ख होता है कि छत्तीसग़ प्रदेश में हमारी जो बेटियां हैं, वह सुरक्षित नहीं है । उनके साथ अनैतिक घटना होती है, जो बलात्कार होता है, उसे न्याय दिलाने के लिए विधान सभा में आंकड़ों के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं, उससे हमें बहुत दु:ख होता है ।सम्माननीय सभापति महोदय, हम गुलाम भारत और आजाद भारत की बात करें तो गुलाम भारत में सारी घटनायें, लूटपाट, चोरी, डकैती, सब घटनायें गुलाम भारत में होती थी । आजाद भारत में छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसी घटनायें चरम सीता तक पहुंच गई है । हमारा छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बना हुआ है ...।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेद करती हूँ कि प्रशासन को सुदृण करें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें । सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :-डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सभापति महोदय जी, धन्यवाद । मैं आज मंत्री जी के विभागों के समस्त मांगों के विरोध में खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, पहले तो मंत्री जी को अच्छी और कड़वी बातें रखेंगे । एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने सुगम सड़क योजना की कल्पना की है । वास्तव में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है । उसमें उतना ही दुर्भाग्य है कि जिस स्टैण्डर्ड से इनकी कल्पना थी, उस स्टैण्डर्ड से बिलो 28 परशेंट जा रहा है । कल्पना करिये कि उसका स्टैण्डर्ड क्या होगा । सुगम सड़क योजना से जुड़ी एक अच्छी कल्पना और थी, उसमें बेरोजगार इंजिनियर लोगों को अवसर देने का था, आपने अवसर दिया । जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास कैपिटल नहीं था, विश्वास के कारण भुगतान के लिए तरस गये । किस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया, वही जानते हैं । इंजिनियरों ने कान पकड़ लिया है कि ऐसे काम नहीं लेना है । इस तरह से आपने काम किया है । सभापति महोदय जी, मंत्री जी निश्चित तौर पर जो पी.डब्लू.डी. विभाग है, छत्तीसगढ़ का एक आईना है । एक इंडिकेटर्स है, हमारा समृद्धि का एक प्रतीक है । सभापति महोदय, आप देखेंगे, माननीय मंत्री जी तो सहज सरल है, लेकिन इनके विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2021-2022 का जो प्रतिवेदन दिया हुआ है, इस प्रतिवेदन में जब देखेंगे तो बजट का 50 परशेंट भी उपयोग नहीं किया गया है । प्रदेश कहां पर खड़ा है । छत्तीसगढ़ किस ओर जा रहा है, हमारी समृद्धि छत्तीसगढ़ की प्रगति नहीं है, उसकी दुर्गति करने में लगे हुये हैं,

क्योंकि राशि का उपयोग अब तक नहीं किये हैं । यह उनका एक इंडिकेटर है । सभापति जी, हमने जातिगत एलाटमेंट किये हैं । बहुत सारे विभागों को जातिगत एलाटमेंट किये हैं । आप इस एलाटमेंट में देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आज भी उसके जो काम है, इतना बजटेड रहता है, एक-दो काम स्वीकृत लिखा हुआ है, वह भी काम अपूर्ण । यह कैसे अनूसचित जाति के हितों की रक्षा कर रहे हैं । पी.डब्लू.डी. विभाग कैसे हितों की रक्षा कर रहा है । अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में आप 42 काम पूर्ण बता रहे हैं । 108 काम प्रगति में आज भी उसको नहीं कर पाये हैं । अनुसूचित जाति के विशेष घटक का जो पैसा है, उसका उपयोग आपने नहीं किया है । वहां से भी आपका विभाग सक्षम नहीं रहा है ।सभापति महोदय, इस तरीके से देख रहे हैं कि पी.डब्लू.डी. विभाग जो है, अपनी कार्यक्षमता से छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट का एक प्रतीक बनना चाहिये था, वह प्रतीक के बजाय छत्तीसगढ़ को जो समृद्धि है, उसमें बाधा के तौर पर यह दिख रहे हैं। इसी तरीके से भवन कार्यों की स्वीकृति है, अभी तक 2021-22 में एक पूर्ण है और 227 अपूर्ण है। इसकी यह प्रगति है। अब इस पर कितना कहेंगे। यह छत्तीसगढ़ को किस ओर लेकर जा रहे हैं। हम लोक निर्माण विभाग से मांग करते थे कि हैवी-हैवी गाड़ियां चल रही हैं। जिन रोडों में हैवी गाड़ियां चल रही हैं, उसमें करीब-करीब 40-50 टन से ऊपर की गाड़ियां चल रही हैं। उसके अनुरूप सड़कें बननी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- वो कंपनी ला खोले के काम तुमन करा और ओला बनाये के काम हम मन करत हन।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, किसी गांव की हमने रोड बनाई लेकिन उस रोड में रेत के ट्रांसपोर्ट का एक गांव आ गया, अब उस गांव से रेत उठा करके जब इतनी हैवी गाड़ियां उन रोडों से निकलती हैं तो जो हमारी बनाई हुई रोड है, वह पूरी बरबाद हो गई और उसके बारे में हमने कई बार पत्र लिखा। इन रोड़ों में जो 60-70 टन की गाड़ियां चल रही हैं, इन रोडों को कम से कम कुछ रिपेयर तो कर दीजिए। हमने एस.डी.एम. से बात की, सबसे पत्राचार भी किया। माननीय मंत्री जी, आपका विभाग सुनने को तैयार नहीं है। हमने जोंधरा से जोंधरा तक के एक 20 किलोमीटर की रोड बनाई हुई थी, वह रोड पूरी डेमेज पड़ी हुई है। वहां गरीब 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के लोग रहते हैं, वह बोलते हैं लेकिन उनकी सुनता कौन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कैसे प्रगति की ओर जायेगा?

माननीय सभापति जी, दूसरा गृह विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत है, भावुक क्षेत्र है, हम शांत और विनम्र हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति को शराब पर नियंत्रण नहीं होने के कारण अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ गई है, अपराध की संख्या बढ़ गई है। हमारे शिवरतन शर्मा जी ने गृह विभाग के उन आंकडों को बताया जिन आंकड़ों में हम छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हत्या के मामले में किस स्थान पर हैं, उन आकड़ों का उल्लेख उन्होंने कर दिया। लेकिन यह इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिसिंग है, वह कहीं न कहीं मंत्री जी आपके नियंत्रण से बाहर है। आप

राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन पुलिस विभाग को सशक्त बनाने के लिए आप उस ओर प्रयास नहीं करते हैं। आपकी इस ओर पुलिस विभाग को सशक्त बनाने के लिए प्रयास, रूचि होनी चाहिए, वह दिखाई नहीं देती। इसलिए पुलिस विभाग समक्ष नहीं है और इस तरीके से हर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। दूसरी चीज यह है कि जिन चीजों में पुलिस को सशक्त बनाना है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता की आपने बातचीत की है, जैसे हमारे और भी वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख किया है, उसमें कहीं भी आपकी कोई रूचि नहीं दिख रही है। उसके संरक्षण में भी कोई रूचि नहीं दिख रही है।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त में अपनी बात रखें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस को जो सुविधायें देने की बातचीत की गई थी, उसका भी बजट में प्रावधान नहीं हो पाया है। हम भी माननीय मंत्री आपको पत्र लिखते हैं कि हमारे मस्तूरी सीपत क्षेत्र में खम्हरिया में थाने की मांग कर रहे हैं, वहां भी बहुत अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। वहां एक चौकी ही खोल दीजिए। उस पर भी कोई बातचीत नहीं आ पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर में पुलिस पेट्रोल पंप संचालित करती है। अब वहां का बजट आता है, वेलफेयर पुलिस के सरंक्षण के लिए है। मैं बहुत महत्वपूर्ण विषयों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान खीच रहा हूं। पुलिस वेलफेयर फंड के पैसे का कहां उपयोग होता है, उसका भगवान मालिक है। कभी उस पर बता दीजियेगा।

श्री शैलेश पांण्डे :- भैया, सिविल लाईन थाना और सरकंडा के स्पिलिट वाला भी मांग कर लीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब पाण्डे जी भी मांग कर रहे हैं, उसको भी मेरी तरफ से समावेश कर लीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, धर्मस्व, न्याय के बारे में बात करना चाहता हूं। महमंद गांव है, वहां पर अपराध, बलात्कार, ड्रग माफिया आदि की इतनी घटनाएं घट रही हैं तो वहां के लोगों ने मिलजुलकर के सहायता केन्द्र खोलने के लिए एक मांग की है। एस.पी. से बातचीत हुई, उन्होंने सहमति दी। हम लोगों ने भी मदद करने की बात की, कोई ऐसे आदमी हैं जो वह खुलने देने के लिए अपराधों को ही संरक्षण देते हैं, कृपया मंत्री जी उस पर देख लीजिए।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, धार्मिक न्याय पर एक मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- हो गया, हो गया, प्लीज।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महादय, माननीय मंत्री जी एक अनुसूचित जाति का मामला है। आपने धर्मस्व न्यास में जो कुल बजट 2022 में दिया हुआ था, उसका 50 प्रतिशत भी धर्मस्व न्यास में लगा नहीं पाये हैं। हमारे यहां के अनुसूचित जाति, आपने सभी समाज का संरक्षण किया है, लेकिन मैं गिरौधपुरी के लिये अनुसूचित जाति का देख रहा था। (व्यवधान) हमारे समाज के लिये बहुत important है। उसमें आपने जो बजट दिया है, वह जो माननीय रमन सिंह जी ने दिया था, वही बजट अभी तक चल रहा है और कोई विषय है भी नहीं, एक भी स्वीकृति नहीं है, अगर स्वीकृति होगी तो मुझे बता दीजियेगा कि किस तरीके से हम अनुसूचित जाति को संरक्षित करते हैं, अनुसूचित जाति के बजट के विशेष घटक की बात करते हैं कि उसके डेव्हलपमेंट में क्या बात-चीत चल रही है, यह भी मायने रखता हैं। मेरा यह आग्रह है कि अगर आपको करना है तो उसको गिरौधपुरी का ट्रस्ट बना दीजिये, उसका अध्यक्ष हमारे गुरूजी का बना दीजिये। लेकिन ट्रस्ट बना देंगे तो एक अच्छा डव्हेलेपमेंट होगा, उन्हीं को अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दीजिये। मैं आपसे मांग करता हूं यह मेरी आग्रह है।

सभापति महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। हम सब लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की आबादी लगातार बढ़ रही है, रायपुर की आबादी बढ़ रही है, रायपुर चारों तरफ विकसित हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ के और प्रदेश के लोग रायपुर में आकर बस रहे हैं परंतु छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इसलिये माननीय मंत्री जी, रायपुर में नये थाने कहां-कहां पर खोलना है, नई चौकियां कहां-कहां पर खोलना है, अपराध किन क्षेत्रों में बढ़ रहा है ? आपको इसके लिये रायपुर शहर में नये थानों की स्वीकृति देनी चाहिये। हम सब लोग राजधानी में रहते हैं और राजधानी से पूरे देश में हमारे प्रदेश की एक पिक्चर बनती है। तो आपको राजधानी के बारे में, रायपुर शहर के थानों के बारे में विचार करना चाहिये, । ट्रैफिक की व्यवस्था, बार-बार ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिये अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिये जो सबसे बड़ी समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या है। यहां लोग आते हैं कि आपकी सड़कें अच्छी बन गई, चारों तरफ रायपुर शहर बढ़ रहा है पर आपका रायपुर का ट्रैफिक बहुत बेकार है। माननीय मंत्री जी, अभी लाल लाइटें लगी हैं, हरी लाइटें लगी है, हम लोग लाल लाइट पर रूकते हैं पर हमारे सामने ही 10-20 लोग, लाल लाइट को क्रॉस करके चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कैमरे लगे हैं, 100 करोड़ रूपये कैमरों पर खर्च हुये हैं तो सिस्टमैटिक क्यों नहीं हो रहा है ? आप जरा उसको देखिये। कहीं पर ट्रैफिक 10 सेकंड रूकना चाहिये तो वहां पर 10 मिनट रोक देते हैं, जहां पर 1 मिनट रोकना चाहिये वहां पर 10 सेकंड रोक देते हैं। तो जरा रायपुर शहर के बारे में टेक्नॉलाजी का उपयोग करके कुछ करिये। अब रात को 10 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाता है तो लाल लाइट का समय कम होना चाहिये। आजकल तो पूरा automization आ गया है, तो इसके बारे में आपको विचार

करना चाहिये और यह सब वरिष्ठ अधिकारी, सेकेट्री से लेकर, डी.जी.पी. से लेकर, एस.पी. से लेकर, पूरे पुलिस के अधिकारी यहां रहते हैं, घूमते हैं, परंतु वह लोग इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ? कि राजधानी में अगर देश भर से कोई भी आये तो यहां की व्यवस्था के बारे में तारीफ करें। हम लोग बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, उनको समय के हिसाब से ट्रैफिक की जानकारी रहती है, उनको मालूम है कि 12-2 ट्रैफिक कम है होगा तो उसकी टाइमिंग कम हो जायेगी, शाम को 4-8 ट्रैफिक ज्यादा होगी तो उसकी टाइमिंग बढ़ जायेगी, 10-12 की टाइमिंग अलग होगी। तो हम रायपुर में क्यों नहीं कर सकते, हमको इसके बारे में विचार करना चाहिये। चालान के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं वसूल होता है तो रायपुर में वसूल होता है, आप उस पैसे को यहीं पर ट्रैफिक व्यवस्था में खर्च क्यों नहीं करते ? इसमें आपको विचार करना चाहिये और माननीय मंत्री जी, रायपुर के बहुत सारे काम, सड़क के, पुल-पुलिया के अधूरे पड़े हुये हैं। मैंने बार-बार, मुख्यमंत्री जी को भी 2-3 बार कह चुका हूं कि अगर आप स्काई वॉक के बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो जाएगी और फिर आप कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वह जर्जर हो रहा है, उसमें जंग लग रहा है, उसके हिस्से गिर रहे हैं। आपको जो करना है आप वह करिये, परंतु उसके बारे में आप निर्णय लीजिये, उसका 40 करोड़ रूपये का, आज 80 करोड़ का हो गया है और जो अजय चंद्रकार जी बोल रहे थे वह 120 करोड़ का हो जायेगा। केनाल रोड के ऊपर में जो दो पुल-पुलिया बनना है, वह पूरा नहीं हो रहा है। हमारी जो एक्सप्रेस हाईवे है, वह पूरा नहीं हो रहा है। जरा आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष बात करके, राजधानी के मामले में निर्णय हो।

सभपति महोदय :- माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। आपने पर्यटन पॉलिसी बनायी है। शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है ? पॉलिसी डिक्लियर हुए, दो साल हो गया किन्तु आज तक उसके नियम जारी नहीं हुए हैं। नियम जारी करने में पैसा थोड़ी लगना है, उसमें बजट भी नहीं लगना है। प्राईवेट लोग आएंगे और अपना इंवेस्टमेंट करेंगे, उस पॉलिसी के बारे में मैंने प्रश्न भी पूछा, मैंने पत्र भी लिखा, दो साल से पर्यटन पॉलिसी के नियम जारी नहीं हो रहे हैं, आप वह नियम जारी कर दें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्रों में सरकार के पास मौका नहीं है। बिना पैसे के पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो सकता है। इस क्षेत्र में लोग इंवेस्टमेंट करेंगे और मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से अवसाद फैल रहा है। पुलिस के जवान,नवजवान, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। आपको गृह विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाकर, एक्सपर्ट को बुलाकर ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आत्महत्या व्यक्तिगत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सामूहिक कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सामूहिक आत्महत्या कर रहे हैं। 5-5 महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। मुख्यमंत्री जी के जिले में 5-5 लोग आग लगाकर मर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अवसाद क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में कमेटी और एक्सपर्टस् को बुलाया जाए। यहां तक की पुलिस विभाग में कोई psychiatrist डॉक्टर भी नहीं है। एक psychiatrist डॉक्टर रखना चाहिए, जिसके सुझाव पर पुलिस की आत्महत्या बंद हो। जो हमको सुझाव दे कि हम कैसे कर सकते हैं ? तो मैंने कुछ छोटी-छोटी बातें कहीं हैं। मैं इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप भी राजधानी में रहते हैं और हम सब लोग राजधानी में रहते हैं कम से कम जो राजधानी की जो प्रमुख चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा खर्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी रिंग रोड नंबर 1 है, उस रिंग रोड नंबर 1 में 5 पुल बन गये, परन्तु उसकी जो साईड की सड़क है वह इतनी सकंरी है कि उस सड़क को बनाने के लिए बहुत पैसा नहीं लगना है। वह सड़क 5 करोड़ रूपये में चौड़ीकरण हो जाएगी। मैंने आपको लिखकर, जो राजधानी परिक्रमा पथ है, उसके अंतर्गत उसको ले लें। अगर वह चौड़ी हो जाएगी तो ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप भी भिलाई, दुर्ग जाते हैं उसी सड़क से जाते हैं तो अगर आप यह कर देंगे तो मैं रायपुर शहर के किसी गली मोहल्ले का नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको प्रमुख मांगें कही हैं, अगर आप यह कर देंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज बृहमोहन जी का जो भाषण है, वह इतिहास बना दिया। वह तो व्यवस्था के प्रश्न में बहुत लम्बा बोलते हैं तो उन्होंने डिमाण्ड मांग पर इतना छोटा कैसे बोल दिये।(हंसी)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप उनके जैसा समझदार बन जाईये। वह तो समझदार आदमी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको तो श्राप लगेगा। आप होली का अकेले मजा कर रहे हो। घड़ी का टाईम भी नहीं देख रहे हो और होली का मजा ले रहे हो।

श्री कवासी लखमा :- अब तो आप सुधर जाईये।

लोक निर्माण मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू):- माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने विभाग के वर्ष 2022-23 के कामों के लिए बजट प्रस्तुत किया है। लगभग 14-15 सदस्यों ने इसकी चर्चा में भाग लिया। इस पर काफी कुछ सुझाव भी आये, मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ जिसमें माननीय शिवरतन शर्मा जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय ननकीराम कंवर जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी, आदरणीया इंदू बंजारे जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मोहन मरकाम जी, आशीष छाबड़ा जी, आदरणीय संगीता जी, भुनेश्वर शोभाराम बघेल जी, राम कुमार यादव जी, आदरणीय धर्मजीत जी, आदरणीय केशव चन्द्रा जी, इन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसमें

काफी कुछ अच्छे सुझाव भी आये। जो काम जैसा 3 सालों में हुआ है, उस पर काफी चर्चाएं कीं। मैं माननीय सदस्यगणों ने जो चर्चाएं की हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए फिर मैं अपने विभाग के कामों पर चर्चा करूंगा। लगभग कुछ सदस्यों ने कहा, बजट का विरोध भी किया, बजट में लाने से काम नहीं चलता, काम नहीं हुआ। कुछ काम रूका। माननीय सभापति महोदय, सभी जानते हैं कि हमारी सरकार बने 3 साल का समय हुआ है। इन तीन सालों में पहले साल हम लोगों ने काम शुरू किया और लगभग 2 साल कोरोना के चपेट में आए, जिसमें आवागमन भी बंद हुआ, मजदूर भी बंद हुआ, सारे काम ठप्प पड़ गये। वित्तीय स्थितियां जो अलग-अलग विभागों के लिए बजट आवंटित होता है, उसमें भी इसलिये रूकावट आयी कि हमारी सरकार ने सारा फोकस लोगों की जान बचाने में किया। चाहे वह अस्पताल में बेड की संख्या की वृद्धि हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, आई.सी.यू. बेड की बात हो, दवाईयों की व्यवस्था की बात हो, प्रवासी मजदूरों की बात हो, सूखा राशन की बात हो, पैकेट देने की बात हो, पैकेट देने की बात हो, सारा ध्यान लगभग दो साल के कोरोनाकाल में हम लोगों ने हमारी सरकार ने, आप सब लोगों ने भी इसमें काम किया, इसलिए हम लोगों का कुछ काम कोरोनाकाल में रूका, इस कारण भी देरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे, भारतवर्ष के लगभग हर प्रदेश में महंगाई आई लेकिन छत्तीसगढ़ एक मात्र ऐसा राज्य है जहां इतने काम होने के बावजूद पिछले बजटों से अलग हटकर नई योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्रियान्वित की। उसको चालू करने के बावजूद महंगाई की मार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। माननीय सभापति महोदय, वित्तीय प्रबंधन के चलते कुछ नये काम भी हुए है, कुछ काम रूके भी हैं। हमारे विद्वान सदस्यों ने कुछ जानकारियां दी, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने छन्नी साहू प्रकरण से बिलासपुर से लेकर अपराध, सिलगेर नक्सली, हत्या, आत्महत्या सब विषय पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा करते हुए एक बात भी कही कि पिछले भाषणों में मेरे ऊपर इंगित करके कहा, ठेकेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कितने पर कार्रवाई हुई, एक भी नहीं, लगता है आपकी सेटिंग हो गयी। मैं माननीय शिवरतन शर्मा जी को बताना चाहूंगा कि मैं सेटिंग करता नहीं, हमारी सरकार नहीं करती। डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि एक साल कमीशन खाना बंद कर दो, सरकार 30 साल और रहेगी। हम लोगों ने इस समय में यह काम नहीं किया। एक्सप्रेस वे की बात आई, स्काईवाक की बात आई, स्काईवाक है, हमारे पास जिस दिन कमेटी का निर्णय आएगा, बनाने का नहीं बनाने का निर्णय लेंगे। एक्सप्रेस वे की बात आई...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, स्काईवाक के बारे में कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट सौंपे हुए एक साल हो गए हैं। सत्यनारायण शर्मा जी उनके अध्यक्ष हैं। मैंने उनसे आज ही पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट सौंप दी। आप रिपोर्ट मंगाकर एक बार देख लें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सभापति महोदय, एक्सप्रेस वे की बात आई। एक्सप्रेस वे में इनके कार्यकाल में चुनाव आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो, दिन रात काम करो, उद्घाटन करना है, चुनाव आ गया।

ठेकेदार ने वैसा काम किया, सत्यानाश हो गया। उसको पूरा उखाड़कर नये सिरे से एक्सप्रेस वे को बनवाना पड़ रहा है। एक्सप्रेस वे लगभग बनते हुए आ गया है।

माननीय सभापति जी, धार्मिक न्यास धर्मस्व पर काफी चर्चाए हुई। मैं एक साथ चर्चा करूंगा। माननीय अजय चंद्राकर जी ने भी ट्रस्ट की बात कही, अंडा फोरलेन की बात कही, सिर्फ पाटन और दुर्ग ग्रामीण नहीं है, प्रदेश में व्यापतता की बात, अपने चार-पांच बजट वापस करने की बात कही। सभापति जी, उनके यहां काम ही नहीं हैं तो वापस करेंगे ही। क्योंकि पिछले 15 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इतना काम कुरूद में हुआ है कि वहां काम करने की जगह ही नहीं है। इसलिए वह वापस करने की बात कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। हम लोग काम करने देंगे तो जितना होगा जरूर काम करेंगे। पिछले 15 सालों में राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग का काम बता दीजिए, पिछले 15 सालों में दुर्ग शहर में काम बता दीजिए, अरूण वोरा जी अभी नहीं हैं। दुर्ग शहर के अंदर 15 सालों में कितने पैसे का काम हुआ है, मुझको जानकारी दे दें। मैं उसके लिए तैयार हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, आदरणीय धर्मजीत जी ने चौकी, ए.डी.बी., रेस्ट हाऊस वगैरह की बात कही। निश्चित तौर पर पर्यटन से हो चाहे किसी से भी हो, हुड़िया में हम लोग अपने अधिकारी भेजकर रेस्ट हाऊस जरूर बनवाएंगे। आपने एक रपटे की बात कही है। नवागांव, दयालीगांव के पुल के रपटा छोटा सा है, उसको निश्चित तौर पर हम लोग तत्काल बनवा देंगे, इसके लिए बजट प्रावधान की जरूरत नहीं है। वर्ष 2022-23 में कितनी सड़कें शामिल हैं, ऐसा आपने कहा है, बजट में आपके क्षेत्र का पांच सड़क शामिल है, लाखासार से डोंगरिया मार्ग, सरईपतेरा, हरदीबाग उरई, कोडारमार्ग, कोटा, लोरमी, पंडरिया, राज्यमार्ग से मुंगेली लोरमी, मुंगेली के बंधवा पुल से गोड़रखामी तक मार्ग, परसवाड़ा से ग्राम महकमार शामिल है। आदरणीया इंदू जी ने, सशह पामगढ़ मार्ग की बात कही है, वर्ष 2022-23 के बजट में प्रस्तावित है। सड़क 4 किलोमीटर वर्तमान सड़क में निर्माण किया जा सकता है, वह बाईपास सड़क की बात करती हैं, बाईपास में पूरा सड़क बन चुका है, अंदर का सड़क है, जो बिल्कुल सकरा है और अभी बाईपास का कोई प्रावधान नहीं है, उसमें पूरा मुआवजा है। इसलिए अभी उसको अभी नहीं किए हैं, अंदर की जो सड़क है, उसको हम तत्काल बनाने के लिए तैयार हैं। माननीय सभापति महोदय, सब सदस्यों ने जो बातें कही हैं उस पर मैं अपने बजट की बातों में चर्चा करूंगा । मैं सबसे पहले अपने बहुत छोटे से विभाग की ओर से चर्चा शुरू करूंगा । धर्मस्व और धार्मिक न्यास बहुत छोटा विभाग है जिस पर भी सदस्यों ने चर्चा उठायी है । हम लोग इस विभाग के द्वारा प्रदेश में जो शासकीय मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, समाधि हैं, मंदिरों के रखरखाव का काम करते हैं, पुजारियों को वेतन आदि देने का, उनका मानदेय देने का, सेवादार, मांझी, पालकी वाले इसका काम करते हैं और हमारे प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले हैं जो कि धर्मस्व विभाग के द्वारा आयोजित होते हैं । जैसे राजिम माघी पुन्नी मेला है, बस्तर दशहरा है, जशपुर दशहरा है । आराहर्रीडीपा केराडीह दशहरा है, मुंगेली के पास ग्राम लालपुर में परमपूज्य बाबा

गुरू घासीदास जी की जयंती का अवसर होता है । बाबा जी की तपोस्थली गिरौधपुरी का मेला स्थल है । मेला के लिये है । दामाखेड़ा कबीरपंथियों का जो स्थल है वहां के लिये है । धर्मस्व और धार्मिक न्यास में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आदरणीय अजय जी ने भी कहा और अलग से बैठते हैं तो भी चर्चाएं होती हैं ।

माननीय सभापति महोदय, धर्मस्व और धार्मिक न्यास एक विभाग का नाम है लेकिन न तो इसमें कोई संचालनालय है, न डॉयरेक्ट्रेड है, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी । पहले साल जब इसके कामकाज को देखा और सुना तो संचालनालय बनाने की बात आयी । बजट में स्वीकृति भी कराये लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है कि दो साल के कोरोनाकाल के कारण संचालनालय के पदों की स्वीकृति तो हुई लेकिन भर्ती नहीं कर पाये । धर्मस्व और धार्मिक न्यास दोनों अलग-अलग हैं । मैंने धर्मस्व के द्वारा जो कहा कि मेला स्थलों का विकास या मेला आयोजन के विषय में राशि देना और पूजारी, सेवादार, मांझी वगैरह के लिये देना यह धर्मस्व के तहत् हम कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, धार्मिक न्यास यानी ट्रस्ट और जितनी समितियां हैं उसके अंदर आनी है । चूंकि उसका अभी ऐसा कोई संचालनालय या कानून नहीं बना था । मात्र कुछ जगह हैं जहां कलेक्टर उसके सर्वराकार हैं बाकी निजी तौर पर है या खुद के बना लिये हैं वैसा है इसलिये संचालनालय बनाकर और धार्मिक न्यास की अभी हम लोगों ने नियम बनाने की भी प्रक्रिया पूरी कर ली है । विधि विभाग से भी हमारा आ चुका है, ये जैसे ही बनेगा और लागू होगा तब पूरे प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं और जहां-जहां भी यात्रियों का आना-जाना होता हो, जितनी जमीन दान में हुई हों या जो ट्रस्ट पंजीकृत हो, नहीं हो जो है सब इसके अंदर आयेंगे तब वास्तविक जानकारियां आयेंगी ऐसा मेरा मानना है । हम उस दिशा में आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं लेकिन बीच में इसमें कोरोनाकाल में थोड़ी सी रूकावट भी आयी, पीछे भी हुए । हम बस्तर के जो कार्यकारिणी मेम्बरान हैं उनको जो 1000 रूपये दे रहे थे उसको बढ़ाकर 1100 रूपये किये हैं । 50 साधारण सदस्यों को 1500 रूपये वार्षिक मानदेय देते हैं । छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये प्रतियात्री 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है । छत्तीसगढ़ के निवासियों को सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा के लिये 50 प्रतिशत अर्थात् 15000 की आर्थिक सहायता दी जाती है । बस्तर दशहरा के अस्सीपरगना में 80 चालकी मैम्बर, काछन देवी, रैला देवी सब इन लोगों को भी 1500 रूपये वार्षिक सम्मान निधि दी जाती है ।

सम्माननीय सभापति महोदय, नगर सेना हमारा एक छोटा सा विभाग है, मैं उस पर छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा । छत्तीसगढ़ में नगर सेना 28 जिलों में कार्यरत है । जिसमें 63 कपनियां विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करती हैं, यह स्वयंसेवी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध नियंत्रण में जिला पुलिस बल को सक्रिय सहयोग प्रदान करना है । इसके साथ ही सूचनाओं के प्रसारण के लिये जिला मुख्यालय थाना स्तर पर नगर सैनिक,

वॉयरलैस ड्यूटी भी संपादित कर रहे हैं । यातायात व्यवस्था के सुचारूरूप से संचालन के लिये महत्वपूर्ण व्यक्तियों और मंत्रालय की सुरक्षा हेतु भी नगर सैनिकों की तैनाती की गयी है । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जान-माल की सुरक्षा हेतु भी इनकी सेवाएं ली जाती हैं । पूरे प्रदेश में कन्या आश्रम छात्रावासों में निवासरत छात्राओं की सुरक्षा के लिये महिला नगर सेना की तैनाती की गयी है । माननीय सभापति महोदय, 1715 अितरिक्त महिला नगर सैनिकों के पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके भर्ती हो जाने के बाद प्रदेश के सभी कन्या छात्रावासों में महिला सैनिकों की तैनाती कर दी जायेगी ताकि उन बच्चियों की सुरक्षा में एक अच्छी व्यवस्था हो सके। हमारा अग्निशमन एक छोटा सा विभाग है और बहुत आवश्यक विभाग है। राज्य में समस्त जिला मुख्यालयों के अग्निशमन केन्द्रों को नगरीय निकायों से आधिपत्य में लिया जाकर कार्य प्रारंभ किया गया है। पहले कुछ ही हमारे पास था। बाकी नगर-निकमों के पास था। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अंबिकापुर में 1 करोड़ 33 लाख की लागत से अत्याधुनिक फायर स्टेशन तथा 1 करोड़ की लागत से एस.डी.आर.एफ. हब का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय, दुर्ग में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्द ही लोकार्पण किया जायेगा। विभाग में 3 अग्निशमन वाहन 2 करोड़ 55 लाख की लागत से क्रय किये गये हैं, जिससे दुर्घटना को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 2021 में अग्निशमन सेवा के अंतर्गत अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा वर्ष भर में राज्य में कुल 1830 आगजनी की घटनाओं में पूर्णत: नियंत्रण पाने के साथ-साथ 68 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वर्ष 2021 के दौरान नगर सेना एस.टी.एफ. जवानों द्वारा बाढ़ से घिरे 68 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी में डूबे 136 व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला गया। इस तरह से हमारा यह अग्निशमन और उसमें लगे हुए सैनिक काम कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आपके अग्निशमन विभाग में जो बिल्डिंग और बाकी बनते हैं, उनको प्रमाण पत्र देने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपकी जानकारी में ले आउं। उसके जो नार्म्स बनाये गये हैं, वे भी बहुत गड़बड़ हैं। उसमें आपको बता दिया कि 20 लाख लीटर का आपको टाका बनाना है। अब 20 लाख लीटर का टाका कौन बनायेगा? और उसमें जो कर्मचारी बैठे हैं, वे सब ऐसे लोग हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। आप इसकी एक बार समीक्षा कर लीजिए और उसके कारण जितने निर्माण के काम हैं, वे लेट हो रहे हैं। आप उसे देख लें और उसे ओव्हर ऑइलिंग कर लें तो मुझे लगता है कि निर्माण के काम तेजी से होंगे। उसमें जो लोग बैठे हैं न एक लाख, दो लाख के प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं और मैं बोलना नहीं चाहता कि मुझे एक मेरे परिचित के प्रमाण पत्र के लिए मैंने कहा कि इससे 1 लाख नहीं 50 हजार रूपये ले लो और मैंने उनके जो प्रमुख हैं, उन्हें भी फोन किया, परंतु

यह जो स्थिति है, आप उसे थोड़ा देख लें कि वहां पर छोटा विभाग है, परंतु वहां पर बहुत ज्यादा कलेक्शन है। इसे आप एक बार दिखवा लीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- ठीक है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं पर्यटन पर चर्चा करता हूं। पर्यटन विभाग का पिछले वर्षों के बजट से इस साल 9 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और कोरोनाकाल 2 साल की विपरीत स्थिति के बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया है। कुछ स्थलों को विकसित भी किया है और कुछ नये काम भी हाथ में लेने का प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। सम्माननीय सभापति महोदय, राम वनगमन पथ का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट जो शुरू होना है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ट्राइबल टूरिज्म के अंतर्गत स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो हमारा था, जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वर, महेशपुर, कुरदर, सरोदा, दादर, गंगरेल, नथियानामा गांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, इसे नये सिरे से बनाया गया। इस परियोजना के अंतर्गत इन 13 स्थलों में नये सिरे से हम लोगों ने हर्ट्स केफेटेरिया इत्यादि जो रिसेप्शन सेंटर्स ओपन ये सब केन्द्र इसमें बनाया गया। हम लोगों ने अभी राम वनगमन पथ माननीय मुख्यमंत्री का जो विशेष कंसेप्ट है, उसके तहत हम लोगों ने शुरू किया। 75 स्थानों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 स्थानों का काम हम लोगों ने अभी शुरू किया। उसमें से सीतामणी हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सप्तऋषि आश्रम, सिहावा नगरी, जगदलपुर के दलपत सागर, चित्रकोट, तीरथगढ़, रामाराम सुकमा का चयन किया। इसके लिए 137 करोड़ 45 लाख का प्लान तैयार किया गया। चंदखुरी को हम लोगों ने पहले शुरू किया और इसका कार्य फर्स्ट, सेकण्ड फेज का हमारा पूरा हो गया। चंदखुरी में 7 से 10 अक्टूबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम भी हम लोगों ने आयोजित किया, उसके बाद चंदखुरी के विकास कार्यों में मात्र भारत वर्ष में पूरा एक जगह माता कौशल्या का मंदिर है और उसमें 4 से 5 हजार पर्यटक प्रति सप्ताह आने लगे है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही, उसके लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सका, किया । शिवरीनारायण में प्रथम चरण के कार्य पूर्णता की ओर हैं और शेष स्थलों पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में राम वन गमन पथ निर्माण एवं उन्नयन मद में 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जल पर्यटन के विकास के लिए भी हम लोगों ने 9 जलाशयों को चिन्हांकित किया है, माडमसिल्ली, सतरेंगा हसदेव बांगो डेम, संजय गांधी जलाशय जिसे खूंटाघाट कहते हैं, गंगरेल, सरोदा बांध, समोदा बैराज, कोडार, मलेनिया, दुधावा इन 9 स्थलों को जल पर्यटन के लिए चिन्हांकित किया है । आने वाले समय में हम इन पर काम करने की शुरूआत करने वाले हैं । निजी निवेश के माध्यम से गंगरेल में जल पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित हैं । वर्तमान में कोरबा के हसदेव बांगों के सतरेंगा क्षेत्र में जल पर्यटन को विकसित करने के लिए निविदा माध्यम से फ्लोटिंग रेस्टारेंट, 4 मोटरबोट, सहायक उपकरण, लाइफ जैकेट, लाइफ रिंग की आपूर्ति कर सतरेंगा बोट क्लब का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के स्थानीय निवासियों को जल पर्यटन के माध्यम से रोजगार

उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रत्येक जिले में 10-10 लोगों को पावर बोट हैंडलिंग एव लाइफ सेविंग टेक्निक का प्रशिक्षण भारतीय नेवी की अधिकृत एजेंसी से कराया गया है । हसदेव बांगो जलाशय के सतरेंगा क्षेत्र में जल पर्यटन को विकसित किये जाने के लिए क्रूज और मोटरबोट आदि संचालन हेतु स्थापित किया जा रहा है । सतरेंगा में जल पर्यटन को विकसित करने के लिए बहुत सारे काम बोट, शेड आदि का भी काम कराया जा रहा है । महासमुंद, कोरिया, धमतरी, बालोद, जांजगीर-चांपा के स्थानीय निवासियों को भी नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

सम्माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष के माह जनवरी 21 तक की स्थिति में कुल 37 हजार पर्यटक आए तथा 14 इकाईयों के संचालन से कुल राशि लगभग 1 करोड़ 12 लाख का लाभ अर्जित किया गया । होटल प्रबंधन संस्थान को हमारी सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नालॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रिशियन द्वारा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन केटरिंग टेक्नालॉजी परिषद नोएडा से 3 डिप्लोमा, 1 डिग्री की मान्यता सितम्बर 2020 को दिलाई गई । जिसका शिक्षण सत्र चल रहा है, वर्तमान में 125 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत् हैं ।

श्री ननकीराम कंवर :- सभापति महोदय, मंत्री जी देखकर पढ़ रहे हैं । इसको पटल पर रखवा दिया जाए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- क्या, पटल पर रखना है ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप जो लिखकर लाए हैं उसको पटल पर रख दीजिए, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप लोग हर बार कहते हैं कि देखकर पढ़ने के बजाय पटल पर रख दो, पटल पर रख दो, पटल पर रख दो तो बिना देखे किस चीज को बोलेंगे । आंकड़ों को देखेंगे, कितनी चीजों को याद रखेंगे । बिना देखे कौन बोल सकता है, आप मंत्री थे तो क्या बिना देखे डेढ़ घंटे भाषण दे देते थे । जब देखो तो पटल पर रख दो, पटल पर रख दो । अगर पटल पर रख दें तो बहस ही मत करो, पारित कर दो हो जाएगा पांच मिनट में ।

सभापति महोदय :- चलिए, मंत्री जी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, पर्यटन विभाग में प्रसाद योजना डोंगरगढ़ 43-44 करोड़ रूपए स्वीकृत हुए, जिसका काम चालू है । उसमें माता बमलेश्वरी देवी के मंदिर परिसर और नीचे विकास के लिए, प्रज्ञागिरि के विकास के लिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, मल्हार जो मां डिंडेश्वरी का स्थान है, कृपया उसके लिए भी कुछ सोच लीजिए । मल्हार पर्यटन स्थल है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- प्रज्ञागिरि के विकास के लिए भी इसमें है । श्रीयंत्र के डिजाइन का भी काम शुरू कर रहे हैं । सभापति महोदय, मैं जेल विभाग की मांगों पर चर्चा करना चाहता हूं । जेल आपराधिक

न्याय प्रणाली का एक मजबूत आधार स्तंभ है । जेलों की कार्यवाही विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है । जेल में निरूद्ध बंदियों के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास के लिए शासन द्वारा राज्य की जेलों में सुधारात्मक काम करते हैं । बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, स्वस्थ मनोरंजन के लिए काम किया जाता है । अभी हमारे प्रदेश में 33 जेल हैं, 2022-23 के बजट में 197 करोड़ 49 लाख, 50 हजार का बजट प्रावधान किया गया है । प्रदेश की 8 उप जेलों को जिला जेल में अपग्रेड कर रहे हैं । निर्माणाधीन उप जेल में 31 पदों का सृजन किया गया है । आवश्यकतानुसार जहां कैदियों की संख्या ज्यादा है, पुराने निर्मित जेल हैं, उसके लिए आवश्यकतानुसार बैरकों का निर्माण हर साल किया जाता है ताकि जो कैदियों की संख्या ज्यादा है, उसको सुविधा मिल सके। उसके अलावा भी हम जो बड़ा जेल नया बनाने जा रहे हैं, जैसे रायपुर और बिलासपुर का। बिलासपुर के लिए हमको जगह मिल गया, टेण्डर भी हो गया। रायपुर वाली जगह अभी फायनल हुआ है। एक-एक जेल हमारे पांच-पांच हजार कैदियों की क्षमता वाला हो जायेगा तो अभी हमारे पास जो कैदियों की संख्या अधिक हैं, उसके भी समस्या का समाधान होगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, एक छोटा-सा निवेदन था। बजट में जो जेल है, उसके लिए आप टी.व्ही. के लिए बजट निकाल लेते। सभी जेल में टी.व्ही. लग जाता।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जिला बेमेतरा के पास खुला जेल की भी बात है। रायपुर के गोढ़ी में 85 एकड़ की जमीन आवंटित हो गई है। तो इस प्रकार हमने जेल की व्यवस्थाओं में काफी सुधार भी किया है। कोरोना के कारण कुछ रूका, लेकिन उसके बाद सुधार भी किया है। कैदीगण वहां जो रोजगार करते हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र के लिये बहुत सारे सुधार कार्यक्रम कम समय के होने बावजूद हम लोगों ने जेलों में किया है, उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। वर्ष 2021 में जेल में बंदियों के 414 स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 34,466 बंदी लाभान्वित हुए। 138 अशासकीय संदर्शकों की भी नियुक्ति की गई है। तीन वर्ष में दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 432 के तहत आजीवन कारावास के 697 बंदियों को उनका सजा माफ करके रिहा भी किया है। तो इस प्रकार से सम्मानीय सभापति महोदय, जेल की भी बात मैंने आपके सामने रखी।

सभापति महादेय, अब मैं अपने गृह विभाग की चर्चा भी करना चाहता हूं। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों की चर्चा की बातें आईं थीं। हम लोगों ने एक नई 'अभिव्यक्ति' नाम से एक मोबाईल एप विकसित किया है, जिसमें ऑनलाईन तुरंत के तुरंत शिकवा शिकायत या जिस भी महिला या बच्ची के ऊपर कोई बात है, तो उसमें तत्काल शिकायत कर सकते हैं, उसके तहत हम उसको तत्काल मदद कर सकते हैं। हम लोग गुम बच्चों की तलाश के लिए 'ऑपरेशन मुस्कान' के नाम से एक कार्यक्रम चालू किए हैं, उसके अंतर्गत 2021 में 02,362 बाल एवं 02,273 बालिकाओं को खोजा गया है।

सम्माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम की चुनौतियां हमारे सामने हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर राज्य साइबर पुलिस थाना एवं आधुनिक साइबर लैब कार्यरत है। वर्ष 2021 में हेल्पलाईन नंबर 155260 के माध्यम से साइबर फ्राड के अंतर्गत 2 करोड़, पिछली बार माननीय अजय जी के ध्यानाकर्षण में मैंने बताया था 2 करोड़ 47 लाख रूपये को होल्ड कराया गया है। हमें जैसे ही जानकारी मिली, हम लोगों ने बैंक को सूचित किया। बैंक से पैसा ट्रांसफर होने से बच गया। दो करोड़ 47 लाख रूपये होल्ड कराया गया है। हमने वर्तमान में वर्ष 2022 में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट स्थापित किया है। साइबर जागरूकता के विशेष कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया गया है। सम्माननीय सभापति महोदय, डायल 112 जो महती योजना है, यह अभी 11 जिलों में संचालित हैं। इसके फायदे को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शेष 17 जिले में संचालित करने के आदेश दे दिये हैं, विस्तार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब यह 28 जिला में चालू हो जायेगा। प्रतिदिन लगभग 28 सौ Call प्राप्त होते हैं, जिसमें पुलिस फायर और एंबुलेंस से संबंधित सहायता पहुंचाई जाती है। करीब 70,725 गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया है। डायल 112 वाहनों में 179 नवजात शिशुओं का जन्म सकुशल हुआ है। 01,129 प्रकरण में महिलाओं को सुरक्षित गंतव्य स्थल पर पहुंचाया गया है। धान खरीदी में भी डायल 112 ने अपना योगदान किया है।

सम्माननी सभापति महोदय, पुलिस बल में हम लोगों ने वृद्धि भी किया है। कहीं-कहीं पर थानों में कमी की बात आती है। रिटायर हो रहे हैं, उसकी अपेक्षा में वर्ष 2019-20 में 553, वर्ष 2020-21 में 208 और 2021-22 में 02,812 नवीन पद की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 78,698 हो गई है। राज्य में वर्तमान में 467 थाना एवं 115 पुलिस चौकी स्वीकृत हैं। थानों में सी.सी.टी.व्ही. की स्थापना की बात आई। हमने वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत 443 थानों में सी.सी. टी.व्ही. कैमरा लगाये तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ रूपये की राशि से 95 थाना में तथा 2022-23 में फिर उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने यातायाता की सुधार, ट्रैफिक सुधार की बात कही। नक्सल विरोधी अभियान की भी बात आई। नक्सल विरोधी अभियान की बात आई, सम्माननीय सभापति महोदय, नक्सल विरोधी अभियान की बात राज्य में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में राज्य पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस के समन्वय से नक्सल विरोधी अभियान लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास, विकास, सुरक्षा के अंतर्गत कार्य योजना चल रही है। वर्ष 2021 में 16 नवीन कैम्प, 5 नवीन थाने, वर्ष 2022 में 2 नवीन कैम्प स्थापित किये गये हैं। पिछले 1 वर्ष में 55 उग्रवादी मारे गये। 545 गिरफ्तार किये गये, आधुनिक हथियार सहित कुल 93 हथियार, 180 आई.डी. बरामद किये गये। 707 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किये। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुल-पुलिया, सड़क-मार्ग, मोबाईल-टॉवर बनाये जा रहे हैं। कैम्पों के समीप ग्रामीण जनों के लिए शासन की अन्य सुविधाएं घोर नक्सल क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, बस्तर संभाग में वर्षों से

बंद पड़े पिछले 3 वर्षों में 260 से अधिक स्कूलों को प्रारंभ किया गया है। नक्सली मूमेंट के कारण जो स्कू बंद किया गया था, आप भी जानते हैं उसमें 260 इन 3 वर्षों में...।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या प्रारंभ किये, साहब ?

श्री कवासी लखमा :- पूरे स्कूल बंद थे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- स्कूल बंद थे, उसको प्रारंभ किये गये। नक्सली गतिविधियों के कारण बंद था। हम कैम्प अंदर पहुंचाते जा रहे हैं और उसके कारण 260 से अधिक स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किया। सुकमा में 97 और बीजापुर में हम लोंगों ने 163 स्कूल चालू किया। पिछले 3 वर्षों में बस्तर संभाग में 40 से अधिक सुरक्षा बेस कैम्प जैसे बोदली, पोटाली, तर्रेम, कामतेड़ा, मिनपा आदि में खोले गये हैं। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पी.डी.एस., बिजली, बैंक, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सुविधाएं भी हम लोगों ने पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। चिटफंड कंपनियों की बात अभी आपने उठाई है। वर्ष 2019 से अब कुल 56 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध 79 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जिसमें 143 डायरेक्टर, 14 पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया। 246 प्रकरण में संपत्ति चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुल 16 करोड़ 95 लाख 65 हजार 179 रूपये की संपत्ति निलाम की गई। 17 हजार 404 निवेशकों को 11 करोड़ 22 लाख 72 हजार रूपये वापस किये गये। इसमें एजेंट का भी नाम आया था, उनके लिए भी, मादक पदार्थों पर कार्रवाई, वर्ष 2019 से अब तक अवैध अवैध मादक पदार्थ के 2681 प्रकरण में 82 हजार 665 किलोग्राम गांजा पौधा जप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त नशीली दवाइयां, अफीम, ब्राउन सुगर भी जप्त किये गये। 4043 आरोपियों की गिरफ्तारी किये हैं। इन जप्त मादक पदार्थों की कीमत 93 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपये है। अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। वर्तमान में राज्य में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 24 इकाइयां हैं। सशस्त्र बल की कुल 134 कंपनियां हैं जो नक्सल अभियान, कानून व्यवस्था ड्यूटी में संलग्न हैं। स्पेशल टास्क फोर्स विशेष रूप से नक्सल अभियान में लगी हैं। पिछले 3 वर्षों में सशस्त्र बलों द्वारा 24 नवीन कैम्प, नक्सल क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं। वर्ष 2019 से अभी तक छत्तीसगढ़ पुलिस में 3500 से अधिक नई नियुक्तियां की गई हैं। 830 अनुकम्पा नियुक्ति, 6000 से अधिक पदोन्नति, 250 से अधिक क्रस से पूर्व पदोन्नति, बस्तर फाइटर्स के नवीन 2100 पद और सुबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर के 975 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। पुलिस विभाग के कर्मियों के बच्चों को शहीद विनोद कुमार चौबे स्कोलरशिप योजना, शिक्षा निधि योजना, पुलिसकर्मियों को शहीद भास्कर दीवान सम्मान निधि योजना, शहीद राजेश पवार सम्मान निधि योजना, यह प्रदान किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण घटित घटनाओं पर चर्चा करके मैं पुलिस विभाग की, होम डिपार्टमेंट की बात को खत्म करूंगा। पिछले 3 वर्षों में घटित महत्वपूर्ण अपराधों में पुलिस विभाग को जो सफलता प्रापत हुई है। हत्या - जिला बलौदा-बाजार के भटगांव में मालती बंजारे हत्याकांड, जिला दुर्ग के खुड़मुड़ा में परिवार के 4 सदस्यों की

हत्या, कोरबा के भैसमा के चर्चित सामूहिक हत्याकांड, जिला कबीरधार में विश्व नहर की हत्या, रायपुर के दो नाबालिक बच्चों को अपहरण कर हत्या, प्रतिष्ठित परिवार की बहू व पोती की हत्या, ग्राम सोमनी, जिला राजनांदगांव में बालिका से दुष्कर्म कर हत्या, जिला बालौद के ग्राम कोसमी में एक महिला शिक्षाकर्मी से दुष्कर्म बाद हत्या, जिला रायगढ़, लैलूंगा के व्यापारी एवं पत्नी की हत्या, जिला दुर्ग के चंद्रखुरी निवासी सिवान चन्द्राकर की हत्या, इन सभी प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सम्माननीय सभापति महोदय, अपहरण । बिलासपुर के 7 वर्षीय बालक विराट सराफ का अपहरण, रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी का अपहरण, जिला दुर्ग के 5 वर्षीय बालक का अपहरण, जिला बिलासपुर के तखतपुर के 15 वर्षीय स्कूल छात्र का अपहरण, बिलासपुर के डीपूपारा तारबहार के 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण हुआ था, सभी में अपहृतों को सकुशल वापस लाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।

सभापति महोदय, महिला एवं बालिकाओं पर घटित अपराध । राज्य में नाबालिक बालिकाओं के साथ घटिल बलात्कार की घटना में त्वरित कार्यवाही कर अपराधियों को सजा दिलायी गई है, जिसमें प्रमुख रायपुर जिले के थाना तेलीबांधा, खमतराई, गोबरा नयापारा, कमलविहार, जशपुर, जांजगीर-चांपा, बस्तर, कोरबा जिले की घटनाएं हैं । गृह विभाग के द्वारा जितनी भी घटना, अपराध, नई-नई चीज होती जा रही हैं, उन सब पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है, कहीं पर किसी को अनदेखा नहीं किया जा रहा है । कोशिश की जा रही है कि सबको समुचित न्याय मिले ।

सम्माननीय सभापति महोदय, अब मैं लोक निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा करके अपनी बात खतम करूंगा । हमारा 2022-23 का बजट गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का बजट है । कोरोना महामारी के अवसर पर विभाग द्वारा अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्यों की गति बनाते हुए अनेक कार्य किये गए हैं । गांव, गरीब के विकास हेतु नये आयाम स्थापित किये गए हैं । अभी बेरोजगार इंजीनियर की बात आ रही थी । हम लोगों ने इसमें डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर डिग्री तीन क्राईटेरिया में विभाजित किया है । हमारे जो छोटे काम हैं, उसमें डिप्लोमाधारी में 15 हजार रूपये प्रतिमाह मानदेय, हमारा जो मीडिल टेण्डर है, उसमें बी.ई. किए हुए लोगों को 25 हजार रूपये मासिक और जो बड़े काम हैं, जिसमें मास्टर डिग्री, एम.ई. करने वालों को 50 हजार मानदेय मासिक देकर बेरोजगार इंजीनियरों को काम दे रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत काम हैं। प्रदेश में इस प्रकार के और भी इंजीनियर हैं तो वे हमारे पास आयें, हम उन्हें काम देने के लिए तैयार हैं ।

सम्माननीय सभापति जी, इस श्रेणी में पंजीयन में जो एक खामी की बात आई, एक-दो सुझाव आया कि अभी जिन्होंने काम किया है, उनको भुगतान नहीं हुआ है । निश्चित तौर पर उसमें विलंब हुआ । हम लोगों ने राशि जारी कर दी है, वह जल्दी मिल जाएगा । जहां तक बेरोजगारी की बात है तो

जो 20 लाख रूपये से कम के काम ले रहे हैं, उसके पास पैसा नहीं है । अगर गरीब है तो हम लोगों ने इसमें प्रावधान रखा है कि हम 5 प्रतिशत अग्रिम राशि देंगे । मतलब एक लाख रूपये हम अपनी तरफ से पहले अग्रिम देंगे, ताकि वह सामान लेकर अपना काम चालू कर ले ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, 5 प्रतिशत अग्रिम राशि नहीं दे रहे हैं । दूसरा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (टी.पी.आई.) में दिक्कत हो रही है । उसके कारण उनको भुगतान नहीं मिल रहा है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति नहीं होने से लोगों में हताशा एवं निराशा थी, लेकिन हम लोगों ने एस.ई. को सी.ई., ई.ई. को एस.ई. और ए.ई. को ई.ई. में प्रमोशन कर दिया है । अब हमारा सिर्फ सब इंजीनियर से ए.ई. प्रमोशन करना बाकी है । बाकी विभाग में पदोन्नति होना था, वह हम लोगों ने पूरा कर लिया है । अनुकम्पा नियुक्ति के भी जो प्रकरण हमारे विभाग में थे, उसको भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है, हम लोगों ने नवीन नियुक्तियां भी कर ली हैं ।

सम्माननीय सभापति महोदय, हमारे पास वर्तमान में 34062 किलोमीटर सड़क, 1430 वृहद और 8407 मध्यम पुल हैं और 92 लाख वर्गमीटर भवनों का नियमित संधारण भी हम करते जा रहे हैं । लोक निर्माण विभाग में जो हमारा बजट प्रावधान था, उसके विरूद्ध हम लोगों ने काफी अच्छी राशि खर्च की है। जवाहर सेतु योजना सरकार की घोषणा-पत्र का हिस्सा है कि पुल बनाकर गांव को कनेक्टिविटी दी जाये और पुल-पुलिया बनाकर आवागमन की सुविधा दी जाये ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, अब आप संक्षिप्त करें ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बिल्कुल, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं। सम्माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना बहुत अच्छी योजना है, जिसकी सबने प्रशंसा की । इस बार हम उस ओर जरूर आगे बढ़ेंगे । बस्तर एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्र के विकास के तहत 2419 किलोमीटर की 292 सड़क, उन्नयन, पुल निर्माण, यह सारा काम हम लोग ले रहे हैं। सी.जी.आर.डी.सी.एल. द्वारा भी हम लोगों ने काफी काम वहां लिया है । लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण का काम भी हम लोग ले रहे हैं । बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम की भी सूची है, लेकिन अब उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सी.जी.आर.डी.सी.एल. के द्वारा 498 मार्ग, जिसकी लंबाई 3114 किलोमीटर है, उसमें 5494 करोड़ रूपए की निविदा करके कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । जिन बड़े-बड़े सड़कों को लिया गया है जैसे 62 करोड़, 300 करोड़, 63 करोड़, 93 करोड़ की, वह सूची बड़ी लंबी है । रघुनाथ-लूंदा-धौलपुर मार्ग 47 करोड़, अम्बिकापुर से दरिमा 133 करोड़, सूची काफी बड़ी है। इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव में इस साल तथा अगले साल नया काम हाथ में लेना चाहे रहे हैं, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का काम लेना चाहे हैं। ताकि प्रदेश

के सभी सड़कों को नया कर सकें। इसलिए हमने उस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए 6,638 करोड़ रूपये का बजट है। इसमें नया काम है। साथ ही पुल कार्य के लिए 1,677 करोड़ रूपये रखा गया है। 15 रेल्वे ओव्हर ब्रिज- अंडर ब्रिज के सर्वेक्षण का कार्य है। एक सदस्य ने सर्वेक्षण का बात उठाया था, जवाहर सेतु भी काफी है। जिले के मुख्य सड़कों के निर्माण की बात, शहरी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण की बात, हम लोगों ने इसमें काफी काम किया है। हम लोग सारे कामों को अनुशासन, क्वालिटी और समयबद्ध सीमा में पूरा भी करना चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सदस्यों ने जो बातें उठाई थीं, उनका भी उल्लेख किया। विभाग में जो काम किए हैं और जो काम करना चाहते हैं, उसका भी उल्लेख किया। विद्वान सदस्यों के द्वारा और भी जो सुझाव आयेंगे, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे कि वे सुझाव भी हमारे विभाग में अच्छे से समाहित हो जाये। क्योंकि कार्य का उदेद्श्य ही जनता के हित में काम करना है। तो कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हम कर सकें, वह जरूर करना चाहेंगे।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने सभी विभागों की 3 साल के कामों की जानकारी दी है। जो काम किए हैं, उनकी भी जानकारी दी है, सदस्यों ने जो बातें रखीं, उस पर भी आंशिक चर्चा की है। वर्ष 2022-23 में जो काम करना है, उसकी भी जानकारी दी है और उसके लिए बजट में जिस राशि का प्रावधान किया गया है, उसे सर्वसम्मति से पारित करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आखिरी में एक लाईन। आपने यह कहा कि 15 साल में मेरे यहां की बहुत सारी सड़क बन गई है। मैं आपको बीच में टोका-टाकी नहीं करना चाहता था। जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वह सम्माननीय विधायक लिखते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों। आपके किसी भी अधिकारी को सड़क का नाम बता देता हूं, उसको जाकर देख लें। डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की 7 की औपचारिकताएं की हैं, जो असली खराब सड़कें हैं, आपने उसको लिखवाकर छोड़ दिया है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि कृपया उसको वापस ले लीजिये। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं उसको वापस ले लीजिये। मैंने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी थी, उसको भी वापस ले लीजिये, बाकी सड़कों को खराब रहने दीजिये।

सभापति महोदय :- चलिये,बैठिये।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51 एवं 37 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को-

मांग संख्या-24 लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिए- दो हजार छः सौ पांच करोड़, छिहत्तर लाख, सड़सठ हजार रूपये,

मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य- भवन के लिए- एक हजार पांच सौ तीन करोड़, पचास लाख, छियासी हजार रूपये,

मांग संख्या-76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियायेजनाएं के लिए- नौ सौ चालीस करोड़, पन्द्रह लाख, तीन हजार रूपये,

मांग संख्या-3 पुलिस के लिए- पांच हजार छः सौ पैंसठ करोड़, अठहत्तर लाख, बाईस हजार रूपये,

मांग संख्या-4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए- पचासी करोड़, सड़सठ लाख, छियानबे हजार रूपये,

मांग संख्या-5 जेल के लिए- एक सौ सत्तानबे करोड़, उनचास लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या-51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये- अठारह करोड़, पचहत्तर लाख रूपये तथा

मांग संख्या- 37 पर्यटन के लिए- एक सौ छब्बीस करोड़, चौबीस लाख, अठारह हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2)

मांग संख्या	**29**	**न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन**
मांग संख्या	**38**	**परिवहन**
मांग संख्या	**21**	**आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**10**	**वन**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता ळूँ कि दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या- 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- चार सौ उनसठ करोड़, पनचानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,

मांग संख्या- 36 परिवहन के लिये- एक सौ पांच करोड़, आठ लाख, उनचालीस हजार रूपये,

मांग संख्या- 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्ययके लिये- पांच सौ उन्यासी करोड़, पंद्रह लाख, चौंसठ हजार रूपये, तथा

मांग संख्या- 10 वन के लिए- एक हजार आठ सौ चौदह करोड़, इंक्यानबे लाख, उनतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननी सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या-29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
2. श्री धर्मजीत सिंह	2
3. श्री सौरभ सिंह	2

मांग संख्या- 36

परिवहन के लिये

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
2. श्री पुन्नूलाल मोहले	1
3. श्री सौरभ सिंह	3
4. श्री डमरूधर पुजारी	2
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3
6. श्री रजनीश कुमार सिंह	2

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या- 21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिए

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	4
2.	श्री अजय चन्द्राकर	3
3.	श्री सौरभ सिंह	2
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1
5.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
6.	श्री धर्मजीत सिंह	1

मांग संख्या- 10

वन के लिए

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	6
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	6
3.	श्री अजय चन्द्राकर	4
4.	श्री धर्मजीत सिंह	3
5.	श्री सौरभ सिंह	13
6.	श्री विद्यारतन भसीन	26
7.	श्री डमरूधर पुजारी	1
8.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3
9.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये । अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

सभापति महोदय :- श्री सौरभ सिंह ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा उनकी मांग पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में 41 प्रतिशत वन है । 41 प्रतिशत क्षेत्र में वन विभाग का अधिकार चलता है और वन विभाग की ही चलती है, बाकी में राजस्व विभाग है। माननीय सभापति महोदय, अभी की परिस्थिति में सबसे बड़ी जो समस्या है, वह वन क्षेत्र में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो अतिक्रमण हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि राजनीतिक ढंग से अतिक्रमण किया जा रहा है, पट्टा के लालच में पेड़ कटाकर अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण बुरी तरह हो रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि वन को काटो, लकड़ी को बेचो, लकड़ी को बेचने के बाद आप अतिक्रमण करो, आपको पट्टा दिया जायेगा । अगर फारेस्ट राईट एक्ट में पट्टे पर कोई समस्या आयेगी तो एक रास्ता बहुत अच्छा निकल गया है, वह रास्ता यह है कि सामुदायिक पट्टा दो । नारंगी क्षेत्र में आर.एस.पी.एस. और उसके बाद 16 परशेंट और बनता है, रिजर्व फारेस्ट, प्रोटेक्टर फारेस्ट, नारंगी क्षेत्र बोलते हैं जो अन्य वन होता है । उस वन में पट्टा देना आसान है, उसको छोटे झाड़ का जंगल बोल दीजिए, बिगड़े वन बोल दीजिए, जिस नाम से उसको परिभाषित कर दीजिए । उसमें जो सामुदायिक पट्टा का खेल चल रहा है, विशेषकर बाहर के लोग आकर उस पट्टे को ले रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, आने वाले भविष्य में वह सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी, आने वाले भविष्य में वन विभाग पर सबसे बड़ा कुठाराघात होगा । वह खेल बहुत बुरी तरह वन परिक्षेत्रों में चल रहा है । माननीय सभापति महोदय, हम अगर वन की बात करें, वनों के प्लाण्टेशन के लिए, रिप्लाण्टेशन के लिए 10 से 12 स्कीमें चलती है । अलग-अलग नामों से अलग-अलग स्कीमें चल रही है । पर सभी सदस्य जो यहां उपस्थित हैं, आप भी वन क्षेत्र से आते हैं, उन स्कीमों के तहत जो काम किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है? कौन सा जंगल लगाया जा रहा है? किस तरह का जंगल लगाया जा रहा है ? वह जंगल क्या mixed forest है या monograping sal का फॉरेस्ट है? हम साल के पेड़ों को काट रहे हैं। जो हमारा moist deciduous forest है, जो वन छत्तीसगढ़ का परिक्षेत्र होता है, वह moist deciduous forest है। हम moist deciduous forest को काट रहे हैं और हमारे नेचुरल जंगल को काट रहे हैं। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, विकास के लिए कट रहा है, किसी चीज के लिए कट रहा है। जंगल को काटकर जो replantation की स्कीम चल रही है, एक तो replantation की स्कीम में तीन विसंगतियां बहुत जोरदार आई हैं। एक विसंगति यह है कि जो पेड़ लगाया जा रहा है, वह सिर्फ सागौन का पेड़ लगाया जा रहा है और सागौन का पेड़ highly acidic होता है। उसकी जो पत्ती गिरती है न, उसके नीचे कुछ नहीं उगता है। biodiversity का सबसे बड़ा कोई दुश्मन होता है तो सागौन का पेड़ होता है। सागौन का जंगल लगाया जा रहा है। वह जंगल कट जाते हैं, फिर से जंगल लगाया जाता है, फिर कट जाते हैं, फिर जंगल लगाया जा रहा है। उसका खेल चल रहा है। इसके साथ-साथ croping density कितना जंगल लग रहा है। आपने 1000 पौधे लगाये तो इतने में से 500, 600, 900 पौधे, कितने पौधे उगे और कितने पौधे उसकी रिक्वायर्ड हाईट तक गये और उन्होंने कितना जंगल की density खड़ी की है ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने दे दिया, मस्टर रोल बन गया, मस्टर रोल में पेड़ लग गया। योजना का पैसा निकल गया और उसके बाद आगे क्या हो रहा है ? वन पर्यावरण संरक्षण का जो काम किया जा रहा है, वह काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल कहकर अपनी बार-बार पीठ थपथपाती है। minor forest produce के बारे में कभी

कहा जाता है कि 52 वन औषधियों (minor forest produce) की खरीदी की जा रही है, कभी कहा जाता है कि 60 minor forest produce की खरीदी की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, जो 38 minor forest produce की खरीदी की जा रही है, वह केन्द्र सरकार के माध्यम से खरीदी की जा रही है। उसका 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार दे रही है। अपनी पीठ आप क्यों थपथपा रहे हैं ? उसके ऊपर जो आप ला रहे हैं, वह आपका है। एम.एस.पी. का जो पैसा है वह 38 minor forest produce का पैसा केन्द्र सरकार से आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री वन धन योजना जिसके तहत ट्राइफेड के माध्यम से जो आप minor forest produce खरीद रहे हैं उसमें भी 15 लाख रुपये एक-एक समिति को केन्द्र सरकार ने दिया है तो फिर अपनी पीठ आप क्यों थपथपा रहे हैं ? यह पूरी व्यवस्था केन्द्र सरकार कर रही है। यह क्या छत्तीसगढ़ मॉडल हुआ ? यह मॉडल तो पूरे भारत में चल रहा है। केन्द्र सरकार पूरे भारत में यह मॉडल चला रही है तो यह छत्तीसगढ़ मॉडल क्या हुआ ? सभापति महोदय, हमने जो 15 साल में मॉडल खड़ा किया था, तेंदूपत्ता तोड़ने वाले लोगों को चरणपादुका मिलती थी, तेंदूपत्ता श्रमिकों को साड़ियां मिलती थीं, छात्रवृत्ति मिलती थी, पेंशन मिलती थी। वह योजना कहां गई ? आपने सारी योजना खत्म कर दी। एक बीमा की योजना चालू की। उस बीमा की योजना में पैसा कैसे मिलेगा, फड़ मुंशी पैसा कैसे देगा, फड़ मुंशी कितना पैसा लेकर पैसा देगा, इसका कोई ओर-छोर नहीं है। तेंदूपत्ता संग्रहण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो लेट भुगतान हो रहा है, यह सभी सदस्यों की चिंता है कि तेंदूपत्ता खरीद रहे हैं तो तेंदूपत्ता का सही समय पर भुगतान होना चाहिए। वन क्षेत्र में minor forest produce और तेंदूपत्ता ही सबसे बड़ी आमदनी के साधन हैं। उसमें अगर ठीक से पैसा नहीं मिलेगा, अगर उनको ठीक से उनकी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो इसका क्या अर्थ हुआ ? हम अगर बात करते हैं, जंगल तब बचेगा जब जंगल में जानवर बचेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा जानवर होते हैं, वह सबसे अच्छा जंगल होता है, वहां सबसे अच्छा आपको biodiversity से लेकर सारी चीजें मिलती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह मानव हाथी द्वंद की समस्या है। पिछले एक साल में यहां पर 07 हाथी मर गये हैं। और जो 07 हाथी मरे हैं, आज तक वन विभाग ने यह कहीं पर सोच की वह हाथी किस कारण से मरे, क्यों मरे, क्या कारण था ? गौरेला-पेण्ड्रा के माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं। वहां तो एस.पी. हाथी को देखने गये थे। हाथी ने एस.पी. को जो पटका तो एस.पी. साहब सीधा अपोलो अस्पताल निकल गये। गौरेला-पेण्ड्रा में यह घटना हुई थी। एस.पी. साहब अपने परिवार के साथ हाथी को देखने के लिए गये थे और उसके बाद यह घटना हुई थी । आज भी गौरेला पेण्ड्रा के उत्तर मरवाही वन मंडल में हाथी का क्षेत्र है, वह पीछे विधायक जी प्रश्न लगा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिये। 7-8 गांव ऐसे है, जिसमें जाया नहीं जा सकता और हाथी का

नाम सुनकर एस.पी. साहब घर से निकलना बंद कर दिये। अब एस.पी. मरवाही की तरफ जाते ही नहीं, आप विधायक जी से पूछ लीजिये।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, पहले तुम हाथी में चढ़े थे, अब ज्यादा हाथी-हाथी मत करो। शुरूआत में तो हाथी में ही इधर आये थे। बड़ा हाथी, छोटा हाथी।

श्री सौरभ सिंह :- आप होली की बात करो, आप महुआ की बात करो। महुआ और महुआरी की बात करो, सल्फी की बात करो।

श्री कवासी लखमा :- जब तुम्हारी सरकार थी तो महुआ 2 रूपये किलो खरीदते थे, अभी हमारी सरकार है तो 40-50 रूपये किलो चल रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माल शुद्ध निकल रहा है। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- अगर गलत है तो बताओ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक पानी का।

श्री कवासी लखमा :- एक पानी का नहीं, एक ड्रम।

श्री सौरभ सिंह :- एक पानी का माल निकल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, घरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में कम से कम 20 गांव ऐसे है, जहां पर गांव वाले हाथियों के उत्पाद से रात-जगदा कर रहे हैं, विधायक जी यहां होंगे। तो सरकार ने हाथी की समस्या के लिये पिछले 3 सालों में क्या किया ? क्या इनको पता है कि हाथी के कितने हर्ड है, उन हाथियों के हर्ड कहां-कहां पर है, उनकी रेडियो कॉलिंग ठीक है कि नहीं है ? और हाथी के नाम पर बहुत पैसा निकलता है, आप बहुत एन.जी.ओ. को पैसा दे रहे हैं, आप हाथी की बहुत बात करते हैं कि हाथी के लिये यह कर दिये, हाथी के लिये वह कर दिये, पर हाथी मानव द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। आज यह नहीं पता है कि हाथी का herd कितने का है, हाथी के herd का लीडर, जो matriarch होती है, वह matriarch कौन है, उनका कितना movement हो रहा है, उनका movement कहां से हो रहा है ? और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लेमरू हाथी परियोजना घोषित कर दिये। लेमरू हाथी परियोजना की घोषणा करने से हाथी मानव द्वंद्व सुधरने वाला नहीं है और यह एक अलग कहानी है कि लेमरू हाथी परियोजना में कितने-कितने वन कक्षों को जोड़ा गया, किस-किस वन मंडल के वन कक्षों को जोड़ा गया और किन-किन कोल ब्लॉकों को accommodate करने के लिये ? उसमें कितने-कितने कोल ब्लॉक को accommodate करने के लिये कौन-कौन सा वन परिक्षेत्र को छोड़ा गया, वन कक्षों को छोड़ा गया ? उसको लेकर मंत्रियों में एक मत नहीं है, उसको लेकर विधायकों में एक मत नहीं है, कोई विधायक कुछ और बोल रहा है, कोई विधायक कुछ और बोल रहा है। लेमरू हाथी परियोजना बनाने से जो no go का एरिया हसदेव अरण्य क्षेत्र में बना था । माननीय अकबर जी, जब आप यहां 2008-13 तक बैठते थे, तो सबसे ज्यादा प्रश्न no go का वही उठाते थे। लेमरू हाथी परियोजना की अधिसूचना क्यों नहीं जारी हुई, वही उठाते थे

और आज जो अधिसूचना जारी हुई तो ओरिजनल जो अधिसूचना थी, लेमरू हाथी परियोजना की , कोल ब्लॉक को accommodate करने के लिये, चाहे वह कोरबा जिला हो, चाहे धरमजयगढ़ जिला हो, चाहे सरगुजा जिला हो। उसको accommodate करने के लिये, तो वह अपने जवाब में बतायेंगे कि उसमें कितना छेड़-छाड़ किया गया है और किस-किस कोल ब्लॉक को बचाने के लिये कौन - कौन सा वन परिक्षेत्र को जोड़ा गया है और कौन-कौन से वन परिक्षेत्र को, कौन-कौन से वन कक्ष क्रमांक को वहां से हटाया गया है ? तो हाथी परियोजना के लिये किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

(माननीय मंत्री, श्री कवासी लखमा के बैठे-बैठे कुछ कहने पर कुछ कहने पर)

श्री सौरभ सिंह :- जैसे आपकी दूध भात है, वैसे ही इनकी भी दूध भात है।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ जी, वैसे तो आपका हाथी प्रेम कम हो गया है ?

श्री सौरभ सिंह :- नहीं, हाथी प्रेम कम नहीं हुआ है।

श्री उमेश पटेल :- अभी-भी हाथी प्रेम है।

श्री सौरभ सिंह :- हां, उधर हमारे दोस्त बैठे हैं। इधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, ठीक है।

श्री रामकुमार यादव :- ते ओ जैसे है, हाथी के दिखाये के दांत आने होते अउ खाये के दांत आने होते।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वन परिक्षेत्र में और वन विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं उसका एक classic example आपको बता रहा हूं, कटघोरा वन मंडल । माननीय ननकीराम कंवर जी का कल प्रश्न आयेगा 01 नंबर में, कटघोरा वन मंडल में एक काम को तीन बार किया गया है। रेल क्वॉरिडोर के पैसे से वही स्टॉप डेम बन रहा है, वही स्टॉप डेम मनरेगा से बन रहा है। जो मनरेगा से स्टॉप डेम बन रहा है उसमें मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और वही स्टॉप डेम केम्पा मद से भी बन रहा है। एक स्टॉप डेम बन रहा है और तीन मद से उसका आहरण हो रहा है और तीन मद से आहरण होने के बाद दुर्भाग्य की बात यह है कि वह स्टॉप डेम बह जा रहा है। यह वन मंडल की परिस्थिति है, हम लोग लगातार उस वन मंडल में सवाल लगाते आये हैं परंतु जितने दिन तक भ्रष्टाचार हो रहा था, तो वह प्रभारी एस.डी.ओ. जो डी.एफ.ओ., वह वही पर थी। जिस दिन बड़े कलेक्टर से लड़ाई हो गइ, जिस दिन उन्होंने सही काम किया, यह बोला कि मैं वन जमीन को छात्रावास बनाने के लिए नहीं दूंगी, उस दिन ट्रांसफर हो गया। जितने दिन तक गलत काम कर रही थी, उतने दिनों तक ट्रांसफर नहीं हुआ। जिस दिन उसने अच्छा काम किया, उस दिन ट्रांसफर हो गया।

माननीय सभापति महोदय, हम कैम्पा मद की बात करते हैं। यह केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और जिस योजना के तहत जहां पर यह पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने का जो क्षतिपूर्ति का पैसा जमा होता है, वह क्षतिपूर्ति का पैसा, पुन: वन विभाग के लिए कैसे खर्च होना है, उस पर राज्य सरकार

को 1347 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ। सिर्फ 532 करोड़ रूपये खर्च हुआ है। नेशनल कैम्पा की जो अथॉरिटी है नेशनल कैम्पा की अथॉरिटी ने यहां जो भू जल संरक्षण का काम किया जा रहा है, अर्थात् नरवा में जो काम किया जा रहा है उस पर आपत्ति उठाई है। एक स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करने आ रही है। कैम्पा मद से जो नाले बन रहे हैं नालों पर जो स्टॉप डैम बन रहा है, क्या वन विभाग के पास तकनीकी नॉलेज है, उसको वन विभाग कैम्पा मद से बना सकती है, जितने नाले हैं, वह सब बह गये। जब आपको डाईफ्राम बनाना ही नहीं आ रहा है, डाईफ्राम का कितना डिवीजन होगा, कैसे डिजाईनिंग होगी, क्या वन विभाग का अधिकारी डाईफ्राम नहीं बना सकेगा। उस काम को सिंचाई विभाग को करना चाहिए। आधे से ज्यादा कैम्पा मद के अंदर जो यह नाले बने हैं, कैम्पा मद से 195 करोड़ रूपये का भू-जल संरक्षण का काम हुआ है, उसके लिए इंक्वायरी आ गई है। आधे नाले उड़ गये और मैंने जैसे पूर्व में बताया कि कैम्पा मद का किस ढंग से दुरूपयोग किया जा रहा है। 32 करोड़ रूपये के वन मार्ग बने हैं 92 करोड़ का लनताना का काम किया गया है। लनताना बहुत बड़ी चीज है। जब माननीय अजय चन्द्राकर जी अपने भाषण को बोलेंगे तो लनताना के बारे में विशेषकर बतायेंगे। लनताना का खेल चालू हो गया। सभी विधायक जान रहे हैं कि लनताना का क्या खेल चल रहा है ? माननीय वन मंत्री जी के जवाब में हम अपेक्षा करना चाहेंगे कि ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लनताना का खेल है कि उसको पहले काटते हैं और बाद में फिर उग जाता है।

श्री सौरभ सिंह :- वह अपने आप उग जाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें 92 करोड़ रूपये का खर्च हो गया।

श्री सौरभ सिंह :- केवल कैम्पा मद से खर्च हुआ है, विभागीय मद से अलग हुआ है। मनरेगा से अलग हुआ है कैम्पा से अलग खर्च हुआ है डी.एम.एफ. से अलग खर्च हुआ है, सबसे लेनताना है। यह लेनताना का सिर्फ कैम्पा मद का फिगर है। कैम्पा की गाईड लाईन में माननीय अकबर भाई अपने सवाल के जवाब में ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सब आप लोगों का पेट उसी कैम्पा मद से भर रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी,हम और आप बस समझेंगे। अभी फुल्ली है या रासि है।

श्री कवासी लखमा :- आप जो बोलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- फुल्ली है। जंगल वाले भी फुल्ली और रासि को समझ जाते हैं। अभी तो होली है फुल्ली चलनी चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- सामने वाले को भी देना है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- रासि में काम नहीं चलेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, माननीय अकबर भाई अपने जवाब में कृपापूर्वक यह बता देंगे कि कैम्पा की गाईड लाईन में गाड़ी खरीदना क्या डी.एफ. ओ. के लिए ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, ये फुल्ली रासि को आप भी अच्छे से जानते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, अपने जवाब में यह बता देंगे कि क्या कैम्पा की गाईड लाईन में गाड़ी खरीदना, फेंसिंग कराना और ये भूजल संरक्षण करना और सारा काम करना एलाऊड है या नहीं है ?

माननीय सभापति महोदय, हम अगर तो वाईल्ड लाईफ कंजरवेशन की बात करें। अगर वन विभाग है तो वाईल्ड लाईफ कंजरवेशन की बात होगी। टाईगर अपेक्ट्स में होता है हम अगर उसको बोलते हैं कि सबसे ऊपर पैरामीड में टाईगर होता है तो यहां तो टाईगर दिख नहीं रहा है। अचानक मार्ग में एक टाईगर, एक टाईगरेस कहां से आयी, वह बेचारी क्षतिग्रसत हो गई, उसके बाद वह कानन पेण्डारी चली गई और उसका देहांत हो गया, वह मर भी गई। उसके बाद कंजरवेशन के लिए क्या किया जा रहा है, भालू के कंजरवेशन के लिए क्या किया जा रहा है, लेम्पर्ड के कंजरवेशन के लिए क्या किया जा रहा है ? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बायोडोरसीटी थी और वाईल्ड लाईफ स्पिसिस की बायोडोरसीटी थी हमारे जो डॉग्स स्पिसिस होते हैं, डॉग्स स्पिसिस के वुल्फ था, फॉक्स था, वाइल्ड डॉग था, हाईना था, ये सब कहां गये ? सारे उड़ गये, सारे साफ हो गये।

माननीय सभापति महोदय, आज राजकीय पक्षी का क्या हाल है ? वन भैंसा जो हमारा राजकीय पशु है, उसके प्रजनन की क्या स्थिति है ? क्या हो सकेगा, अभी तो यह बात आने लगी कि लोग वह बोलने लगे कि जब जेनेटिक रिसर्च हुआ तो बोलने लगे कि यह तो मुर्रा भैंस है, इसमें तो जेनेटिक रियलिटी सामने ही नहीं आ रही है। माननीय सभापति महोदय, अगर वाईल्ड लाईफ को बचाना है तो वाईल्ड लाईफ क्राईम को रोकना पड़ेगा और वाईल्ड लाईफ क्राईम को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज वाईल्ड लाईफ क्राईम का prosecution होता है। कभी भी कोई भी आदमी जो जंगल में अवैध शिकार करता है और जंगल की अवैध लकड़ी निकालता है, उसका prosecution नहीं होता है। उसके कारण जिन लोग इस तरह का काम करते हैं, इस तरह के माफिया होते हैं, उनका मनोबल बहुत बड़ा रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में तीन साल में कितना वाईल्ड लाईफ में prosecution हुआ है, क्यों यह पहला ऐसा संभवत: मौका होगा, शायद ऐसा पहले भी था, ऐसा पहला मौका है कि आप ही लॉ मिनिस्टर हैं और आप ही वन मिनिस्टर हैं। आप अगर दोनों का समन्वय कर देंगे तो वाईल्ड लाईफ क्राईम का prosecution सबसे बेहतर हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर हमारे पास दो जू हैं, कानन पेंडारी है, नंदनवन है और नया रायपुर का जंगल सफारी है। यहां पर कितनी बार सीजर डे आए हैं, Central zoo authority कितनी बार यहां आकर इंस्पेक्शन करके गए हैं।

आज यह परिस्थिति है कि एक वेटनरी डॉक्टर नहीं हैं। अभी काानन पेंडारी में भालू का पता नहीं, आकस्मिक बीमारी से उनका देहांत हो रहा है। वन विभाग द्वारा कहीं न कहीं वेटनरी डॉक्टर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पार्क हैं, अचानकमार, इंद्रावती, उदंती, गुरू घासीदास, बारनवापारा पार्क हैं, हर की एक ड्यूटी है, पर दुर्भाग्य यह है कि अचानकमार वाईल्ड लाईफ रिजर्व के जो डेलीविजस के कर्मचारी हैं, आप उनको सही समय में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। उनका क्या मनोबल रहेगा ? आपके जंगल को कैसे बचायेंगे ? अगर डेलीविजस कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा ? माननीय सभापति महोदय, आज जो आई.एफ.एस का कैडर है, आपके पास ऑल इंडिया सर्विसेस आई.एफ.एस का इतना बड़ा कैडर है।

सभापति महोदय :- चलिए समाप्त करिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आपके पास आई.एफ.एस का इतना बड़ा कैडर है। उस आई.एफ.एस के कैडर में मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन सा कैडर किस चीज के ऊपर स्पेशलाइज करता है। कोई लैंटाना के ऊपर स्पेशलाईज कर ले, कोई जंगल के ऊपर स्पेशलाईज कर ले, कोई वाईल्ड लाईफ के ऊपर स्पेशलाईज कर ले, कोई स्पेशेलाईजेशन है। वह तो स्पेशलाईज फोर्स है, आई.ए.एस जैसी जनरलाईज्ड फोर्स नहीं है, आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. स्पेशलाईज फोर्स है। उस स्पेशलाईज फोर्स में कोई स्पेशेलाईजेशन है। आज यह परिस्थिति है कि एसडीओ प्रभारी डीएफओ बन गया, डीएफओ प्रभारी सी.एफ बन गया, आप क्यों यह सब काम कर रहे हैं ? आप क्यों मौका नहीं दे रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का दो मामला आपको बता रहा हूं। मैंने शिकायत की, वर्ष 2019 में जांच हुई और यह पकड़ा गया कि 11 लाख रूपए का पेमेंट नहीं किया गया है। जो मजदूर काम नहीं किए हैं, उनको भुगतान नहीं हुआ है। चांपा वन मंडल बलौदा वन परिक्षेत्र के कटरा गांव का मामला है। आपका जवाब भी आया, आज दिनांक तक आपने उस आदमी को सस्पेंड किया, वह री स्टेट हो गया। उन मजदूरों को 11 लाख रूपए नहीं मिला है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। प्रदेश में ऐसे कितने मजदूर होंगे जिनका पैसा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मस्टर रोल, डेलीविजस, और फ्राड करके खा लिया गया और उनका आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन गरीबों, मजदूरों, का भुगतान करा दीजिए। वह अधिकारी तो री स्टेट हो गया। उसका भुगतान नहीं हुआ है। मैंने एक प्रश्न लगाया है, वन विभाग कैसे काम करता है, उसका एक उदाहरण बता दीजिए। मेरे क्षेत्र में क्रोकोडाईल पार्क है और क्रोकोडाईल पार्क में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको 20 रूपए, 30 रूपए देना पड़ता है। उस एंट्री फीस का 1 करोड़ 40 लाख रूपए बैंक के खाता में जमा है। क्यों खाता में पैसा जमा रख रहे हैं, आप 1 करोड़ 40 लाख रूपए वहां के डेव्हलपमेंट के लिए खर्च करिए। वह पैसा रखने के लिए थोड़ी है। माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा है। बिलासपुर से जो भी लोग उत्तर की तरफ मध्यप्रदेश की तरफ जाते हैं। पहले अचानकमार का रास्ता लेकर जाते थे तो अचानकमार के

अंदर जितने भी रेस्ट हाऊस हैं, चाहे वह लेमनी का रेस्ट हाऊस हो, अचानकमार का हो, चाहे छपरवा का रेस्ट हाऊस हो, वह सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के तहत टाईगर रिवर्ज के नाम से बंद हो गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि हम जब रतनपुर से गौरेला पेंड्रा जाते हैं तो बीच में सारा फॉरेस्ट की झाड़ी जमीने पड़ती हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक फॉरेस्ट का अच्छा रेस्ट हाऊस बना दें। सारे लोगों का जनहित में काम आएगा। आप कहीं पर भी अच्छी जगह रमणिक जगह देखकर एक फारेस्ट का रेस्ट हाऊस बना दीजिए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई भी व्यक्ति जाता है तो रतनपुर के बाद गौरेला पेंड्रा तक कोई जगह नहीं है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है और आग्रह है। आपके पास दो और विभाग हैं। एक-एक मिनट में अपनी बात कर लेता हूं। एक परिवहन विभाग है, आपके बजट में पूरे विश्व में इलेक्ट्रिक वेटल की बातें चल रही है, इलेक्ट्रिक वेटल पर सब्सिडी, इलेक्ट्रिक वेटल के लिए पॉलिसी, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वेटल का क्या भविष्य होगा इस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई कार्ययोजना नहीं है।

(श्री अजय चंद्राकर जी द्वारा बैठे-बैठे कहने पर)

श्री सौरभ सिंह :- गोबर से इलेक्टिक वेटल चलेगा। माननीय सभापति महोदय, दूसरी चीज, स्क्रेपिंग पॉलिसी पूरी चल रही है। न तो आपका वेबसाईट डवलप है, न आपकी कोई व्यवस्था डवलप है कि जो स्क्रेपिंग पॉलिसी चलेगी । चूंकि स्क्रेपिंग पॉलिसी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है तो उस स्क्रेपिंग पॉलिसी के लिये क्या करेंगे? आगे भविष्य में आप स्क्रेपिंग पॉलिसी के लिये क्या करना चाहते हैं इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । तीसरी बात परिवहन विभाग की कि आधे से ज्यादा जो हमारे लोग हैं वे लोग ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से आते हैं । जो ट्रकें चलती हैं, विशेषकर जो कोयले के ट्रेलर की ट्रकें चलती हैं । माननीय मंत्री जी आप एक-बार कोल क्षेत्र में दौरा करके देखिये । कोई भी ट्रक 3 एक्सल के बदले 2 ही एक्सल में चलती हैं और कोई भी ट्रक ऐसा नहीं है जिसमें पीछे की टेल लाईट जलती हो, कोई ट्रक ऐसा नहीं है जिसके पास फिटनेस होगा, कोई ड्राईवर ऐसा नहीं जिसके पास वेलिड लाईसेंस होगा और कोई भी ट्रक ऐसा नहीं है जिसमें एक खलासी हेल्पर चलता हो जो बगल में एक्सीडेंट हो तो देख ले ओर सारी गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं । रात को सारी गाड़ियां चलती हैं इस पर विशेषकर व्यवस्था करने की जरूरत है । गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम फिटनेस की गाड़ी चलायें । दरवाजा टूटकर निकल गया और वे गाड़ियां चल रही हैं तो इस पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है । विशेषकर जो कोयले की गाड़ियां चल रही हैं इनकी परफेक्ट फिटनेस होनी चाहिए । उन ट्रकों में हॉर्न के सिवाय सब-कुछ बजता है ।

माननीय सभापति महोदय, आवास पर्यावरण जो पॉल्यूशन का आलम है । हम आज जहां पर बैठे हैं । इस विधानसभा के आसपास के एरिया को इण्डिया के 10 मोस्ट यानी सबसे ज्यादा पालुटेड

क्षेत्रों में माना जाता है और आप कैसी पॉलिसी बना रहे हैं ? आपके बगल में उद्योग मंत्री बैठे हैं । जितने एम.ओ.यू. हो रहे हैं वे सिर्फ आयरनओर के हो रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक-बार सिरगट्टी में उद्योग मंत्री जी निसैनी में चढ़कर कूद कर गये थे और बताये कि मैं उद्योग मंत्री हूं करके । उनके लिये किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला और धोती अलग फंस गयी थी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पॉलुशन का क्या आलम है ? आप रायपुर को क्या बना सकते हैं ? क्या आप रायपुर को काली चादर बनाना चाहते हैं ? आप एम.ओ.यू. क्यों कर रहे हैं ? आप सारे आयरनओर के एम.ओ.यू. कर रहे हैं और केवल रायपुर के आसपास एम.ओ.यू. कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर, एनजीटी से लेकर सेंट्रल एनवॉयरमेंट मिलिट्री से लेकर सभी की गाईडलाईन है कि वे यहां पर उद्योग न करें । यहां की इकोलॉजी की अब इतनी ज्यादा केयरिंग केपेसिटी नहीं है । आप यहां पर उद्योग क्यों लगा रहे हैं ? दूसरी चीज, आपके पास पॉलुशन का जो डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी हैं । पॉलुशन ऑफिस में केवल 3-4 लोग बैठे हैं । रोज शिकायत आ रही है, वह अपना करें या वहां जाकर अमला देखें ? 3 सालों में कितनी भर्ती हुई है ? कितनी लेब्रोटरियां बनी हैं ? कितने टेस्ट सेंटर बने हैं ? सारी एनवॉयरमेंटल की गाईडलाईन्स में यह कहा जाता है कि जहां पर उद्योग स्थापित है वहां पर कम से कम यह बोर्ड तो रहे कि सल्फर डाईऑक्साईड कितना निकल रहा है, नाईट्रोजन कितना निकल रहा है, कितना कार्बन डाईऑक्साईड निकलता है, पार्टिकुलेटेड मेटल्स कितना निकल रहा है इसके भी मापदंड होने चाहिए । जनता को पता होना चाहिए कि हम कितने पॉलुशन और प्रदूषण में जी रहे हैं । आज जांजगीर-चांपा जिला, रायगढ़ जिला और कोरबा जिला में हमारी सबसे बड़ी समस्या एश डम्पिंग की है । बड़े-बड़े लोगों ने एश का काम ले लिया है, किन रेटों में लिये हैं, कैसे लिये हैं ? किसके कहने पर लिये हैं वह एक अलग बात है लेकिन वे जहां पा रहे हैं, जिस ढंग से पा रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसकी पूरी कहानी है । किताब लिखा जायेगा ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, वह तो पूरी कहानी है लेकिन वे जहां पा रहे हैं, जैसा पा रहे हैं । कोई पर्यावरण की अनुमति नहीं है, कोई पंचायत का एनओसी नहीं है और जहां पा रहे हैं वहां एश को वे डम्प कर देते हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट । उस एश डम्पिंग की वजह से कितनी पर्यावरण की व्यवस्था खराब हो रही है, कितना भू-जल खराब हो रहा है, नालों में कितनी राखड़ जा रही है, कितना कहां पर क्या भविष्य के लिये व्यवस्था हो रही है क्या इस पर कार्यवाही होगी ? आर.के.एम. पॉवर का मैंने एक ध्यानाकर्षण लगाया था, उसकी शिकायत हुई । आपके विभाग ने वहां पर पैनाल्टी लगायी लेकिन उद्योगपति ने पैनाल्टी का पैसा जमा नहीं किया और काम चल रहा है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पैनाल्टी लगायें या मत लगायें बाकी राखड़ का यानी वहां प्रदूषण का क्या होगा ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, उसका क्या होगा ? कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- यदि प्रदूषण वैसा ही रहेगा तो ये जल्दी मर जायेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि प्रदूषण को कम करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय तरह से एक सहमति बनी थी जिसको प्रोटोकॉल बोलते थे कि हम कौन से गैस का, कितने ग्रीनहाऊसेस गैसेस का, कौन-कौन सी गैसेस का कब तक कितना प्रोडक्शन नीचे करेंगे ? उसके तहत् एक स्ट्रिक्ट गाईडलाईन आयी है । एफ.जी.डी. फ्यूल गैस डीसल्फराईजेशन । आपको एक यंत्र लगाना है, छत्तीसगढ़ का हमारा जो कोयला होता है उस कोयले में एश कंटेंट ज्यादा है इसलिये एश डंपिंग की समस्या है और उसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा है इसलिये सल्फर की समस्या है तो सल्फर को रोकने के लिये चूंकि आप उस दिन श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी के जवाब में चर्चा कर रहे थे कि उस सल्फर को रोकने के लिये, सल्फर प्रदूषण न फैलाये, सल्फर से कैंसर होता है तो उसके लिए एफ.जी.डी. लगाना है। एफ.जी.डी. के स्ट्रिक्ट निर्देश हैं और बार-बार यहां के कोई उद्योगपति एफ.जी.डी. को नहीं लगा रहे हैं। न उन्होंने टेंडर किया है, न उस पर कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो प्रदूषण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के भविष्य के साथ यह जो खिलवाड़ हो रहा है, इसे आप कृपापूर्वक रोकेंगे, यह मेरा आग्रह है और निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री बृहस्पत सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम सौरभ सिंह जी को बधाई देते हैं कि इन्होंने इतने टेक्नीकल तरीके से सब चीजों का उपयोग करके हम लोगों का भी नॉलेज बढ़ाया है और इसलिए हम सब उन्हें बधाई देते हैं। बहुत अच्छा भाषण था। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल जी।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अंदर पूरा हरियर हरियर हे। बस इहां ले शुरू कर।

डॉ. विनय जायसवाल :- अभी माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। मैं इन्हीं से चालू करूंगा। इन्होंने अपने भाषण के शुरूआत में बोला कि जो वनोपज की जो खरीदी है, जो 7 से 65 हजारी सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। उनका कहना था कि 38 वनोपज की खरीदी केन्द्र सरकार कर रही है। तो आप 7 क्यों खरीदते थे ? सौरभ भैय्या, बात यह है कि आप कुछ बोलिए..।

श्री सौरभ सिंह :- जो खरीदते थे, उसका जवाब अकबर भाई को देना है। मैं आपको जवाब दे देता हूं। वन धन योजना जब लागू हुई जब 38 की खरीदी हुई, तब तक आपकी सरकार यहां आ गयी थी।

डॉ. विनय जायसवाल :- ठीक है। मन बहलाने के लिए बोलते हैं न गालिब। माननीय सभापति महोदय, असर यह हुआ है कि वर्ष 2018 में 3 करोड़ 81 लाख वनोपज का क्रय किया गया था। असर यह है कि वर्ष 2020-21 में 103 करोड़ रूपये के वनोपज का क्रय हुआ है। हमारी सरकार का ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान मांगों की प्रस्तुति की है, इससे बड़ी क्रांतिकारी कोई बात नहीं हो सकती। एक वाक्य में यह समझ में आता है कि जो वर्ष 2018 में 3 करोड़ 81 लाख का क्रय किया गया था, वर्ष 2020-21 में वह 103 करोड़ रूपये हो गया। दूसरी बात सौरभ भाई बोल रहे थे कि चरण पादुका देते थे। साड़ी देते थे। आप लोग इसमें केवल भ्रष्टाचार करते थे। साड़ी देते थे। चरण पादुका देते थे। भ्रष्टाचार करते थे। माननीय सभापति महोदय, स्व. महेन्द्र कर्मा जी के नाम से जो हमने योजना चालू की है वर्ष 2020 में जो खासकर तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, उसमें उनके जीवन के बारे में हमारी सरकार ने सोचा है और एक्सीडेंटल या कोई भी आकस्मिक मृत्यु में 2 से 4 लाख रूपये का प्रावधान किया है। चरण पादुका किसी का 9 नंबर का किसी का 10 नंबर का, यह भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया है। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस सरकार की जो नीति है, कांग्रेस सरकार की जो नीयत है कि जो गरीब आदिवासी हैं, किसान हैं, उसके हिस्से में डायरेक्ट पैसा डालना है और उन्हें सीधे मजबूत करने का काम करना है। यह कमीशनखोरी का काम नहीं करना है कि चरण पादुका दे दिये। साड़ी दे दिये। साड़ी आधी फटी है। आधा कुछ है। महिलाएं उसे पहन नहीं रही हैं। गाली बक रही हैं। ये जो काम हुआ है, वह पूरा आपके कार्यकाल 15 साल में हुआ है। आज आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो कि चरण पादुका देने का काम बंद कर दिये। हम तो सीधे के सीधे आदिवासी भाइयों को तेंदूपत्ता संग्राहकों को वनवासियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नरवा विकास के बारे में आप बोल रहे थे कि फॉरेस्ट के लोग इतने टेक्नीकल नहीं हैं। वे नरवा का उपयोग कैसे करेंगे ? आज नरवा विकास को सीधे-सीधे फॉरेस्ट से जोड़कर जिस महती योजना का शुभारंभ हुआ है, इसे आप जाकर देखिए। आप बॉयो डायर्सिटी की बात कर रहे थे। जैव विविधता की बात कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ में जो वाटर लेवल है, वह कितना ऊपर हुआ है। केवल इन्हीं नरवा विकास योजना से हुआ है। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं। 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2019 में लगभग 225 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय हुई है। इसमें आने वाला जो बजट ईयर है, इसमें और भी बढ़ोत्तरी करने का काम सरकार करना चाहती है ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब संक्षिप्त में करें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं जल्दी खत्म कर दूंगा । मुझे पता है, आप ज्यादा समय नहीं देंगे । अजय जी मुझे पता है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के लिए केवल दो

निवेदन करना चाहूंगा । आप विधि मंत्री भी हैं चिरमिरी एक नगर निगम क्षेत्र है, वहां डी.जे. कोर्ट की स्थापना करें, उसमें कोई भी व्यय नहीं आने वाला है, क्योंकि चिरमिरी के सारे के सारे केस मनेन्द्रगढ़ में उसके लिए जज साहब बैठते हैं, चिरमिरी में कर देंगे तो आपकी महती कृपा होगी । दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडवेंचर पार्क के लिए 40 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें कुछ फॉरेस्ट की दिक्कत है, उसको भी दिखवा लेंगे तो आपकी महती कृपा होगी । सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वन एवं विधि मंत्री जी की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । वनाच्छादित इस प्रदेश में पिछले 3 साल से न तो शेर सुरक्षित है, न तो हाथी सुरक्षित है, न भालू सुरक्षित है, न गैंडा सुरक्षित है, न चीतल सुरक्षित है, आए दिन सबकी मौतें हो रही हैं, कुछ का अवैध शिकार हो रहा है और कुछ न जाने कौन सी बीमारी से मरते हैं । डॉक्टर बताते हैं कि इनको हार्ट फेल हो गया । कौन से डॉक्टर हैं, कहां से पोस्टमार्टम करते हैं, कहां से सीखे हैं । कुल मिलाकर वन्य प्राणियों की मौत हो रही है जो कि संदेह के दायरे में है । इसकी ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी अवैध शिकार करें उन्हें जेल सीखचों के अंदर डाल देना चाहिए । जंगल की सुरक्षा भी नहीं हो रही है । बिलासपुर और उसके आसपास, लोरमी, ए.टी.आर. का इलाका वहां पर अवैध कटाई की भी धमक है और अवैध कटाई वालों का गिरोह काम कर रहा है, उसको रोकने का काम वन विभाग को करना चाहिए । वहां पर बेगुनाह लोगों को जेल भेज दिया जाता है । जो हमारे गरीब आदिवासी हैं, अगर कहीं पर कोई शिकार हुआ, अगर बिलासपुर का शिकारी आकर मारा हो, सीधे गांव के दो-चार बैगा को पकड़कर जेल भेज देते हैं । कटाई करने के लिए बोड़ला की तरफ से लोग आते हैं, माननीय मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र की तरफ से सौ-सौ, दो-दो सौ की संख्या में लोग आते हैं, कब्जा करने के लिए, जब उनको भगाया जाता है तो गांव के किसी को उठाकर ले जाकर जेल में डाल देते हैं, उनकी महिलाएं रात भर थाने के सामने खड़े होकर इंतजार करती रहती हैं, समझाना पड़ता है, कोर्ट भेजना पड़ता है, वकील लगाना पड़ता है, तब ले देकर उनकी जमानत होती है । सभापति जी, वन विभाग को थोड़ा संवेदनशील होने के लिए बोलिए । जो लोग गलत नहीं हैं, कम से कम उनको तो जेल नहीं भेजना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, तीन साल में ऐसा कोई सत्र नहीं है, जिसमें मैंने यह मांग नहीं की है और यह ऐसी मांग है, जिसके बारे में अभी सौरभ सिंह जी ने भी कहा, आपकी तरफ के लोग भी वह चाहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से एक सड़क बनी है कोटा के पास गोबरीपाट गांव से लेकर शिवतराई, शिवतराई से अचानकमार, अचानकमार से बिंदावल, बिंदावल से छपरवा, छपरवा से लमनी और लमनी से केंवची । ऐसा यह 40-50 किलोमीटर की सड़क है । यह सड़क अंग्रेजों ने बनाई थी, जब आपका एटीआर और अचारकमार अभ्यारण्य वगैरह नहीं बना था । यह सब बाद में बना है । उस सड़क को पहले मरम्मत भी कराते थे, अभी पता नहीं वन विभाग के अधिकारी कौन सी किताब

पढ़कर आ जाते हैं, वहां आकर मना कर देते हैं कि आप इसको मरम्मत नहीं करा सकते । क्यों नहीं कर सकते ? केवल आप ही कानून जानते हो क्या, हम भी जानते हैं । हम जब ऊटी से आ रहे थे तो एक नेश्नल हाईवे पड़ता है, उसमें सड़कों की मरम्मत हो रही है और ये अचानकमार से केंवची के बीच की सड़क की आप मरम्मत नहीं कराना चाहते । मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से बात की तो वे कहते हैं कि हम मरम्मत कराने को तैयार हैं, लेकिन वन विभाग वालों को बहुत तकलीफ है । मंत्री जी, वन विभाग वालों को इसलिए तकलीफ नहीं होना चाहिए । वह सड़क बनेगी तब तो आपके लोग पेट्रोलिंग करेंगे । अगर वह सड़क बनेगी जिसमें एक भी झाड़ नहीं कटना है, एक तिनका भी नहीं कटना है, तब तो आपके टूरिस्ट वहां जाएंगे । जबरदस्ती का अडंगा डालकर, हर बात में अडंगा, हर बात में वन विभाग के विशेषाधिकार का उल्लेख करना अच्छी बात नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करिये कि वे लोक निर्माण विभाग के ई.एन.सी. से मिल करके बात करें। आप स्वयं माननीय गृह मंत्री जी जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हैं, उनसे बात करिये। उसको बनने दो। गरीबों के हित में, आम जनता के हित में बनने दो। अब आप जिद्द करके उसको नहीं बनने दोगे तो लोगों को तकलीफ होती है और जब तकलीफ होती है तो आप लोगों के बारे में धारणा गलत बनती है। इसलिए आप इसको विशेष रूप से लीजिये और इस सड़क को मरम्मत कराने के लिये पहल करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अचानकमार टाईगर रिजर्व में एक कैंटीन बना हुआ है। वही एक जगह है, जहां से आप टूरिस्ट लोगों को ले जाते हैं। वहां पर आपका पूरा जिप्सी वगैरह खड़ा रहता है। जब बृजमोहन अग्रवाल जी वन मंत्री थे, तब हम लोगों ने जाकर उस कैंटीन उद्घाटन किये थे। आज तक तीन सालों में उस कैंटीन का आपने पोताई तक नहीं कराया। उसका टीन सड़ गया है, उसको बदल भी नहीं पाये हैं। उसका वाश बेसिंग टूट गया है, उसके बाहर में एक झाड़ के नीचे हाथ धोना पड़ता है। उसमें कितना पैसा लग जायेगा? पैसा नहीं है? हम देंगे विधायक निधि से पैसा। आपके विभाग वाले हमसे ले ले पैसा और बना दीजिए उसको। बनवा ही रहे हैं न। यह मंत्री जी कहां बनाये थे। टूरिस्ट मीनिस्टर ने बताया था न कि वहां पर टूरिज्म में खुड़िया में आपने नहीं बनाया, हमने 20 लाख रूपया उसमें विधायक निधि से दिया। वहां पर गरीब लोगों के रहने के लिए भवन बनवाया। उस कैंटीन को बनवाईये। उसके लिए कोई कायदा कानून की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है। वह कैंटीन अच्छा बनवाओ, वहां टूरिस्ट लोग आयेंगे। हम लोग भी कान्हा, किसली, मुक्की जाकर आये हैं। उस जमाने से जा रहे थे, जहां कुछ नहीं था। यहां ऐसा क्या है कि उसको बनवाने में तकलीफ है। मैं अभी डी.एम.एफ. मद से 20 लाख रूपये भी दिलवाया हूं। कलेक्टर साहब की मीटिंग में मैं था। मैंने कलेक्टर से बोल कर अचानकमार टाईगर रिजर्व के लिए 20 लाख रूपये दिलवाया। वहां पर सेवेनियर वगैरह की दुकान खोल दो ताकि हमारे गांवों की महिलाएं वहां पर टोपी, कैप और टी-शर्ट वगैरह बेचकर अचानमार का चार पैसा कमाए। तो थोड़ा आप गंभीरता से अपने अधिकारियों को बोलिये। मैं इसमें कोई

बुराई की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम छोटा-छोटा प्रयास करें तो हमारा अचानकमार अच्छा होगा। आप बनाईये न। कौन मना कर रहा है कि अचानकमार को टाइगर रिजर्व मत बनाओ। लेकिन वहां के गांव के बसाने के लिए आपके पास काई प्लान नहीं है। गावं को हटाने के लिए प्लान है भी तो आपके पास पैसा नहीं है और पैसा है तो अभी तक दिल्ली से उसकी मंजूरी नहीं मिली है। तो यह सब करा लीजिये, लेकिन आप अपने अधिकारियों को जरा एक बात समझा दीजियेगा। जो अधिकारी यहां से जाते हैं, वहां पर एक फैशन हो गया है। वहां एक बयान ठोकते हैं, प्रेस में बयान देते हैं कि अचानकमार के लिए 21 गांव हटाया जायेगा। आपके पास पांच रूपया है नहीं, आप कहां से गांव हटा देंगे। है रूपया? आपके पास दो रूपया है? आपके विभाग के पास गांवों को हटाने के लिये चार आने भी हैं? कि जब चार आने नहीं है तो बयान मत दो। जब जेब में होगा न दुल्ला तो कुद पड़ोगे अबदुल्ला। जितना कूदना होगा, कूदते रहना। पर अभी कुछ है नहीं, न सूत न कपास जुलाहों से लट्ठा लट्ठी। तो माननीय मंत्री जी यह भी आप नियंत्रित कराईये। और जब पैसा आ जाय तो हटाईये, हम लोग आपकी मदद करेंगे। वहां पर बहुत अच्छे से गरीब लोगों की बसाहट करिये। वहां पर वन विभाग हमारा दुश्मन नहीं है, वन हमारी संपदा है, वन हमारी खूबसूरती है, वन हमारी पूंजी है, हमारी धरोहर है। अब आपके वहां पर बहुत दिन से बिढ़या बिल्डिंग बनवाये। मैं तो आदरणीय मंत्री जी आपसे आग्रह किया हूं कि आप तो एक दिन थोड़ा सा चलिये। दो-चार गांव में बैठेंगे, उनकी भी समस्या सुनिये। शिवतराई में क्या होता है दिखाने के लिए interpretation centre कुछ बनता है। बढ़िया बिल्डिंग बनी है, कहां उसको दिखा रहे हैं। उसमें कितने खर्च हुए हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कोई भी वहां के वाईल्ड लाईफ के अधिकारी को उसको जाकर वहां शुरू करानी चाहिये। जैसे कान्हा जाते हैं, तो शाम को वहां पर बैठ कर पूरा दिखाते हैं कि ऐ कान्हा 900 km^2 में यहां पर यह जाति के जानवर मिलते हैं, यहां यह होता है, यहां वह होता है। हमारा यहां भी कान्हा से कम थोड़ी है। हमारा भी तो 900 km^2 का है। उससे थोड़ा बहुत ही छोटा होगा। तो उसको शुरू कराईये। वहां पर एक छोटा सा बहुत पुराना रेस्ट हाउस है। वहां पर युवावस्था में उस जंगल के एरिया में घूमते थे तो वहां पर एक रेस्ट हाउस है। उस रेस्ट हाउस को तो ठीक करवा दीजिये। उस रेस्ट हाउस को इसलिए ठीक कराईये, वह पुराने जमाने का रेस्ट हाउस है। वहां पर अधिकारी लोग ही तो रूकेंगे, कोई आम आदमी तो रूकेगा नहीं। लेकिन आप बिलासपुर से लेकर और कैंवची तक के पूरे रेस्ट हाउस को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में बंद कर दिये। आखिर आदमी रूके कहां, जाये कहां, क्या करें? हर आदमी तो Resort ले नहीं सकता। तो यह छोटी-मोटी चीजों को आप कृपा करके जरूर दिखवा लीजियेगा। माननीय वन मंत्री जी, बिजरा कछार एक वन ग्राम है, वहां के लोग मेरे को बार-बार बोले हैं। मैंने कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया है। मैं चाहता हूं कि आपका एक निर्देश जाये कि वहां की लोगों की एक बार सुनवाई करके उनके वनाधिकार के पट्टे का जो अधिकार है, जो पात्रता है, वह उनका नहीं मिल पाया है तो उसको दिलवाने के लिए आप मेहरबानी करके उसको करेंगे। ए.टी.आर. का एक गेट कभी भी, बीच में

मैंने पढ़ा, वहां अचानकमार टाइगर रिजर्व में कहीं-कहीं कोई गेट खोले। पूरा अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली जिले के अंदर में है और उसका गेट बिलासपुर जिले में कहीं-कहीं खोल दिये हैं। हम लोग वहां के एम.एल.ए. हैं, कभी हमसे पूछ लिया करिये। हम लोगों से भी तो सलाह ले लो। हम लोग इतने गये-गुजरे थोड़ी न है कि हम लोगों की सलाह से आपका अचानकमार टाइगर रिजर्व में नजर लग जाएगी या उसका चेहरा खराब हो जाएगा या उसकी सुंदरता बिखर जाएगी। ऐसा तो है नहीं। लेकिन आप लोग कभी पूछने की जरूरत नहीं समझते हैं। खुडिया में मैंने आपके साथ कई बजट में बोला कि खुडिया में एक गेट बनवा दीजिए। आप कहेंगे तो उसके लिए भी पैसा हम दे देंगे। अचानकमार टाइगर रिजर्व आपका स्वागत करता है, प्रवेश द्वार। इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है।

सभापति महोदय :- चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। वह भी नहीं कर रहे हैं। कंचनपुर इतना सुंदर जगह है, ब्यूटीफूल प्लेस है, जंगल है, खूबसूरत है। बिल्कुल वही से सुरही के लिए रास्ता है। पूरा सुरम्यवादी है। बोलते हैं, वहां एक गेट खोल दीजिए तो 100-50 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, साहब। आपको गेट ही तो बनाना है। वहां तक के जाने दीजिए। भजिया, चाय, पकौड़ा बेचवा देंगे। कुछ लोगों का रोजी-रोटी चल जाएगा। यह करा दीजिए, साहब। साहब, आपसे निवेदन है। पता नहीं आप धरमपानी गये हैं या नहीं गये हैं ? मंत्री जी, नहीं गये है तो जरूर जाइये। धरमपानी एक रेस्ट हाऊस है। मैं बीच में दो साल पहले अपनी पत्नी और अपने परिवार के संग वहां गया था। उसका पूरा दरवाजे का जो जाली होता है वह कटा था, फटा था, टूटा था। उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था।

श्री सौरभ सिंह :- धरमजीत भैय्या, धरमपानी का खेल हो गया। मंत्री जी बता देंगे, उसका खेला हो गया है।

सभापति महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, दो मिनट। बोलने दीजिए न, तभी तो बनेगा। आप जाएंगे तो आपको रूकना पड़ेगा। फिर मैं यहां पी.सी.सी.एफ. साहब चतुर्वेदी जी को। श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, कितने बजे रात तक होगा, तीनों विभाग को कारित करेंगे, चिंता मत करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- राकेश चतुर्वेदी जी से मैंने विनम्र आग्रह कि भैय्या कुछ पैसा भेज दो। तो उन्होंने वह मारवाही वन मण्डल में आता है वहां पर कुछ पैसा भेजकर ठीक करवाये हैं। वह रेस्ट हाऊस बहुत अच्छा हो गया है। अभी उसमें और काम की जरूरत है पर मंत्री आज जरूर जाइये। मैं चाहता हूं कि आप जाइये। आपके जाने से वहां पर और कई ठोक काम हो जाएगा। आपको अच्छा लगेगा। वह बहुत सुंदर जगह है। राजमेरगढ़ में भी आप दो बढ़िया रेस्ट हाऊस बनवा दीजिए। दूरिस्ट-वूरिस्ट वाले लोग तो बस खाली फोटो खिंचवा कर आ रहे हैं। कुछ बनाते-वनाते हैं नहीं। आप तो कुबेर के खजाने में बैठे हैं। पैसे की दृष्टि से वन मंत्री, वन मंत्रालय बहुत मजबूत है उसको आप जरा बनवा दीजिए। आपका पेंड्रा

में सॉरी गौरेला में मढ़ना फारेस्ट का रेस्ट हाऊस है। बहुत पुराना है जब राजवी शुक्ला जी वगैर: मथुरा प्रसाद दुबे जी वगैर: जो मंत्री हुआ करते थे, उन लोगों ने बनवाया है तो अकबर साहब अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अभी थोड़ा-सा अच्छा करा दीजिए और बेलगहना का एक फारेस्ट का बहुत पुराना रेस्ट हाऊस है जो सिद्ध बाबा के मंदिर के पास था। हम लोग बैठते वहां बैठते थे । रेणु यहां नहीं हैं। वह तो एकदम टूट गया। वह मैदान हो गया। सिर्फ जमीन बाकी है। वहां पर एक बनवा दीजिए क्योंकि सिद्ध बाबा के मंदिर में भी लोग आते हैं और आपका जो ए.टी.आर. का गेट भी है वहां से खुल रहा है। कुरदुर का जो रिसोर्ट है वहां बेलगहना से ही जाते हैं तो वहां पर बेलगहना में एक रेस्ट हाऊस आप जरूर बनवा दीजिएगा। मैं आपसे ऐसा विनम्र आग्रह करता हूं। दूसरा सर, आपसे यह निवेदन है कि..। दो मिनट सर, बहुत जरूरी-जरूरी बात है। ले-दे कर साल में एक बार मौका मिलता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 3 साल में।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह भी होगा-नहीं होगा, कह नहीं सकते। लेकिन एक ठोक तसल्ली है, अकबर भाई।

सभापति महोदय :- चलिये, जल्दी करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अकबर भाई हैं तो बोल देते हैं। वह थोड़ा कद्र करते हैं तो उनको बोल देते हैं। अब हो न हो, यह उनके हाथ में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं वह कद्र नहीं करते, वह कद्रदान हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, तो इसीलिए बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- अगली बारी आपकी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, दो मिनट दे दीजिए। दो मिनट मौका दे दीजिए, साहब। आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- वन मार्गों को, अचानकमार टाइगर रिजर्व के वनमार्गों को जोड़ना चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव के लिए रास्ता एकदम खराब है। वहां पर जिद में पता नहीं इनको उठाना है, भगाना है करके वन मार्ग की मरम्मत भी नहीं करा रहे हैं। जब आप उनका हटाएंगे तब वह हट जाएंगे। उन बेचारों की कितनी ताकत है? उनकी ताकत तो यूक्रेन टाइप की है और आपकी ताकत रसिया टाइप की है। अब आपके बंबार्ड में वह कहां बचने वाले हैं ? परंतु अभी उनके वनमार्ग को थोड़ा जोड़ दीजिए। अब उसके लिए आपसे मैंने निवेदन किया तो आपने बोला इसका एनुअल, अप्रूअल क्या दिल्ली, बंबई बताया तो मैं बिल्कुल चुप होकर घर आ गया। तो उसको आप थोड़ा-सा बनवा लीजिएगा। कटामी और बम्हनी के बीच के बीच में जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने पुल मंजूर करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट जाने वालों के कारण परेशानी है । दोनों पिल्हर का गड्डा खुद गया था, सीमेंट-पिल्हर सब था । उसके बाद भी उसमें रोक लग गयी, चलिए बड़े पुल में रोक है, पर वन विभाग का रपटा तो बन सकता

है । आपके लोग आएंगे, जाएंगे, जंगल पेट्रोलिंग करेंगे, जंगली-जानवरों की रक्षा करेंगे, वहां हाथी से बचाएंगे, शिकारियों को पकड़ेंगे तो उसके लिए भी जो प्रक्रिया हो सके, वह आप जरूर करवा दीजिए ।

सम्माननीय सभापति महोदय, अब दो मांग और करके मैं अपनी बात खतम करूंगा । मैंने लोरमी के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय का प्रश्न लगाया था, आपने जवाब दिया तो दो बार हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी गई, हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है । ठीक है, अब होईकोर्ट के बारे में न हम लोग यहां पर कुछ बोल सकते, न कुछ कह सकते, लेकिन आपसे यह कह सकते हैं कि आप एक बार पुन: एक पत्र अपने विभाग की तरफ से, आप अपनी तरफ से लिखिए । केंवची के पास से अतरिया गांव के एक गरीब आदिवासी को मुंगेली आते-आते दो दिन लगता है क्योंकि सीधा रास्ता भी नहीं है, बसें भी नहीं है । ए.टी.आर. के कारण उनका आवागमन भी प्राईवेट गाड़ियों से नहीं हो सकता । जो आदमी दो दिन में न्यायालय में पहुंचेगा तो अगर एक दिन में लोरमी पहुंच जाए तो क्या तकलीफ है । आप एक बार फिर से हाईकोर्ट से अपील कर दीजिए कि लोरमी में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोलने की मांग कर देंगे और एक व्यवहार न्यायालय लोरमी में है, जब वह न्यायालय शुरू हुआ तो हम लोगों ने उसको जनपद आफिस में शुरू कराए है, वहां अभी भी चल रहा है । वहां कुछ-कुछ काम भी कराते रहते हैं कि लोगों को सुलभ न्याय मिले तो वहां के भवन के लिए पैसा आपको देना है । मैं समझता हूं कि इसके लिए हमको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है । आप स्वयं सक्षम हैं । इसको आप जरूर करवा दीजिएगा साहब ।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं एक आखिरी मांग कह रहा हूं । मेहरबानी करके हमारे अचानकमार टाईगर रिजर्व को, खुड़िया के जंगल में मैंने जंगल सफारी की मांग की थी, आपने ही मुझे जंगल सफारी, रायपुर भेजा था । आपके फोन के बाद मैं वहां गया था, बहुत अच्छा लगा । इससे कम खर्चे में हमारे यहां बनेगा क्योंकि खुड़िया और बिजरा के बीच में इतना सुन्दर जंगल है, खुड़िया डेम का पानी है, तालाब है, नदी है, पुल है, जंगल है, सिर्फ घेरा लगाना है । थोड़ा बहुत पैसा लगेगा । एक बार सर्वे कराकर देख लीजिए और वहां पर जंगल सफारी खोल दीजिए। कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बिलासपुर के नजदीक लोगों को जंगल सफारी और शेर को देखने का रोमांच मिलेगा, जैसा रायपुर में लोगों को देखने को मिलता है। इसे करिएगा । देखिए, वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, बहुत गरीब, निहायत गरीब। अगर आप और हम दोनों वहां जाकर दिन भर बैठेंगे और दोनों मिलकर खोजेंगे कि 20 रूपए का काम हमको मिल जाए, हम रोजी-रोटी चला सकें तो काम नहीं है इसलिए काम देने की कोशिश करिए । जब उनको हटाना होगा, तब हटाएंगे, लेकिन अभी उनके जीवन का प्रश्न है, उनकी जिन्दगी का प्रश्न है । जब कोरोना में मैं उनके यहां गया था तो मैंने पूछा कि सरकार की तरफ से चांवल मिला है तो बोले-हां । अब खाते कैसे हो तो उन्होंने कहा कि हम टमाटर ऊबाल लेते हैं, नमक डालकर और चांवल मिलाकर खाते हैं । हमारी आत्मा कचोटती है इसलिए उनको रोजगार देने का भी आप प्रयास करिए । वे

बहुत गरीब लोग हैं, भगवान जैसे हैं । गरीब आदिवासी बैगा लोग हैं इसलिए उनकी सुरक्षा करना, उनका कोई दमन न करे, आपके वर्दीधारी जो स्टार लगाकर जाते हैं, वे दुर्व्यवहार करते हैं और वहां के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, छोटी-छोटी लड़कियां गाईड का काम करती हैं, उनको जो भी तनख्वाह मिलने का है, वह भी बहुत दिनों से नहीं मिला है । अभी मिल गया होगा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि तीन-चार महीने से मेरी तबीयत खराब थी तो मैं खुद ही नहीं जा पाया हूं, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिला होगा तो कृपा करके उनको जरूर दिलवाईएगा, ताकि वे भी अपने परिवार का लालन-पालन कर सकें । मंत्री जी, आप दौरे में जरूर चलिए, आपके जाने से बहुत सी समस्याओं का निराकरण होगा । हम भी चाहते हैं कि कान्हा-किसली टाईप हम शिवतराई में जाकर शाम को बैठकर हमारे अचानकमार के बारे में प्रोजेक्टर में, मशीन में देखें । हम भी चाहते हैं कि हम केंवची होकर अमरकंटक जाएं । सड़क की हालत ठीक नहीं है, मंत्री जी आये थे । इन्होंने ही कहा कि वन विभाग बोलेंगे तो मैं बनवा दूंगा । आप दोनों मंत्री बात कर लीजिए, सरकार में आप ही लोग हैं । हमारा धर्म है कि हम बोल लें । मानना या नहीं मानना, अब आपके हाथ में है । अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों । साहब, आपको करना हो तो कर दीजिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा । सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, साहब, मैं तो पहले आपके लिए कुछ बात समर्पित करता हूं। फिर 2-4 लाईन बोलूंगा, मैं तो अभी पढ़ा हूं, आपत्ति लिया था, आपको मालूम है।

सर जिस पर ना झुक जाये उसे दर नहीं कहते,
हर दर पर जो झुक जाये, उसे सर नहीं कहते।
क्या अहल है जहां, तुझको सितमगर नहीं कहते,
कहते तो हैं, लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते।

माननीय सभापति महोदय, आप मेरे लिए तो आलमगीर हैं, लार्ड आफ छत्तीसगढ़ हैं। मैं आपको शुरू से छोटा-मोटा आदमी समझता ही नहीं हूं। लेकिन आपकी तासीर को कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। अपन एकाध दिन मीरादातार कुरूद चलें क्या ? सरकार, कुछ तासीर गड़बड़ा गया है, ऐसा मुझको लगता है। क्या है कि मैं कल की प्रश्नोत्तरी को पढ़ रहा था। 37 निविदाओं में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई है। आप कल उत्तर देंगे, इसलिए इस पर बहस नहीं करता, सिर्फ गिना भर देता हूं। तेन्दूपत्ता का पूरा लाभांश नहीं बंटा, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर इधर एक जगह 2 टेण्डर हुए हैं, आप बोलो तो मैं खोल दूंगा, मैं सब में टैग लगाकर रखा हूं। 2 टेण्डर में 1 अनियमितता। यानि संसार में 37 में 33 अनियमितता और अभी उस पर कार्यवाही हो रही है। जंगल विभाग में कार्यवाही के लिए कोई बिजनेस रूल्स नहीं है क्या ? या वहां जगली कानून चलता है ? आलमगीर साहब, आप ही इसके बारे में बता सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, लोगों ने न्याय प्रशासन पर संशोधन कैसे दिया है, मुझे नहीं मालूम। हम लोग अमूमन विधानमण्डल, राजभवन और न्याय प्रशासन में संशोधन नहीं देते हैं। न्याय प्रशासन में सम्बन्धित से बात करके छत्तीसगढ़ के किसानों की सेवा करना चाहते हैं, राजस्व विभाग में भी वह विषय आयेगा, तो आप फास्ट ट्रेक कोर्ट के लिए कुछ योजना बनाईये कि हम फास्ट ट्रेक कोर्ट में इतने वन के प्रकरण, इतने जो छोटे-छोटे प्रकरण हैं, उस तरह की जो चीजें हैं, वह निपट जाये। मैं उसमें पटनायक कमेटी का उल्लेख कर रहा था।

समय :

7.42 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

कम से कम न्याय प्रशासन मजबूत हो। देर से मिले न्याय को न्याय नहीं माना जाता। छत्तीसगढ़ में लगभग यही स्थिति सभी न्यायिक क्षेत्रों में है। मैंने जैसे कहा कि आलमगीर, लार्ड आफ छत्तीसगढ़, यदि आप मंत्री है, तो यह हो जाना चाहिए। अभी लोक निर्माण विभाग के मंत्री, बड़े-बड़े विभाग वाले अनुदान मांग पर जवाब दिए, लेकिन उनकी ओर से एक घोषणा नहीं हुई। मतलब हम बजट पर चर्चा करें, उसका क्या मतलब होगा ?

माननीय सभापति महोदय, दूसरा आपका परिवहन विभाग है। मैं परिवहन में भी बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। यूक्रेन में वार चल रहा है, क्रूड आयल के रेट रोज बढ़ रहे हैं। यदि मैं यहां पर चर्चा करूंगा तो राजनीतिक विषय बन जायेगा कि वहां भा.ज.पा. का शासन है और यहां कांग्रेस का शासन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको पूरी दुनिया जानती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भैय्या, आप बैठे हैं या लखेश्वर बघेल बैठे हैं?

सभापति महोदय :- अभी तो मैं ही बैठा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- देखिये, क्या लिखा है। (सदन में डिस्प्ले हो रहे स्क्रीन पर सभापति महोदय लखेश्वर बघेल लिखे होने पर)

सभापति महोदय :- चलो, कोई बात नहीं। सुधर जायेगा। आप मुझे देखिये, बोर्ड को मत देखिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम दोनों को देख रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार का साप्टवेयर खराब है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और हम कन्फ्यूजन हो रहे हैं।

सभापति महोदय :- अब देख लीजिये। (स्क्रीन पर सभापति महोदय श्री सत्यनारायण लिखे होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- तो तेल के दाम अप-डाउन के कारण, जैसे विद्युत नियामक आयोग है, आपके पास रेरा है, उस तरह से बसों के लिए नियामक आयोग बनना चाहिए। क्योंकि क्रूड आयल का रेट

बढ़ता-घटता रहता है। तो एक नियामक आयोग बने। क्योंकि आप एक बार बस किराया का रेट बढ़ाते हैं, लेकिन तेल का रेट कम हो जाता है तो कभी किराया कम नहीं होता है। एक बार रेट बढ़ा, वह कम नहीं होता है। बाकी चीजें कम हो जायेगी, रेट कम हो जायेगा। लेकिन एक बार किराया बढ़ाया तो कम नहीं होगा, चाहे तेल का रेट कितना भी गिर जाये। तो यदि आप नियामक आयोग बना सकते हैं, तो उसके बारे में विचार कीजियेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं परिवहन में दूसरी बात कहना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में पब्लिक परिवहन, रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत धमतरी जिले में मेरे मेघा तक बस चलती थी। हमने अनुमोदित किया था कि इस योजना, उस योजना में बस चलेंगे। कलेक्टर अध्यक्ष होंगे और वह रूट को तय करेंगे। पूरा रायपुर में बंद सेवाएं बंद है। शायद शुरू हो रही है, कुछ पैसा वगैरह पटाये हैं, आप खोज रहे हैं, आप शायद नये आपरेटर देख रहे हैं, मालूम नहीं आपको सत्यता मालूम होगी। परन्तु धमतरी पूरी तरह बस सेवाएं बंद है, मरे ख्याल से हम लोगों ने बड़े शहरों में स्वीकृत किया था, यहां विधायकों से भी अनुमोदन लिया था, केबिनेट ने भी किया था। पब्लिक परिवहन, गरीबों का परिवहन है, गरीबों का परिवहन है । यहां बहुत महंगा है । अगली सदी के लिए, अगली शताब्दी या दशाब्दी के लिए, किसी दिन के लिए भी, आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें कि गरीबों को सस्ता परिवहन देंगे, इससे आगे परिवहन में बोलूंगा सरकार, मेरे आलमगीर तो गड़बड़ हो जायेगा । इसलिए नहीं बोलता । आपके ऊपर बहुत दबाव आ जायेगा, परिवहन विभाग में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है । आप है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ । दूसरा रहता तो जरूर बोलता । तीसरा विषय ये है कि आपके पास आवास, पर्यावरण है । एक चीज ध्यान दे दीजिए, सवा तीन साल निकल गये । हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय नहीं है, विधायक आप ही के ज्यादा चुनकर आये हैं । संवेदनशीलता में आप कम नहीं है । हमारा सड़क गोली कांड की जगह में इधर से उधर जाने वाला शुरू करा दीजिए, तीसरी बात जब आपके पास आवास पर्यावरण हैं, छत्तीसगढ़ में मास्टर प्लॉन, खासकर रायपुर में मॉस्टर प्लान, जो शहरी क्षेत्र बन गये हैं, उसका मॉस्टर प्लान, उसकी सुनवाई, उसका बनना, उसका क्रियान्वयन, रायपुर जिस तेजी से बढ़ रहा है, आपका रिंग रोड तो सामान्य रोड हो गया है, उसमें भी फोर लेन का एक्सीडेंट हो जायेगा । किसी भी तरफ में चल दे, मैं तो इधर से ही आता जाता हूँ । यहां से मंदिर हसौद से निकलता हूँ । इसमें आप क्यों रूचि नहीं ले रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है । व्यवस्थित शहर, शहरीकरण भी विकास का एक पैमाना है । हम ग्रामीण जीवन जीते हैं, नारा लगाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, शहरीकरण भी विकास का एक इंडेक्स है, सुविधा यहां होती है । दूसरी बात आवास एवं पर्यावरण में, पर्यावरण शब्द, इसमें बहुत अच्छा भाषण करते हुये कहा, क्योंटो-प्रोटोकॉल के बारे में बात की, ब्यूनर्स आयर्स में सम्मेलन हो गया, कई बार पृथ्वी सम्मेलन अलग-अलग हो चुके हैं, अलग-अलग सरकारों ने अलग-अलग कमिटमेंट तय किये, हमारा विकासशील देशों का कितना प्रतिशत है, क्या कार्बन उत्सर्जन

विकसित देश हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, इसमें काफी कुछ चीजें हैं । छत्तीसगढ़ में एअर इंडेक्स कहीं-कहीं तक गये हैं । एअर क्वालिटी इंडेक्स जो आप नापते हैं, कहीं-कहीं 300 तक गये हैं, जो 50 से 100 होना चाहिये, हिन्दुस्तान का 93 प्रतिशत आदमी एक प्रदूषित करने वाला सांस ले रहा है, ऐसा बोलते हैं । मरने वाला सांस । सबसे चिन्ता की जो बात है, जिस नीति को आप बदल सकते हैं या बदलना चाहेंगे, हम 44 परशेंट से 41 परशेंट हो गये हैं, यदि इसकी बात मानी जाये । न भी मानी जाये तो आप जो भी परिभाषा तय कर दें, वन बढ़ा है, अभी चार दिन पहले पेपर में था, हिन्दुस्तान में उत्तरप्रदेश का क्षेत्रफल के बराबर का जंगल गायब है, उसको खोजा जा रहा है, कहां पर है ? आपकी परिभाषा में हमने यदि चार हेक्टेअर, पांच हेक्टेअर में जंगल लगाया है, उसको भी आप जंगल में गिन देते हो, जो परम्परागत जंगल है, वह अवैध कब्जे, अवैध कटाई और बेंगनी जमीन, मैं उस दिन भी कहा था कि 30 जिले यदि आपके पास है, डी.एफ.ओ. और कलेक्टर मिलाकर उसका सर्वे किये हैं कि नहीं किये हैं, वह बेंगनी जमीन फर्जी है ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांच मिनट साहब ।

सभापति महोदय :- 10 मिनट हो गये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 25 मिनट बैठ जायेंगे ।

सभापति महोदय :- आप तो बैठ जायेंगे, बाकी लोग तैयार हैं क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको हमने प्रामिस किया था, दो लोग बोलेंगे । तीन साल बाद किसी प्रतिवेदन में चर्चा हो रही है, मंत्री लोगों का फैशन हो गया है, हर चीज में कोरोना-कोरोना बोलते हैं ।

श्री कवासी लखमा :- सी.एम. को रात भर क्यों बिठाओगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जल्दी खत्म कर दूंगा । माननीय सभापति महोदय, एअर क्वालिटी के लिए कोई भी योजना नहीं है । इनके प्रतिवेदन में लिखा है कि तालाब की गाद, नदी की गाद, फलाना गाद पर्यावरण को बचाने के लिए हम निकालेंगे। उसकी रक्षा करेंगे। माननीय अकबर भैया, आप परिवहन मंत्री हो। रात को सर्च लाईट लगाकर रेत खुदाई होती है, आप मेरे साथ चलिये, मैं अभी दिखा दूंगा। रेती पानी को सोखता था, पानी नीचे जाता था। धमतरी जिले या बहुत सारे जिले, दुर्ग जिले के भी, खुद मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र पाटन, गुरूर, पुरूर और इधर आपके क्षेत्र जाते तक जो जमीन में पानी दिखता था, अब वह नीचे जा रहा है। वह और नीचे जायेगा। क्यों? आप जिस खनिज की रक्षा करना चाहते हैं, उसमें आप पूरी तरह असफल हैं। क्योंकि आपको माफिया को भी संरक्षण देना है। आप तीन स्टेट से दो स्टेट हो गये हो। इस साल फिर दो चुनाव हैं तो दबाव तो बढ़ेगा ही। आप क्या कार्यवाही करोगे? आप अकेले कार्यवाही कर दोगे तो उसको बाकी लोग क्या करेंगे? अब ओवरलोड की बात कहना चाहता हूं। ये महोदय को मैं जो बोला कि सड़क वापिस ले लो वह इसलिए बोला कि ओवरलोड वाली जगह में तो इन्होंने एक

सड़क नही दी। कल मेरा 50 टन क्षमता की सड़क गावों में बनाने के संबंध में संकल्प था, वह नहीं थे। आपकी रेत नीति छत्तीसगढ़ के परिवहन, आगे के जलवायु परिवर्तन को, जमीन के नीचे को, सुनिश्चित सिंचाई को सबको बरबाद करके रख देगी। आप यह देख लीजियेगा। अब आप बहुत जगह प्रदूषण नापने के लिए मशीन लगाये हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा मशीन खराब है। क्योंकि उसमें आपके पास जांच के लिए और बुलेटिन के लिए जितने लोग होने चाहिए, उतने लोग नहीं हैं। जितनी expertise होनी चाहिए, वह expertise आपके पास नहीं है। उसके लिए कोई भावी रणनीति नहीं है। मैं पिछले साल आपको बोला था कि जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना और उसमें खर्च करने के लिए आपके पास 2 लाख रुपये हैं। अब बजट बढ़ गया होगा तो मैं नहीं जानता। यदि एक सेमीनार करोगे तो 2 लाख रुपये में तो एक होटल किराये में आयेगा। क्या करें भई, छत्तीसगढ़ के लिए इस तरह की नीति बनानी है तो करके, सुनीता नारायण का एक भाषण करवायेंगे तो उनकी आने जाने की टिकट में 1 लाख रुपये निकल लायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आवास पर्यावरण में विधायक के मामले कहा, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कही। वन में आज धमतरी में चंदन की लकड़ी पकड़ाई है। जहां देखिये, बलरामपुर का विषय आया, धडल्ले से लकड़ी कट रही है। कैम्पा, लेण्टाना के बारे में मैं नहीं बोलता। लेण्टाना हम लोगों के बीच में भारी मजाक का विषय है। आपको कुछ नहीं करना है तो लेण्टाना के बारे में अध्ययन करो। लेण्टाना एक ऐसा विषय है कि कैम्पा आने के बाद वह अचानक बढ़ गया। कैम्पा की कार्ययोजना क्या है ? यह कैम्पा की कार्ययोजना, कैम्पा के अनुकूल कार्य हम तो नहीं जानते। जैसे नरवा, गरूवा, घुडवा, बाड़ी के बारे में हम नहीं जानते कि क्या कार्ययाजना है, क्या बजट है, उसका कौन नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट आप हैं। लेकिन उसके खर्चे हैं, आपको यह बता दूं कि 2019 से 2022 तक कैम्पा से कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में 354 करोड़ 90 लाख रुपये के काम कराये गये हैं। 354 करोड़ रुपये, तीन अरब, साढ़े तीन अरब खर्च क्या होता है ? यह लगातार चल रहा है। आज के दिन में छत्तीसगढ़ में 41 प्रतिशत वन को आप यह तय करिये कि मैं 44, 45 प्रतिशत तक ले जाऊंगा। मानव निर्मित जंगल को नहीं, जो मेरा ओरीजिनल जंगल है, उसको बढ़ाईये। अब माननीय आलमगीर साहब, आखिरी बात की ओर बढता हूं। ए.सी.एस. होम बैठे हैं। मैं विधायक बना, उस समय वह धमतरी के कलेक्टर थे। 20 लाख की विधायक निधि थी तो भी मैं वृक्षारोपण के लिए पैसा देता था। पंचायत चुनाव होगा, मैं जानता था। कुरूद में मैंने पूरे पैसे वृक्षारोपण के लिए दिए कि हर गांव में 01 हेक्टेयर, डेढ हेक्टेयर, 02 हेक्टेयर का जितने की जगह है, वह तय करो और वृक्षारोपण लगाओ। मेरे पैसे देने के बाद वह अभिसरण में हुआ। मेरे पैसे देने के बाद 10-15 गांव बच गये। आपको भी 10-15 बार बोला, लेकिन आज वापिस नहीं लूंगा, उसी से वापस लिया हूं, आपको उसको करवाना पड़ेगा। पी.सी.सी.एफ. साहब बैठे हैं।

श्री कवासी लखमा :- क्या आपकी निधि से लगा हुआ पेड़ बड़ा हुआ ? कोई पेड़ है ?

श्री अजय चंद्राकर :- (व्यवधान) फुल्ली वाला, महुआ फुल्ली।

तो वृक्षारोपण के लिये जो 15-17 गांव बच गये, वह 3 साल में बस अभी हो रहा है, बस अभी हो रहा है, यह डी.एफ.ओ. बदला और हो गया। तो मैं जीवन में कभी कुरूद के बारे में बात नहीं करता। लेकिन मुझे वृक्षों से बहुत लगाव है और जब आप वृक्षारोपण करवाते हैं और जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, मैं scientific बात तो नहीं करता, एक-दो बार देहरादून वन संसाधन में अध्ययन करने चले जाउंगा। नीम, बरगद, पीपल, जो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़े, दूसरे गैसों को ऑक्साईड को ज्यादा ग्रहण करें, आप ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण करवाईये। यह जो आप बोल रहे हैं 70 साल, 80 साल वाला सागौन, मैं आज लगाउंगा तो तीन पीढ़ी बाद वह सागौन तैयार होगा। एक, जो इस तरह के पौधे का रोपण हो, दूसरी बात, बहुत सारी केंद्र सरकार की परियोजनाएं चल रही है, सड़क चौड़ीकरण की, उनकी परियोजना में है कि हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन आपके साथ में उसका तालमेल नहीं है। यह आप कितने दिन में वृक्षारोपण चालू कर रहे हो , जहां तक बन गया है। तो छत्तीसगढ़ में, मैं कुरूद में लोगों को बोलता हूं कि मैं रायपुर से कुरूद के temperature को 2 डिग्री नीचे रखूंगा, आप यह कहिये, प्रण कीजियें। कि मैं छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ने नहीं दूंगा, यहां के नदी, नाले, बायोडायवर्सिटी से लेकर के सारी चीजों को सड़क बिजली सबको बचाउंगा कि यह एक सच्चे आदमी का कथन है, और नहीं तो यह लेंटाना वाला मंत्री भी हे, यहीं इसी करा, समझ गेस न। कुछ नहीं एक लाईन कुछ नहीं बोले। मतलब विधायक पी.डब्ल्यू.डी में बोलने के लिये मरते थे कि एक-आत सड़क की घोषणा हो जायेगी , कुछ नहीं अधिकार विहीन। मैं इसीलिये आपको कहा कि lord of Chhattisgarh, आलमगीर महोदय, आप कुछ करेंगे, इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

सभापति महोदय :- माननीय प्रमोद कुमार शर्मा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आवास और पर्यावरण विभाग के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आज की जो पर्यावरण विभाग की स्थिति है, उस स्थिति में तो जहां तक मैं समझता हूं कि ताला लगा देना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पर्यावरण विभाग का जो काम होता है, वह पर्यावरण की सुरक्षा करना है। आप देख लीजिये पर्यावरण विभाग सिर्फ प्रमाण-पत्र बेचने को छोड़ और कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप वहां पर्यावरण विभाग में जाईये, नवीनीकरण के नाम पर, भंडारण के नाम पर वहां रेट फिक्स है। अगर आप क्रेसर का नवीनीकरण करवायेंगे तो 1 लाख रूपये, भंडारण का लेंगे तो 50 हजार रूपये, और आज तक वहां के अधिकारी कभी-भी फिल्ड में जाकर, कभी-भी निरीक्षण किये होंगे तो यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, मैं सभा के माध्यम से चुनौती देता हूं कि मेरे क्षेत्र में जितने सीमेंट प्लांट है, उनको जितना 30 हजार, 50 हजार हर साल पौधे लगाने का टार्गेट दिया

जाता है, अगर उसमें से 20 प्रतिशत भी पौधा लगा होगा तो मैं प्रमोद शर्मा घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा। (शेम-शेम की आवाज)

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण विभाग सिर्फ प्रमाण-पत्र बेचने को छोड़ और कोई काम करता ही नहीं। आप रिकॉर्ड में देख लीजिये, कोई भी प्लांट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिये, वहां रिकॉर्ड में लिखा होगा कि 2 लाख पौधा लगा है, जिसमें से 15 हजार फलदार वृक्ष है, आम है, अमरूद है और न जाने कितने प्रकार के पौधों का उल्लेख होगा। हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमको भी एक-आत अमरूद का पेड़ दिखा देते, हम भी देख लेते, हम आज तक वहां पेड़ नहीं देखे हैं। लेकिन आप रिकॉर्ड में देखिये, आम, अमरूद, बगीचा, न जाने कितने सारे पेड़ लगे हुये हैं। यह पर्यावरण वाले लोग सिर्फ एक जगह सक्रिय रूप से दिखते हैं, कहां ? जब वह मोटर साईकिल में तीन सवारी कहीं जायेंगे तो 500 रूपये में हरे कलर का स्टीकर बेचने का काम करते हैं। वहां पर बहुत सक्रीय हैं वहां तो गांव वालों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि आंतकवादी जा रहा हो और उसको पकड़कर पर्यावरण के नाम से चेक करेंगे और हरा कलर का कोई स्टिकर 500 रूपये में बेचते हैं। वहां पर एकदम सक्रिय हैं वहां पर पर्यावरण बिल्कुल सक्रिय दिखेंगे और बाकी में पर्यावरण विभाग को बार-बार बोलता हूँ कि प्रमाणमत्र बेचने के अलावा और कोई काम नहीं है। उनको जितना भी टारगेट दिया जाता है। आज तक कभी निरीक्षण करने के लिए नहीं गये, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहां 7-7 इंटरनेशनल सीमेंट प्लांट है। जहां क्रेशर लाईम स्टोन होने के कारण, वहां 100-150 क्रेशर है वहां की स्थिति यह है कि वहां लोगों का रहना दुष्वार हो गया है। मेरा सल्फर डाईऑक्टसाईट के नाम से विधान सभा में एक प्रश्न लगा था, जवाब में यह आता है कि वहां मशीन काम करते हैं तो मैं भी देख लेता। आपके एकाध अधिकारी जाकर दिखा देते कि वह कैसी मशीन होती है? इधर प्रश्न लगता है उधर प्लांट में कंट्रोल करने के लिए पाउडर डालना चालू हो जाता है । किसी भी पॉवर प्लांट में पर्यावरण को चेक करने के लिए कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं लगा हुआ है। इसीलिये तो मेरा मत यह है कि पर्यावरण विभाग तो सिर्फ वहां के आय का जरिया है तो वहां राशि देने की जरूरत ही क्या है? उसको बंद कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्यावरण के नाम से बहुत सी बातें कही जाती हैं। अभी मैं दो दिन पहले मैं सेंचुरी सीमेंट प्लांट गया था। वहां मजदूर लोग कुछ मांगों को लेकर हड़ताल किये थे, वहां मजदूर लोगों को खदान के पानी को सीधा दिया जा रहा है, जिस पानी में बदबू आ रही है, आज तक पर्यावरण विभाग वाले क्या कर रहे थे? आज तक कभी कोई वहां चेक नहीं किये, किसी भी प्लांट में देखने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके महीने का कांटा घूम रहा है, इनका महीना हुआ, वहां पर जो भी राशि फिक्स होगी, पहुंच जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, सब चीजें ऊपर से ही हो जा रही हैं। जैसे की जनसुनवाई हुई तो आप थोड़ा सा गंभीरता से ले लें। इस सदन में सही में

आपके बारे में कहा जाता है और बाहर भी कहा जाता है कि आप वास्तविक में विद्वान मंत्री हैं। कम से कम आपके विभाग में ऐसा काम न हो, अनकंट्रोल न हो तो आप अपने कंट्रोल में रखकर, बलौदाबाजार क्षेत्र वालों को कम से कम इस प्रदूषण से बचा लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम वह भ्रष्टाचारी, अभी आपके पर्यावरण के अधिकारी बैठे हुए हैं इनके ऊपर थोड़ा सा लगाम कसिये। जैसे कि अभी पर्यावरण के नियमों की बात आ रही थी। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि रात को रेत खदान का लोडिंग होता ही है। पर्यावरण में यह नियम है कि रात को रेत खदान संचालित नहीं किया जायेगा। यहां नियम का कब पालन होता है? यहां पर जो बैठे हैं, आप एकाध से पूछ लीजिए, ऐसा कौन सा खदान है जहां रात को रेत की सप्लाई का काम नहीं किया जाता, ऐसा कोई खदान नहीं है, लेकिन पर्यावरण से क्या मतलब है? उनको तो सिर्फ प्रमाणपत्र बेचना है, वह प्रमाणपत्र बेचने का काम करेंगे।

सभापति महोदय :- माननीय प्रमोद जी, आपकी बात आ गई।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो पर्यावरण वालों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर पर्यावरण के कोई अधिकारी बैठे होंगे तो उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी आत्मा को तो जगा लीजिए जिस छत्तीसगढ़ में रहते हो, उस छत्तीसगढ़ के प्रदूषण के बारे में थोड़ा मनन, चिंतन कर लीजिए। आप पैसे के लालच में किस दिशा में लेकर जा रहे हो? मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बेलारी जंगल, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। उनके बीचों बीच एक बारूद का गोदाम रखा हुआ है, पता नहीं उसका लाईसेंस कौन दिया? वह कहां से आया, चेन्नई की कंपनी है वहां वर्ष 1985 में घटना भी हुई थी और वहां पर न जाने कितने सारे जानवर मरे थे और आज तक पता नहीं, पर्यावरण विभाग के लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं उसको लाईसेंस कौन दिया? जंगल के बीचों बीच जानवर हैं, वहां पर एक बारूद का गोदाम है और वहीं से सप्लाई की जाती है। मुझे नहीं मालूम है, मुझे केवल इतनी जानकारी है कि गांव वाले शिकायत किये हैं यहां बारूद का गोदाम रखा हुआ है कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम जो मेरा बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र है, प्रदूषण के नाम से बहुत ही स्तर नीचे गिर चुका है। आप एक बार निष्पक्ष जांच करा लेते, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि बलौदाबाजर में अत्यधिक सीमेंट फैक्ट्री, क्रेशर होने के कारण, वहां पर्यावरण का नियम बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि जो पर्यावरण के अधिकारी हैं, उनको नींद से जगाकर, उस क्षेत्र में थोड़ा सा दौरा करा दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र की थोड़ी सी समस्या रखूंगा। माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा। जिला जांजगीर चांपा के मेरे विधानसभा जैजेपुर में छीतापंडरिया में एकमात्र जंगल है, खासकर मेरे विधानसभा में जांजगीर में तो कम जंगल है। करीब-करीब एक हजार हेक्टेयर का जंगल है। माननीय महोदय, मैंने उस दिन कृषि मंत्री जी से प्रश्न भी पूछा था कि उसमें नहर के लिए एन.ओ.सी. नहीं मिला है। नहर के लिए एन.ओ.सी. नहीं मिला है लेकिन आपके डी.एफ.ओ. डोलोमाईट खदान के परिवहन के लिए केवल एन.ओ.सी. नहीं दिए हैं, बल्कि सड़क बना करके डोलोमाईट की परिवहन करा रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उसमें जंगली जानवर रहते हैं, जंगली सुअर, खरगोश और इस जंगल के आस पास कम से कम 15, 20 खदान हैं, जहां भारी क्षमता की विस्फोट के कारण जानवर जंगल छोड़कर खेत की तरफ जा रहे हैं। किसान की फसल को नुकसान हो रहा है और आपकी तरफ से इसी जंगल में से 407 हेक्टेयर को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में डोलोमाईट खदान के लिए आरक्षित भी किया गया है। मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं, एक तो जंगल कम बचा है, वहां जंगली जानवर रह रहे हैं। आप उसको आरक्षित मत करिए, उसको जंगल ही रहने दीजिए। बाकी बहुत सारे लोग तो हरियाणा से आए हैं, झारखंड से आए हैं, वहां पर जमीन खरीद करके वहां डोलोमाईट की खदान लगा रहे हैं। क्रेसर चल रहा है, क्रेसर की धूल के कारण जंगल भी नष्ट हो रहा है। मेरा मेरे क्षेत्र के हित में निवेदन है और यह विशेष रूप से निवेदन है कि जिसको केन्द्र अनुमति नहीं दे रहा है, एक डी.एफ.ओ. को क्या अधिकार है कि वह एन.ओ.सी. दे करके, सड़क बना करके, उसमें से परिवहन कराएं ? उसके अलावा जो और भी खदान हैं, वह भी अवैध तरीके से जंगल के ही रास्ते से परिवहन कर रहे हैं तो उसके लिए निवेदन है, उस परिवहन को भी रूकवाने की कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, डभरा विकासखंड में आर.के.एम. पावर प्लांट लगा है, डी.बी. पावर प्लांट है और चांपा में पी.आई.एल. पावर प्लांट भी है और लोहा की फैक्टरी भी है। यह जो राखड़ उत्सर्जित हो रही है, यह कहां कब डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, कौन से मापदंड पर डाल रहे हैं, किसकी अनुमति से डाल रहे हैं, कोई पता नहीं है ? मेरे विधानसभा में 171 गांव है और कम से कम 71 गांव में डाल चुके हैं। इतनी तेजी के साथ किसी की खेत पर डाल दे रहे हैं, किसी तालाब पर डाल दे रहे हैं, कोई माई बाप नहीं है। अभी जब एक दुर्घटना हुई, एक गांव का स्वागत द्वार टूटा, ड्राईवर मर गया तो प्रशासन हरकत पर आए, एस.डी.एम. गए और उनको कुछ जुर्माना किए। जुर्माना तो पटा दिए, ठीक है, नहीं पटाए, वह भी ठीक है। लेकिन वह जो राखड़ डम्प हुआ है, वह बह के नाला में जाएगा। यहां राखड़ डम्प हुआ है, वह बह करके हमारे खेत में जाएगा और शासकीय जमीन पर 5-5 फीट, 6-6 फीट खाली मैदान पर स्कूल नीचे हो गया है, बाऊंड्रीवाल नीचे हो गया है। इसके लिए भी निवेदन है, भविष्य में हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके लिए इस तरह से किसी भी प्रकार की उनकी राखड़ डैम बनाने की नीति होगी, हम तो उस पावर प्लांट को नहीं

देखे हैं। लेकिन अब इच्छा हो रही है कि देखने जाएं। वे क्यों हमारे तरफ पर्यावरण को फैला रहे हैं, क्यों राखड़ डैम नहीं बनाया है, क्यों उनकी गाड़ी चल रही है और केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारी सड़क को भी नुकसान हो रहा है? माननीय महोदय, परिवहन विभाग भी आपके पास है। सौरभ सिंह जी परिवहन विभाग के बारे में बोले हैं, ओव्हर लोड जो चल रहा है, ट्रक की फिटनेस नहीं है, वह अलग विषय है। अभी बीच में परिवहन विभाग वाले कहीं भी बैठक करके, रोक करके लिगल और अनलिगल दोनों वसूली करते थे, बंद कर दिए थे। वह बंद था। वह प्रक्रिया पुन: चालू हो गयी है। दुख की बात यह है कि गांव के ट्रैक्टर वाले को परेशान कर रहे हैं। गांव का ट्रैक्टर वाला ठीक है, वह खेती करने के लिए ट्रैक्टर लिया है लेकिन वह अपनी खुद की घर बनाएगा तो अपने ट्रैक्टर से ईंट का परिवहन नहीं करेगा, वह अपने ट्रैक्टर से पत्थर का परिवहन नहीं करेगा क्या, मिट्टी का परिवहन वह अपने ट्रैक्टर से नहीं करेगा क्या ? लेकिन आपके परिवहन विभाग वाले ऐसे ट्रैक्टर वालों को परेशान कर रहे हैं। महोदय, मेरा कई बार उनसे विवाद भी हुआ है, मैंने आपसे लिखित शिकायत भी किया। डभरा में एक इंस्पेक्टर थे, जो लोकल आदमी थे, 6-6 हजार रूपए रेट बांधे थे। मैंने आपसे निवेदन किया था, धन्यवाद। आपने उनको भगा दिया। लेकिन यह व्यवस्था अगर मेरे क्षेत्र में है तो प्रदेश में अन्य जगहों पर भी होगा । बाकी क्या व्यवस्था है उससे मतलब नहीं है लेकिन किसान लोग परेशान न हों इसके लिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग वाले उद्योगपतियों को ज्यादा संरक्षण न दें । आपके संज्ञान में है, चूंकि मैंने एक शिकायत की थी कि चूनाभट्टी प्रदूषण फैला रहा है, वहां शाम को चलना मुश्किल हो रहा है । आपने सेक्रेटरी को मार्किंग किया कि 7 दिन में जांच करके मुझसे व्यक्तिगत मिलकर अवगत करायें । आपका वह पत्र चूंकि बिलासपुर के आपके अधिकारी उस उद्योगपति को लिख दिये कि यह विधायक की शिकायत है और बिंदुवार आप इस पर जवाब दें । महोदय, हम क्या करेंगे कि हम शिकायत कर रहे हैं और पत्र उनके पास जा रहा है ? बिंदुवार वह क्या सफाई देगा ? आपके अधिकारी को जांच करनी चाहिए । उन बिंदुओं पर क्या सही है, क्या गलत है तो इस तरह से संरक्षण न मिले । चूंकि हम लोग भी राजनीतिक व्यक्ति हैं और आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं । कुछ मजबूरी हमारी भी होती है, जनता की मांग पर हम भी चलते हैं । उद्योगपति हैं, वे बड़े आदमी हैं । कल हमारे सामने भिड़ जायेंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जायेगी इसलिये आपसे अनुरोध है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय मंत्री जी, एक मास्टर प्लान के अंतर्गत मंदिर हसौद, अभनपुर से भिलाई रोड को जोड़ने वाली एक सड़क बनाने की पहले एक योजना थी ।

रायपुर शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिये उस सड़क को मास्टर प्लान में फिर से लेकर और मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार बनाये तो ठीक है नहीं तो केंद्र सरकार को हम लिखकर भेजकर उस सड़क को स्वीकृत करवा सकते हैं तो उस योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दें क्योंकि अभी एक सड़क जो कि चरौदा में निकलती है, वहां तक बन गयी है टाटीबंध से लेकर तो अगर यह सड़क बन जाती है तो रायपुर शहर के ट्रैफिक के लिये अच्छा हो जायेगा तो मास्टर प्लान के अंतर्गत यह सड़क पहले थी लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो गयी है । आप इसके बार में जानकारी दे देंगे और केंद्रीय मंत्री जी को पत्र लिखने के लिये जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो निश्चित रूप से उस सड़क के बनने से रायपुर शहर के चारों तरफ का यातायात सुगम हो जायेगा ।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांगों के संबंध में चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है - श्री सौरभ सिंह जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, श्री केशव प्रसाद चंद्रा जी इन सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, वनों के संबंध में माननीय सौरभ सिंह जी ने जो अपनी बात कही । मैं उनको कुछ बातों की जानकारी देना चाहूंगा । इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 41 प्रतिशत वन हैं तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 41 प्रतिशन नहीं है बल्कि 44.2 प्रतिशत वन हैं । पट्टा देने के बारे में भी बात आयी कि अवैध कटाई हो रही है और अवैध कटाई होने के बाद तत्काल आवेदन होता है । आवेदन करने के बाद पट्टा दिया जाता है तो मैं उसके बारे में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कटाई करने के बाद तत्काल जो जमीन पर कब्जा करेगा उसको पट्टा नहीं दिया जाता । दिनांक 13 दिसंबर, 2005 के पहले यदि आदिवासी है तो 13 दिसंबर 2005 की स्थिति में या उसके पहले यदि कब्जा हो तब उसको पट्टा मिलेगा और यदि गैरआदिवासी है तो 75 साल और 3 पीढ़ियों से यदि कब्जा है तो ही उसको दिया जायेगा । अब किसी ने आवेदन किया तो खाली बोल देने से वह पट्टा नहीं मिलेगा । ग्राम सभा उसकी प्रक्रिया निर्धारित करती है और कब्जे के आधार पर ग्राम सभा को इसका निर्धारण करना है कि वास्तव में इसका कब्जा था कि नहीं था इसलिये अवैध कटाई हो गयी, किसी ने भी पट्टा ले लिया ऐसा संभव नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात लघु वनोपज खरीदी के संबंध में आपने बात रखी थी । पहले 7 फिर 52 और अब 61 लघु वनोपजों की खरीदी छत्तीसगढ़ वनोपज संघ के द्वारा किया जाता है । आपने कहा कि वन-धन ट्राईफेड के माध्यम से जो वन-धन केंद्र हैं और यह तो पूरे देश में लागू है तो बिल्कुल सही है कि यह पूरे देश में लागू है लेकिन पूरे देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्रय किया है । (मेजों की थपथपाहट) आपके माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने स्वयं आकर इन्हीं लघु- वनोपजों की खरीदी के लिये 11 पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मुख्यमंत्री निवास में

आकर दिये हैं । दूसरा, आपने यह कहा कि आपके समय में एक चरण पादुका योजना थी । मैंने ही विधानसभा में इसके बारे में प्रश्न लगाया था और मैंने यह कहा था कि ऐसी योजना की जरूरत नहीं है। यदि आप चरण पादुका दे रहे हैं तो एक पैर में 8 नंबर और एक पैर में 9 नंबर। यह बिल्कुल उचित नहीं है। यदि दिया जाना है तो सही ढंग से दिया जाना चाहिए। अब तेंदूपत्ता का भुगतान समय पर नहीं होने के बारे में आपने बात कही तो तेंदूपत्ता का भुगतान समय पर किया जा रहा है। मानव हाथी द्वंद के बारे में आपने जानकारी दी तो मानव हाथी द्वंद के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पहले सेमरसोत, बादलखोल, तमोरपिंगला ये 3 हाथी रिजर्व थे और एक लेमरू हाथी रिजर्व जो 452 वर्ग किलोमीटर का था, तत्कालीन सरकार के समय वर्ष 2007 में भारत सरकार से इसकी सहमति आयी थी, लेकिन पहले भी हम लोग आरोप लगाते थे और आज मैं फिर दोहराता हूं। कोयले की खदानें होने के कारण उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया। वह 452 वर्गकिलोमीटर का था। वर्तमान सरकार ने परीक्षण कराने के बाद 1995 वर्ग किलोमीटर का उस क्षेत्र को नोटिफिकेशन किया, जिसे लेमरू हाथी रिजर्व के नाम से जाना जाता है। नालों में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके बारे में आपने बात कही कि कोई एक्सपर्ट नहीं है और तकनीकी तौर पर वन विभाग सक्षम नहीं है। निश्चित रूप से तकनीकी तौर पर वन विभाग के पास कोई अमला नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट हायर किये हैं जो तकनीकी रूप से अपना एडवाइस दे रहे हैं और उसके आधार पर यह निर्माण का कार्य किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में आपने कुछ बातें रखी हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको विस्तारपूर्वक उसकी जानकारी दे दूंगा। रतनपुर से गौरेला पेण्ड्रा मार्ग में रेस्ट हाउस के बारे में भी बात कही है। माननीय नेता जी ने भी चिंता व्यक्त की थी तो निश्चित रूप से यह बनना चाहिए तो मैं इस बारे में अपने अधिकारियों से कहूंगा कि इसे नोट कर लें और जितना जल्दी हो सके, इसे पूरा कराने का प्रयास करें। एक मामला आपने यह भी उठाया कि एस.डी.ओ. प्रभारी हैं। वन मंडल अधिकारी जितने भी हैं, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, उनको प्रभार न देकर एस.डी.ओ. को दिया गया है। तो आज की तिथि में कोई भी एस.डी.ओ. वन मंडल अधिकारी के प्रभार में नहीं है। जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, उन्हीं को प्रभार दिया गया है। माननीय अजय चन्द्राकर जी लेंटाना के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें भी बता दूं कि जो लेंटाना है, वह एक झाड़ी होती है और निश्चित रूप से उसे हटाना जरूरी है। आपने यह कहा कि कैम्पा आने के बाद लेंटाना उन्मूलन चालू हुआ है। ऐसा नहीं है। यह ब्रिटिश पीरियड के समय से है। लेंटाना उन्मूलन इसलिए जरूरी है कि झाडियां बहुत बड़े पैमाने में 2-2 मीटर का हो जाती हैं तो वन्य प्राणियों को जो आवागमन होता है, वह बाधित होता है और दूसरा यह कि बाकी का यह खरपतवार है। यह जब तक हटेगा नहीं तब तक बाकी के जो घास और अन्य के जो प्रजातियां हैं, जिनका उत्पादन होना चाहिए, जो वन्य प्राणियों के काम आये। वह उसके हटाने के बाद ही होता है। इसलिए लेंटाना को आप व्यंगात्मक बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में भी कहा कि किसी को भी उठाकर गिरफ्तार कर दिया जाता

है, ऐसी कोई बात नहीं है और यदि ऐसी कोई बात आपके संज्ञान में होगी कि गलत ढंग से किसी की गिरफ्तारी हुई है तो हम निश्चित रूप से उसे दिखवायेंगे, लेकिन जांच करने के बाद ही गिरफ्तारी का काम उसमें किया जाता है। आपने एक विषय और कहा कि क्या कैम्पा के अंतर्गत गाड़ी खरीदा जा सकता है? कैम्पा के अंतर्गत गाड़ी नहीं खरीदा जाता, लेकिन खरीदा गया है। वह भारत सरकार की अनुमति लेकर एक बार के लिए वह अनुमति हमें प्राप्त हुई है और उससे वह क्रय किया गया है । इसके अलावा माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो बात कही, उसके पहले डॉ. विनय जायसवाल जी ने कोर्ट की स्थापना के संबंध में और एडवेंचर पार्क के बारे में भी आपने जो बात रखी है, मैं निश्चित रूप से उसे दिखवाउंगा और जितनी जल्दी हो सकेगा, हम लोग उसे करने का प्रयास करेंगे। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो बात कही कि वन्य प्राणियों की मौत का कारण क्या है? हमको पता नहीं है। यह पता नहीं चलता। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई दूसरी विधि नहीं है, पोस्ट मार्टम के अलावा, जो वन्य प्राणियों की मौत के कारण को बता सके। अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि वन्य प्राणियों की मौत का कारण क्या है? जो भी पोस्ट मार्टम के आधार पर रिपोर्ट सामने आती है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होती है। अवैध कटाई और बेगुनाह लोगों को जेल भेजने के बारे आपने कहा, निश्चित रूप से जांच करने के बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके भी संज्ञान में कोई ऐसी बात हो कि गलत ढंग से किसी की गिरफ्तारी वाली बात हो तो निश्चित रूप से हम दिखवा लेंगे । उसमें कोई बात नहीं है और उसमें विधिसम्मत् कार्रवाई करेंगे । घुघरीपाट-शिवतराई-अचानकमार-केंवची से संबंधित सड़क मरम्मत के बारे में आपने कहा है । कबीरधाम जिले में चिल्फी से रेंगाखार मार्ग है, उसके बारे में भी जब हम कार्यवाही चाहते थे तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से उसमें रोक लगाई गई कि जो टाइगर रिज़र्व का क्षेत्र होता है, उसमें निर्माण का कार्य नहीं होगा । इसमें विधिसम्मत क्या कार्यवाही हो सकती है, उसको दिखवा लेंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, इसमें निर्माण नहीं कराना है । सिर्फ सड़क का रिपेयर कराना है । कोई नई सड़क नहीं बना रहे हैं, कोई नया पुल नहीं बनाएंगे, नया कोई निर्माण नहीं होगा । सड़कों में जो गड्ढे हैं ट्रक में डामर जाकर उसमें डाल देगा और रोलर चला देगा । यह नया कार्य नहीं है । हाईकोर्ट ने नये निर्माण पर रोक लगाया है । क्योंकि ऊटी से बांदीपुर नेश्नल पार्क पड़ता है उसमें हैवी ट्रैफिक चलता है, फोरलेन की सड़क है । आप हाईकोर्ट में मत जाइए, उसको बनवाइए ।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, आप उस क्षेत्र से अच्छे से वाकिफ हैं । सडक की समस्या बता रहे थे । सूपखार को क्रॉस करके चिल्फी से गढ़ी की तरफ जाते हैं 34 किलोमीटर, उस सड़क को भी मध्यप्रदेश सरकार ने अभी-अभी बनवाया है, जबकि वह भी टायगर रिज़र्व के अंदर है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह कान्हा नेश्नल पार्क का है ।

श्री सौरभ सिंह :- आप उस क्षेत्र से वाकिफ हैं, जाते रहते हैं । किया जा सकता है । कान्हा रिजर्व में यह काम हुआ है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं 35-40 साल से सूपखार में जा रहा हूं । अभी-अभी वह सड़क बनी है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय मंत्री जी, मेघा-दुगली मार्ग को भी स्वीकृति मिली है लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोक के कारण काम नहीं हो रहा है । नया रोड नहीं बनना है, नहीं बनेगा तो दूसरी जगह जाने से कट जाएगा । कृपया ध्यान दे दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता के हिसाब से यदि कोई वैधानिक अड़चन नहीं होगी तो जरूर कराएंगे । इसके अलावा आपने अचाकमार टाइगर रिजर्व में कैंटीन के बारे में कहा कि इसको रिपेयर कराना है और आपने यह कहा कि जरूरत पडेगी तो मैं विधायक निधि भी दे दूंगा । अब वह 4 करोड़ हो गया है इसलिए थोड़ा सा...(हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- ना ना । आप भ्रम मत पालिए । मैंने एक करोड़ में ही 20 लाख रूपया दिया है । एक करोड़ अभी जो कोरोना में कटा है, उसमें मैंने 20 लाख दिया है । देखिए, मैं तो दिल का राजा हूं । 50 लाख भी रहेगा तो मैं आपको दूंगा । 4 करोड़ होने से कोई खुश हो, मुझे उसमें बहुत इंट्रेस्ट नहीं है । मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बनवा दीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने उदारतापूर्वक कहा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । निश्चित रूप से केंटीन को हम लोग रिपेयर कराएंगे । इसके अलावा एक अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय लोरमी में इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय से हमारे प्रस्ताव को खारिज किया गया था लेकिन आपने मांग रखी है तो निश्चित रूप से दुबारा माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे और उसके आदेश के अनुसार ही इसको किया जाएगा । माननीय अजय चन्द्राकर जी ने कहा कि 37 में से 33 निविदा अनियमितता के दायरे में है । कल तो प्रश्न लगा है, कल उसके बारे में विस्तारपूर्वक पूछ लेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा । इसके अलावा तेंदूपत्ता बोनस के बारे में कहा, उसको भी कल ही बोल दूंगा । लेकिन तेंदूपत्ता बोनस का पूरा हिसाब किताब फाइनल होने के बाद ऑडिट होता है, उसके बाद बोनस का भुगतान किया जाता है । आपने न्याय प्रशासन की मजबूती के बारे में कहा तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं । अभी यहां बहुत विलम्ब हो चुका है इसके बारे में मैं आपको बाद में विस्तार से जानकारी दे दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह कहा है कि मैंने पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री से तो प्रस्ताव और चिट्ठी वापस ले लिया । लेकिन वह 15-16 जगह मेरा बाकी है, उसका क्या होगा, उसको बोलिए, मैं उसको वापस लेने वाला नहीं हूं । वह आपको करवाना पड़ेगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने पब्लिक ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी चिंता व्यक्त की है । गरीबों को सस्ती परिवहन सुविधा मिलनी चाहिए । निश्चित रूप से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इसका कोई रास्ता निकलने की हमारी कोशिश रहेगी ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी और कितना समय लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, परिवहन में गाड़ियां खडी हैं, कबाड़ हो रही हैं। लगता है उसको परिवहन विभाग को अपने अंडर में ले लेना चाहिए। उसकी कंपनी बनाकर नगर निगमों को दे दिया। उसको चलाने के लिए नगर निगमों के पास में स्थिति नहीं है। लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां पूरे छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई हैं और कबाड़ हो रही हैं। मुझे लगता है कि यदि परिवहन विभाग उसको अपने अंडर लेकर चलाने का काम करेगा, तो वह ठीक तरीके से चल सकती है। इस दिशा में आपको विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, और कितना समय लेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- सभापति जी, जब आप बोलेंगे, मैं समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय :- जी, जल्दी करिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने जो जानकारी दिया है, वह बिल्कुल सही है। सारी बसें खड़ी हुई हैं। उसका कारण यह है कि पैसेंजर नहीं है। कोरोना काल के बाद से अब तक डीजल का भी खर्च नहीं निकल पाता। तो सारे लोगों ने समर्पण कर दिया है, गाड़िया खड़ी हो गई हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प कुछ न कुछ होना चाहिये। तो इस बारे में हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध हो सकें। जहां तक माननीय अजय चंद्राकर जी ने 15 गांवों के वृक्षारोपण के बारे में कहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- 15-17 गांव है।

श्री मोहम्मद अकबर :- 15-17 गांव। 18 कर लो, कोई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य :- 20 करो।

श्री मोहम्मद अकबर :- तो जितने गांव के बारे में भी आपने जानकारी दी हैं, आप दे भी देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग वहां पर वृक्षारोपण का कार्य करायेंगे। माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी ने कहा कि पर्यावरण विभाग प्रमाण-पत्र बेचने का काम करता है, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आपके विधान सभा क्षेत्र में सारे सीमेन्ट प्लाण्ट हैं और प्रदूषण को लेकर आपको चिंता है। तो उस संबंध में यदि कोई भी बात संज्ञान में लायेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें भी कार्रवाई करायेंगे। आप जानकारी में लायेंगे तो हम उस दिशा में काम करायेंगे। इसके अलावा केशव चंद्रा जी ने जो बात कही कि वन मण्डल अधिकारी ने उन क्षेत्रों में भी डोलोमाईट का परिवहन की अनुमति दे दी है। जहां पर आवागमन अवरूद्ध है या आवागमन प्रतिबंधित है। तो इसको भी हम दिखवा लेंगे कि किन कारणों से

यह सब हुआ है और इसको भी निश्चित रूप से आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से हम लोग कार्रवाही करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अकबर भाई, एक मिनट। वह जो शिवतराई में interpretation centre बना है, जिसको प्रोजेक्टर से दिखाते हैं, उसको तो शुरू कराईये।

श्री मोहम्मद अकबर :- वह प्रोजेक्टर का भी दिखवा लेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, बिल्डिंग बन गया है और हमारे लोरमी के व्यवहार न्यायालय के लिये आपके विभाग से पैसा दे दीजिये। वहां पर बिल्डिंग नहीं है। उन लोगों को इधर-उधर उधार के बिल्डिंग में बिठाना पड़ रहा है। लोरमी में व्यवहार न्यायालय नहीं है। वह पैसा आपके विभाग से जाएगा।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं उसको भी दिखवा लूंगा। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण को लेकर और भी बातें कही गई थी, उसके बारे में मैं ...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- महोदय, राखड़ डंप करने से बहुत बिमारी हो रही है और हम लोग गांव में विवाद में फंस जायेंगे। मना करेंगे तो उद्योगपति हावी होंगे। आपके पर्यावरण विभाग वाले उनको कैसे अनुमति दे देते हैं। किसी गांव का वे बिना देखे अनुमति दे देते हैं कि वह नदी में जायेगा, नाला में जायेगा, कहां प्रदूषित होगा। तो पूर्णरूपेण उसको बंद कराये और राखड़ डेम में डाले।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय सभापति महोदय, अब अवैध राखड़ डंपिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर निम्नानुसार परिवहन क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित की जाती है और उसमें भी इस दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई चल रही है। राज्य के पांच प्रमुख शहरों, रायपुर, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में Air pollution index 50 से 100 के बीच में है] जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। राज्य में 12 स्थानों रायपुर में 4, कोरबा में 2, भिलाई में 2, रायगढ़ में 4 कुल 12 Indian air quality के संबंध में सिस्टम स्थापित है और इसमें भी संतोजनक परिणाम है।

श्री अजय चंद्राकर :- 50 परसेंट बंद हावय कहथे।

श्री मोहम्मद अकबर :- एक बात आया, मेसर्स आर.पी.एम. पावर जैम। आर.पी.एम. पावर द्वारा फ्लाई एश के टीम प्रापर अवैध डंपिंग के लिए 85 लाख रूपये की परिवहन क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित की गई है, जो उद्योग द्वारा जमा कर दी गई है। कोल आधारित पावर प्लांट में सल्फर डाई ऑक्साईड के संबंध एस.जी.पी. की स्थापना के लिए क्षमता व श्रेणी के हिसाब से माननीय सौरभ सिंह जी ने बात रखी थी। तो के लिए दिसंबर, 2024 तक का समय निर्धारण के लिए है। वृहत मध्यम श्रेणी के उद्योगों को एयर वाटर मॉनिटरिंग की डाटा प्रदर्शित किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर अलग-अलग बातें अपने-अपने ढंग से रखी गई हैं। किसी ने भी बजट के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। यदि आप कहे तो बजट के बारे में मैं पूरा विस्तारपूर्वक कहूं या फिर मैं निवेदन करता हूं कि इसको पारित कर दिया जाये।

सभापति महोदय :- जी, जी।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने तो आकर ही प्रतिवेदन दिया।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, 36, 21 एवं 10 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाए।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिये- चार सौ उनसठ करोड़, पनचानबे लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या-36	परिवहन के लिये- एक सौ पांच करोड़, आठ लाख, उनचानीस हजार रूपये,
मांग संख्या-21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सो उनयासी करोड, पंद्रह लाख, चौंसठ हजार रूपये तथा
मांग संख्या-10	वन के लिये- एक हजार आठ सौ चौदह करोड़, इंक्यानबे लाख, उनतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- माननीय श्रीमती अनिला भेंडिया जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- खाली प्रस्तुत हो रहा है। चर्चा मत कराइये। आप कल चर्चा करवाइये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, साढ़े आठ बज गया है और कितने बजे तक ?

सभापति महोदय :- नहीं, यह पहले प्रस्ताव हो चुका है कि कार्यसूची के समस्त कार्य समाप्त होते तक। चलिये, अनिला भेंडिया जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज प्रस्तुत करवा दीजिए। आज पहला दिन है और चर्चा कल करवाइये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, इतना जल्दी क्यों है। 1 से 8 चर्चा करवांएगे। 2 से करवाएंगे उसके बाद उनको...।

(3)	**मांग संख्या**	**55**	**महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय**
	मांग संख्या	**34**	**समाज कल्याण**

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़, चौंतीस लाख रूपये तथा

मांग संख्या-34 समाज कल्याण के लिये- एक सौ पंद्रह करोड़, चौंसठ लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तु हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या - 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए

1. श्री धरमलाल कौशिक	6
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
3. श्री अजय चन्द्राकर	2
4. श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा	9
6. रजनीश कुमार सिंह	3
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1

मांग संख्या - 34

समाज कल्याण के लिये

1. श्री धरमलाल कौशिक	5
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल	3
3. श्री अजय चन्द्राकर	9
4. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5. श्री रजनीश कुमार सिंह 1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्रीमती रंजना साहू जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कल करवा दीजिए।

सभापति महोदय :- थोड़ा-थोड़ा, जल्दी-जल्दी हो जाएगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, जितना भी जल्दी होगा, एक घण्टा तो लगेगा। नहीं भी बोलेंगे, तब भी उठने-बैठने में एक घण्टा लग जाएगा। साढ़े आठ बज गया है।

सभापति महोदय :- देखिये, अजय चन्द्राकर जी ने कहा था कि जितनी देर होगा, बैठेंगे। माननीय रंजना जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वह अजय चन्द्राकर जी का अपना मत है। बाकी सब सदस्य जो हैं ऐसी क्या मजबूरी है कि देर रात तक बैठकर चर्चा करे ?

सभापति महोदय :- चलिये-चलिये, बोलिये-बोलिये। चलिये, कार्यसूची समाप्त होते तक कार्य विषय चलना है। रंजना जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने जब अपना...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज व्यवधान के कारण, हमें बोलने के कारण, नहीं तो यह सामान्य चल रहा था।

सभापति महोदय :- व्यवधान तो आप ही करते हैं न। क्यों करते हैं व्यवधान ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम व्यवधान नहीं करते हैं। मंत्री व्यवधान करते हैं। उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगा है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, यह दो झन करते हैं।

सभापति महोदय :- भाषण जारी रखें, रंजना जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह देखो-यह देखो। हम तो बैठे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सभापति चलाएंगे तो हम भी बैठेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर यह देखो जरा।

सभापति महोदय :- सभी मंत्री लाबी में हैं । रंजना डीपेन्द्र साहू जी अपना भाषण शुरू करिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- समाज कल्याण विभाग के सचिव ही नहीं हैं साहब।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति जी, जब इस सरकार ने बजट पेश किया तो प्रदेश की जनता के मन में उनकी आकांक्षा थी कि काश, इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाए, जो महिला, किसान, गरीब और बेरोजगार को खुशहाल कर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ । कहा जाता है कि यदि कंधों पर जिम्मेदारी अधिक हो तो बहुत हिसाब से चलना पड़ता है और बहुत कुछ

सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इस सरकार की चाल-ढाल देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सरकार न तो किसी की सुनती है, न तो कुछ सहती है । यह सरकार 51 हजार करोड़ रूपए कर्ज में डूबी है, 600 करोड़ रूपये प्रतिमाह ब्याज पटाती है, उसके हिसाब से एक वर्ष का सालाना 72 सौ करोड़ रूपए ब्याज होता है । इन्होंने बजट में 14,600 करोड़ रूपए का अनुमानित घाटा बजट भी रखा है । इसके हिसाब से सरकार का बजट लगभग 1 लाख, 5 हजार करोड़ रूपए का है, जिसमें से उन्होंने महिला बाल विकास और समाज कल्याण को 3350 करोड़ रूपये यानि पूरे बजट का केवल 3.5 प्रतिशत महिला एवं समाज कल्याण विभाग के लिए प्रावधान किया है । प्रदेश के आधे से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई महिलाओं को केवल 3.5 प्रतिशत का बजट सरकार ने दिया है। अब इसमें ये लोग महिलाओं का कितना विकास करेंगे, कितने महिलाओं की शिक्षा, कितने बच्चों की शिक्षा, कितना बच्चों का विकास करेंगे, साथ ही साथ बुजुर्गों का पेंशन और महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजना है, उसका कैसे विकास करेंगे, यह इस बजट से स्पष्ट होगा ।

माननीय सभापति महोदय, जिन महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूं कि अपने सपनों को त्यागकर दूसरे के सपनों को सजाने वाली, अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर जाने वाली केवल और केवल एक नारी ही है । हम समाज कल्याण की बात करते हैं, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग सुनने में बहुत अच्छा लगता है । हम जिस समाज कल्याण की बात करते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था तो उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया और कहा कि उनके सपनों को हम आत्मसात करते हैं और उसी को लेकर यह उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं और सेवाग्राम बना रहे हैं, वह 100 करोड़ का बजट है । 100 करोड़ का बजट रख लें और 100 सेवाग्राम भी बना लें, लेकिन जब तक शराबबंदी नहीं करेंगे, प्रदेश को नशा से मुक्त नहीं करेंगे, जितना भी सेवाग्राम बना लें, यह कुछ भी नही कर पाएंगे ।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हमारी सरकार में तो कुल बजट का 3.5 प्रतिशत महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए है, पुरानी सरकार में तो 3 प्रतिशत ही था ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दुहाई देते हैं । राष्ट्रपिता ने तो सबसे पहले यही कहा था कि नशापान बंद करिए, तभी समाज का कल्याण हो पाएगा ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सरकारीकरण तो आपकी सरकार ने किया है मैडम।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा-थोड़ा पीयो करके मंत्री जी बोलती हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति जी, आपकी सरकार 15 साल सत्ता में थी, उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कितना प्रतिशत बजट था ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपने 15 साल में कुछ नहीं किया, तब कुछ नहीं लगा। अभी क्यों चिढ़ है ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, उनको बोलने दीजिए, आप बैठिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति जी, वर्तमान सरकार में 3.5 प्रतिशत बजट है, आपकी सरकार में इस विभाग के लिए 3 प्रतिशत से नीचे बजट था । माननीय चन्द्राकर जी, बृजमोहन जी बैठे हुए हैं ।

सभापति महोदय :- बैठिए, बैठिए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं, यह उनका बहुत प्रिय विषय है । यह महिलाओं का भी प्रिय विषय हो गया है क्योंकि अभी तक शराबबंदी नहीं हुई है और हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि आज समाज की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, वह बद से बदतर हो गई है, उसका कारण केवल और केवल शराब है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- सभापति जी, 600 करोड़ के आबकारी बजट का आज 5 हजार करोड़ का हो गया ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, आप बैठिए । महिलाओं के मामले में आप मत बोलिए, आप लोग बैठिए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब, आप अपनी तारीफ में गुणगान करते रहना।

डॉ. विनय जायसवाल :- 600 करोड़ के आबकारी विभाग के बजट को 5000 करोड़ कौन पहुंचाया है ।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, आप बैठिए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सम्माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ढाई साल पहले एक समिति बनाई । समिति ने क्या काम किया, उन्होंने कहां-कहां बैठकें कीं, किस-किस स्तर पर, किस-किस प्रदेश में जाकर उन्होंने विवेचना की कि हम शराबबंदी में क्या-क्या काम कर सकते हैं और कितनी बार बैठकें हुईं और बैठकों की रिपोर्ट में क्या आया ? यह अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है । यह सरकार की स्थिति रही है । प्रदेश सरकार की यह स्थिति है कि प्रत्येक संभाग में इन्होंने 14 से 15 नये बार खोले हैं । सरकार ने अकेले धमतरी जिले में तीन नये बार खोलने की अनुमति दी है । आप शराबबंदी की बात करते हैं और रोज नये बार को आप अनुमति दे रहे हैं तो कहां से आप समाज सुधार का काम करेंगे, कहां से आप शराबबंदी करेंगे, बताईए । सभापति महोदय, इन्होंने शराबबंदी को मजाक बनाकर रखे हैं । यदि वास्तव में आपने संकल्प लिया है और समाज को शराब से मुक्त करना है तो आपको यह काम करना पड़ेगा। आपने जो समिति बनाई है, वह केवल दिखावे की समिति है। समिति ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी है।

माननीय सभापति जी, इन्होंने फिर नया काम किया। जो शराब की दुकानें हाईवे के अंदर थीं,

इन्होंने हाईवे में लाकर खड़ी कर दी। फिर से प्रीमियर लिकर शॉप की नई दुकानें खोल दी है। जहां पर देशी शराब बिकती थीं, इन्होंने और अच्छा कर दिया ताकि वहां पर विदेशी शराब भी मिले।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनकी सरकार ने गली-गली पाउच में बेचा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- इसके साथ ही देशी शराब की दुकान में विदेशी शराब की दुकान खोल दी है।

माननीय सभापति जी, ये शराबबंदी की बात करते हैं। यदि ये वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उदेद्श्यों को आत्मसात करते तो सबसे पहले इनको शराबबंदी का काम करना था और वहीं से समाज कल्याण होता। आप रोज देख रहे हैं कि सदन में यही विषय आ रहा है कि पूरे प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज पूरे प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। कहीं पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हो रही है, मर्डर किए जा रहे हैं, रेप किए जा रही हैं, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यदि हमने इसे हल्के में लिया तो आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी। इस विषय को समाज कल्याण को अधिक गहराई से लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय जी, सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने कुपोषण मुक्त किया है। मैं बताना चाहती हूं कि सरकार ने अभी कुपोषण से मुक्ति के लिए कोई बड़ी अच्छी और ठोस योजना नहीं बनाई है। ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करते हैं। यह कोई ठोस योजना नहीं है। कल के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के उत्तर में बताया है कि एन.एफ.एच.एस एवं नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एस.डी.जी. इंडेक्स के अनुसार रायपुर से नीति आयोग दिल्ली को जो रिपोर्ट भेजते हैं और नीति आयोग वहां से जो रिपोर्ट प्रकाशित करती है, इसमें कुपोषण के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें दुबलापन, बौनापन और उम्र से कम वजन, ये 3 प्रकार के कुपोषण हैं।

माननीय सभापति महोदय, 2005-06 में दुबलापन की जो रिपोर्ट आई तो यह लगभग 24 प्रतिशत था। उसके बाद वर्ष 2015-16 में यह घटकर 23 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2015-16 में भा.ज.पा. की सरकार रही, पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार कुपोषण पर काम किया और वह दर घटकर 18.9 प्रतिशत रही और उसके बाद वह दर उतने ही प्रतिशत रही। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने 3 साल तक काम किया। लेकिन अभी तक वह प्रतिशत घटी नहीं है।

माननीय सभापति जी, बौनापन, कुपोषण का दूसरा प्रकार होता है, जिसमें वर्ष 2005-06 में 52 प्रतिशत था, वर्ष 2015-16 में 37 प्रतिशत हुआ, यानि कम हुआ। उसके बाद वर्ष 2019-20 में 34.6 प्रतिशत हुआ। माननीय सभापति महोदय जी, इन्होंने कुपोषण में कितना काम किया, यह इस पुस्तक से बहुत स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बौनापन कुपोषण की जो दर है, वह 35.40 प्रतिशत रही और वर्ष 2020-21 में 35.40 प्रतिशत है। यह इनका दर है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

सभापति महोदय :- केवल महिला सदस्य बोलेंगी, आप बैठें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, बौनापन..।

सभापति महोदय :- केवल महिला सदस्यों का नाम है। आप बैठिये।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह न्यूट्रीश्यन का मामला है। मैं भी एम.बी.बी.एस. किया हूं, मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है।

सभापति महोदय :- ठीक है, आप किए होंगे। लेकिन केवल महिला सदस्यों का नाम आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह एम.बी.बी.एस. हैं, उनका आपरेशन करवाकर महिला बनवा दीजिये। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी भी तैयार हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति जी, कुपोषण का जो तीसरा प्रकार है, वह उम्र से कम वजन होना।

सभापति महोदय :- रंजना जी, जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जी। कुपोषण का तीसरा प्रकार उम्र से कम वजन होना। इसमें वर्ष 2005-06 में 47.8 प्रतिशत था, वर्ष 2015-16 में 37.7 प्रतिशत था। माननीय सभापति जी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉ. रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी की सरकार रही तब यह दर घटर 37 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हुई है, उम्र से कम वजन होना तीसरा प्रकार है।

माननीय सभापति महोदय, आप इन 3 वर्षों की रिपोर्ट देखियेगा, मैं अपने मन से या कहीं और जगह से रिपोर्ट नहीं लाई है, जो पुस्तक में है, मैं वही बता रही हूं। इन 3 वर्षों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चला है, उसमें कुपोषण का जो तीसरा प्रकार है, वह 40 प्रतिशत ही है और वह आज भी 40 प्रतिशत ही है। तो इन्होंने सुपोषण अभियान में कितना काम किया है या खुद कुपोषित हुए हैं, ये खुद जानेंगे। माननीय सभापति महोदय जी, एक रूपये फिर से आई, एम.पी.आर. 2020 की, जिसमें कूपोषण की दर 18.22 प्रतिशत रही है । माननीय सभापति महोदय, यह वर्ष 2020 की रिपोर्ट है, एम.पी.आर. की ही वर्ष 2020 की रिपोर्ट आई, थोड़ी सी दर 18 से कम होकर 15 हुई । माननीय सभापति महोदय जी, वर्तमान की स्थिति मैं बताना चाहती हूँ, हर मंच में जाकर सूपोषण चिल्लाते हैं, मुख्यमंत्री सूपोषण अभियान चलाये, इतने बच्चे सुपोषित हुये, माननीय सभापति महोदय जी, इन्होंने खुद जब सत्यापन किया, खुद जानकारी ली, वजन त्यौहार के अनुसार कूपोषण की दर 15 प्रतिशत से बढ़कर 19.86 प्रतिशत हुई है, यह कूपोषण में उन्होंने काम किया है, माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की सशक्तीकरण की बात करने वाली यह सरकार का यह दिख गया है कि महिलाओं के लिए इन्होंने कितना

बजट रखा है । 3.5 परशेंट बजट से निकालकर जो दिया है, इन्होंने रेडी टू ईट की लगभग 20 हजार महिलायें जो काम करती थी, उन महिलाओं को आज काम से मुक्त कर दिया है । महिलायें दर-दर भटक रही है । वह महिलायें जो आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया था, महिलायें आगे जाना चाहती थी, अपने घर का पालन-पोषण और अपने परिवार की एक अहम जिम्मेदारी उन महिलाओं पर होती थी । आज स्थिति यह है कि उन महिलाओं के हक और अधिकार को इन्होंने किनारे कर दिया, ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने रोजगार दिया है, जो इनके साथी बने फिरे हैं । माननीय सभापति महोदय जी, माननीय मंत्री जी का बहुत शर्मनाक बयान आता है, जब महिलायें अपने हक और अधिकार को लेकर धरने पर बैठती है, माननीय महिला बाल विकास मंत्री का बयान आता है, दलाल जैसे लोग धरने पर बैठे हैं, दलाल जैसे लोग रेडी टू ईट पर काम कर रहे हैं..।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :-माननीय सभापति महोदय जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दलाल शब्द महिलाओं को लिये अच्छा शब्द है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इन पर खड़ा करती हूँ कि ...।

डॉ.विनय जायसवाल :- सभापति महोदय, दो विरोधाभाषी बातें हैं ।

सभापति महोदय :- जायसवाल जी, बैठ जायें । बिल्कुल नहीं । आपका नाम नहीं है । आपके नाम का उल्लेख नहीं है, आप बैठ जायें । समय का ध्यान रखें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, वह बार-बार खड़े हो रहे हैं । उनको घर भेज दीजिए ।

सभापति महोदय :- रंजना जी, समाप्त करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय जी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आज मैंने महिला बाल विकास में आधा कहा तो प्रदेश की बहने मुझे माफ नही करेगी ।

डॉ.विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, एक तरफ माननीय सदस्य कूपोषण की बात कर रही है...।

श्री धरमलाल कौशिक :- रंजना अच्छा बोल रही है, इसलिए उसे बोलने दिया जाये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- बृजमोहन भईया, आपको ले जाना है तो अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाओ । छोड़कर आओ उनको ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मितानिन बहनों के हक और अधिकार की बात आई..।

सभापति महोदय :- आप जैसे कहते हैं वैसा कर लेता हूँ । चन्द्राकर जी, जैसा कह रहे हैं, डॉ.लक्ष्मी ध्रुव ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके बाद एक उधर से बुलवा दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :-जवाब आ जायेगा ।

सभापति महोदय :- चलिये, जारी रखिये ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, मितानिन बहने जो हैं, अपना सारा समय देकर गर्भवती महिलाओं की सेवा करना और घर की रसोई तक जाकर मितानिन बहने काम करती है । हमने तो नहीं कहा था कि आप इन्हें 5 हजार रूपये दीजिए। आपने खुद अपने घोषणा पत्र में आत्मसात किया और कहा कि 5 हजार रूपये सहयोग की राशि उनके कमीशन के अतिरिक्त दी जायेगी । लेकिन आज भी सरकार ने अपने बजट में एक रूपया भी उन मितानिन बहनों के लिए नहीं रखा है । क्या उनके लिए न्याय है । माननीय सभापति महोदय जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार ने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में आत्मसात किया था, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता बहने है, बहुत नामिनल दर पर उन्हें मानदेय मिलता है । इन बहनों का मानदेय बढ़ाकर कलेक्टर दर पर किया जायेगा । माननीय सभापति जी, सरकार ने अपने घोषणापत्र में आत्मसात किया था, लेकिन एक रूपये का भी बजट हमारे बहनों के लिए नहीं रखा है । सरकार को उसके लिए अलग से बजट रखना था, यह उनके साथ न्याय नहीं है । माननीय सभापति जी, वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- रंजना, मितानिन हा, स्वास्थ्य विभाग के डाक्टर नइ हे ।

श्री रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, वृद्धजनों का पेंशन 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये, 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये, यह सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आत्मसात किया था । हम उनकी पूरी सूची को पढ़ लेंगे, पुस्तकें हम पढ़ लेंगे, अभी तक सरकार ने कहीं पर उनके पेंशन को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है । न तो उसके लिए अलग से बजट रखा है । पूर्व की भाजपा सरकार में एक बहुत अच्छी योजना चल रही थी जिसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का नाम दिया गया था। इस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी श्रवण कुमार बनकर उन वृद्धजनों के पुत्र बनकर उन्हें हर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा कराई। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि तीन वर्षों में सरकार ने इस योजना को बंद कर दी। किसी भी वृद्धजनों को अभी तक सरकार ने तीर्थ यात्रा नहीं कराई। दो साल उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया। पहले साल उन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं कराई। माननीय सभापति जी, आपको सुनकर हंसी आयेगी इस योजना को चलायमान रखने के लिए सरकार ने केवल और केवल 3 लाख का बजट प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदय, 3 लाख रुपये में यह खुद तीर्थ यात्रा जायेंगे या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह दिव्यांगों के हक और अधिकार की बात करते हैं कि आज हम दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहते हैं कि हम उनके विभिन्न योजनायें लेकर आये हैं। यह दिव्यांग भाई-बहनों के लिए कौन सी नई योजना लेकर आये हैं?

माननीय सभापति महोदय, जब नगरीय निकाय में चुनाव हुआ, इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो मनोनीत पार्षद रहेंगे, वह दिव्यांगों में से एक महिला और एक पुरूष लिया जायेगा। सदन में उस

बात की घोषणा भी हुई थी। लेकिन नगरीय निकाय में चाहे वह नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगरपालिका हो, कहीं भी मनोनीत पार्षद महिला या पुरूष को अभी तक नहीं लिया गया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- रंजना जी, हमारे यहां पूरे मनोनीत पार्षद हैं। दिव्यांग लोगों को ले लिया गया है।

सभापति महोदय :- चलिये, बहुत समय हो गया, कृपय समाप्त करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह केवल जुमलेबाज सरकार है, केवल और केवल जुमला करती है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, असत्य बात को सदन में नहीं बोलना चाहिए। माननीय सदस्या, कोरा-कोरा असत्य बोल रही हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैने विकलांग महिला का निर्वाचन कराया है।

सभापति महोदय :- जायसवाल जी, यह उचित नहीं है, आप बैठिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, जब दिव्यांग वर और वधु का विवाह होता है उस समय इनको 01 लाख रुपये की राशि दी जाती है। मेरा आग्रह है कि यदि वर और वधु दोनों विकलांग है तो आप उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सरकार को धन्यवाद दीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी दिव्यांग हो तो सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोई ठोस योजना लेकर आनी चाहिए। आप दिव्यांग से विवाह कर रहे हैं तो उनको भी प्रोत्साहन की राशि दी जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- चलिये आपकी सारी बातें आ गईं। ठीक है, धन्यवाद। रंजना जी हो गया, पर्याप्त है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरा थोड़ा सा विषय है, मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय लूंगी।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सदस्य ने जो विकलांग शब्द बोला है, उसको विलोपित करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों के उत्थान की बात करने वाली यह सरकार है।

सभापति महोदय :- रंजना जी, आपका हो गया, कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बिन्दु हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, देश, प्रदेश की जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है और सरकार उनके उत्थान के लिए संकल्पित है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, अभी तक इन्होंने दिव्यांगों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने एक नई योजना "दिव्यांग सुरक्षा बीमा योजना" बनाई है। एक तो होता यह है कि एक तो दिव्यांग की घर वाले देखरेख करने में अपना बहुत कम समय दे पाते हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मेडम, दिव्यांगों को पूरी सुविधायें सरकार दे रही है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, खुदा न करे यदि कोई कभी ऐसा समय आता है कि किसी दुर्घटनावश कोई बड़ी घटना हो जाती है तो यदि मां-बाप गरीब हैं, यदि परिवार गरीब है तो ईलाज, उपचार कराने में वह परिवार सक्षम नहीं हो पाता। यदि उनका बीमा हो जाये, यदि दिव्यांग सुरक्षा बीमा योजना ला दी जाये तो यह दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- ठीक है। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव। रंजना जी हो गया, अब पर्याप्त है। आपकी सारी बातें आ गई हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, देश और प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है। सरकार महिलाओं को सक्षम बनाने, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी हमारे पूरे प्रदेश भर में 52 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 हजार पद और आंगनबाड़ी सहायिका के 4 हजार पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई बजट नहीं लाया है। पूरे पद खाली हैं। बच्चों का क्या विकास करेंगे, बच्चों को कौन सी शिक्षा और संस्कार देंगे ? इनकी देखरेख कौन कर रहा है ? इन्हें समय पर भोजन कौन करा रहा है ? माननीय सभापति महोदय जी, महिला एवं बाल विकास की बात करने वाली यह सरकार पूरी तरह फेल है।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। रंजना जी समाप्त करें। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव अपना भाषण जारी करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार 10 जिलों में नयी बालवाड़ी खोल रही है और बालवाड़ी आंगन बना रही हैं। लेकिन जो पुरानी आंगनबाड़ी है, आप पहले उसको तो (व्यवधान), आप उसको पहले सुरक्षित करा लें। उसके बाद जो आप नयी बालवाड़ी खोल रहे हैं, उस बालवाड़ी में यदि आप शिक्षकों की नियुक्तियां करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों की permanent नियुक्तियां कीजिये।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव अपना भाषण जारी रखे।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी जब से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, यह सरकार महिलाओं के विकास के लिये प्रतिबद्ध है और राज्यगीत स्वीकार किया गया, उसमें भी "जय हो, जय हो छत्तीसगढ़ मईया", "जय हो, जय हो छत्तीसगढ़ मईया",

को राज्यगीत के रूप में स्वीकार किया गया। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिये संपत्ति के अधिकार में समानता दी गयी। उसी तरह से 30 प्रतिशत महिलाओं को सालाना (व्यवधान) दे रहे हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, सरकार ने महिला एवं बाल विकास का जो बजट दिया है, मैं इस सरकार के बजट का विरोध करती हूं।(व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिये इतना समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण इससे ज्यादा और और क्या चाहिये?

एक माननीय सदस्य :- पुरूष सशक्तिकरण के लिये अभियान चलाया जाये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, यह महिला सशक्तिकरण का असली स्वरूप है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, पुरूष (व्यवधान) तुहू मन।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, और हमारी सरकार 50 प्रतिशत महिलाओं को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व दे रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रही है। हमारे विपक्ष झूठ और गलत के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहती हूं कि यदि महिलाओं के विकास की इतनी चिंता थी तो छत्तीसगढ़ को 41 हजार करोड़ के कर्जे से क्यों लाद दिया ? हमारा जो बजट इधर जाता वह इनके कर्जे को छूट रहे हैं, फिर भी हमारे माननीय मुखिया ने संपत्ति मे अधिकार की समानता दी है, पंचायती राज में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। नौकरियों में भी आरक्षण दिया है और महिलाओं का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उन्होंने भी प्रतिवेदन में पढ़ा होगा कि ऐसी कितनी सारी योजनाएं है जो महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये, नयी-नयी योजनाएं, नये-नये कार्य लाये गये हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लक्ष्मी दीदी, संपत्ति का अधिकार न्यायालय ने दिया है, सरकार ने आदेश नहीं किया है, आदेश न्यायालय ने किया है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (धमतरी) :- सभापति महोदय, सुपोषण आहार की बात कहूं तो 6 साल के जो बच्चे हैं तो इन्होंने जब सत्ता छोड़ा तो 37.3 प्रतिशत कुपोषित बच्चे थे। 19 से 49 वर्ष की महिलाओं में 47 प्रतिशत महिलाएं कुपोषित थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ? और जो हमारी सरकार है वह कुपोषण को दूर करने के लिये, नयी-नयी योजनाएं लागू की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर की कुपोषित महिलाओं की स्थिति को देखा और दंतेवाड़ा सुपोषण अभियान चलाया और 1 लाख 75 हजार बच्चे कुपोषण से बाहर हुये हैं, मैं माननीय विधायक को बताना चाहती हूं। दूसरी बात, आंगनबाड़ी का सुधार एंव निर्माण, 60 से ज्यादा निर्माण। जब मैं अपने क्षेत्र में निर्वाचित हुई तो इन्होंने महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी भी नहीं बनाया था। मेरे आने के बाद मैंने महिला एवं बाल विकास के 60 आंगनबाड़ी दिया है और कोरोना काल

में रेडी टू ईट को, जो आंगनबाड़ी के माध्यम से होता था, तो कोरोना काल में टेक होम राशन दिया गया और लोगों में जागृति पैदा करने के लिये छत्तीसगढ़ी बाल गीत और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया और जितने आंगनबाड़ी बच्चों के विकास के लिये बनाया गया, उसमें 44 हजार 257 ग्रामीणों के लिये और 2 हजार 921 शहरी आंगनबाड़ी बनाया गया। इसी तरह महिला सशक्तिकरण की दिशा में और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लोगों को कर्मकाण्ड, बाह्य आडंबर और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये लागू किया गया, क्योंकि कई लोगों की शादी नहीं होती थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो राशि 15 हजार थी, उसको उन्होंने समझा कि इतने में तो कुछ भी नहीं हो सकता थोड़ी भी सहायता नहीं दे सकते इसलिये इसकी राशि बढ़ा कर 25 हजार रूपये की गयी और 2021-22 में इसमें 19 करोड़ रूपये खर्च किया गया और 6 हजार 433 महिलाओं का पिछले साल एक साथ कन्या विवाह किया गया। तो क्या यह कन्याओं के विकास के लिये सही कदम नहीं था ? तो विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिये कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की शादी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आप विधायक को मत बताईये, उधर विभाग को बताईये।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (धमतरी) :- आप को ही बताऊंगी।

श्री अमरजीत भगत :- This is a good model to women's power.

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (धमतरी) :- सभापति महोदय, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये मातृ वंदना लागू की गयी, जिसमें अल्पपोषित महिलाएं और महिलाओं में रक्त की कमी हो जाती थी और गर्भाशय में जो बच्चे होते थे उनका भी पोषण सही ढंग से करने के लिए, मातृवंदना योजना लागू की गई। इसमें हमारे प्रदेश के बच्चे स्वस्थ हों, बुद्धि से स्वस्थ हों, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, इसके लिए 226.88 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है।

सभापति महोदय :- आप जरा संक्षिप्त करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना के बारे में कहना चाहूंगी कि 4450 पुलिस स्वयं सेवी अभी कार्यरत हैं, नोनी सुरक्षा योजना के विषय में कहना चाहूंगी कि आज लिंगानुपात बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी, प्रतिवेदन तो वितरित कर दिया गया है, आपको कोई खास बात कहना है तो कह दें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहां ऐसी समस्या न आये इसके लिए यह व्यवस्था की गई है और 60 हजार से अधिक लोग इसका लाभ ले

चुके हैं। सुचिता योजना के विषय में कहना चाहूंगी । आज के भागमभाग की जिन्दगी, काम की अधिकता में मैं समझती हूँ ...।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी, अब हो गया पर्याप्त है। यह तो वितरित कर दिया है, सबको मालूम है। माननीय इंदू बंजारे जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशादर्शन भवन की योजना है ताकि वह दुनिया देखे, सीखे और आत्मनिर्भर हों। इसके लिए भी कार्यक्रम चलाया गया है, इसके अलावा अनैतिक व्यापार पर रोकथाम, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का कार्य तेजी से हो रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की भी रोकथाम कर रहे हैं, सरकार संरक्षण दे रही है। यहां महिला जागृति शिविर लगाया जा रहा है, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की योजना है ताकि वह भटके न। उसको संरक्षण मिले, अभी 5 छात्रावास संचालित है। उसी तरह से उज्जवला परियोजना भी है।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी, आपकी सारी बातें आ गईं। अब आप समाप्त करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अभी हमारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक इतनी सक्रियता से जो महिलाएं उत्पीड़ित हैं, जिसके अधिकार का हनन हो गया है, उसको बहुत जल्दी-जल्दी हल करके, उनको अधिकार प्रदान कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी,धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, तो इस प्रकार पुलिस विभाग और महिला बाल विकास विभाग दोनों मिलकर महिला के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक अनुसंधान इकाई, जो 6 जिलों में कार्यरत हैं।

सभापति महोदय :- लक्ष्मी जी, आप समय का ध्यान रखें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, महिला प्रकोष्ठ भी बनाया गया है, 4 महिला थाना भी बनाया गया है। महिला सेल भी बनाया गया है, अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा कोष और चिन्हित अपराध योजना, परिवार परामर्श हेतु और पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग, पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझती कि इतनी सारी योजनाओं के होते हुए, महिला कहीं भी असुरक्षित नहीं है। प्रदेश में महिलाओं का निरंतर विकास हो रहा है और उसी का परिणाम है कि हम लोग आज यहां विधान सभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 विधायक बैठकर, यहां विधि निर्माण में भाग ले रहे हैं। यह महिला सशक्तीकरण का उदाहरण है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन उनके पक्ष में 10 में से केवल एक ही बोल रही है।

सभापति महोदय :- हो गया। आप बैठ जाईये। आप समाप्त करें। आपको भी तो घर जाना है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, महिला सशक्तीकरण अतका कन हो गे ..।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, और तो बोलना चाहती हूँ लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती इन्दू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं महिला बाल विकास विभाग पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी बातों को रखने से पहले महिलाओं के सम्मान के लिए दो लाईन बोलना चाहूंगी कि

"न अबला है, न बेचारी है, हम आज के युग की नारी है,
कम करके मत आंकों मुझको, मैं पूरे जग पर भारी हूं,
न अबला न बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ।"

मैं हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी को कहना चाहूंगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो सरकार है वह महिलाओं को दबाने का प्रयास कर ही है महिलाओं के शोषण करने का प्रयास कर रही है। मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की मांगों को रखना चाहूंगी..।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बहन, आप यह बताओ कि महिला बाल विकास मंत्री खड़ी हो गई तो मजाल है कि कोई दबा सकता है। अच्छे अच्छे का दम नहीं है कि उनके सामने आवाज निकले।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- भईया, वह तो बजट में दिख गया कि यहां महिलाओं की कितनी सुरक्षा है।

मैं अपने क्षेत्र के पामगढ़ विधान सभा के खरखोद खैराडीह में आंगनबाड़ी भवन नहीं है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए नये भवन की मांग करती हूँ। साथ ही मेरे गृह ग्राम भिलौनी जोरइला में आंगनबाड़ी भवन जर्जर हो चुका है तो मैं इसके लिए भी नवीन भवन की मांग करती हूँ। मैंने माननीय मंत्री महोदया जी को एक साल पहले अपने लेटर पेड से मेरे क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी भवन हैं, वह सब जर्जर हैं, भवनविहीन हैं, आपको पत्र के माध्यम से उन सब के बारे में अवगत करायी थी, लेकिन आज तक किसी भी तरह की स्वीकृति मुझे अपने पमागढ़ क्षेत्र के लिए नहीं मिली है। माननीय महोदया से विशेष निवेदन है कि इस सत्र में कम से कम मेरे पामगढ़ क्षेत्र में जो भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उसमें भवन बन जाए तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। सभापति महोदय, मैं पेंशन के संबंध में बोलना चाहूंगी, चूंकि जब हम लोग जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में जाते हैं तो जो सारी वृद्ध महिलाएं होती हैं, वे लोग हमें घेर लेते हैं और उनको तो यह पता नहीं रहता कि किस छप्पा के व्यक्ति ने उनको यह आश्वासन दिया

था कि हम पेंशन को बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने निश्चित रूप से अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पेंशन को बढाएंगे। वे लोग यही समझते हैं, क्योंकि वे वृद्ध हो चुके हैं, उनको तो जानकारी नहीं है। वे हम लोगों से बार-बार प्रश्न पूछते हैं कि कइसे वोट मांगे के समय तो आए रेहेव, पेंशन ला बढ़ाबो करके, अब का होगे। इस तरह की बातें हम लोगों को सुननी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, मैडम अभी दो साल और है, बढ़ाएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो। दो साल में बढ़ेगा।

श्रीमती इंदू बंजारे :- लक्ष्मी दीदी, तीन साल में जब कुछ नई हो पाईस ता दो साल में अऊ काय कर लिहा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- घोषणा पत्र में और बहुत सारी बातें थे, उनको पूरा करना था।

श्रीमती इंदू बंजारे :- सभापति महोदय, महिलाओं के लिए जो घोषणा पत्र में थी, उसको पहले पूरा करना था ताकि हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है, वह ज्यादा बढ़ सके। माननीय सभापति महोदय, पेंशन राशि के लिए मैं माननीय मंत्री महोदया से मांग करती हूं कि वह हमारे वृद्धजनों को ध्यान में रखते हुए, अपने पेंशन को बढ़ाने की बात कही है, उसको पूर्ण करें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगी, चूंकि एक क्राईटेरिया है और वृद्ध पेंशन के लिए एक सर्वे सूची में नाम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे वृद्धजन होते हैं, जिनको वाकई में पेंशन की जरूरत होती है लेकिन उनको सरपंच और सचिव से जब हम लोग बात करते हैं तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बोल देते हैं कि इनका सर्वे सूची में नाम नहीं है जिनके कारण वे वाकई में योग्य हैं लेकिन उनको पेंशन प्राप्त नहीं होती है।

सभापति महोदय :- चलिए, धन्यवाद। इंदू जी, आपकी सब बातें आ गयी है। चलिए एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय सभापति महोदय, बस पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूं। एक विषय बस बाकी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कहती हैं कि वह स्वसहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार देंगी लेकिन रेडी टू ईट के माध्यम से जिससे हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पुरस्कृत हुई है और पुरस्कृत होने के बाद हमारे बहनों को दरकिनार कर दी गयी हैं। इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि उनको जो रेडी टू ईट बनाने के नियम हैं, उसको उन्हीं को वापस करें ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे कुपोषित न हो, पोषित हो और उन्हें एक नहीं हजारों पुरस्कार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को मिले। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से बोलना चाहूंगी कि चूंकि यह महिलाओं के विभाग का है और आप स्वसहायता समूह को रोजगार भी देना चाहती हैं तो रोजगार के साथ-साथ जो ग्राम संगठन में हमारी बहनें होती हैं, वह दो-दो तीन-तीन समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन

का निर्माण होता है, उसमें बैठने की बहुत दिक्कत होती है। जहां उनको मीटिंग करने में या कार्य करने में बहुत दिक्कत होती है तो उनके लिए एक अलग सा फंड निर्धारित करें ताकि हमारी जो ग्राम संगठन की बहनें हैं, उनको एक नवीन भवन मिल सके जिसमें वह अपना मीटिंग या अपना कार्य कर सकें।

सभापति महोदय :- इंदू जी आपकी सारी बातें आ गयी है। कृपया करके बैठ जाएं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, अभी कुछ बचा है। अभी थोड़ा सा और कुछ बचा है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, एकदम छोटा सा एक विषय है। माननीय मंत्री जी, मेरा नाम नहीं है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, हर बार बीच में क्यों खड़े हो जाते हो, महिलाओं को बोलने दीजिए। उसको भी नहीं बोलने दोगे लगता है। अमरजीत भगत जी से लड़ते हो ठीक है, डहरिया जी से लड़ते हो ठीक है, उसके पीछे क्यों पड़े हो ?

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं, सहायिका होती हैं, हमारी जितनी भी भाई बहनें होती हैं, उनकी भर्ती में भी रोक लगा दी गयी है ताकि भर्ती के समय पैसा वसूल सकें। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। ऐसा घोटाला न करें। हमारी बहनों को उनका उचित अधिकार मिले और उनके साथ न्याय हों। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय श्रीमती अनिता शर्मा जी। चंद्राकर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, आप जब बोलेंगी तो यह जरूर बताने का कष्ट करिएगा कि कितना सारा मोबाईल कौन सी कंपनी का किस प्रक्रिया में कब खरीदा गया ?

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला बाल विकास के लिए प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार बेटी की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार माता-पिता के कंधों पर बेटी की विवाह का बोझ न पड़े इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित कर रही है जिसमें कन्या विवाह में 25,000 रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसके लिये बजट में 1.9 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है जबकि पूर्व की सरकार के द्वारा कन्या विवाह में 15,000 रूपये दिया जाता था । माननीय सदस्य इस विषय में बहुत गंभीर हो रहीं थीं कि हमारी सरकार महिलाओं के लिये कुछ नहीं कर रही है सिर्फ दिखावा कर रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे गरीब परिवारों को सहायता देने के लिये वे जैसे ही पद में स्थापित हुए तो उन्होंने 2500 रूपये महिलाओं के सम्मान में तय किया । हमारी सरकार के द्वारा कुपोषण को कम करने के लिये गरम पौष्टिक और

प्रोटीनयुक्त भोजन प्रदाय किया जा रहा है जिससे आज हमारे प्रदेश में कुपोषण की दर राष्ट्रीय स्तर पर कम हुई है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019 में कुपोषण का प्रतिशत 40 प्रतिशत दर्शाया गया था । अभी इसमें 8.7 प्रतिशत की कमी आयी है । राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत बालिका का 18 वर्ष तक का विवाह न होने पर व बारहवीं तक की पढ़ाई पूर्ण करने पर सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की परिपक्वता राशि दी जा रही है । जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-22, 23 के बजट में इस योजना के लिये 25 करोड़ 26 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। हमारी राज्य सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को मातृत्व लाभ के लिये नवीन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की गयी है जिसमें पात्र हितग्राहियों के लिये द्वितीय प्रसव हेतु राज्य सरकार द्वारा 5000 प्रति हितग्राहियों के लिये...।

सभापति महोदय :- अनिता जी, वही-वही बातें रिपीट हो रही हैं । कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में महिला बाल विकास की तरफ से कुछ मांग हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकारी, कचना, मलौद, बाना, निमौरा, मोरेंगा, बेलदार, सिवनी, भरवाडीहकला, भरवाडीहखुर्द, कनकी, खौली, डभरी में नवीन आंगनबाड़ी भवन की वहां मांग की जा रही है । मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इन जगहों में नवीन आंगनबाड़ी दिया जाये और मेरी बहन बहुत उत्तेजित होकर जो बोल रहीं थीं, मैं उसके लिये बोलना चाहूंगी कि वर्ष 2018 के चुनाव के बाद जब मैं आंगनबाड़ी में गयी तो आंगनबाड़ी की स्थिति इतनी बद से बद्तर थी कि वहां पर महिलाओं को, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बैठने के लिये कुर्सी भी नहीं रहती थी । वहां पर बच्चों के लिये पानी की व्यवस्था नहीं होती थी और एक-तरफ उज्जवला योजना का बहुत प्रचार-प्रसार हो रहा था उस समय महिलाओं को आग जलाकर चूल्हे में खाना पकाना पड़ता था । आज हमारी सरकार ने हमारी महिलाओं के लिये हर आंगनबाड़ी में गैस-चूल्हे की व्यवस्था की है । सभी जगह शौचालय और पानी की व्यवस्था की है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेडिया जी । समय का ध्यान रखिए और जल्दी से अपनी बात कह दें ।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज यह सम्पूर्ण बजट प्रदेश की नारी शक्ति, किशोरी बेटियों और नौनिहालों को समर्पित करती हूं । महिला एक पूर्ण चक्र है उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है । नारी अजेय है, वह न तो बेचारी है और न तो अबला है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नारी अजेय कहां से हो गया ?

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप कहां से बीच में आ गये ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय सभापति महोदय, आज इस विभाग की चर्चा में श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा एवं श्रीमती इंदू बंजारे जी आप लोगों ने जो सुझाव दिये । श्री अजय चंद्राकर जी आप लोगों ने जो सलाह दी उनको बिल्कुल...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- श्रीमती चन्द्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- श्रीमती अजय चन्द्राकर। (हंसी)

सभापति महोदय :- बड़ी बहन जी कहते तो क्या दिक्कत है? बड़ी बहन जी कह दीजिये। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- श्रीमती अजय चन्द्राकर ।

श्री अमरजीत भगत :- दोनों एक साथ लगा दिया जाये। श्री एण्ड श्रीमती अजय चन्द्राकर।

सभापति महोदय :- मेरी समझ में बड़ी बहन जी ज्यादा ठीक है। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- बड़ी बहन जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- रंजना डीपेन्द्र साहू जी बोल रही थीं कि बजट बहुत कम है, परंतु वर्ष 2017-18 में आप लोगों का बजट 1 हजार 810 करोड़ का था और हमारे वर्ष 2022-23 के बजट में 2 हजार 289 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री महोदया, महंगाई बढ़ी है तो बजट तो बढ़ेगा ही।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुन न, अब बोल तो डारे हस। मैं बोलथो सुन। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- अलग से मौका दे दो और।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, आज महिला सशक्तिकरण एकदम सिर चढ़कर बोल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके बजट में नया कुछ नहीं है। हम आपके बजट को पास करते हैं। मैंने पास कर दिया है।

श्री अनिला भेंडिया :- आप लोग बोलेंगे तो सर्वसम्मति से पास किया जाये।

सभापति महोदय :- सर्वसम्मति से पारित। चलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, पास किया जाये। हो गया।

सभापति महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या-55 एवं 34 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिये- एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़, चौंतीस लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये- एक सौ पंद्रह करोड़, चौंसठ लाख, दस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 9 बजकर 17 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 14 मार्च, 2022

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं